

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1366]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 15, 2017/वैशाख 25, 1939

No. 1366]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 15, 2017/VAISAKHA 25, 1939

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2017

का.आ.1549 (अ). – जबकि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत 14 अक्तूबर, 2006 को अपनी 5551वीं बैठक में संकल्प 1718 (2006), 12 जून, 2009 को अपनी 6141वीं बैठक में संकल्प 1874 (2009), 22 जनवरी, 2013 को अपनी 6904वीं बैठक में संकल्प 2087 (2013), 7 मार्च, 2013 को अपनी 6932वीं बैठक में संकल्प 2094 (2013), 2 मार्च, 2016 को अपनी 7638वीं बैठक में संकल्प 2270 (2016) और 30 नवंबर, 2016 को अपनी 7821वीं बैठक में संकल्प 2321 (2016) अंगीकार किया (इस आदेश के साथ क्रमशः अनुसूची I, II, III, IV, V और VI के रूप में संलग्न) जिसके तहत सभी राष्ट्रों को कतिपय उपाय करने अपेक्षित हैं;

और जबकि, केंद्र सरकार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत स्वीकार किए गए सुरक्षा परिषद के उक्त संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) के अंतर्गत एक आदेश जारी करना आवश्यक और सामीचीन समझती है;

अतः, अब, संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) के भाग 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, और कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य आदेश 2007 [दिनांक 7 फरवरी, 2007 का का.आ. 131 (ई) और दिनांक 15 सितंबर, 2009 का का.आ. 2374 (ई) के कार्यान्वयन का उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हो अथवा किए जाने के लिए लोप किया गया हो, केंद्र सरकार एतद्वारा तत्संदर्भित संकल्पों को प्रभाव में लाने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, नामतः:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.** – (1) इस आदेश को कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य आदेश, 2017 के संबंध में सुरक्षा परिषद संकल्प का कार्यान्वयन कहा जाएगा।

(2) यह आदेश के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. **परिभाषाएं.** – इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "संकल्पों" से आशय है कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प, नामतः 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016) और 2321 (2016);

(ख) "समिति" से आशय है संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 12 और संकल्प 2321 (2016) के पैराग्राफ 39 के अनुसरण में गठित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति;

(ग) इस आदेश में उपयोग किए गए किंतु परिभाषित न किए गए और वर्तमान में लागू किसी कानून में परिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियों के अर्थ ऐसे कानूनों में उन्हें क्रमशः दिए गए अर्थ होंगे।

3. केंद्र सरकार के पास निम्नलिखित उपाय करने के लिए सभी शक्तियाँ होंगी, -

(क) अपने भू-क्षेत्र के रास्ते अथवा अपने नागरिकों के द्वारा, अथवा अपने ध्वज जलयानों अथवा वायुयानों का इस्तेमाल करके और चाहे इसके क्षेत्रों से आरंभ हो रहे हों अथवा नहीं, कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य को

(i) परंपरागत शस्त्रों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र रजिस्टर के प्रयोजनार्थ यथापरिभाषित कोई भी युद्धक टैंक, कवचित युद्धक वाहन, बड़े कैलिबर की तोपखाना प्रणालियाँ, युद्धक वायुयान, हमलावर हेलिकॉप्टर, युद्धपोत, मिसाइलें अथवा मिसाइल प्रणालियाँ, अथवा उनके हिस्से पुर्जों सहित संबंधित सामग्री;

(िक) लघु शस्त्रों और हल्के हथियारों और उनकी संबंधित सामग्रियों सहित सभी शस्त्र और संबंधित सामग्री तथा ऐसे शस्त्रों और संबंधित सामग्रियों की व्यवस्था, विनिर्माण, अनुरक्षण अथवा इस्तेमाल से जुड़े वित्तीय लेन-देन, तकनीकी प्रशिक्षण, परामर्श, सेवाएं अथवा सहायता;

(ii) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी दस्तावेजों में यथानिर्दिष्ट सभी मदें, सामग्रियाँ, उपकरण, सामान एवं प्रौद्योगिकी, नामतः-

1. एस/2006/853* (इस आदेश का परिशिष्ट I);
2. एस/2006/853/कॉर.1 (इस आदेश का परिशिष्ट II);
3. एस का भाग ख/2009/364/कॉर.1 (इस आदेश का परिशिष्ट III);
4. संकल्प 2094 (2013) का अनुबंध III;
5. एस/2016/1069 (इस आदेश का परिशिष्ट IV);
6. आईएनएफसीआईआरसी/254/रेव.12/भाग1 का अनुबंध क (अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी दस्तावेज);
7. आईएनएफसीआईआरसी/254/रेव. 9/भाग 2 का अनुबंध (अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी दस्तावेज);
8. एस/2014/253 (इस आदेश का परिशिष्ट V);
9. एस/2016/308 (इस आदेश का परिशिष्ट VI);
10. संकल्प 2321 (2016) का अनुबंध III; और
11. केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित अन्य मदें, सामग्रियाँ, उपकरण, सामान और प्रौद्योगिकी जो कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के परमाणु से संबंधित, बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित अथवा व्यापक विनाश के अन्य हथियारों से संबंधित कार्यक्रमों में योगदान दे सकते हैं;

(iii) संकल्प 2094 (2013) के अनुबंध IV, संकल्प 2270 (2016) के अनुबंध IV और संकल्प 2321 (2016) के अनुबंध IV में उल्लिखित मदों सहित, किंतु उन तक सीमित नहीं, विलासिता की वस्तुओं;

(iv) खाद्य पदार्थों अथवा औषधियों को छोड़कर केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित मदें जो कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य की सशस्त्र सेनाओं की प्रचालन क्षमताओं के विकास में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे सकती हैं, की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आपूर्ति, बिक्री, हस्तांतरण अथवा निर्यात को रोकना। यह उपाय संकल्प 2270 (2016) के पैराग्राफ 8 (क) और (ख) में निर्दिष्ट छूटों के अधीन है;

(ख) अपने नागरिकों द्वारा, अथवा अपने ध्वजयुक्त जलयानों अथवा वायुयानों के इस्तेमाल द्वारा, और चाहे कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के क्षेत्र में आरंभ हो रहे हों अथवा नहीं, उपर्युक्त उप पैराग्राफ (क)(i), (क)(िक), (क)(ii) और (क)(iv) में सम्मिलित मदों की कोरिया

लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से अधिप्राप्ति का निषेध करना। इस निषेध में सैन्य-, अर्द्धसैन्य- अथवा पुलिस संबंधी प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रशिक्षकों, परामर्शदाताओं अथवा अन्य अधिकारियों की मेज़बानी करना शामिल है;

(ग) भारतीय नागरिकों द्वारा अथवा भारतीय क्षेत्र से कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य को, अथवा कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से उसके नागरिकों द्वारा अथवा अपने भू-क्षेत्र से उपर्युक्त उप पैराग्राफ (क)(i) और (क)(ii) में उल्लिखित मदों की व्यवस्था, विनिर्माण, अनुरक्षण अथवा इस्तेमाल से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण, परामर्श, सेवाओं अथवा सहायता के किसी भी हस्तांतरणों को रोकना।

(घ) अपने क्षेत्र में उन निधियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और आर्थिक संसाधनों को अवरोधित करना जो अन्य अवैध साधनों के जरिए सहित कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के परमाणु से संबंधित, व्यापक विनाश के अन्य हथियारों से संबंधित और बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित कार्यक्रमों में लगे अथवा उनमें सहयोग दे रहे

1. एस/2009/364 के भाग क और भाग ग (इस आदेश का परिशिष्ट-III);
2. संकल्प 2087 (2013) का अनुबंध I और II;
3. संकल्प 2094 (2013) का अनुबंध I और II;
4. सुरक्षा परिषद की 17 दिसंबर, 2016 की प्रेस रिलीज एससी/12636 द्वारा यथासंशोधित संकल्प 2270 (2016) का अनुबंध I, II और III (इस आदेश का परिशिष्ट VII); और
5. संकल्प 2321 (2016) का अनुबंध I और II

में निर्दिष्ट व्यक्तियों अथवा हस्तियों अथवा उनकी ओर से काम करने वाले अथवा उनके निर्देश पर काम करने वाले व्यक्तियों अथवा हस्तियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में हैं अथवा उनके द्वारा नियंत्रित हैं जो अवैध तरीकों, कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य के परमाणु संबंधी, व्यापक तौर पर विनाशकारी अन्य हथियारों तथा बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र संबंधी कार्यक्रमों अथवा उनकी ओर से अथवा उनके निर्देश पर काम करने वाले व्यक्तियों अथवा गुटों द्वारा यह कृत्य किया जा रहा हो अथवा समर्थन दिया जा रहा हो और यह सुनिश्चित करना कि किसी निधियों, वित्तीय परिसंपत्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों को भारत में उसके नागरिकों अथवा किसी व्यक्तियों अथवा हस्तियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों अथवा हस्तियों को अथवा उनके लाभ के लिए उपलब्ध कराए जाने से रोक दिया गया है।

नोट 1: परिसंपत्तियों का अवरोधन कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से बाहर उन सभी निधियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और आर्थिक संसाधनों पर लागू होगा जो कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य की सरकार की हस्तियों अथवा कोरिया की वर्कर्स पार्टी, अथवा उनकी ओर से काम करने वाले अथवा उनके निर्देश पर काम करने वाले व्यक्तियों अथवा हस्तियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हैं, अथवा उनके स्वामित्व अथवा उनके द्वारा नियंत्रित अस्तित्वों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हैं जिन्हें कि केंद्र सरकार यह मानती है कि वे संकल्पों द्वारा निषिद्ध कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के परमाणु अथवा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों अथवा अन्य कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं।

नोट 2: ये उपाय संकल्प 1718 (2006) के पैरा 9 और संकल्प 2270 (2016) के पैरा 32 में निर्दिष्ट छूटों के अध्यक्षीन हैं;

(ड.) कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के परमाणु से संबंधित, बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित और व्यापक विनाश के अन्य हथियारों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए सहयोग देने अथवा बढ़ावा देने के जरिए सहित उसके लिए जिम्मेदार होने के कारण

1. एस/2009/364 का भाग ग (इस आदेश का परिशिष्ट III);
2. संकल्प 2087 (2013) का अनुबंध II;
3. संकल्प 2094 (2013) का अनुबंध II;
4. संकल्प 2270 (2016) का अनुबंध II; और
5. संकल्प 2321 (2016) का अनुबंध II

में सूचीबद्ध व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ भारत में आने अथवा भारत से बाहर जाने पर रोक लगाना, जो अपने परिजनों सहित कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य की परमाणु संबंधी, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र संबंधी तथा व्यापक पैमाने पर विनाशकारी हथियारों से जुड़े कार्यक्रमों में समर्थन अथवा प्रोत्साहन देने के लिए जिम्मेदार हों, बशर्ते कि ऊपर उल्लिखित कोई भी तथ्य केंद्र सरकार को उसके अपने नागरिकों को उसके क्षेत्र में प्रवेश करने से इनकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

नोट 3: यात्रा प्रतिबंध उपाय संकल्प 1718 (2006) के पैरा 10 और संकल्प 2094 (2013) के पैरा 10 में निर्दिष्ट छूटों के अध्यक्षीन हैं;

(च) वर्तमान में प्रचलित सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उसके भूभाग के भीतर अथवा वहाँ से आने जाने वाले सभी कार्गो (जिनमें रेल अथवा सड़क मार्ग द्वारा ले जाया जाने वाला कार्गो तथा व्यक्तिगत अथवा व्यक्तियों के जाँच किए गए सामान शामिल है) का निरीक्षण करना जो कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से आरंभ हुए हैं अथवा जो कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य को जाने के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं, अथवा जिनके लिए कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य अथवा उसके नागरिकों, अथवा उनकी ओर से अथवा उनके निर्देश पर काम करने वाले व्यक्तियों अथवा हस्तियों, अथवा उनके स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली हस्तियों, अथवा नामित व्यक्तियों अथवा हस्तियों के द्वारा मध्यगी की गई है अथवा मदद की गई है, अथवा जिन्हें कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के ध्वजयुक्त वायुयान अथवा सामुद्रिक जलयानों द्वारा ले जाया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संकल्पों के उल्लंघन में किसी भी मदों का हस्तांतरण न हो सके।

(छ) अपने नागरिकों, अपने अधिकार क्षेत्र के अध्यक्षीन व्यक्तियों और इसके क्षेत्र में सम्मिलित अथवा इसके अधिकार क्षेत्र के अध्यक्षीन हस्तियों को कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य द्वारा अवैध साधनों के जरिए सहित उसके स्वामित्व, नियंत्रण, अथवा प्रचलित जलयानों के लिए बीमा अथवा पुनः बीमा सेवाएं प्रदान करने से निषेध करना;

(ज) यदि यह मानने के लिए कोई तर्कसंगत आधार है कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के जलयान ऐसी मदों का परिवहन कर रहे हैं जिनकी आपूर्ति, बिक्री, हस्तांतरण, अथवा निर्यात को संकल्पों द्वारा निषिद्ध किया गया है तो; कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के जलयानों को इसके नागरिकों द्वारा अथवा इसके क्षेत्र से ईंधन अथवा आपूर्तियों की व्यवस्था जैसी भंडारण सेवाओं जैसे, अथवा जलयानों की अन्य सर्विसिंग मुहैया कराने से निषेध करना

(झ) अपने क्षेत्र को, के जरिए, अथवा से कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से आने-जाने वाले अथवा अपने नागरिकों अथवा उसके कानूनों के तहत संगठित हस्तियों (विदेशों में शाखाओं सहित) को, अथवा अपने क्षेत्र में व्यक्तियों अथवा वित्तीय संस्थाओं को अथवा उनके द्वारा ढेरों नकदी सहित किसी वित्तीय अथवा अन्य परिसंपत्तियों अथवा संसाधनों, और स्वर्ण कुरियरों के जरिए सहित स्वर्ण हस्तांतरणों की वित्तीय सेवाओं अथवा हस्तांतरण की व्यवस्था को रोकना जो कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के परमाणु अथवा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम अथवा संकल्पों द्वारा निषिद्ध अन्य कार्यक्रमों अथवा संकल्पों द्वारा लागू उपायों से बचने में योगदान दे सकते हैं जिनमें उसके क्षेत्र में अथवा जो इसके बाद उसके क्षेत्र में आने वाले अथवा जो उसके अधिकार क्षेत्र के अध्यक्षीन हैं अथवा इसके बाद उसके अधिकार क्षेत्र के अध्यक्षीन आने वाले किन्हीं वित्तीय अथवा अन्य परिसंपत्तियों अथवा संसाधनों को अवरोधित करना और अपने राष्ट्रीय प्राधिकरणों और कानूनों के अनुसार ऐसे सभी सौदों को रोकने के लिए और अधिक मॉनीटरिंग करना शामिल है जो ऐसे कार्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों से संबद्ध हैं।

(ञ) मामला दर मामला आधार पर समिति द्वारा अग्रिम तौर पर यथा अनुमोदित मामलों के अलावा कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (इसके राष्ट्रिकों अथवा ऐसे व्यापार में शामिल गुटों को निर्यात क्रेडिट, गारंटी अथवा बीमा प्रदान किए जाने सहित) के साथ व्यापार हेतु इसके न्यायाधिकार के अधीन व्यक्तियों अथवा गुटों द्वारा अथवा अपने क्षेत्र के भीतर सरकारी तथा निजी वित्तीय सहयोग पर निषेध।

(ट) कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य में प्रत्यावर्तन के प्रयोजनार्थ अपने क्षेत्र से किसी व्यक्ति को लागू कानूनों के अनुसार निकालना, यदि केंद्र सरकार द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि ऐसा व्यक्ति कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य का राजनयिक, सरकार का प्रतिनिधि अथवा कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य का अन्य राष्ट्रिक है, जो सरकारी हैसियत से कार्य कर रहा है अथवा डीपीआरके के बैंक या वित्तीय संस्थान की ओर से या उसके निदेश पर कार्य कर रहा है अथवा निर्दिष्ट व्यक्ति या गुट अथवा प्रतिबंध से बचने में सहायता करने या संकल्प के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों अथवा गुटों की ओर से या उनके निर्देश पर कार्य कर रहा है। यह उपाय संकल्प 2270 (2016) के पैराग्राफ 13 में प्रदत्त छूट के अध्यक्षीन है;

(ठ) जो व्यक्ति भारतीय नहीं है उसे लागू राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार व्यक्ति की राष्ट्रियता वाले देश में वापस भेजने के प्रयोजनार्थ अपने क्षेत्र से निष्कासित करना, यदि केंद्र सरकार द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि वह व्यक्ति निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा गुट अथवा प्रतिबंध से बचने में सहायता करने वाले या संकल्प का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या गुटों की ओर से अथवा उनके निर्देश पर कार्य कर रहा है। यह कार्रवाई संकल्प 2270 (2016) के पैराग्राफ 14 में प्रदत्त छूट के अध्यक्षीन है;

(ड) अपने भूभाग में या अपने राष्ट्रिकों द्वारा कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रिकों को एडवांस फिजिक्स में शिक्षण अथवा प्रशिक्षण, एडवांस कंप्यूटर सिमुलेशन तथा रिलेटेड कंप्यूटर साईसेज, भूआकाशीय नौवहन, परमाणु इंजीनियरिंग, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तथा संबंधित विषय, एडवांसड मैटिरियल साईंस, एडवांसड केमिकल इंजीनियरिंग, एडवांसड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एडवांसड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा एडवांसड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सहित ऐसे विषयों में विशेषीकृत शिक्षण अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने से रोकना

जो कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य की संवेदनशील परमाणु गतिविधियों के प्रसार में अथवा परमाणु शस्त्रों की सुपुर्दगी प्रणाली के विकास में योगदान करे।

(ढ) कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अथवा उनके द्वारा सरकारी तौर पर प्रायोजित व्यक्तियों अथवा दलों को शामिल करते हुए बनाए गए व्यक्तियों या गुटों को, चिकित्सा आदान-प्रदान को छोड़कर, तब तक वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग को निलंबित करना जब तक;

- (i) परमाणु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एयरोस्पेस तथा एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी तकनीकों एवं प्रणालियों के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी सहयोग के मामले में मामला दर मामला आधार पर समिति ने यह निर्धारित नहीं किया हो कि कोई विशिष्ट गतिविधि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य की संवेदनशील परमाणु गतिविधि अथवा बालिस्टिक मिसाइल से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसार में योगदान नहीं देगा; अथवा
- (ii) वैज्ञानिक अथवा प्रौद्योगिकी सहयोग के अन्य सभी मामलों में, केंद्र सरकार यह निर्धारित करती है कि कोई विशिष्ट गतिविधि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य की संवेदनशील परमाणु गतिविधियों अथवा बालिस्टिक मिसाइल से जुड़े कार्यक्रमों के प्रसार में योगदान नहीं देगी तथा ऐसे निश्चय के बारे में समिति को अग्रिम तौर पर अधिसूचित करती है;

(ण) अपने राष्ट्रियों को कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से पोत तथा एयरक्राफ्ट क्रूईंग सेवाएं प्राप्त करने पर निषेध लगाना;

(त) यदि समिति द्वारा इसे अग्रिम तौर पर मंजूर नहीं किया गया है, तो बिना किसी अपवाद के अपने राष्ट्रियों अथवा अपने भूभाग के व्यक्तियों को कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य को अपने फ्लैग पोतों अथवा एयरक्राफ्ट को पट्टा अथवा चार्टर पर देने अथवा कू सेवाएं प्रदान करने पर निषेध लगाना;

(थ) समिति द्वारा मामला दर मामला आधार पर अग्रिम तौर पर अनुमोदित मामलों को छोड़कर, अपने भूभाग से अथवा अपने राष्ट्रियों अथवा अपने ध्वज का उपयोग करने वाले वाले जलयानों या वायुयानों, चाहे वे उसके क्षेत्र से प्रस्थान कर रहे हों या नहीं, को कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य को नए हेलिकॉप्टरों की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष आपूर्ति, बिक्री अथवा हस्तांतरण से रोकना।

(द) भारतीय नागरिकों, भारत के क्षेत्राधिकार में आने वाले व्यक्तियों अथवा अपने भूभाग में निगमित या अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले निकायों को किसी जलयान के लिए कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य का ध्वज इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त करने, किसी जलयान का स्वामित्व प्राप्त करने, पट्टा पर लेने, उसका प्रचालन करने तथा उसका वर्गीकरण, प्रमाणन या संबद्ध सेवाएं प्राप्त करने अथवा कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के ध्वज वाले किसी जलयान का वीमा करने से रोकना। उक्त प्रावधान बिना किसी अपवाद के तब तक लागू होंगे, जब तक कि समिति मामला-दर-मामला आधार पर इसे अनुमोदित न कर दे;

(ध) कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के स्वामित्व वाली, इसके द्वारा प्रचालित अथवा कू किए गए किसी भी पोत का पंजीकरण रद्द करना तथा इस उप-पैराग्राफ के अनुसरण में दूसरे सदस्य देश द्वारा जिन जलयानों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, उनका पंजीकरण नहीं करना;

(न) अपने क्षेत्र से किसी वायुयान को उड़ान भरने, लैंड करने या क्षेत्र के ऊपर से होते हुए उड़ने की अनुमति नहीं देना, जब तक निरीक्षण हेतु लैंडिंग की शर्तों के अंतर्गत उनके भूभाग को यह सूचना न हो जो इस विश्वास के लिए उचित आधार प्रदान करता हो कि वायुयान में आपूर्ति, बिक्री, हस्तांतरण अथवा निर्यात की ऐसी मदें रखी हैं जो इस संकल्प द्वारा प्रतिबंधित हैं, परंतु आपात स्थिति के मामले में लैंडिंग की अनुमति दी जाएगी;

(प) अपने राष्ट्रियों अथवा अपने ध्वज का उपयोग करने वाले पोतों अथवा वायुयानों, चाहे वे कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के भूक्षेत्र से प्रस्थान कर रहे हों या नहीं, द्वारा कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से कोयला, लोहा तथा लौह अयस्क के प्रापण पर निषेध लगाना। यह कार्रवाई संकल्प 2321 (2016 के पैराग्राफ (क), (ख) तथा (ग) में दिए गए अपवादों के अधीन है) कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से कोयले के प्रापण की रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा संकल्प 2321 (2016) के पैराग्राफ 26 (ख) में विहित तरीके से समिति को की जाए;

(फ) अपने राष्ट्रिकों अथवा अपने ध्वज का उपयोग करने वाले जलपोतों या वायुयानों, चाहे वे कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के भूक्षेत्र से प्रस्थान कर रहे हों या नहीं, द्वारा कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से सोना, टाइटेनियम अयस्क, वेनेडियम अयस्क तथा रेयर अर्थ मिनरल्स के प्रापण पर निषेध लगाना;

(ब) अपने राष्ट्रिकों अथवा अपने ध्वज का उपयोग करने वाले जलपोतों या वायुयानों, चाहे वे कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के भूक्षेत्र से प्रस्थान कर रहे हों, या नहीं, द्वारा कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से तांबा, निकेल, चांदी तथा जस्ता के प्रापण पर निषेध लगाना;

(भ) जब तक समित मामला दर मामला आधार पर अग्रिम तौर पर मंजूर नहीं करती है तब तक अपने नागरिकों या अपने ध्वज का उपयोग करने वाले जलपोतों या वायुयानों, चाहे उनका प्रस्थान कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य हो रहा हो या नहीं, द्वारा कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से मूर्तियों की खरीद पर निषेध लगाना;

(म) अपने राष्ट्रिकों द्वारा अथवा अपने क्षेत्र से अथवा अपने ध्वजधारी पोत या वायुयान, चाहे उनका प्रस्थान उनके भू-भाग से हो रहा हो या नहीं, का उपयोग करके कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य को एविएशन गैसोलिन, नापथा टाइप जेट फ्यूल, केरोसिन टाइप जेट फ्यूल तथा केरोसिन टाइप रॉकेट फ्यूल सहित एविएशन फ्यूल की बिक्री या आपूर्ति पर निषेध लगाना तथा इस संदर्भ में यह सतर्कता बरतना कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के ध्वजधारी सिविल यात्री विमान को संबंधित उड़ान हेतु आवश्यकतानुसार ईंधन से अधिक की आपूर्ति न की जाए, परंतु विमान के सुरक्षित उड़ान हेतु मानक मार्जिन का भी ध्यान रखा जाए। यह प्रावधान कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से बाहर सिविल यात्री विमान को एविएशन ईंधन की बिक्री अथवा आपूर्ति पर लागू नहीं होगा, विशेष तौर पर कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य को जाने वाले तथा वापस लौटने वाले विमानों की उड़ान के दौरान खपत हेतु।

(य) कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के बैंकों की नई शाखाओं, सहायक कंपनियों तथा प्रतिनिधि कार्यालयों को अपने क्षेत्र में खोले जाने या उनके प्रचालन पर निषेध लगाना, तथा अपने भूभाग में या अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले वित्तीय संस्थानों को कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के बैंकों के साथ मिलकर नया संयुक्त उद्यम गठित करने तथा स्वामित्व हित प्राप्त करने या व्यापारिक संबंध बनाए रखने से रोकना जब तक कि ऐसे संव्यवहार को समिति ने अग्रिम तौर पर अनुमोदित न कर दिया हो; और ऐसी मौजूदा शाखाओं, सहायक कंपनियों तथा प्रतिनिधि कार्यालयों को बंद किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाना और साथ ही कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के साथ ऐसे सभी संयुक्त उद्यमों, उनमें स्वामित्व हितों तथा बैंकिंग संबंधों को भी समाप्त करना;

(र) कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य में मौजूद प्रतिनिधि कार्यालयों, सहायक कंपनियों, अथवा बैंक खातों को बंद करने के लिए आवश्यक कदम उठाना जब तक समिति मामला दर मामला आधार पर यह निर्धारित न करे कि ऐसे कार्यालयों, सहायक कंपनियों अथवा खाते मानवीय सहायता प्रदान करने अथवा राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय के अनुसरण में कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य में स्थित राजनयिक मिशनों के कार्याकलापों अथवा संयुक्त राष्ट्र या इसकी विशेषीकृत एजेंसियों या संबंधित संगठनों के कार्यकलापों संगठनों या संकल्पों के उद्देश्यों के अनुसार किसी अन्य प्रयोजनार्थ अपेक्षित हों;

(ल) भारत अथवा इसके क्षेत्र में स्थित वित्तीय संस्थानों को कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य में नए प्रतिनिधि कार्यालयों अथवा सहायक कंपनियों, शाखाओं अथवा बैंक खाते खोले जाने से रोकना;

(व) कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के प्रत्येक राजनयिक मिशन एवं कोंसुली केंद्र हेतु एक तथा कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रत्येक अधिकृत राजनयिक तथा कोंसुली अधिकारी के लिए एक-एक बैंक खाते के आधार पर भारत के बैंकों में बैंक खातों की संख्या सीमित किए जाने के लिए कदम उठाना;

(श) कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य सरकार के सदस्यों, कार्मिकों तथा सशस्त्र बल के सदस्यों का अपने क्षेत्र से प्रवेश अथवा पारगमन प्रतिबंधित करना, यदि केंद्र सरकार द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे सदस्य अथवा कार्मिक कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के परमाणु अथवा बालिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों अथवा संकल्पों द्वारा प्रतिबंधित किसी अन्य गतिविधि से जुड़े हैं;

(ष) कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य द्वारा भारत में स्वामित्वाधीन या पट्टे पर ली गयी भू संपदा का राजनयिक अथवा कौंसुली गतिविधियों के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु प्रयोग को रोकना।

परिशिष्ट-I

संयुक्त राष्ट्र

एस/2006/853/*



सुरक्षा परिषद्

वितरण : सामान्य

7 नवम्बर, 2006

मूल : अंग्रेजी

सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष को संबोधित संकल्प 1718(2006) के अनुसरण में लोकतांत्रिक कोरिया जन गणतंत्र से संबंधित सुरक्षा परिषद् समिति के सभापति की ओर से दिनांक 1 नवम्बर, 2006 का पत्र**

व्यापक विनाश के अन्य हथियारों से संबंधित मदों, सामग्रियों माल और प्रौद्योगिकी की सूची इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है (अनुबंध देखें)। मैं आभारी होंगा यदि आप इस सूची की सुरक्षा परिषद् दस्तावेज के रूप में जारी करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर देंगे।

(हस्ताक्षरित)

पीटर बुरियान

अध्यक्ष

लोकतांत्रिक कोरिया जन गणतंत्र से संबंधित
संकल्प 1718(2006) के अनुसरण में गठित सुरक्षा परिषद् समिति

* तकनीकी कारणों से पुनः जारी किया गया

** वर्तमान दस्तावेज फ्रांस के स्थायी प्रतिनिधि की ओर से संयुक्त राष्ट्र को भेजे तथा सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष को संबोधित दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 के पत्र (एस/2006/816) का अधिक्रमण करता है।

अनुबंध**रासायनिक प्रीकर्सर**

1,3-बिस(2-क्लोरोइथाइलथियो)-एन-प्रोपेन	(63905-10-2)
1,4-बिस(2-क्लोरोइथाइलथियो)-एन-ब्यूटेन	(142868-93-7)
1,5-बिस(2-क्लोरोइथाइलथियो)-एन-पेंटेन	(142868-94-8)
2-क्लोरोइथेनोल	(107-07-3)
2-क्लोरोइथाइल क्लोरोमिथाइल सल्फाइड	(2625-76-5)
3-हाइड्रॉक्सी-1-मिथाइल पिपेरिडाइन	(3554-74-3)
3-क्वीनुक्लिडिनोल	(1619-34-7)
3-क्वीनुक्लिडोन	(3731-38-2)
एल्काइल (Me, Et, n-Pr or i-Pr) फास्फोनिलडिफ्लोराइड्स	
एमिटोन: ओ,ओ-डाइथाइल एस-[2-(डाइइथाइल एमिनो) इथाइल] फास्फोरोथियोलेट एवं तदनुसूची एल्काइलेट अथवा प्रोटोनेटेड लवण	(78-53-5)
एमोनियम बाइफ्लोराइड	(1341-49-7)
अर्सेनिक ट्राइक्लोराइड	(7784-34-1)
बेंजिलिक एसिड	(76-93-7)
बिस(2-क्लोरोइथाइलथियो) मीथेन	(63869-13-6)
बिस(2-क्लोरोइथाइलथियोमिथाइल) ईथर	(63918-90-1)
बीजैड: 3-क्वीनुक्लिडीनाइल बेंजिलेट	(6581-06-2)
क्लोरोपिकरिन: ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन	(76-06-2)
क्लोरोसेरीन : ओ - आइसोप्रोपाइल मिथाइल फास्फोनोक्लोरीडेट	(1445-76-7)
क्लोरोसोमन : ओ- पिनाकोलाइल मिथाइल फास्फोनोक्लोरीडेट	(7040-57-5)
सोइनोजेन क्लोराइड	(506-77-4)
डाइएल्काइल (Me, Et, n-Pr or i-Pr) एन,एन-डाइएल्काइल (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-फॉस्फोरैमिडेट्स	
डाइइथाइल मिथाइलफास्फोनेट	(78-38-6)
डाइइथाइल मिथाइलफास्फोनेट	(683-08-9)
डाइइथाइल मिथाइलफास्फोनेट	(15715-41-0)
डाइइथाइल एन,एन-डाइमिथाइलोस्फोरेमिडेट	(2404-03-7)

डाइइथाइल फोस्फाइट	(762-04-9)
डाइइथाइल एमिनोइथेनोल	(100-37-8)
डाइसोप्रोपाइलेमीन	(108-18-9)
डाइमिथाइल इथाइलफोस्फोनेट	(6163-75-3)
डाइमिथाइल मिथाइलफोस्फोनेट	(756-79-6)
डाइमिथाइल फास्फाइट (डीएमपी)	(868-85-9)
डाइमिथाइल लैमीन हाइड्रोक्लोराइड	(506-59-2)
डाइमिथाइलएमीन	(124-40-3)
इथाइल डाइइथेनोल एमीन	(139-87-7)
इथाइलफास्फिनाइल डाइक्लोराइड	(1498-40-4)
इथाइलफास्फिनाइल डाइक्लोराइड	(430-78-4)
इथाइलफास्फिनाइल डाइफ्लोराइड	(1066-50-8)
इथाइलफास्फिनाइल डाइफ्लोराइड	(753-98-0)
एचएन1: बिस(2-क्लोरोइथाइल) इथाइलएमीन	(538-07-8)
एचएन2: बिस(2-क्लोरोइथाइल) मिथाइलएमीन	(51-75-2)
एचएन3: ट्रिस (2-क्लोरोविनाइल) एमीन	(555-77-1)
हाइड्रोजन साएनाइड	(74-90-8)
हाइड्रोजन फ्लोराइड	(7664-39-3)
लेविसाइट 1: 2 - क्लोरोविनाइल डाइक्लोरोएर्साइन	(541-25-3)
लेविसाइट 2: बिस(2-क्लोरोविनाइल) क्लोरोएर्साइन	(40334-69-8)
लेविसाइट 3: ट्रिस (2-क्लोरोविनाइल) एर्साइन	(40334-70-1)
मिथाइल बेंजिलेट	(76-89-1)
मिथाइल डाइएथेनोलएमीन	(105-59-9)
मिथाइल फास्फोफिलाइन डाइक्लोराइड	(676-83-5)
मिथाइल फास्फोफिलाइन डाइफ्लोराइड	(753-59-3)
मिथाइल फास्फोनिक एसिड	(993-13-5)
मिथाइल फास्फोफिनाइल डाइक्लोराइड	(676-98-2)
मिथाइल फास्फोफिनाइल डाइक्लोराइड (डीसी)	(676-97-1)

मिथाइल फास्फोफिनाइल डाइफ्लोराइड (डीएफ)	(676-99-3)
मस्टर्ड गैस : बिस(2-क्लोरोइथाइल) सल्फाइड	(505-60-2)
एन,एन-डाइल्काइल (Me, Et, n-Pr or i-Pr) एमीनोईथेन-2-ओल्स एवं तदनुरूपी प्रोटोनेटेड लवण*	
एन,एन-डाइल्काइल (Me, Et, n-Pr or i-Pr) एमीनोईथेन-2-थिओल्स एवं तदनुरूपी प्रोटोनेटेड लवण	
एन,एन-डाइल्काइल (Me, Et, n-Pr or i-Pr) एमीनोईथेन-2-क्लोराइड्स एवं तदनुरूपी प्रोटोनेटेड लवण	
एन,एन-डाइल्काइल (Me, Et, n-Pr or i-Pr) फास्फोरैमिडिक डाइहैलाइड्स	
एन,एन-डाइआइसोप्रोपाइल (बीटा)-एमिनोईथेन थियोल	(5842-07-9)
एन,एन-डाइआइसोप्रोपाइल (बीटा)-एमिनो ईथनोल	(96-80-0)
एन,एन-डाइआइसोप्रोपाइल (बीटा)-एमिनो इथाइल क्लोराइड	(96-79-7)
एन,एन-डाइआइसोप्रोपाइल-2-एमिनोइथाइल क्लोराइड हाड्रोक्लोराइड	(4261-68-1)
एन,एन-डाइमिथाइल एमिनोफास्फोरिल डाइक्लोराइड	(677-43-0)
ओ-एल्काइल (<C10, incl. cycloalkyl) एल्काइल (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-फास्फोनोफ्लोराइड्स	
उदाहरण सैरीन: ओ-आइसोप्रापाइल मिथाइलफास्फोनोफ्लोरिडेट	(107-44-8)
सोमन: ओ-पिनाकोलाइल मिथाइलफास्फोनोफ्लोरिडेट	(96-64-0)
ओ-एल्काइल (<C10, incl. cycloalkyl) एन,एन - डाइएल्काइल (Me, Et, n-Pr or i-Pr) फास्फोरेमिडोसाइनिडेट्स	
ओ-एल्काइल (H or <C10, incl. cycloalkyl) ओ-2-डाइएल्काइल (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-एमिनोइथाइल एल्काइल (Me, Et, n-Pr or i-Pr) फास्फोनाइट्स एवं तदनुरूपी एल्काइलेटेड अथवा प्रोटोनेटेड लवण	
ओ-एल्काइल (H or <C10, incl. cycloalkyl) एस-2-डाइएल्काइल (Me, Et, n-Pr or i-Pr)- एमिनोइथाइल एल्काइल (Me, Et, n-Pr or i-Pr) फास्फोनोथियोलेट्स एवं तदनुरूपी एल्काइलेटेड अथवा प्रोटोनेटेड लवण	
ओ-इथाइल 2-डाइआइसोप्रोपाइलएमिनोइथाइल मिथाइलफास्फोनाइट (क्यूएल)	(57856-11-8)
ओ-मस्टर्ड : बिस(2-क्लोरोइथाइलथियोइथाइल) ईथर	(63918-89-8)
पीएफआईबी: 1,1,3,3,3-पेंटाफ्लोरो-2-(ट्राइफ्लोरोमिथाइल)-1-प्रोपेन	(382-21-8)
फोसजीन : कार्बोनाइल डाइक्लोराइड	(75-44-5)
फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड	(10025-87-3)

फास्फोरस पेंटाक्लोराइड	(10026-13-8)
फास्फोरस पेंसल्फाइड	(1314-80-3)
फास्फोरस ट्राइक्लोराइड	(7719-12-2)
पिनाकोलो	(75-97-8)
पिनाकोलाइल एल्कोहल	(464-07-3)
पोटाशियम बाइफ्लोराइड	(7789-29-9)
पोटाशियम साएनाइड	(151-50-8)
पोटाशियम फ्लोराइड	(7789-23-3)
सेस्क्री मस्टर्ड : 1,2-बिस(2-क्लोरोइथाइलथियो) ईथेन	(3563-36-8)
सोडियम बाइफ्लोराइड	(1333-83-1)
सोडियम साएनाइड	(143-33-9)
सोडियम फ्लोराइड	(7681-49-4)
सोडियम सल्फाइड	(1313-82-2)
सल्फर डाइक्लोराइड	(10545-99-0)
सल्फर मोनोक्लोराइड	(10025-67-9)
तैबन (जीए): ओ - इथाइल एन, एन - डाइमिथाइल फास्फोरैमिडोसाइनिडेट	(77-81-6)
थियोडाइग्लाइकोल	(111-48-8)
थियोनाइल क्लोराइड	(7719-09-7)
ट्राइइथेनोलैमाइन	(102-71-6)
ट्राइइथेनोलैमाइन हाइड्रोक्लोराइड	(637-39-8)
ट्राइइथाइल फॉस्फाइड	(122-52-1)
ट्राइमिथाइल फास्फाइड (टीएमपी)	(121-45-9)
वीएक्स: ओ-इथाइल एस-2- डाइआइसोप्रोफाइल एमिनोइथाइल मिथाइल फास्फोनोथियोलेट	(50782-69-9)

डुएल-प्रयोग रसायन विनिर्माण सुविधाएं और उपकरण तथा संबद्ध प्रौद्योगिकी

1. विनिर्माण सुविधाएं तथा उपकरण

टिप्पणी 1 : इन नियंत्रणों का उद्देश्य एक अथवा अधिक अवयवों को अंतर्विष्ट करने वाले किसी गैर-नियंत्रित मद के अंतरण द्वारा निष्फल नहीं किया जाना चाहिए जहां नियंत्रित अवयव अथवा अन्य अवयव मद के प्रधान अवयव हैं तथा उन्हें व्यवहार्य रूप से समाप्त किया जा सकता है अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।

कृपया ध्यान दें : यह निर्णय लेने में कि क्या नियंत्रित अवयवों अथवा अन्य अवयवों को प्रधान अवयव के रूप में माना जाना चाहिए, सरकारों को परिमाण, मूल्य और उसमें शामिल प्रौद्योगिकीय जानकारी तथा अन्य विशेष परिस्थितियों को अधिमान प्रदान करना चाहिए जो अधिप्राप्त की जा रही मद के प्रधान अवयव के रूप में नियंत्रित अवयव अथवा अवयवों को स्थापित कर सकें।

टिप्पणी 2 : इन नियंत्रणों का उद्देश्य किसी भी परिमाण पर संपूर्ण संयंत्र का अंतरण करते हुए निष्फल नहीं किया जाना चाहिए जिसे किसी सीडब्ल्यू एजेंट अथवा नियंत्रित पुरोगामी रसायन का उत्पादन करने के लिए तैयार किया गया है।

1. प्रतिक्रिया जलयान, रिएक्टर अथवा विडोलक

विडोलकों के साथ अथवा उनके बिना प्रतिक्रिया जलयान अथवा रिएक्टर, जिनका कुल आंतरिक (ज्यामितिक) मात्रा 0.1 मी³ (1000) से अधिक है तथा 20 मी³ (200001) से कम है जहां समस्त सतहें, जो प्रोसेस किए जा रहे अथवा प्रतिधारण किए जा रहे रसायन (नों) के सीधे संपर्क में आती हैं, निम्न सामग्रियों से मिलकर बनी हैं:

- (क) निकल अथवा एलॉय जिनमें भार के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक निकल है;
- (ख) ऐसे एलॉय जिनमें भार के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक निकल और 20 प्रतिशत क्रोमियम है;
- (ग) फ्लोरोपॉलीमर्स
- (घ) ग्लास अथवा ग्लास-लाइन्ड (जिनमें विट्रीफाइड अथवा एनेमलड कोटिंग शामिल हैं) ;
- (ङ.) टेंटालम अथवा टेंटालम एलॉयज़
- (च) टिटैनियम अथवा टिटैनियम एलॉयज़; अथवा
- (छ) जिर्कोनियम अथवा जिर्कोनियम एलॉयज़।

उक्त उक्त संदर्भित प्रतिक्रिया जलयानों अथवा रिएक्टरों में प्रयोग के लिए विडोलक जहां रसायन(नों) के प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले विडोलम अथवा अवयव की समस्त सतहें निम्नलिखित सामग्रियों से बनी हैं:

- (क) निकल अथवा एलॉय जिनमें भार के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक निकल है;
- (ख) ऐसे एलॉय जिनमें भार के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक निकल और 20 प्रतिशत क्रोमियम है;
- (ग) फ्लोरोपॉलीमर्स
- (घ) ग्लास अथवा ग्लास-लाइन्ड (जिनमें विट्रीफाइड अथवा एनेमलड कोटिंग शामिल हैं) ;
- (ङ.) टेंटालम अथवा टेंटालम एलॉयज़
- (च) टिटैनियम अथवा टिटैनियम एलॉयज़; अथवा
- (छ) जिर्कोनियम अथवा जिर्कोनियम एलॉयज़।

2. भण्डारण टैंक, कंटेनर अथवा रिसीवर्स

0.1 मी³ (100 ली) से अधिक के कुल आंतरिक (ज्यामितिक) परिमाण के साथ भण्डारण टैंक, कंटेनर अथवा रिसीवर्स जहां रसायन(नों) के संपर्क में आने वाली समस्त सतहें निम्नलिखित सामग्रियों से बनी हैं:

- (क) निकल अथवा एलॉय जिनमें भार के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक निकल है;
- (ख) ऐसे एलॉय जिनमें भार के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक निकल और 20 प्रतिशत क्रोमियम है;
- (ग) फ्लोरोपॉलीमर्स
- (घ) ग्लास अथवा ग्लास-लाइन्ड (जिनमें विट्रीफाइड अथवा एनेमलड कोटिंग शामिल हैं) ;
- (ङ.) टेंटालम अथवा टेंटालम एलॉयज़
- (च) टिटैनियम अथवा टिटैनियम एलॉयज़; अथवा

(छ) जिर्कोनियम अथवा जिर्कोनियम एलॉयज़।

3. हीट एक्सचेंजर्स अथवा कंडेंसर्स

20 मी³ से न्यून उष्मा अंतरण सतह क्षेत्र के साथ हीट एक्सचेंजर्स अथवा कंडेंसर्स, जहां रसायन(नों) के संपर्क में आने वाली समस्त सतहें निम्नलिखित सामग्रियों से बनी हैं:

- (क) निकल अथवा एलॉय जिनमें भार के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक निकल है;
- (ख) ऐसे एलॉय जिनमें भार के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक निकल और 20 प्रतिशत क्रोमियम है;
- (ग) फ्लोरोपोलीमर्स
- (घ) ग्लास अथवा ग्लास-लाइन्ड (जिनमें विट्रीफाइड अथवा एनेमलड कोटिंग शामिल हैं) ;
- (ङ.) टेंटालम अथवा टेंटालम एलॉयज़
- (च) टिटैनियम अथवा टिटैनियम एलॉयज़; अथवा
- (छ) जिर्कोनियम अथवा जिर्कोनियम एलॉयज़।

4. डिस्टिलेशन अथवा एब्जॉर्प्शन कॉलम

0.3 मी³ से अधिक आंतरिक व्यास के डिस्टिलेशन अथवा एब्जॉर्प्शन कॉलम, जहां रसायन(नों) के संपर्क में आने वाली समस्त सतहें निम्नलिखित सामग्रियों से बनी हैं:

- (क) निकल अथवा एलॉय जिनमें भार के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक निकल है;
- (ख) ऐसे एलॉय जिनमें भार के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक निकल और 20 प्रतिशत क्रोमियम है;
- (ग) फ्लोरोपोलीमर्स
- (घ) ग्लास अथवा ग्लास-लाइन्ड (जिनमें विट्रीफाइड अथवा एनेमलड कोटिंग शामिल हैं) ;
- (ङ.) टेंटालम अथवा टेंटालम एलॉयज़
- (च) टिटैनियम अथवा टिटैनियम एलॉयज़; अथवा
- (छ) जिर्कोनियम अथवा जिर्कोनियम एलॉयज़।

5. फिलिंग उपकरण

सुदूरवर्ती प्रचालित फिलिंग उपकरण जिनमें रसायन(नों) के संपर्क में आने वाली समस्त सतहें निम्नलिखित सामग्रियों से बनी हैं:

- (क) निकल अथवा एलॉय जिनमें भार के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक निकल है;
- (ख) ऐसे एलॉय जिनमें भार के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक निकल और 20 प्रतिशत क्रोमियम है;

6. वाल्व

वाल्व, जिनमें उत्पादित संसाधित अथवा अंतर्विष्ट किए जाने वाले रसायनों के साथ संपर्क में आने वाली समस्त सतहें निम्नलिखित सामग्रियों से बनी हैं:

- (क) निकल अथवा एलॉय जिनमें भार के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक निकल है;
- (ख) ऐसे एलॉय जिनमें भार के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक निकल और 20 प्रतिशत क्रोमियम है;
- (ग) फ्लोरोपोलीमर्स
- (घ) ग्लास अथवा ग्लास-लाइन्ड (जिनमें विट्रीफाइड अथवा एनेमलड कोटिंग शामिल हैं) ;
- (ङ.) टेंटालम अथवा टेंटालम एलॉयज़

- (च) टिटैनियम अथवा टिटैनियम एलॉयज; अथवा
- (छ) जिर्कोनियम अथवा जिर्कोनियम एलॉयज।

7. मल्टी-वॉल्ट पाइपिंग

लीक डिटेक्शन पोर्ट को अंतर्वेशित करने वाली मल्टी-वॉल्ट पाइपिंग जिनमें संसाग्धित अथवा अंतर्विष्ट किए जाने वाले रसायनों के साथ संपर्क में आने वाली समस्त सतहें निम्नलिखित सामग्रियों से बनी हैं:

- (क) निकल अथवा एलॉय जिनमें भार के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक निकल है;
- (ख) ऐसे एलॉय जिनमें भार के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक निकल और 20 प्रतिशत क्रोमियम है;
- (ग) फ्लोरोपॉलीमर्स
- (घ) ग्लास अथवा ग्लास-लाइन्ड (जिनमें विट्रीफाइड अथवा एनेमलड कोटिंग शामिल हैं) ;
- (ङ.) ग्रेफाइट
- (च) टेंटालम अथवा टेंटालम एलॉयज
- (छ) टिटैनियम अथवा टिटैनियम एलॉयज; अथवा
- (ज) जिर्कोनियम अथवा जिर्कोनियम एलॉयज।

8. पंप्स

0.6 मी³/घं. से अधिक की विनिर्माता की विनिर्दिष्ट प्रवाह-दर वाले पंप अथवा 5 मी³/घं. से अधिक की विनिर्माता की विनिर्दिष्ट प्रवाह-दर वाले वैक्यूम पंप (मानक तापमान (273 के 0⁰ से.) और दबाव(100.3 के पीए) परिस्थितियों के अंतर्गत), जिनमें रसायन(नों) के संपर्क में आने वाली समस्त सतहें निम्नलिखित सामग्रियों से बनी हैं:

- (क) निकल अथवा एलॉय जिनमें भार के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक निकल है;
- (ख) ऐसे एलॉय जिनमें भार के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक निकल और 20 प्रतिशत क्रोमियम है;
- (ग) फ्लोरोपॉलीमर्स
- (घ) ग्लास अथवा ग्लास-लाइन्ड (जिनमें विट्रीफाइड अथवा एनेमलड कोटिंग शामिल हैं) ;
- (ङ.) ग्रेफाइट
- (च) टेंटालम अथवा टेंटालम एलॉयज
- (छ) टिटैनियम अथवा टिटैनियम एलॉयज; अथवा
- (ज) जिर्कोनियम अथवा जिर्कोनियम एलॉयज।
- (झ) सेरेमिक्स
- (ञ) फेरोसिलिकन

9. इंसिनेरेटर्स

सीडब्ल्यू एजेंटों, नियंत्रित प्रीकर्सर्स अथवा रसायन म्यूनीशंस को नष्ट करने के लिए बनाए गए इंसिनेरेटर्स जिनमें विशेष रूप से निर्मित जलापूर्ति प्रणालियां, विशेष संचालन सुविधाएं तथा 1000⁰ से. से अधिक का औसत कंवेशन चैम्बर तापमान है, जिनमें अपशिष्ट जल आपूर्ति प्रणाली में सभी सतह जो अपशिष्ट उत्पादों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क में आती हैं, निम्नलिखित सामग्रियों से बनी हैं अथवा संबद्ध हैं :

- (क) निकल अथवा एलॉय जो भार के अनुसार 40 प्रतिशत निकल से अधिक हैं;
- (ख) ऐसे एलॉय जिनमें भार के अनुसार 25 प्रतिशत निकल और 20 प्रतिशत क्रोमियम से अधिक है; अथवा
- (ग) सेरेमिक्स

II. विषाक्त गैस अनुश्रवण प्रणालियां तथा डिटेक्टर्स

विषाक्त गैस अनुश्रवण प्रणालियां और डिटेक्टर्स:

- (क) अनवरत प्रचालन के लिए तैयार किए गए था 0.3 मिग्रा/मी³ से कम के संकेन्द्रणों पर रसायनिक वारफेयर एजेंटों अथवा नियंत्रित प्रीकर्सरों का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाए जाने योग्य; अथवा
- (ख) कोलीनेस्ट्रैज-इन्हीबीशन क्रियाकलाप की पहचान के लिए तैयार किए गए।
- (ग) सेरेमिक्स

III. संबंधित प्रौद्योगिकी

"प्रौद्योगिकी" का अंतरण, जिसमें राष्ट्रीय विधानों द्वारा अनुमेय सीमा तक निम्न से सहयोजित लाइसेंस भी हैं:

- (क) सीडब्ल्यू एजेंट;
- (ख) नियंत्रित प्रीकर्सर; अथवा
- (ग) नियंत्रित डुएल-प्रयोग उपकरण मर्दे।

तकनीकी सहायता नियंत्रण के अध्यक्षीन है। 'तकनीकी सहायता' सहित 'प्रौद्योगिकी' अंतरण पर नियंत्रण 'सार्वजनिक क्षेत्र में' अथवा 'आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान' से संबंधित सूचना अथवा पेटेंट आवेदन के लिए आवश्यक न्यूनतम सूचना के लिए लागू नहीं होता है।

डुएल-प्रयोग उपकरण की किसी नियंत्रित मद के निर्यात के लिए अनुमोदन उस मद की संस्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण अथवा मरम्मत हेतु अपेक्षित न्यूनतम 'प्रौद्योगिकी' के समान अंत्य-प्रयोक्ता को निर्यात के लिए भी प्राधिकृत करता है।

पदबंधों की परिभाषा

'**प्रौद्योगिकी**' किसी उत्पाद को 'विकसित', 'उत्पादित' और 'प्रयोग' करने के लिए आवश्यक विनिर्दिष्ट जानकारी। यह जानकारी 'तकनीकी डाटा' अथवा 'तकनीकी सहायता' का रूप लेती है।

'**आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान**' : मूल रूप से किसी प्रक्रिया के आधारभूत सिद्धांतों अथवा प्रेक्षणात्मक तथ्यों की नई जानकारी अर्जित करने के लिए संचालित किया गया प्रयोगात्मक अथवा सैद्धांतिक कार्य, जो मुख्यतः किसी विनिर्दिष्ट व्यावहारिक लक्ष्य अथवा उद्देश्य पर निर्देशित नहीं है।

'**विकास**' : विकास किसी 'उत्पादन' से पूर्व समस्त चरणों से संबंधित है, जैसे:

- (क) डिजाइन;
- (ख) डिजाइन शोध;
- (ग) डिजाइन विश्लेषण;
- (घ) डिजाइन अवधारणाएं;
- (ङ.) प्रोटोटाइप्स का संग्रहण;
- (च) प्रायोगिक उत्पादन स्कीमें;
- (छ) डिजाइन आंकड़े;
- (ज) डिजाइन डेटा को उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया अथवा रूपांतरण;
- (झ) विन्यास डिजाइन;
- (ञ) एकीकरण डिजाइन; और/अथवा
- (ट) लेआउट।

'लोक परिक्षेत्र में' : 'लोक परिक्षेत्र में' जैसा कि इसका यहां इसके आगामी प्रचार-प्रसार पर बिना कोई सीमा लगाए उपलब्ध कराया गया है (कॉपीराइट के निबंधन किसी प्रौद्योगिकी को सार्वजनिक क्षेत्र में रहने से निवारित नहीं करते हैं)।

'उत्पादन' : उत्पादन का अर्थ है समस्त उत्पादन चरण जैसे:

- (क) निर्माण;
- (ख) उत्पादन इंजीनियरी;
- (ग) विनिर्माण;
- (घ) एकीकरण;
- (ङ.) संग्रहण (माउंटिंग);
- (च) निरीक्षण;
- (छ) परीक्षण; और/अथवा
- (ज) गुणवत्ता आश्वासन।

कृपया ध्यान दें : 'तकनीकी सहायता' में 'तकनीकी आंकड़ों' का अंतरण भी शामिल है।

'तकनीकी सहायता' : अनेक रूप ले सकती है जैसे : शिक्षण, कौशल, प्रशिक्षण, कार्यसाधक ज्ञान, परामर्श सेवाएं

'तकनीकी आंकड़े' : विभिन्न रूप ले सकते हैं जैसे ब्लूप्रिंट, योजनाएं, आरेख, मॉडल, फार्मूले, तालिकाएं, इंजीनियरी डिजाइन और विनिर्देशन, हस्तचालित अथवा लिखित अथवा किसी अन्य माध्यम या उपकरणों पर रिकार्ड की गई जैसे डिस्क, टेप, रीड-ओनली मैमोरीज़।

'प्रयोग' : प्रचालन, संस्थापना (ऑनसाइट संस्थापना सहित), अनुरक्षण (जांच), मरम्मत, ओवरहॉल अथवा रीफर्बिशिंग।

'निर्यात' : देश के बाहर नियंत्रित मदों का वास्तविक शिपमेंट अथवा संप्रेषण। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फैक्स अथवा टेलीफोन से प्रौद्योगिकी का अंतरण भी शामिल है।

जैविक एजेंट

वायरस

- चिकनगुनिया वायरस
- कांगो-क्रिमियन हैम्प्रेजिक फीवर वायरस
- डेंगू फीवर वायरस
- ईस्टर्न एक्वाइन एंसेफेलेटिस वायरस
- एबोला वायरस
- हंतान वायरस
- जुनिन वायरस
- लासा फीवर वायरस
- लिफोसाइटिक कोरियोमेनिल्जाइटिस वायरस
- मेकूपो वायरस
- मार्वर्ग वायरस
- मंकी पॉक्स वायरस
- रिफ्ट वैली फीवर वायरस
- टिक-बोर्न एंसीफैलिटिस वायरस (रशियन स्पिंग-समर एंसेफिलैटिस वायरस)

वैरिओला वायरस
 वेनेजुएलियन एक्वाइन एंसेफलैटिस वायरस
 वेस्टर्न एक्वाइन एंसेफलैटिस वायरस
 व्हाइट पॉक्स
 येलो फीवर वायरस
 जैपनीज़ एंसे फिलैटिस वायरस
 क्यासतूर फॉरिस्ट वायरस
 लूपिंग इल वायरस
 मर्रे वैली एंसेफलैटिस वायरस
 ओमस्क हैमेटिक फीवर वायरस
 ओरे पाउचे वायरस
 पोवासन वायरस
 रोसियो वायरस
 सेंट लूइस एंसेफलैटिक वायरस

रिकेट्सिया

कॉक्सिएला ब्रूनेटी
 बोट्टोनेला क्वींटाना (रोचालीमिया क्वींटाना, रिकेट्सिया क्वींटाना)
 रिकेट्सिया प्रोवाजेकी
 रिकेट्सिया रिकेट्सी

बैक्टीरिया

बैक्लिस् एंथ्रासिस
 ब्रूसेला एबोर्ट्स
 ब्रूसेला मेलिटेंसिस
 ब्रूसेला सूइस
 क्लामीडिया सिटैसी
 क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम
 फ्रेंसीसेला ट्यूलारेंसिस
 बर्खोल्लेरिया मलेई (सूडोमोनस मलेई)
 बर्खोल्लेरिया सूडोमलेई (सूडोमोनस सूडोमलेई)
 सल्मोनेला टाइफी
 शिंगेला डाइसेंट्री
 विबरियो कोलेरी
 यार्सिनिया पेस्टिंग
 क्लोस्ट्रीडियम पफ्रिजेंस, एप्सिलन टॉक्सिन उत्पादक प्रकार

एंद्रोहैमिजिक, एस्चेरिशिया कोली, स्टीरियोटाइप ओ 157 तथा अन्य वीरोटॉक्सिन उत्पादन करने सीरोटाइप्स

निम्नानुसार टॉक्सिस¹

बोटुलिनम टॉक्सिस²

क्लास्ट्रिडियम पफ्रिन्जेस टॉक्सिस
कोनोटॉक्सिन
रिसिन
सेक्सीटॉक्सिन
शिघा टॉक्सिन
स्टेफिलोकोकस आरेयस टॉक्सिन
टेट्रोडोटॉक्सिन
वेरोटॉक्सिन
माइक्रोसिस्टिन (साइन्जिलोसिन)
अर्बिन
कॉलेरा टॉक्सिन
टी-2 टॉक्सिन
एचटी - टॉक्सिन

आनुवांशिक - आशोधित जीवाश्म

1. सूची में शामिल सूक्ष्म जीवाश्मों से आनुवांशिक रूप से आशोधित जीवाश्म अथवा आनुवांशिक अवयव जिनमें रोगजनकता के साथ सहयोजित न्यूक्लिक एसिड श्रृंखलाएं विद्यमान हैं।
2. आनुवांशिक रूप से आशोधित जीवाश्म अथवा आनुवांशिक अवयव जिनमें सूची में किसी टॉक्सिन के लिए न्यूक्लिक एसिड श्रृंखलाएं अंतर्विष्ट हैं।

पादप रोगजनक

बैक्टीरिया

जैथोमोनस एल्बीलिनिंग्स
जैथोमोनस कैम्पेस्ट्रिस पीवी सिट्री
जैथोमोनस ऑरीजी पीवी आरीजी (सूडोमोनस कैम्पेस्ट्रिस पीवी ऑरीजी)

कवक

कॉलेटॉट्रिकम कॉफीरनम वार. विरंस (कॉलेटॉट्रिकम कहावी)
कॉचियोबोलस मियाबीनस (हैल्मिथोस्पोरियम ओरीजी)
माइक्रोसाइक्लस यूलेई (सिन. डोथीडेला यूलेई)
प्यूसीनिया ग्रैमिनिस (सि. प्यूसीनिया ग्रैमिनिस एफ. स्प. ट्रिटिसी)

¹इम्यूनोटॉक्सिस को छोड़कर

²निम्नलिखित सभी मानदण्डों की पूर्ति के लिए उत्पाद में बोटुलिनम टॉक्सिनों और कोनोटॉक्सिनों को छोड़कर:

- वे चिकित्सा परिस्थितियों में उपचार में परीक्षण और मानव प्रशासन के लिए तैयार भेषजिक सूत्रीकरण हैं;
- वे क्लीनिकल अथवा चिकित्सा उत्पादों के रूप में वितरण के लिए पूर्व-पैकेज्ड हैं; और
- उन्हें नैदानिक अथवा चिकित्सा उत्पादों के रूप में विपणन के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

प्यूसीनिया स्ट्रीफोर्मिस (सि. प्यूसीनिया ग्लूमेरस)

पाइरीकुलेरिया ग्रिसिया/पाइरीकुलेरिया ऑरीज़ी

आनुवांशिक रूप से आशोधित जीवाश्म

1. उस सूची में शामिल आंशिक रूप से आशोधित जीवाश्म अथवा आनुवांशिक अवयव जिसमें रोग आनुवांशिकता से सहयोजित न्यूक्लिक एसिड श्रृंखलाएं हैं।
2. आनुवांशिक रूप से आशोधित जीवाश्म अथवा आनुवांशिक अवयव जिनमें सूची में शामिल किसी टॉक्सिन के लिए न्यूक्लिक एसिड श्रृंखला कोडिंग है।

पादप रोगजनक

बैक्टीरिया

जैथोमोनस एल्बीलिनिंग्स

जैथोमोनस कैम्पेस्ट्रिस पीवी सिट्री

जैथोमोनस ऑरीजी पीवी ओरीजी (सूडोमोनस कैम्पेस्ट्रिस पीवी ऑरीज़ी)

कवक

कॉलेटॉट्रिकम कॉफीरनम वार. विरुलेंस (कॉलेटॉट्रिकम कहावी)

कॉचियोबोलस मियाबीनस (हैल्मिथोस्पोरियम ओरीजी)

माइक्रोसाइक्लस यूलेई (सिन. डोथीडेला यूलेई)

प्यूसीनिया ग्रैमिनिस (सि. प्यूसीनिया ग्रैमिनिस एफ. स्प. ट्रिटिसी)

प्यूसीनिया स्ट्रीफोर्मिस (सि. प्यूसीनिया ग्लूमेरस)

पाइरीकुलेरिया ग्रिसिया/पाइरीकुलेरिया ऑरीज़ी

आनुवांशिक रूप से आशोधित जीवाश्म

उस सूची में शामिल आंशिक रूप से आशोधित जीवाश्म अथवा आनुवांशिक अवयव जिसमें रोग आनुवांशिकता से सहयोजित न्यूक्लिक एसिड श्रृंखलाएं हैं।

पशु रोगजनक

वायरस

अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस

एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस 2

ब्लूटंग वायरस
 फुट एंड माउथ डिज़ीज वायरस
 गोट पॉक्स वायरस
 हर्पीज वायरस (ऑजेस्की रोग)
 होग कोलेरा वायरस (समान : स्वाइन फीवर वायरस)
 लाइसा वायरस
 न्यूकैसल डिजीज वायरस
 पेस्ट डेस पेटिट्ट्स रुमिनेंट्स वायरस
 पोर्सिने एंट्रोवायरस टाइप 9 (समान : स्वाइन वेसिकुलर डिजीज वायरस)
 रिंडरपेस्ट वायरस
 शीप पॉक्स वायरस
 टेस्चेन डिजीज़ वायरस
 वेसिकुलर स्टोमेटिटिस वायरस

बैक्टीरिया

माइकोप्लाज्मा माइकाइड्स

आनुवांशिक रूप से आशोधित जीवाश्म

उस सूची में शामिल आंशिक रूप से आशोधित जीवाश्म अथवा आनुवांशिक अवयव जिसमें रोग आनुवांशिकता से सहयोजित न्यूक्लिक एसिड श्रृंखलाएं हैं।

डुएल प्रयोग जैविक उपकरण और संबंधित प्रौद्योगिकी

1. उपकरण:

1. पी3 अथवा पी4 परिरोधन स्तर पर पूर्ण परिरोधन सुविधाएं:

पूर्ण परिरोधन सुविधाएं, जो पी3 अथवा पी4 (बीएल 3, बीएल 4, एल 3, एल4) के लिए मानदण्डों की पूर्ति करती हैं, जैसा कि डब्ल्यूएचओ जैव सुरक्षा नियमावली (द्वितीय संस्करण, जिनेवा 1993) में विनिर्दिष्ट किया गया है, निर्यात नियंत्रण के अध्यक्षीन होनी चाहिए।

2. फर्मेटर्स :

फर्मेटर्स जो रोगजनक सूक्ष्म-जीवाश्मों, वायरसों के सृजन के लिए अथवा विषाक्तता उत्पादन के लिए समर्थ हों, जिनकी क्षमता 100 लीटर अथवा अधिक की हो। फर्मेटर्स में शामिल हैं - बायोरिएक्टर्स, कैमोस्टेट्स और अनवरत-प्रवाह वाली प्रणालियां।

3. सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स:

रोगजनक सूक्ष्म-जीवाश्मों के निरंतर पृथक्करण के लिए समर्थ सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स, जिसमें एरोसोल्स का प्रोपेगेशन न हो तथा निम्नलिखित सभी विशेषताएं हों:

- स्टीम परिरोधन क्षेत्र के भीतर एक अथवा अधिक सीलिंग ज्वाइंट;
- 100 लीटर प्रति घंटे से अधिक की प्रवाह दर;
- पॉलिशड स्टेनलैस स्टील अथवा टिटैनियम के अवयव;
- परिवद्ध अवस्था में इन-सीटू स्टीम स्टर्लाइजेशन में समर्थ।

तकनीकी नोट : सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स में डिसेंटर्स शामिल हैं।

4. क्रॉस (टेंजेशियल) फ्लोफिल्ट्रेशन उपकरण :

क्रॉस (टेंजेशियल) फ्लोफिल्ट्रेशन उपकरण जो एरोसोल्स के प्रोपेगेशन के बिना रोगजनक सूक्ष्म-जीवाश्मों के सतत् पृथक्करण में समर्थ हो तथा उसमें निम्नलिखित समस्त विशेषताएं हों:

- कुल फिल्ट्रेशन क्षेत्र जो 5 वर्गमीटर के समान अथवा अधिक हो;
- बिना किसी प्रारंभिक डिस्मेंटलिंग के स्टीम-स्टलाइज्ड के लिए समर्थ हो।

5. फ्रीज ड्राइंग उपकरण:

वाष्प विसंक्रमित फ्रीज ड्राइंग उपकरण जिनकी कंडेंसर क्षमता 24 घंटे में 50 किग्रा अथवा अधिक बर्फ हो अथवा 24 घंटे में 1000 किग्रा बर्फ से कम हो।

6. निम्नानुसार

- (क) संरक्षणात्मक सूट्स जिनमें पूर्ण अथवा आंशिक वातायन हो।
- (ख) वर्ग III जैविक सुरक्षा कैबिनेट अथवा आइसोलेटर्स जिनको समान निष्पादन मानक हों (अर्थात् लचीले आइसोलेटर्स, ड्राई बॉक्स, एनाएरोबिक चैंबर्स, ग्लोब वॉक्स अथवा लैमिनर फ्लो हुड्स (ऊर्ध्व प्रवाह के साथ परिवद्ध)।

7. एरोसोल इंहेलेशन चैंबर्स

सूक्ष्म-जीवाश्मों, वायरसों अथवा विषाक्तों के साथ एरोसोल चैलेंज परीक्षण के लिए तैयार किए गए चैम्बर्स जिनमें 1 क्यूबिक मीटर अथवा अधिक की क्षमता हो।

8. जैविक एजेंटों के प्रसार के लिए विशेषतः निर्मित अथवा आशोधित पूर्ण स्प्रेइंग प्रणालियां।

9. 1-10 यूएम के कण आकार की परिधि में जीवंत सूक्ष्म-जीवाश्मों और विषाक्तों के माइक्रो इन्कैप्सुलेशन के लिए उपकरण, विशेषतः -

- (क) इंटरफेशियल पॉलीकंडेंसर्स

(ख) फेज स्पेरेटर्स

10. संयुक्त प्रणालियों में प्रयोग के लिए संचलित आदेशों अथवा डिजाइन पर विशेष रूप से बल देते हुए 20 लीटर क्षमता से कम के फर्मेंटर्स।

11. पारंपरिक अथवा टर्बुलेंट एयर-फ्लो क्लीन-एयर रूम्स और सेल्फ कंटेंड फैन-एचर्डपीए फिल्टर यूनिट्स जिनका प्रयोग पी3 अथवा पी4 (बीएल 3, एल 3, एल 4) परिरोधन सुविधाओं के लिए किया जा सकता है।

II. संबद्ध प्रौद्योगिकी

निम्न के 'विकास' अथवा 'उत्पादन' के लिए प्रौद्योगिकी का अंतरण :

(क) नियंत्रित जैविक एजेंट, अथवा

(ख) नियंत्रित डुएल-प्रयोग जैविक उपकरण मर्दे।

'प्रौद्योगिकी' अंतरण पर नियंत्रण 'लोक परिक्षेत्र में' अथवा 'आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान' के लिए अथवा पेटेंट आवेदनों के लिए न्यूनतम आवश्यक सूचना के लिए लागू नहीं होता है।

डुएल-प्रयोग उपकरण की किसी नियंत्रित मद के निर्यात के लिए अनुमोदन उस पद की संस्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण अथवा मरम्मत हेतु अपेक्षित न्यूनतम 'प्रौद्योगिकी' के समान अंत्य-प्रयोक्ता को निर्यात के लिए भी प्राधिकृत करता है।

पदबंधों की परिभाषा

'आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान' : मूल रूप से किसी प्रक्रिया के आधारभूत सिद्धांतों अथवा प्रेक्षणात्मक तथ्यों की नई जानकारी अर्जित करने के लिए संचालित किया गया प्रयोगात्मक अथवा सैद्धांतिक कार्य, जो मुख्यतः किसी विनिर्दिष्ट व्यावहारिक लक्ष्य अथवा उद्देश्य पर निर्देशित नहीं है।

'विकास' : विकास किसी 'उत्पादन' से पूर्व समस्त चरणों से संबंधित है, जैसे:

(क) डिजाइन;

(ख) डिजाइन शोध;

(ग) डिजाइन विश्लेषण;

(घ) डिजाइन अवधारणाएं;

(ङ.) प्रोटोटाइप्स का संग्रहण;

(च) प्रायोगिक उत्पादन स्कीमें;

(छ) डिजाइन आंकड़े;

- (ज) डिजाइन डेटा को उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया अथवा रूपांतरण;
- (झ) विन्यास डिजाइन;
- (ञ) एकीकरण डिजाइन; और/अथवा
- (ट) लेआउट।

'लोक परिक्षेत्र में' : 'लोक परिक्षेत्र में' जैसा कि इसका यहां इसके आगामी प्रचार-प्रसार पर बिना कोई सीमा लगाए उपलब्ध कराया गया है (कॉपीराइट के निबंधन किसी प्रौद्योगिकी को सार्वजनिक क्षेत्र में रहने से निवारित नहीं करते हैं)।

'उत्पादन' : उत्पादन का अर्थ है समस्त उत्पादन चरण जैसे:

- (क) निर्माण;
- (ख) उत्पादन इंजीनियरी;
- (ग) विनिर्माण;
- (घ) एकीकरण;
- (ङ.) संग्रहण (माउंटिंग);
- (च) निरीक्षण;
- (छ) परीक्षण; और/अथवा
- (ज) गुणवत्ता आश्वासन।

'तकनीकी सहायता' : अनेक रूप ले सकती है जैसे : शिक्षण, कौशल, प्रशिक्षण, कार्यसाधक ज्ञान, परामर्श सेवाएं। 'तकनीकी सहायता' में 'तकनीकी आंकड़ों' का अंतरण शामिल हो सकता है।

'तकनीकी आंकड़े': विभिन्न रूप ले सकते हैं जैसे ब्लूप्रिंट, योजनाएं, आरेख, मॉडल, फार्मूले, तालिकाएं, इंजीनियरी डिजाइन और विनिर्देशन, हस्तचालित अथवा लिखित अथवा किसी अन्य माध्यम या उपकरणों पर रिकार्ड की गई जैसे डिस्क, टेप, रीड-ओनली मैमोरीज़।

'प्रौद्योगिकी' किसी उत्पाद को 'विकसित', 'उत्पादित' और 'प्रयोग' करने के लिए आवश्यक विनिर्दिष्ट जानकारी। यह जानकारी 'तकनीकी डाटा' अथवा 'तकनीकी सहायता' का रूप लेती है।

'प्रयोग' : प्रचालन, संस्थापना (ऑनसाइट संस्थापना सहित), अनुरक्षण (जांच), मरम्मत, ओवरहॉल अथवा रीफरिबिशिंग।

परिशिष्ट-II

संयुक्त राष्ट्र

एस/2006/853/कॉर I



सुरक्षा परिषद्

वितरण : सामान्य

14 नवम्बर, 2006

मूल : अंग्रेजी

संकल्प 1718(2006) के अनुसरण में लोकतांत्रिक कोरिया जन गणतंत्र से संबंधित सुरक्षा परिषद समिति के सभापति की ओर से सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष को संबोधित दिनांक 1 नवम्बर, 2006 का पत्र

शुद्धिपत्र

अनुबंध, धारा 1.3

प्रविष्टि (छ) को इस प्रकार पढ़ा जाए,

'(छ) टिटैनियम अथवा टिटैनियम एलॉय; अथवा'

परिशिष्ट-III

संयुक्त राष्ट्र

एस/2009/364



सुरक्षा परिषद्

वितरण : सामान्य

16 जुलाई, 2009

मूल : अंग्रेजी

संकल्प 1718(2006) के अनुसरण में गठित सुरक्षा परिषद समिति के कार्यवाहक सभापति की ओर से सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को संबोधित दिनांक 16 जुलाई, 2009 का पत्र

संकल्प 1718(2006) के अनुसरण में गठित सुरक्षा परिषद समिति की ओर से मुझे संकल्प 1874(2009) के पैराग्राफ के अनुसार प्रस्तुत समिति 16 जुलाई, 2009 की रिपोर्ट को एतद्वारा प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है (कृपया अनुलग्न देखें)।

(हस्ताक्षरित)

फाज़ली कोर मैन

कार्यवाहक सभापति

संकल्प 1718(2006) के अनुसरण में गठित

सुरक्षा परिषद समिति

अनुबंध

संकल्प 1718(2006) के अनुसरण में गठित सुरक्षा परिषद समिति की संकल्प 1874(2009) के पैराग्राफ के अनुसार तैयार की गई रिपोर्ट

संकल्प 1874(2009) के पैराग्राफ 24 द्वारा सुरक्षा परिषद ने अपने संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8 द्वारा अधिरोपित उपायो को समायोजित करने का निर्णय किया, जिसमें संस्थाओं, माल और व्यक्तियों को अभिहित करना भी शामिल है, तथा समिति को निदेश दिया कि वह इस संबंध में कार्यवाही करे और इसकी रिपोर्ट परिषद को प्रस्तुत करे।

संकल्प 1874(2009) के पैराग्राफ 24 के अनुसरण में समिति ने 16 जुलाई, 2009 को प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ संलग्न निर्णय को अंगीकृत किया (अनुबंध देखें)।

समिति संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ में दिए गए अधिदेश के अनुसार अपने कार्यों को संचालित करना जारी रखेगी।

संलग्नक**संकल्प 1718(2006) दिनांक 16 जुलाई, 2009 के अनुसार स्थापित सुरक्षा परिषद समिति का निर्णय**

संकल्प 1874(2009) के पैराग्राफ 24 के अनुसार समिति ने अतिरिक्त संस्थाओं, माल और व्यक्तियों को अभिहित करने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिया है।

क. संस्थाएं

समिति संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8 द्वारा अधिरोपित उपायो को अध्यक्षीन निम्न संस्थाओं को अभिहित करती है:

1. नामचोंगैंग ट्रेडिंग कार्पोरेशन

वर्णन : नामचोंगैंग डीपीआरके की ट्रेडिंग कंपनी है जो सामान्य परमाणु ऊर्जा ब्यूरो (जीबीआई) की अधीनस्थ कंपनी है। नामचोंगैंग जापानी मूल वैक्यूम पंपों की अधिप्राप्ति में संलिप्त है जिनकी पहचान डीपीआरके नाभिकीय सुविधा में की गई थी तथा वह जर्मनी के लोगों के साथ सहयोजित नाभिकीय-संबंधी अधिप्राप्ति भी कर रही है। यह एलुमिनियम ट्यूबों तथा अन्य उपकरणों की खरीद में भी संलिप्त है जो 1990 के दशक के अंतिम वर्षों से यूरेनियम समृद्धि कार्यक्रम के लिए भी विनिर्दिष्ट रूप से उपयुक्त है। इसके प्रतिनिधि एक पूर्व राजनयिक हैं जिन्होंने 2007 में योंगवायोन नाभिकीय सुविधाओं के आईआईए निरीक्षण के लिए डीपीआरके के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया है। नामचोंगैंग के शस्त्र-प्रचुरोद्भवन क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए गंभीर चिंता का विषय हैं।

स्थान : प्योंगयांग

ए.के.ए. : एनसीजी; नामचोंगैंग ट्रेडिंग; नाम चों गैंग कार्पोरेशन; नोमचोंग ट्रेडिंग को; नामचोंगैंग ट्रेडिंग कार्पोरेशन

2. हांगकांग इलेक्ट्रॉनिक्स

वर्णन : टेन्कॉन कॉमर्शियल बैंक और कोमिड द्वारा स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रण वाली, अथवा उसकी ओर से कार्य करने वाली अथवा कार्य करने के लिए आशयित। हांगकांग इलेक्ट्रॉनिक्स ने वर्ष 2007 से टेन्कॉन कामर्शियल बैंक और कोमिड (दोनों को समिति द्वारा अप्रैल, 2009 में अभिहित किया गया था) की ओर से लाखों डॉलर की शस्त्रीकरण संबंधी धनराशि अंतरित की है। हांगकांग इलेक्ट्रॉनिक्स ने कोमिड की ओर से डीपीआरके को ईरान से धनराशि के संचलन में सहायता प्रदान की है।

स्थान : सनाई स्ट्रीट, किश द्वीप, ईरान इस्लामिक गणराज्य

ए.के.ए. : हांगकांग इलेक्ट्रॉनिक्स किश कं.

3. कोरिया हायोक्सिसन कार्पोरेशन

वर्णन : प्योंगयांग में स्थित डीपीआरके की कंपनी जो कोरिया रयॉनबोंग जनरल कार्पोरेशन (अप्रैल, 2009 में समिति द्वारा अभिहित) की अधीनस्थ है तथा व्यापक संहार के हथियारों के विकास में संलिप्त है।

स्थान : रैकवन-डोंग, पोथोन्गगैंग जिला, प्योंगयांग

ए.के.ए. : कोरिया हायोक्सिसल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कार्पोरेशन

4. सामान्य परमाणु ऊर्जा ब्यूरो (जीबीआई)

वर्णन : जीबीआई डीपीआरके के नाभिकीय कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी है, जिसमें शामिल है - योंगवायोन नाभिकीय अनुसंधान केन्द्र और इसका 5 एमडब्ल्यूई (25 एमडब्ल्यूटी) प्लूटोनियम उत्पादन अनुसंधान रिएक्टर तथा इसकी ईंधन निर्माण और पुनःसंसाधन सुविधाएं। जीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ नाभिकीय-संबंधी बैठकें की और चर्चाएं आयोजित कीं। जीबीआई मुख्यतः डीपीआरके की सरकारी एजेंसी है जो नाभिकीय कार्यक्रमों की निगरानी करती है, जिनमें योंगवायोन नाभिकीय अनुसंधान केन्द्र का प्रचालन भी शामिल है।

स्थान : हेयुडोंग, प्योंगचेन जिला, प्योंगयांग

ए.के.ए. : सामान्य परमाणु ऊर्जा विभाग (जीडीआई)

5. कोरियाई तांगन ट्रेडिंग कार्पोरेशन

वर्णन : कोरियाई तांगन ट्रेडिंग कार्पोरेशन डीपीआरके की द्वितीय प्राकृतिक विज्ञान अकादमी की अधीनस्थ कंपनी है तथा यह मुख्य रूप से डीपीआरके के अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करने के लिए पण्यों और प्रौद्योगिकियों की अधिप्राप्ति के लिए उत्तरदायी है जिसमें शामिल है, परंतु सीमित नहीं है, व्यापक विनाश के हथियार और वितरण प्रणाली कार्यक्रम और अधिप्राप्ति और ऐसी सामग्रियां जिन्हें प्रासंगिक बहुपक्षीय नियंत्रण प्रणालियों के अंतर्गत नियंत्रित अथवा प्रतिषिद्ध किया गया है।

स्थान : प्योंगयांग

आर्थिक सहायताओं पर टिप्पणी (एस/एसी 49/2009/कॉम 1)। समिति ऐसी संस्थाओं की पहचान करने के लिए त्वरित आधार पर कार्य करना जारी रखने के लिए सहमत हुई जो पूर्व में अभिहित संस्थाओं की ओर से अथवा उनके निदेशों पर कार्य कर रही हैं। समिति इस संदर्भ में यह स्मरण करती है कि सदस्य राष्ट्र "समिति द्वारा अथवा सुरक्षा परिषद द्वारा अभिहित व्यक्तियों अथवा संस्थाओं" तथा "[अभिहित संस्थाओं] की ओर से अथवा उनके निदेश पर कार्य करने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं पर संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8(घ) में निहित उपायों को अधिरोपित करने के लिए बाध्य है।

ख. माल

समिति अवधारित करती है कि इन मदों को संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8(क) के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाएगा:

1. "इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग (ईडीएम) मशीनों में प्रयोग के लिए अभिहित अथवा विनिर्दिष्ट ग्रेफाइट"
2. "पैरा-एरामिड फाइबर (केवलर और अन्य केवल समान), फिलामेंट और टेप"

टिप्पणी : समिति संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8(क) (i) और 8(क)(ii) के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की जाने वाली अतिरिक्त मदों, सामग्रियों, उपकरणों, माल और प्रौद्योगिकी की पहचान करने के लिए त्वरित आधार पर कार्य करना जारी रखेगी। समिति निम्नलिखित में प्रत्येक दो श्रेणियों में मदों को निर्दिष्ट करने का आशय करती है:

1) संवेदनशील डुएल-उपयोग; 2) बैलिस्टिक मिसाइल संबंधी मदें और 3) नाभिकीय से जुड़ी मदें। समिति अपनी नियमित रिपोर्ट में इन प्रयासों के बारे में नवीनतम जानकारी सुरक्षा परिषद को प्रदान करेगी।

ग. व्यक्ति

समिति संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8(घ) और 8 (ड.) में अधिरोपित उपायों के उपबंधों के अध्यक्षीन निम्नलिखित व्यक्तियों को अभिहित करती है:

1. **युन हो-जिन :** नामचोनगांग ट्रेडिंग कार्पोरेशन के निदेशक; यूरेनियम समृद्धि कार्यक्रम के लिए आवश्यक मदों के आयात की निगरानी करते हैं। (अतिरिक्त सूचना : जन्म - 13 अक्टूबर, 1944; युन हो-चिन के रूप में ज्ञात)
2. **री जे-सोन :** सामान्य परमाणु ऊर्जा ब्यूरो (जीबीएई) के निदेशक, जजो डीपीआरके नाभिकीय कार्यक्रम को निर्देशित करने वाली मुख्य एजेंसी है; अनेक नाभिकीय प्रयासों को सहायता प्रदान करते हैं जिनमें जीबीएई का योंगवायोन नाभिकीय अनुसंधान केन्द्र तथा नोमचोंगगैंग ट्रेडिंग कार्पोरेशन का प्रबंध भी शामिल है (अतिरिक्त जानकारी : जन्म 1938; री जे-सन के नाम से ज्ञात)
3. **हवांग सोक-हवा :** सामान्य आण्विक ऊर्जा ब्यूरो (जीबीएई) में निदेशक; डीपीआरके के नाभिकीय कार्यक्रम में शामिल; जीबीएई में वैज्ञानिक मार्गदर्शक ब्यूरो में प्रमुख के रूप में उन्होंने नाभिकीय अनुसंधान संयुक्त संस्थान के भीतर विज्ञान समिति में कार्य किया।
4. **री होग-सोप :** पूर्व-निदेशक, योंगब्योन नाभिकीय अनुसंधान केन्द्र, उन तीन केन्द्रीय सुविधाओं का मार्गदर्शन किया जो हथियार ग्रेड प्लूटोनियम के उत्पादन में सहायता प्रदान करते हैं; फ्यूल फैब्रिकेशन सुविधा, नाभिकीय रिएक्टर और रीप्रोसेसिंग प्लांट (अतिरिक्त जानकारी : जन्म 1740)
5. **हान यू-रो :** निदेशक, कोरिया रियांक्सान जनरल ट्रेडिंग कार्पोरेशन; डीपीआरके के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल।

परिशिष्ट IV

एस/2016/1069

सुरक्षा परिषद्

डिस्ट्र.: सामान्य

16 दिसम्बर 2016

मूल : अंगेजी

**सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष को संबोधित संकल्प 1718 (2006) के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद् की पीठ से
दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 का पत्र**

संकल्प 1718 (2006) के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद् समिति की ओर से मुझे संकल्प 2321 (2016) के पैराग्राफ के अनुसार तैयार की गयी समिति की दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 की रिपोर्ट इसके साथ प्रेषित करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

यदि वर्तमान पत्र और इस रिपोर्ट को सुरक्षा परिषद् के सदस्यों के ध्यान में लाया जाता है और परिषद् के एक दस्तावेज के रूप में जारी किया जाए तो मुझे खुशी होगी।

(हस्ताक्षरित) रोमन **ओयारजन मार्चेसी**

पीठ

संकल्प 1718 (2006) के अनुसरण में

स्थापित सुरक्षा परिषद् समिति

संकल्प 2321 (2016) के पैराग्राफ 7 के अनुसार तैयार संकल्प 1718 (2006) के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद् की रिपोर्ट

1. 30 नवम्बर, 2016 को सुरक्षा परिषद् ने अपने संकल्प 2321 (2016) के द्वारा यह निर्णय लिया कि संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 8 (क), (ख) और (ग) में अधिरोपित उपाए संकल्प 1718 (2006) के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद् समिति द्वारा अपनायी जाने वाली नयी परंपरागत हथियार दोहरी उपयोग सूची में सूचीबद्ध वस्तुओं पर भी लागू होंगे और समिति को यह निर्देश दिया गया कि 15 दिनों के भीतर इसे स्वीकार करे और इस संबंध में परिषद् को सूचित करें।

2. इस कार्य को पूरा करने के लिए समिति ने परंपरागत हथियार दोहरी उपयोग सूची पर विचार किया। इस सूची में निहित सभी वस्तुएं, सामग्रियां, उपकरण, माल और प्रौद्योगिकी को संकल्प 2321 (2016) के कार्यान्वयन के उद्देश्य से सूचीबद्ध किया जाता है और इन पर अंतरराष्ट्रीय और बहु राष्ट्रीय तंत्र, क्षेत्र, लिखतों, सिद्धांतों और अप्रसार के दायरे में प्रचलनों के लिए पूर्वोद्धारण स्थापित करने और निर्यात नियंत्रण के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

3. 15 दिसम्बर, 2016 को समिति ने सुरक्षा परिषद् के निर्देश के अनुसार कार्य किया और निम्नलिखित सूची को अनुमोदित किया:

विशेष सामग्रियां और संबंधित उपकरण

सिस्टम, उपकरण और संघटक

“संश्लिष्ट” संरचना अथवा लेमिनेट

“संश्लिष्ट” संरचना अथवा लेमिनेट में धातु अथवा कार्बन मैट्रिक्स और निम्न में से कोई चीज होती है:

(क) कार्बन “फाइबर अथवा फिलामेंट्री सामग्रियां” जिनमें 10.15×10^6 मीटर से अधिक “विशिष्ट मोड्यूलस” होता है और 17.7×10^4 मीटर से अधिक “विशिष्ट तननशील मजबूती”;

(ख) 2.54×10^6 मीटर से अधिक की विशिष्ट मोड्यूलस के साथ अकार्बनिक फाइबरयुक्त अथवा फिलामेंट्री सामग्रियां और निष्क्रिय वातावरण में $1,649^\circ$ सें. से अनधिक गलनांक, मुलायम बनाने, अपघटन और उर्ध्वपातन बिंदु।

धातु और मिश्रधातु

1. 2×10^8 हर्ट्ज से अधिक किंतु 3×10^{12} हर्ट्ज से कम आवृत्ति को अवशोषण के लिए सामग्री सहित विद्युतचुम्बकीय धारा अथवा तात्विक रूप में संचालक पॉलिमर के अवशोषक के रूप में इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गयी सामग्रियां।
2. 1.5×10^{14} हर्ट्ज से अधिक किंतु 3.7×10^{14} हर्ट्ज से कम और दृश्यमान प्रकाश में अपारदर्शी आवृत्तियों को अवशोषित करने के लिए सामग्रियां।
3. निम्नलिखित पॉलिमर यथा पॉलीएनिलाइन, पॉलिपायरॉल, पॉलिथियोफिन, पॉली फिनालिन-विनालिन, पॉली थियेनिलिन-फिनालिन में से किसी के आधार पर 10,000 से/मीटर से अधिक बल्क विद्युतीय संचालन अथवा 100 ओम/वर्ग से कम की शीट (सतह) प्रतिरोधकता के साथ आंतरिक रूप से संचालक पॉलिमर सामग्रियां।
4. सेरामिक – शीशा अथवा ऑक्साइड “मैट्रिक्स” के साथ सेरामिक “संश्लिष्ट” सामग्रियां और फाइबर युक्त सुदृढ़ सामग्रियां जिनमें निम्न सभी तत्व हों और इन सामग्रियों से बनी हों : एसआई-एन, एसआई-सी, एसआई-एएल-ओ-एन अथवा एसआई-ओ-एन; और 12.7×10^3 मीटर से अधिक की विशिष्ट तननशील मजबूती हो।
5. सेरामिक – सेरामिक ‘संश्लिष्ट’ सामग्रियां जिनमें कण, ट्विस्कर्स अथवा फाइबर हो जहां सिलिकन, जरकोनियम अथवा बोरॉन के कारबाइड अथवा नाइट्राइड मैट्रिक्स बनाते हों।
6. अकार्बनिक फाइबरयुक्त अथवा तंतु वाली सामग्रियां जिनमें 2.54×10^6 मीटर से अधिक सभी विशिष्ट मोड्यूल हों अथवा निष्क्रिय वातावरण में $1,649^\circ$ सें. से अधिक गलनांक, मुलायम बनाने, अपघटन और उर्ध्वपातन बिंदु हों।
7. 50 प्रतिशत से अधिक के वजन के प्लूटोनियम -238 के समस्थानिक एसे के साथ किसी भी रूप में प्लूटोनियम।
8. पूर्व में किसी भी रूप में नेप्चुनियम-237 को पृथक करें।

साफ्टवेयर

उपर्युक्त सूचीबद्ध सामग्रियों के विकास के लिए “साफ्टवेयर”

प्रौद्योगिकी

उपर्युक्त सूचीबद्ध उपकरण अथवा सामग्रियों के विकास अथवा उत्पादन के लिए “प्रौद्योगिकी”

परीक्षण, जांच और उत्पादक उपकरण

1. "टो प्लेसमेंट मशीन", जिसकी पोजिशनिंग और लेइंग टो की गति दो या दो से अधिक प्राथमिक सर्वो पोजिशनिंग एक्सेज में समन्वित और योजनाबद्ध हो जिसे संश्लिष्ट एयरफ्रेम अथवा मिसाइल संरचना के लिए डिजाइन किया गया हो।
2. मिश्रधातु, मिश्रधातु चूर्ण अथवा मिश्रधातु सामग्रियों के उत्पादन के लिए उपकरण जिन्हें संदूषण से बचने के लिए डिजाइन किया गया अथवा 'सामग्री' खंड के खंड 2 के चौथे पैरा में रेखांकित नियंत्रित वातावरण प्रक्रियाओं में से एक में इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था।
3. निम्नलिखित में से किसी के निर्माण के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए "सुपरप्लास्टिक फार्मिंग" हेतु उपकरण, डायस, माउल्ड अथवा फिक्सचर अथवा डिफ्यूजन बांडिंग" टाइटेनियम, एल्युमिनियम अथवा उनके मिश्रित धातु के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए:

(क) एयरफ्रेम अथवा एयरोस्पेस संरचना;

(ख) एयरक्राफ्ट अथवा एयरोस्पेस इंजन; अथवा

(ग) एयरफ्रेम अथवा एयरोस्पेस संरचना अथवा एयरोस्पेस इंजन के एयरक्राफ्ट के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए संघटक।

सामग्री संसाधन उपकरण

साफ्टवेयर

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए "साफ्टवेयर" जब भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा प्रणाली में हो जिससे ऐसे उपकरण अथवा ऐसी प्रणालियां अंकीय नियंत्रण इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हों और घेरा बनाकर नियंत्रण करने के लिए 4 धूरियों से अधिक धूरियों में एक साथ समन्वय में सक्षम हों।

प्रौद्योगिकी

1. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए साफ्टवेयर अथवा उपकरण को विकसित अथवा उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा प्रणाली में हो जिससे ऐसे उपकरण अथवा ऐसी प्रणालियां अंकीय नियंत्रण इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हों और घेरा बनाकर नियंत्रण करने के लिए 4 धूरियों से अधिक धूरियों में एक साथ समन्वय में सक्षम हों, शामिल हैं:

(क) घुमाने के लिए मशीन टूल जिनमें दो या दो से अधिक धूरी हों जिन्हें परिवर्णित नियंत्रण के लिए एक साथ समन्वित किया जा सकता है जिनमें निम्न में से कोई एक हो:

1. "एकसमान स्थिति दुहराव योग्य" 1.0 मीटर से कम दूरी की यात्रा के साथ एक या इससे अधिक संरेखीय धूरी के साथ 0.9 ओम के समान अथवा कम (बेहतर); अथवा

2. "एकसमान स्थिति दुहराव योग्य" 1.0 मीटर से अधिक दूरी की यात्रा के साथ एक या इससे अधिक संरेखीय धूरी के साथ 1.1 ओम के समान अथवा कम (बेहतर);

(ख) मिलिंग के लिए मशीन टूल जिसमें निम्नलिखित में से एक हो:

1. तीन संरेखीय धूरी एवं एक घूर्णन धूरी जिसे निम्न में से किसी एक में 'आकार नियंत्रण' के लिए एक साथ समन्वित किया जा सकता है:

क. "एकसमान स्थिति दुहराव योग्य" 1.0 मीटर से कम दूरी की यात्रा के साथ एक या इससे अधिक संरेखीय धूरी के साथ 0.9 ओम के समान अथवा कम (बेहतर); अथवा

ख. "एकसमान स्थिति दुहराव योग्य" 1.0 मीटर से अधिक दूरी की यात्रा के साथ एक या इससे अधिक संरेखीय धूरी के साथ 1.1 ओम के समान अथवा कम (बेहतर)।

2. पांच या इससे अधिक धूरी जिन्हें निम्न में से किसी एक में 'आकार नियंत्रण' के लिए एक साथ समन्वित किया जा सकता है:

(क) "एकसमान स्थिति दुहराव योग्य" 1.0 मीटर से कम दूरी की यात्रा के साथ एक या इससे अधिक संरेखीय धूरी के साथ 0.9 ओम के समान अथवा कम (बेहतर);

(ख) "एकसमान स्थिति दुहराव योग्य" 1.0 मीटर के समान या अधिक दूरी की यात्रा के साथ मीटर और 4 मीटर से कम एक या इससे अधिक संरेखीय धूरी के साथ 1.4 ओम के समान अथवा कम (बेहतर); और एक या एक से अधिक संरेखीय धूरी के साथ 0.9 μm के समान अथवा कम (बेहतर) "एकसमान स्थिति दुहराव योग्य" होना; अथवा

(ग) 4 मीटर के समान अथवा इससे अधिक की दूरी के साथ एक या एक से अधिक संरेखीय धूरी के साथ 6.0 μm के समान अथवा इससे कम (बेहतर) की एक समान दिशा स्थिति रिपिटिबिलिटी।

3. एक या एक से अधिक संरेखीय धूरी के साथ 1.1 μm के समान अथवा इससे कम (बेहतर) वाले जिग बोरिंग मशीन के लिए एकसमान दिशा स्थिति रिपिटिबिलिटी।

4. गैर वायर प्रकार की विद्युतीय डिस्चार्ज मशीन जिसमें दो या दो से अधिक रोटरी धूरी हो जिसे कंटोरिंग नियंत्रण के लिए एकसाथ समन्वय किया जा सकता है।

5. गहरी खुदाई ड्रिल मशीन और टर्निंग मशीन जिसे गहरी खुदाई ड्रिल के लिए संशोधित किया गया जिसमें 5 मीटर से अधिक की अधिकतम गहरी खुदाई क्षमता हो।

6. अंकीय रूप से नियंत्रित अथवा मैनुअल मशीन औजार एवं विशेष रूप से डिजाइन किए गए संघटक, नियंत्रण और एकसेसरीज जिसे कठोर (आरसी= 40 या इससे अधिक) स्पर, हेलिकल और दोहरे हेलिकल गियरों के शेविंग, फिनिशिंग, ग्राइंडिंग अथवा होनिंग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है जिसमें 15 प्रतिशत पिच व्यास अथवा बड़ा फिनिशड चौड़ाई मुंह वाला और 1250 एमए से अनधिक पिच व्यास हो जो 14 या बेहतर एजीएमए की गुणवत्ता (आईएसओ 1328 वर्ग 3 के समान) की गुणवत्ता वाला हो।

इलेक्ट्रॉनिक्स

प्रणाली, उपकरण और संघटक

"अंतरिक्ष परिमित" परमाण्विक आवृत्ति मानक।

साफ्टवेयर

निम्न में किसी एक के लिए परमाणु आवृत्ति मानकों के विकास अथवा उत्पादन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए "साफ्टवेयर":

(क) "अंतरिक्ष परिमित";

(ख) गैर रबिडियम और 1×10^{-11} प्रतिमाह से कम (बेहतर) अवधि की दीर्घ- कालिक स्थिरता वाला; अथवा

(ग) गैर "अंतरिक्ष परिमित" वाले और जिनमें निम्न में से भी मौजूद हों:

1. रिचिडियम मानक होना;
2. 1×10^{-11} प्रतिमाह से कम (बेहतर) अवधि की दीर्घकालिक स्थिरता वाला; और
3. कुल ऊर्जा खपत एक वाट से कम।

प्रौद्योगिकी

उपर्युक्त सूचीबद्ध इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, उपकरण और संघटकों के विकास अथवा उत्पादन के लिए "प्रौद्योगिकी"

दूरसंचार

प्रणाली, उपकरण और संघटक

1. काउंटर इंप्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरण और संबंधित उपकरण जो निम्न है:

(क) रेडियो आवृत्ति प्रेषण उपकरण जिसे 5.ए.1.एफ द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है और जिसे इंप्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरणों की पूर्व सक्रियता अथवा इसे शुरू करने से रोकने के लिए डिजाइन अथवा संशोधित किया गया है;

(ख) इसी आवृत्ति वाले चैनलों में रेडियो संचारों को समर्थ बनाने के लिए डिजाइन किए गए तकनीकों का प्रयोग करने वाले उपकरण जिस पर 5.ए.1.एच.1 द्वारा विनिर्दिष्ट उपकरण से पता लगाया जाता है और वह प्रेषित करता है।

2. इसलिए मोबाइल दूरसंचार अंतरोधन और जाम करने वाले उपकरण और निगरानी उपकरण निम्न प्रकार होंगे और इसलिए इनमें विशेष रूप से डिजाइन किए हुए संघटक होंगे:

(क) आवाज अथवा आंकड़े, वायु इंटरफेस में प्रेषित तथ्यों को निकालने के लिए डिजाइन किए गए अंतरोधन उपकरण; अथवा

(ख) क्लाइंट उपकरण अथवा उपभोक्ता पहचान (अर्थात् आईएमएसआई, टीआईएमएसआई अथवा आईएमईआई) वायु इंटरफेस में प्रेषित अन्य मेटा डाटा से तथ्य निकालने के लिए किए गए डिजाइन।

साफ्टवेयर

दूरसंचार प्रणाली, उपकरण और संघटक के विकास, उत्पादन अथवा इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किए गए साफ्टवेयर।

प्रौद्योगिकी

दूरसंचार प्रणाली, उपकरण, संघटकों और एक्सेससरीज के उपकरणों, कार्यकरण अथवा विशेषताओं के विकसित अथवा उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी।

सेंसर और लेजर

प्रणाली, उपकरण और संघटक

1. वस्तुओं का पता लगाने अथवा स्थान बताने के लिए डिजाइन की गयी प्रणाली अथवा एरे का प्रेषण और प्राप्ति करना जिसमें निम्न में से कोई एक हो:

(क) 5 किलो हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज के बैंड में आपरेटिंग आवृत्ति के साथ उपकरण के लिए 5 किलो हर्ट्ज से नीचे अथवा 224 डीबी (संदर्भ 1 एम पर 1 μ पीए) ध्वनि दबा वाली प्रेषण आवृत्ति;

(ख) 10 किलो हर्ट्ज से लेकर 24 किलो हर्ट्ज के बैंड में आपरेटिंग आवृत्ति के साथ उपकरण के लिए 224 डीबी (संदर्भ 1 एम पर 1 μ पीए) ध्वनि दबा;

(ग) 30 किलो हर्ट्ज से लेकर 24 किलो हर्ट्ज के बैंड में आपरेटिंग आवृत्ति के साथ उपकरण के लिए 235 डीबी (संदर्भ 1 एम पर 1 μ पीए) ध्वनि दबा;

(घ) किसी भी धूरी पर 1 डिग्री से कम का बीम बनाना और 100 किलो हर्ट्ज से कम की आपरेटिंग आवृत्ति होना;

(ङ.) 5120 मीटर से अधिक के असंदिग्ध डिस्प्ले रेंज के साथ आपरेट करने के लिए किया गया डिजाइन; अथवा

(च) 1000 मीटर से अधिक की गहराई पर सामान्य आपरेशन के दौरान दबाव को संदर्भ के लिए डिजाइन किया गया और इसमें निम्नलिखित में किसी एक ट्रांसड्यूसर हो:

1. दबाव के लिए डायनामिक कंप्रेशन; अथवा
2. ट्रांसडक्शन तत्व के रूप में बीड जिर्कोनेट टाइटेनेटके अलावा शामिल करना।

2. तैराकों अथवा गोताखोरों का पता लगाने, स्थान बताने और स्वतः वर्गीकरण के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किए गए सक्रिय व्यक्तिगत सोनार्स, जिनमें निम्न सभी हों और एकाउस्टिक एरे के प्रेषण और प्राप्ति के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया, इसलिए:

(क) 530 मीटर से अधिक दूरी का पता लगाना;

(ख) 530 मीटर दूरी पर मापे जाने पर 15 मीटर आरएमएस (रूट मीन स्क्वेयर) से कम की निर्धारित स्थिति त्रुटि; और

(ग) 3 किलो हर्ट्ज से अधिक प्रेषित पल्स सिग्नल और चौड़ाई ।

3. संसाधन उपकरण जिसे टाउड एकाउस्टिक हाइड्रोजन एरे के साथ रीयल टाइम एप्लिकेशन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया, इसमें फास्ट फोरियर अथवा अन्य ट्रांसफोर्म्स अथवा प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए स्पेक्ट्रल विश्लेषण डिजिटल फिल्टरिंग और बीम फार्मिंग सहित यूज एक्सेसिबल प्रोग्रामेबिलिटी और समय अथवा आवृत्ति डोमेन प्रोसेसिंग और सहसंबंध हो ।

4. संसाधन उपकरण जिसे बॉटम अथवा बे केबल प्रणाली के साथ रीयल टाइम एप्लिकेशन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया, इसमें फास्ट फोरियर अथवा अन्य ट्रांसफोर्म्स अथवा प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए स्पेक्ट्रल विश्लेषण डिजिटल फिल्टरिंग और बीम फार्मिंग सहित यूज एक्सेसिबल प्रोग्रामेबिलिटी और समय अथवा आवृत्ति डोमेन प्रोसेसिंग और सहसंबंध हो ।

आप्टिकल सेंसर

1. आप्टिकल सेंसर अथवा तत्संबंधी उपकरण और संघटक जो निम्न प्रकार हैं:

(क) "अंतरिक्ष परिमिति" ठोस स्थिति पता लगाने वाला जिसमें निम्न सभी हो:

1. 10 एनएम से अधिक किंतु 300 एनएम से कम दूरी वाले तरंग दैर्ध्य में शीर्ष प्रतिक्रिया; और
 2. 400 एनएम से अधिक तरंग दैर्ध्य पर शीर्ष प्रतिक्रिया के 0.1 प्रतिशत सापेक्ष से कम प्रतिक्रिया;
 3. 900 एनएम से अधिक किंतु 1200 एनएम से कम के तरंग दैर्ध्य रेंज में शीर्ष प्रतिक्रिया; और
 4. 95 एनएस अथवा इससे कम के समय स्थिरांक प्रतिक्रिया;
 5. 1200 एनएम से अधिक किंतु 30000 एनएम से अनधिक तरंग दैर्ध्य रेंज में शीर्ष प्रतिक्रिया होना।
2. "अंतरिक्ष परिमिति" "फोकल प्लेन एरे" जिसमें प्रति एरे 2048 तत्वों से अधिक हो और 300 एनएम से अधिक किंतु 900 एनएम से अनधिक तरंग दैर्ध्य में शीर्ष प्रतिक्रिया होना।
 3. छवि वर्धक ट्यूब जिसमें निम्न सभी हों:
 - (क) 400 एनएम से अधिक किंतु 1095 एनएम से अनधिक वाले तरंग दैर्ध्य में शीर्ष प्रतिक्रिया;
 - (ख) निम्न में से किसी का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रान इमेज एम्प्लिफिकेशन:
 1. 12 μ एम और इससे कम के होल पिच (केन्द्र से केन्द्र स्थान) के साथ माइक्रो चैनल प्लेट; अथवा
 2. 500 μ एम और इससे कम के गैर बिन वाले पिक्सल पिच वाला एक इलेक्ट्रॉन संवेदी उपकरण जिसे माइक्रो चैनल प्लेट द्वारा "आवेश गुणक" के अलावा प्राप्त के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किया गया हो; और
 - (ग) निम्न में से कोई फोटोकैथोड:
 1. बहु क्षारीय फोटो कैथोड (अर्थात् एस 20 और एस 25) जिसके 700 μ ए प्रति एलएम से अधिक ल्युमिनस संवेदनशीलता हो;
 2. जीएएस अथवा जीएएलएलएस फोटोकैथोड; अथवा
 3. अन्य "III/V यौगिक" अर्द्धसंचालक फोटोकैथोड जिसके 10 एमए/ डब्लू से अधिक अधिकतम रेडियंट संवेदी हो;
 4. छवि संवर्धक ट्यूब जिसमें निम्न सभी हो:
 - (क) 1050 एनएम से अधिक किंतु 1800 एनएम से अनधिक तरंग दैर्ध्य रेंज में शीर्ष प्रतिक्रिया;
 - (ख) निम्न में से किसी का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रान इमेज एम्प्लिफिकेशन:
 1. 12 μ एम और इससे कम के होल पिच (केन्द्र से केन्द्र स्थान) के साथ माइक्रो चैनल प्लेट; अथवा

2. 500 μ एम और इससे कम के गैर बिन वाले पिक्सल पिच वाला एक इलेक्ट्रॉन संवेदी उपकरण जिसे माइक्रो चैनल प्लेट द्वारा "आवेश गुणक" के अलावा प्राप्ति के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किया गया हो; और

(ग) "III/IV यौगिक" अर्द्धचालक (अर्थात् जीएएएस अथवा जीएएलएनएएस) फोटो कैथोड और स्थानांतरिकत फोटोकैथोड, जिसमें अधिकतम रेडियंट संवेदी हो जो 15 एमए/डब्लू से अधिक हो।

5. गैर "अंतरिक्षपरिमिति" "फोकल प्लेन एरे" निम्न रूप में है:

(क) निम्न में सभी हो:

1. 900 एनएम से अधिक किंतु 1050 एनएम से अनधिक तरंग दैर्ध्य के भीतर शीर्ष प्रतिक्रिया के साथ व्यक्तिगत तत्व; और

2. निम्न में से कोई:

क. 0.5 एनएस से कम समय स्थिरांक प्रतिक्रिया; अथवा

ख. 10 एमए/ डब्लू से अधिक अधिकतम रेडियंट संवेदी और आवेश गुणक की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किया गया;

3. निम्न में सभी हो:

1. 1050 एनएम से अधिक किंतु 1200 एनएम से अनधिक तरंग दैर्ध्य के भीतर शीर्ष प्रतिक्रिया के साथ व्यक्तिगत तत्व; और

2. निम्न में से कोई:

क. 95 एनएस अथवा इससे कम समय स्थिरांक प्रतिक्रिया; अथवा

ख. 10 एमए/ डब्लू से अधिक अधिकतम रेडियंट संवेदी और आवेश गुणक की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किया गया;

6. 1200 एनएम से अधिक किंतु 30000 एनएस से अनधिक तरंग दैर्ध्य में शीर्ष प्रतिक्रिया के साथ व्यक्तिगत तत्वों वाले गैर "अंतरिक्ष परिमिति" गैर संरेखीय (दो आयामी) फोकल प्लेन

7. गैर "अंतरिक्ष परिमिति" गैर संरेखीय (एक आयामी) फोकल प्लेन जिसमें निम्न हो:

(क) 1200 एनएम से अधिक किंतु 3000 एनएम से अनधिक तरंग दैर्ध्य के भीतर शीर्ष प्रतिक्रिया के साथ व्यक्तिगत तत्व; और

(ख) निम्न में से कोई एक:

1. 3.8 से कम डिटेक्टर तत्व के क्रॉस स्कैन दिशा आयाम के लिए डिटेक्टर तत्व का स्कैन दिशा आयाम का अनुपात; अथवा

2. डिटेक्टर तत्वों में सिग्नल प्रोसेसिंग।

8. 30 00 एनएम से अधिक किंतु 30000 एनएस से अनधिक तरंग दैर्ध्य में शीर्ष प्रतिक्रिया के साथ व्यक्तिगत तत्वों वाले गैर "अंतरिक्ष परिमिति" संरेखीय (एक आयामी) फोकल प्लेन एरे;

9. 8000 एनएम से अधिक किंतु 14000 एनएस के समान अथवा अनधिक तरंग दैर्ध्य में फिल्टर रहित प्रतिक्रिया के साथ माइक्रोबोलोमीटर सामग्री के आधार पर गैर "अंतरिक्ष परिमिति" गैर संरेखीय (दो आयामी) इंफ्रारेड फोकल प्लेन एरे।
10. गैर "अंतरिक्ष परिमिति" "फोकल प्लेन एरे" जिसमें निम्न सभी हो:
- (क) 400 एनएम से अधिक किंतु 900 एनएम से अनधिक तरंग दैर्ध्य रेंज में शीर्ष प्रतिक्रिया के साथ व्यक्तिगत डिटेक्टर तत्व;
- (ख) 760 एनएम से अधिक के तरंग दैर्ध्य के लिए 10 एमए/डब्लू से अधिक अधिकतम रेडियंट संवेदनशीलता वाला और आवेश गुणक की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया अथवा संशोधित;
- (ग) 32 तत्वों से अधिक.
11. निम्न में से किसी एक को शामिल करते हुए "प्रत्यक्ष व्यू" वाला इमेजिंग उपकरण:
- (क) ऑप्टिकल सेंसर के तहत धारा 3 और 4 खंडों में सूचीबद्ध विशेषताओं वाले छवि वर्धक ट्यूब;
- (ख) ऑप्टिकल सेंसर के अंतर्गत धारा 5 से 12 में सूचीबद्ध विशेषताओं वाले फोकल प्लेन एरे; अथवा
- (ग) ऑप्टिकल सेंसर के अंतर्गत खंड 1 में सूचीबद्ध विशेषताओं वाले ठोस स्थिति डिटेक्टर्स।

कैमरा

1. ऑप्टिकल सेंसर के तहत धारा 3 और 4 खंडों में सूचीबद्ध विशेषताओं वाले छवि वर्धक ट्यूब को शामिल करते हुए इमेजिंग कैमरा;
- (क) ऑप्टिकल सेंसर के अंतर्गत धारा 5 से 11 में सूचीबद्ध विशेषताओं वाले फोकल प्लेन एरे को शामिल करते हुए इमेजिंग कैमरा;
2. ऑप्टिकल सेंसर के अंतर्गत खंड 1 में सूचीबद्ध विशेषताओं वाले ठोस स्थिति डिटेक्टर्स को शामिल करते हुए इमेजिंग।

रडार

1. रडार प्रणाली, उपकरण और एसेम्बली, जिसमें निम्न में से कोई एक हो और इसके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए संघटक हों:
- (क) सिंथेटिक अपर्चर रडार मोड में इन्वर्स सिंथेटिक अपर्चर रडार मोड अथवा साइड लुकिंग एयर बोर्न रडार मोड में परिचालन करने में सक्षम;
- (ख) रडार सिग्नल की प्रक्रिया अपनाना और निम्न में से किसी एक का इस्तेमाल:
1. "रडार स्प्रेड स्पेक्ट्रम" तकनीक; अथवा
 2. "रडार आवृत्ति एजिलिटी" तकनीक; अथवा
- (ग) "सिग्नल प्रोसेसिंग" उप प्रणाली होना जिसमें पल्स कंप्रेसन का इस्तेमाल हो और निम्न में से एक हो:

1. 150 से अधिक पल्स कंप्रेशन अनुपात; अथवा
 2. 200 एनएस से कम संपीडित पल्स विड्थ।
2. पल्स रडार क्रास सेक्शन मापन प्रणाली जिसमें 100 एनएस अथवा इससे कम की ट्रांसमिट पल्स विड्थ हो और इसमें विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ संघटक हो।

साफ्टवेयर

1. आप्टिकल खंड अथवा रडार खंड में विकास अथवा उत्पादन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया साफ्टवेयर।

2. निम्न साफ्टवेयर:

(क) टाउड हाइड्रोफोन एरे का प्रयोग करते हुए निष्क्रिय रिसेप्शन के लिए एकाउस्टिक आंकड़ों के रियल टाइम प्रसंस्करण हेतु एकाउस्टिक बीम फार्मिंग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए साफ्टवेयर;

(ख) टाउड हाइड्रोफोन एरे का प्रयोग करते हुए निष्क्रिय रिसेप्शन के लिए एकाउस्टिक आंकड़ों के रियल टाइम प्रसंस्करण हेतु सोर्स कोड;

(ग) बॉटम अथवा बे केवल प्रणाली का प्रयोग करते हुए निष्क्रिय रिसेप्शन के लिए एकाउस्टिक बीम फार्मिंग के रियल टाइम प्रसंस्करण हेतु विशेष रूप से डिजाइन किए गए साफ्टवेयर;

(घ) बॉटम अथवा बे केवल प्रणाली का प्रयोग करते हुए निष्क्रिय रिसेप्शन के लिए एकाउस्टिक बीम फार्मिंग के रियल टाइम प्रसंस्करण हेतु सोर्स कोड;

(ङ.) निम्नलिखित सभी के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए साफ्टवेयर अथवा सोर्स कोड:

1. सोनार सिस्टम से एकाउस्टिक आंकड़ों की रियल टाइम प्रासेसिंग;
2. गोताखोरों अथवा तैराकों का स्वतः पता लगाना, वर्गीकरण करना और स्थान निर्धारण करना।

प्रौद्योगिकी

इस सूची में किसी भी मद के विकास अथवा उत्पादन के लिए प्राद्योगिकी।

दिशाज्ञान और वैमानिकी

साफ्टवेयर

1. गिम्बाल्ड एटिट्यूड और हेडिंग रेफरेंस प्रणाली के लिए 'सोर्स कोड' के अतिरिक्त किसी जड़त्वीय दिशा ज्ञान उपकरण के परिचालन अथवा अनुरक्षण हेतु 'स्रोत कोड'।
2. परिचालन कार्यनिष्पादन में सुधार करने अथवा प्रणाली की दिशा ज्ञान त्रुटि को कम करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किए गए साफ्टवेयर।
3. हाइब्रिड समेकित प्रणाली हेतु स्रोत कोड जो निम्न में से किसी एक के साथ सतत रूप से हेडिंग डाटा द्वारा परिचालन कार्यनिष्पादनमें सुधार लाता है अथवा प्रणाली के दिशा ज्ञान त्रुटि को कम करता है:

(क) डोप्लर रडार अथवा सोनार गति आंकड़ा;

- (ख) ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली संदर्भ आंकड़ा; अथवा
- (ग) आंकड़ा आधारित संदर्भित दिशाज्ञान प्रणाली से आंकड़ा।
4. निम्नांकित में से किसी एक के लिए विकास प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए स्रोत कोडः
- (क) फ्लाइंट के पूर्ण नियंत्रण के लिए डिजिटल फ्लाइंट प्रबंधन प्रणाली;
- (ख) समेकित प्रोपल्शन और उड़ान नियंत्रण प्रणाली;
- (ग) फ्लाइ बाय वायर प्रणाली अथवा फ्लाइ बाय लाईट प्रणाली;
- (घ) फाउल्ट टोलेरेंट अथवा सेल्फ रिकॉन्फिगरेशन एक्टिव फ्लाइंट नियंत्रण प्रणाली;
- (ङ.) एयर डाटा सिस्टम आधारित सतह स्थैतिक आंकड़ा; अथवा
- (च) त्रिआयामी डिस्प्ले।

नोट: सामान्य कंप्यूटर एलिमेंट और युटिलिटी (अर्थात् इनपुट सिगनल एक्जिविशन, आउटपुट सिगनल ट्रांसमिशन कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा लोडिंग, बिल्ड इन टेस्ट, टास्क अनुसूची तंत्र) के साथ सम्बद्ध स्रोत कोड पर लागू नहीं होता है और यह विशिष्ट उड़ान नियंत्रण प्रणाली कार्य प्रदान नहीं करता है।

प्रौद्योगिकी

1. दिशाज्ञान और वैमानिकी हेतु प्रणाली, उपकरण और संघटकों के विकास अथवा उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी।
2. दिशाज्ञान और वैमानिकी हेतु प्रणाली, उपकरण और संघटकों के लिए साफ्टवेयर के विकास हेतु प्रौद्योगिकी।

समुद्रीय प्रणाली, उपकरण और संघटक

प्रणाली, उपकरण और संघटक

1. मानवयुक्त, अनटिथर्ड समर्सिवल वाहन जिसमें निम्न में से एक हो:

(क) स्वायत्त रूप से परिचालन करने के लिए डिजाइन किया गया और निम्न में से सभी लिफ्टिंग क्षमता हो:

 1. हवा में उनके वजन का 10 प्रतिशत या अधिक; और
 2. 15 केएन अथवा अधिक;

(ख) 1000 मीटर से अधिक की गहराई में परिचालन करने के लिए डिजाइन किए गए; अथवा

(ग) निम्न में से सभी होना चाहिए:

 1. 10 घंटे अथवा इससे अधिक के समय के लिए सतत रूप से स्वतः परिचालन करने के लिए डिजाइन किए गए; और
 2. 25 समुद्री मील या इससे अधिक की दूरी.

तकनीकी नोट

1. स्वायत्त रूप से परिचालन करना शब्द का अर्थ स्नोर्कल के बिना पूर्णतः डूबी हुई सभी प्रणाली जो न्यूनतम गति पर कार्य करना और क्लिजिंग होता है जिस पर समर्सिबल केवल अपनी गति प्लेन का इस्तेमाल कर अपनी गहराई को गतिशील रूप से सुरक्षित तरीके से नियंत्रित कर सकता है, जो सतह, समुद्री तल अथवा किनारे पर सहायक वाहन अथवा सहायक आधार के लिए आवश्यक नहीं होती और इसमें डूबे हुए अथवा स्रोत इस्तेमाल के लिए प्रचालक प्रणाली होती है।

2. दूरी शब्द का तात्पर्य वह अधिकतम दूरी का आधा है जिसे समर्सिबल वाहन स्वतः परिचालन कर सकता है।

2. मानव रहित टिथर्ड समर्सिबल वाहन जिसे 1000 मीटर से अधिक की गहराई में परिचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए:

(क) सीधी करंट प्रोपल्शन मोटर अथवा थ्रस्टर का प्रयोग करते हुए स्व प्रोपेल्ड के लिए डिजाइन किया गया; अथवा

(ख) फाइबर ऑप्टिक डाटा लिंक।

3. मानव रहित टिथर्ड समर्सिबल वाहन जिसमें निम्न में से कोई एक हो:

(क) रीयल टाइम मानवीय सहायता के बिना किसी भौगोलिक संदर्भ के संबंध में किसी कोर्स के निर्णय के लिए डिजाइन किया गया;

(ख) एकाउस्टिक डाटा अथवा कमांड लिंक; अथवा

(ग) ऑप्टिकल आंकड़ा अथवा कमांड लिंक जो 1000 मीटर से अधिक हो।

4. नौवहन आंकड़े का प्रयोग करते हुए समर्सिबल वाहन की गति को स्वतः नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित की गयी प्रणाली जिसमें क्लोज्ड लूप सर्वो नियंत्रण और निम्न में से कोई एक हो:

(क) वाटर कॉलम में पूर्व निर्धारित बिंदु के 10 मीटर के भीतर चलने के लिए वाहन को सक्षम बनाना;

(ख) वाटर कॉलम में पूर्व निर्धारित बिंदु के 10 मीटर के भीतर वाहन चलाने के लिए इसे सक्षम बनाए रखना; अथवा

(ग) समुद्री तल पर अथवा केबल का अनुसरण करते हुए 10 मीटर के भीतर वाहन की स्थिति को बनाए रखना।

5. समर्पित कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए गहरे पानी के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए रोबोट जिसमें निम्न में से कोई एक हो:

(क) वह प्रणाली जो सेंसर से सूचना का उपयोग करते हुए रोबोट को नियंत्रित करता है जो बाह्य वस्तु पर अधिरोपित बल अथवा टोर्क, बाह्य वस्तुओं की दूरी अथवा रोबोट और बाहरी वस्तुओं के बीच के टेक्टाइल सेंस को मापता है; अथवा

(ख) 250 एनएम अथवा इससे अधिक के बल अथवा टोर्क लगाने की क्षमता और इसके संरचनात्मक सदस्यों में टाइटेनियम आधारित मिश्रधातु अथवा संश्लिष्ट फाइबरश अथवा फिलामेंट्री सामग्री का प्रयोग।

6. 1000 टन डिस्प्लेसमेंट अथवा अधिक के इस्तेमाल के लिए शोर प्रशमन प्रणाली जो निम्न प्रकार है:

(क) वह प्रणाली जो 500 हर्ट्ज से कम की आवृत्तियों पर पानी के नीचे की ध्वनि को कमजोर करता है और डीजल इंजन, डीजल जेनरेटर सेटर, गैस टर्बाइन, गैस टर्बाइन जेनरेटर सेट, प्रोपल्शन मोटर अथवा प्रोपल्शन रिडक्शन गीयर के एकाउस्टिक आइसोलेशन के लिए यौगिक एकाउस्टिक माउंट होता है जिसे विशेष रूप से ध्वनि अथवा कंपन आइसोलेशन के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें लगाए जाने वाले उपकरण के 30 प्रतिशत से अधिक का मध्यम द्रव्यमान होता है;

(ख) "सक्रिय ध्वनि प्रशमन अथवा रद्दीकरण प्रणाली" अथवा चुम्बकीय वियरिंग जिसे विशेष रूप से विद्युत पारेषण प्रणाली के लिए डिजाइन किया गया है।

साफ्टवेयर

समुद्री प्रणाली, उपकरण, संघटकों, परीक्षण, जांच हेतु 'साफ्टवेयर' और उपकरण तथा अन्य संबंधित प्रौद्योगिकी का उत्पादन।

प्रौद्योगिकी

समुद्री प्रणाली, उपकरण, संघटकों, परीक्षण, जांच हेतु 'प्रौद्योगिकी' और उपकरण तथा अन्य संबंधित प्रौद्योगिकी का उत्पादन।

एयरोस्पेस और प्रोपल्शन

प्रणाली, उपकरण और संघटक

रैमजेट, स्क्रैमजेट अथवा संयुक्त चक्रीय इंजन और इसके लिए विशेष रूप से बनाए गए डिजाइन।

साफ्टवेयर

एयरोस्पेस और प्रोपल्शन प्रणाली, उपकरण, संघटक, परीक्षण, जांच के लिए साफ्टवेयर और अन्य संबंधित प्रौद्योगिकी।

प्रौद्योगिकी

एयरोस्पेस और प्रोपल्शन प्रणाली, उपकरण, संघटक, परीक्षण, जांच के लिए प्रौद्योगिकी और अन्य संबंधित प्रौद्योगिकी।

संयुक्त राष्ट्र

एस/2014/253

सुरक्षा परिषद्

वितरक : सामान्य

8 अप्रैल 2014

मूल अंग्रेजी

राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव 1718 (2006) के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद् समिति के पीठ से दिनांक 8 अप्रैल, 2014 को निर्गत पत्र

प्रस्ताव 1718 (2006) के अनुसरण में स्थापित समिति की ओर से मुझे दिनांक 2 अप्रैल, 2014 की समिति की रिपोर्ट (अनुबंध देखें) को प्रेषित करने का अवसर मिला है, इस प्रस्ताव को संकल्प 2094 (2013) के पैराग्राफ 21 और 16 अप्रैल, 2012 के राष्ट्रपति विवरण एस/पीआरएसटी/2012/13 के अनुसार दिया गया है।

यदि वर्तमान पत्र और इसके अनुबंध को सुरक्षा परिषद् के सदस्यों के ध्यान में लाया जाए और परिषद् के दस्तावेज के रूप में जारी किया जाए तो मुझे प्रसन्नता होगी।

(हस्ताक्षरित) स्यालवी लुकास

पीठासीन

प्रस्ताव 1718 (2006) के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद् समिति

अनुबंध

प्रस्ताव 1718 (2006) के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद् समिति के पीठ की रिपोर्ट जिसे संकल्प 2094 (2013) के पैराग्राफ 21 और राष्ट्रपति के वक्तव्य एस/पीआरएसटी/2012/13 के अनुसार तैयार किया गया है।

16 अप्रैल, 2012 को अध्यक्ष के वक्तव्य एस/पीआरएसटी/ 2012/13 के माध्यम से सुरक्षा परिषद् ने संकल्प 1718 (2006) के अनुसरण में गठित समिति को अन्य बातों के साथ साथ यह निर्देश दिया कि वे व्यक्तियों और सत्ताओं की समेकित सूची का एक वार्षिक आधार अद्यतन करें जो आसित जबती और/ या यात्रा प्रतिबंध के अध्यक्षीन हो। इस सूची को अंतिम बार 31 दिसम्बर, 2013 को अद्यतन किया गया था।

इसके अतिरिक्त, सुरक्षा परिषद् ने संकल्प 2094 (2013) के पैराग्राफ में समिति को संकल्प 2087 (2013) के पैरा 5 (ख) में विनिर्दिष्ट सूची में निहित मदों की 7 मार्च, 2014 तक और उसके बाद वार्षिक आधार पर समीक्षा करें और इन्हें अद्यतन करें, इनमें शामिल हैं आईएनएफसीआईआरसी/254/आरईवी 8/ भाग 2 (परमाणु संबंधी मदें) और दस्तावेज एस/2012/947 (वैलेस्टिक मिसाइल संबंधी मदें)।

इन कार्यों को पूरा करने के लिए समिति ने 24 जनवरी और 24 फरवरी, 2014 को अनौपचारिक परामर्श किया। इस समिति के पीठ ने सभी सदस्य राष्ट्रों को एक मौखिक नोट भी भेजा जिनमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इन सूचियों को अद्यतन करने के लिए अतिरिक्त सूचना प्रदान करें।

2 अप्रैल, 2014 को समिति ने सुरक्षा परिषद् के निर्देश पर कार्य किया और निम्नांकित को अनुमोदन किया:

क. व्यक्तियों और सत्ताओं के संबंध में समिति की समेकित सूची में निहित सूचना की पहचान करने के लिए अद्यतन करना।

समिति ने कोरिया रायनोहा मशीनरी संयुक्त उपक्रम निगत द्वारा प्रयुक्त उपनामों की सूची में “朝鮮联合机械贸易会社” नाम को जोड़ा।

ख. संकल्प 2087 (2013) के पैरा 5 (ख) में विनिर्दिष्ट सूचियों में निहित मदों को अद्यतन करना।

समिति यह निर्धारित करती है कि आईएनएफसीआईआरसी/254/आरईवी.11/भाग एक और आईएनएफसीआईआरसी/254/आरईवी.8/ भाग 2 के मदों की सूची को आईएनएफसीआईआरसी/254/आरईवी.12/ भाग 1 और आईएनएफसीआईआरसी /254/आरईवी.9/ भाग 2 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। इस प्रकार मदों की इस सूची जो आईएनएफसीआईआरसी/254/आरईवी.12/ भाग 1 और आईएनएफसीआईआरसी /254/आरईवी.9/ भाग 2 में निहित है, संकल्प 1718 (2006) के पैरा 8(क), (ख) और (ग) में अधिरोपित उपायों के अध्यक्षीन होगी।

समिति यह भी निर्धारित करती है कि दस्तावेज स/2012/947 में बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी मर्दें, सामग्रियां, उपकरण, वस्तुएं और प्रौद्योगिकी यहां संलग्न मर्दों की सूची द्वारा प्रतिस्थापित होती है। इस प्रकार मर्दों की संबद्ध सूची संकल्प 1718 (2006) के पैरा 8 (क), (ख) और (ग) में अधिरोपित उपायों के अध्यक्षीन होगी।

बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के संबंध में मर्दें, सामग्रियां, उपकरण, वस्तु और प्रौद्योगिकी

दस्तावेज एस/2012/947 में बदलावों को निम्नलिखित मर्दों में मोटे अक्षरों में दर्शाया गया है यथा: प्रस्तावना (घ): सामान्य साफ्टवेयर नोट, अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों के लिए "स्फोटक शीर्ष" की परिभाषाएं, 2.क.1.ग. और 2.क.1.ग., 2.घ.6. नोट 1, 3.क.1.क.2., 3.क.5., 3.क.9., 4., ख.3.क. के लिए नोट और तदनुरूपी नोट, 4.ख.3.घ., 4.घ.1., 6.घ.1., तकनीकी नोट 4 से 9.क.3., 9.ख.1., 12.क.3., 15.ख.4.क.2. और 20.क.1.ख.

विषय सूची

1. प्रस्तावना

- (क) श्रेणी एक और श्रेणी दो मर्दें
- (ख) समंजन "दूरी" और "स्फोटक शीर्ष"
- (ग) सामान्य प्रौद्योगिकी नोट
- (घ) सामान्य साफ्टवेयर नोट
- (ड.) रासायनिक तत्व सेवा (सीएएस) संख्या

2. परिभाषाएं

- "परिशुद्धता"
- "मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान"
- "विकास"
- "जन कार्यक्षेत्र में"
- "माइक्रोसर्किट"
- "माइक्रोप्रोग्राम्स"
- "स्फोटक शीर्ष"

- बैलेस्टिक मिसाइल
- अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन
- साउंडिंग रॉकेट
- क्रूज मिसाइल
- अन्य यूएवी
- "उत्पादन"

“उत्पादन उपकरण”

“उत्पादन सुविधाएं”

“कार्यक्रम”

“विकिरण दृढीकरण”

“दूरी”

“साफ्टवेयर”

“प्रौद्योगिकी”

“तकनीकी सहायता”

“तकनीकी आंकड़ा”

“उपयोग”

3. शब्दावली

“विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ”

“डिजाइन किया हुआ अथवा संशोधित किया हुआ”

“में प्रयोग लायक”, “के लिए प्रयोग योग्य”, “के रूप में प्रयोग योग्य” अथवा

“में सक्षम”

“संशोधित”

श्रेणी 1 – मद 1

पूर्ण डिलिवरी प्रणाली

1.क.1. पूर्ण रॉकेट प्रणाली (≥ 300 किमी “रेंज” & ≥ 500 किग्रा “स्फोटक शीर्ष”)

1.क.2. पूर्ण मानवरहित अंतरिक्ष विमान प्रणाली (यूएवी) (≥ 300 किमी. “दूरी” & ≥ 500 किग्रा. “स्फोटक शीर्ष”)

1.ख.1. “उत्पादन सुविधाएं”

1.ग. कोई नहीं

1.घ.1. “साफ्टवेयर”

1.घ.2. “साफ्टवेयर”

1.ङ.1. “प्रौद्योगिकी”

श्रेणी I – मद 2

पूर्ण डिलिवरी प्रणाली के लिए प्रयोग योग्य पूर्ण उप प्रणाली

2.क.1. “पूर्ण उप प्रणाली”

2.ख.1. “उत्पादन सुविधाएं”

- 2.ख.2. “उत्पादन उपकरण”
 2.ग. कोई नहीं
 2.घ.1. “साफ्टवेयर”
 2.घ.2. “साफ्टवेयर”
 2.घ.3. “साफ्टवेयर”
 2.घ.4. “साफ्टवेयर”
 2.घ.5. “साफ्टवेयर”
 2.घ.6. “साफ्टवेयर”
 2.ड..1. “प्रौद्योगिकी”

श्रेणी II – मद 3

प्रणोदन संघटक और उपकरण

- 3.क.1. टर्बोजेट और टर्बोफैन इंजन
 3.क.2. रेमजेट/स्क्रेमजेट/पल्स जेट/ संयुक्त चक्रीय इंजन
 3.क.3. रॉकेट मोटर केस, “तापरोधन”
 संघटक और नॉजल्स
 3.क.4. स्टेजिंग तंत्र, पृथक्करण तंत्र और इंटरस्टेज
 3.क.5. तरल और घोल प्रणोदक (ऑक्सीकारक सहित) नियंत्रण प्रणाली
 3.क.6. हाइड्रिड रॉकेट मोटर
 3.क.7. रेडियल बॉल बेयरिंग
 3.क.8. तरल प्रणोदक टैंक
 3.क.9. टर्बो इंजन प्रणाली
 3.ख.1. “उत्पादन सुविधा”
 3.ख.2. “उत्पादन उपकरण”
 3.ख.3. फ्लो फॉर्मिंग मशीन
 3.ग.1. रॉकेट मोटर के लिए प्रयोग योग्य “आंतरिक लाइनिंग”
 3.ग.2. रॉकेट मोटर के लिए प्रयोग योग्य अधिक मात्रा में “तापरोधन” सामग्री
 3.घ.1. “साफ्टवेयर”
 3.घ.2. “साफ्टवेयर”
 3.घ.3. “साफ्टवेयर”

3.ड..1. "प्रौद्योगिकी"

श्रेणी II – मद 4

प्रणोदक, रसायन और प्रणोदक उत्पादन

4.क. कोई नहीं

4.ख.1. "उत्पादन उपकरण"

4.ख.2. "उत्पादन उपकरण"

4.ख.3.क. बैच मिक्सचर

ख. सतत मिक्सचर

ग. द्रव ऊर्जा मिल

घ. धातु पाउडर "उत्पादन उपकरण"

4.ग.1. संश्लिष्ट और संश्लिष्ट संशोधित दोहरा आधारित प्रणोदक

4.ग.2. ईंधन वस्तु

क. हाइड्रोजिन

ख. हाइड्रोजिन व्युत्पन्न

ग. गोलाकार एल्युमिनियम पाउडर

घ. जिरकोनियम, बेरिलियम, मैग्नेशियम और मिश्रित धातु

ड. बोरोन और बोरोन मिश्रित धातु

च. उच्च ऊर्जा घनत्व सामग्री

4.ग.3. परक्लोरेट, क्लोरेट अथवा क्रोमेट

4.ग.4.क. आक्सीकारक वस्तुएं- तरल प्रणोदक रॉकेट इंजन

ख. आक्सीकारक वस्तुएं- ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर

4.ग.5. पॉलिमरिक वस्तुएं

4.ग.6. अन्य प्रणोदक योज्य और एजेन्ट

क. बांडिंग एजेंट

ख. क्यूरिंग अभिक्रिया उत्प्रेरक

ग. दहन दर संशोधक

घ. ईस्टर और प्लास्टिसाइजर

ड. स्थिरक

4.घ.1. "साफ्टवेयर"

4.ड..1. "प्रौद्योगिकी"

श्रेणी II – मद 5

(भावी इस्तेमाल के लिए आरक्षित)

श्रेणी II – मद 6

संरचनात्मक संश्लिष्ट, पायरोलिटिक निक्षेपण और घनत्विकरण व संरचनात्मक वस्तुओं का उत्पादन

- 6.क.1. संश्लिष्ट संरचना, लेमिनेट्स और तत्संबंधी निर्माण
- 6.क.2. पुनर्संतृप्त पायरोलाइज्ड सामग्री
- 6.ख.1.क. फिलामेंट वाइंडिंग मशीन अथवा फाइबर प्लेसमेंट मशीन
- ख. टेप लेयिंग मशीन
- ग. बहु दिशाओं वाले, बहु आयामी बुनाई मशीन अथवा इंटरलेसिंग मशीन
- घ. फाइबरयुक्त अथवा फिलामेंट वाली सामग्रियों के उत्पादन के लिए डिजाइन किए गए अथवा संशोधित किए गए उपकरण
- ड. विशेष फाइबर सतह शोधन के लिए डिजाइन किए गए अथवा संशोधित किए गए उपकरण
- 6.ख.2. नॉजल
- 6.ख.3. आइसोस्टेटिक दाब
- 6.ख.4. रासायनिक वाष्प निक्षेप फर्नेस
- 6.ख.5. घनत्विकरण और पाइरोलिसिस प्रक्रिया के लिए उपकरण और नियंत्रण
- 6.ग.1. रेसिन संसेचित फाइबर प्रेप्रेग और धात्विक आवरण वाले फाइबर प्रीफॉर्म
- 6.ग.2. पुनर्संतृप्त पाइरोलाइज्ड सामग्री
- 6.ग.3. महीन ग्रेफाइट दाना
- 6.ग.4. पाइरोलाइटिक अथवा फाइबरयुक्त दृढीकृत ग्रेफाइट
- 6.ग.5. मिसाइल रेडोम्स के लिए सेरामिक संश्लिष्ट सामग्री
- 6.ग.6. सिलिकॉन कार्बाइड सामग्री
- 6.ग.7. टंगस्टन मॉलीब्डेनम और मिश्रित धातु
- 6.ग.8. मैरेजिंग इस्पात
- 6.ग.9. टाइटेनियम –स्टेबेलाइज्ड डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील
- 6.घ.1. "साफ्टवेयर"
- 6.घ.2. "साफ्टवेयर"
- 6.ड..1. "प्रौद्योगिकी"
- 6.ड..2. "तकनीकी आंकड़ा"

6.ड.3. "प्रौद्योगिकी"

श्रेणी II – मद 7

(भविष्य के इस्तेमाल के लिए आरक्षित)

श्रेणी II – मद 8

(भविष्य के इस्तेमाल के लिए आरक्षित)

श्रेणी II – मद 9

यंत्रीकरण, नौवहन और दिशा का पता लगाना

9.क.1. समेकित उड़ान यंत्र प्रणाली

9.क.2. दिशासूचक -एस्ट्रो कम्पास

9.क.3. संरेखीय एक्सीलेरोमीटर

9.क.4. सभी प्रकार के दिशासूचक यंत्र

9.क.5. एक्सीलेरोमीटर अथवा दिशासूचक यंत्र

9.क.6. जड़त्व अथवा अन्य उपकरण

9.क.7. "समेकित नौवहन प्रणाली"

9.क.8. तीन धुरी वाले चुम्बकीय शीर्षयुक्त संवेदक

9.ख.1. "उत्पादन उपकरण", और अन्य परीक्षण अंशांकन और संरेखण उपकरण

9.ख.2.क. संतुलन मशीन

ख. संकेतक शीर्ष

ग. गति उद्दीपक/ दर सारणी

घ. स्थिति संबंधी सारणी

ड. अपकेंद्री

9.ग. कोई नहीं

9.घ.1. "साफ्टवेयर"

9.घ.2. समेकन "साफ्टवेयर"

9.घ.3. समेकन "साफ्टवेयर"

9.घ.4. समेकन "साफ्टवेयर"

9.घ.1. "प्रौद्योगिकी"

श्रेणी II – मद 10

उड़ान नियंत्रण

- 10.क.1. हाइड्रोलिक, यांत्रिक, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक अथवा विद्युतयांत्रिक उड़ान नियंत्रण प्रणाली
- 10.क.2. प्रवृत्ति नियंत्रण उपकरण
- 10.क.3. उड़ान नियंत्रण सर्वोवाल्ब
- 10.ख.1. परीक्षण अंशांकन और संरेखण उपकरण
- 10.ग. कोई नहीं
- 10.घ.1. “साफ्टवेयर”
- 10.ड..1. एयर हिवकल फ्यूजलेज, प्रणोदन प्रणाली और लिफ्टिंग नियंत्रण सतह के समेकन के लिए ‘प्रौद्योगिकी’ डिजाइन करना
- 10.ड..2. किसी उड़ान प्रबंधन प्रणाली में उड़ान नियंत्रण, दिशा और प्रणोदन आंकड़े के समेकन के लिए ‘प्रौद्योगिकी’ डिजाइन करना
- 10.ड..3. “प्रौद्योगिकी”

श्रेणी II – मद 11

वैमानिकी

- 11.क.1. अल्टीमीटर सहित रडार और लेजर प्रणाली
- 11.क.2. अक्रिय संवेदक
- 11.क.3. प्राप्तकर्ता उपकरण जीएनएसएस अर्थात् जीपीएस, जीएलओएनएसएस अथवा गैलिलियो
- 11.क.4. इलेक्ट्रॉनिक्स संयोजन और संघटक
- 11.क.5. नाभ्य और अंतःस्थिति विद्युतीय संयोजक
- 11.ख. कोई नहीं
- 11.ग. कोई नहीं
- 11.घ.1. “साफ्टवेयर”
- 11.घ.2. “साफ्टवेयर”
- 11.ड..1. डिजाइन “प्रौद्योगिकी”
- 11.ड..2. “प्रौद्योगिकी”

श्रेणी II – मद 12

प्रक्षेपण सहायता

- 12.क.1. उपकरण और औजार
- 12.क.2. वाहन
- 12.क.3. गुरुत्व मीटर (ग्रेवीमीटर), गुरुत्व ग्रेडियोमीटर
- 12.क.4. भू उपकरण सहित भूमापी और भूनियंत्रण उपकरण
- 12.क.5. सूक्ष्म खोज प्रणाली

क. खोज प्रणाली

ख. दूरी यंत्र रडार

12.क.6. तापीय बैट्री

12.ख. कोई नहीं

12.ग. कोई नहीं

12.घ.1. "साफ्टवेयर"

12.घ.2. "साफ्टवेयर"

12.घ.3. "साफ्टवेयर"

12.ड..1. "प्रौद्योगिकी"

श्रेणी II – मद 13

कंप्यूटर्स

13.क.1. एनालॉग अथवा डिजिटल कंप्यूटर अथवा डिजिटल अवकलक विश्लेषक

13.ख. कोई नहीं

13.ग. कोई नहीं

13.घ. कोई नहीं

13.ड..1. "प्रौद्योगिकी"

श्रेणी II – मद 14

एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर

14.क.1. एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर

14.ख. कोई नहीं

14.ग. कोई नहीं

14.घ. कोई नहीं

14.ड..1. "प्रौद्योगिकी"

श्रेणी II – मद 15

परीक्षण सुविधाएं और उपकरण

15.क. कोई नहीं

15.ख.1. कंपन परीक्षण उपकरण

क. कंपन परीक्षण प्रणाली

ख. डिजिटल नियंत्रक

ग. कंपनी प्रक्षेपक (प्रक्षेपक एकक)

घ. परीक्षण भाग सहायक संरचना और इलेक्ट्रॉनिक एकक

15.ख.2. विंड टनल

15.ख.3. परीक्षण बेंच/ स्टैंड

15.ख.4. पर्यावरण चैम्बर

15.ख.5. त्वरक

15.ग. कोई नहीं

15.घ.1. "साफ्टवेयर"

15.ड..1. "प्रौद्योगिकी"

श्रेणी II – मद 16

मॉडलिंग-उद्दीपन व डिजाइन समेकन

16.क.1. हाइब्रिड (संयुक्त एनॉलोग/डिजिटल) कम्प्यूटर

16.,ख. कोई नहीं

16.ग. कोई नहीं

16.घ.1. "साफ्टवेयर"

16.ड..1. "प्रौद्योगिकी"

श्रेणी II – मद 17

गोपनीयता

17.क.1. कम किए हुए पालनीय उपकरण

17.ख.1. रडार क्रास सेक्शन मापन के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गयी प्रणाली

17.ग.1. कम किए हुए पालनीय हेतु सामग्री

17.घ.1. "साफ्टवेयर"

17.ड..1. "प्रौद्योगिकी"

श्रेणी II – मद 18

परमाणु तत्व से सुरक्षा प्रभावित होता है

18.क.1. "विकिरण से कठोर किया हुआ" "सूक्ष्म परिपथ"

18.क.2. "डिटेक्टर"

18.क.3. रेडोम्स

18.ख. कोई नहीं

- 18.ग. कोई नहीं
 18.घ. कोई नहीं
 18.ड..1. "प्रौद्योगिकी"

श्रेणी II – मद 19

अन्य पूर्ण डिलिवरी प्रणाली

- 19.क.1. पूर्ण रॉकेट प्रणाली (≥ 300किमी. दूरी)
 19.क.2. पूर्ण यूएवी प्रणाली (≥ 300 किमी. दूरी)
 19.क.3. पूर्ण यूएवी प्रणाली
 19.ख.1. "उत्पादन सुविधा"
 19.ग. कोई नहीं
 19.घ.1. "साफ्टवेयर"
 19.ड..1. "प्रौद्योगिकी"

श्रेणी II – मद 20

अन्य पूर्ण उप प्रणाली

- 20.क.1.क. व्यक्तिगत रॉकेट चरण
 ख. ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर, हाइब्रिड रॉकेट मोटर अथवा तरल प्रणोदक रॉकेट इंजन
 20.ख.1. "उत्पादन सुविधाएं"
 20.ख.2. "उत्पादन उपकरण"
 20.ग. कोई नहीं
 20.घ.1 "साफ्टवेयर"
 20.घ.2. "साफ्टवेयर"
 20.ड..1. "प्रौद्योगिकी"

इस पूरक अंश में प्रयुक्त इकाई, स्थिरांक, परिवर्णी और संक्षिप्त शब्द
 परिवर्तन सारणी
 समझौता विवरण

प्रस्तावना, परिभाषा, शब्दावली

1. प्रस्तावना

(क) इस पूरक अंश में मदों की दो श्रेणियां हैं, जिनमें प्रयुक्त शब्दों में शामिल है- उपकरण, सामग्री, 'साफ्टवेयर' अथवा 'प्रौद्योगिकी'। श्रेणी एक के मद जो पूरक मद एक और दो में हैं, वे हैं जो अत्यधिक संवेदनशील हैं। यदि श्रेणी एक मद को किसी एक प्रणाली में शामिल कर लिया

जाता है, तो उस प्रणाली को भी उस स्थिति को छोड़कर श्रेणी एक माना जाएगा जब शामिल किए गए मद को न तो अलग किया जा सके, न ही हटाया जा सके अथवा न ही इसकी नकल की जा सके। श्रेणी दो मदें वे हैं जो पूरक अंश में हैं जिन्हें श्रेणी एक में नामोद्दिष्ट नहीं किया गया।

(ख) मद संख्या 1 और 19 में उल्लिखित पूर्ण रॉकेट और मानवरहित आकाशीय वाहन प्रणाली के अंतरण हेतु प्रस्तावित एप्लिकेशन, ऐसी प्रणालियों में अधिक प्रयोग के लिए तकनीकी पूरक मद में सूचीबद्ध उपकरण, सामग्री, 'साफ्टवेयर' अथवा 'प्रौद्योगिकी' की समीक्षा में सरकार समंजन 'दूरी' और 'स्फोटक शीर्ष' की क्षमता को ध्यान में रखेगी।

(ग) **सामान्य प्रौद्योगिकी नोट:**

'प्रौद्योगिकी' हस्तांतरण सीधे सीधे पूरक अंश में नियंत्रित उन किसी वस्तु से संबंधित है जो राष्ट्रीय कानून द्वारा अनुमेय प्रत्येक मद में प्रावधानों के अनुसार अभिनियंत्रित हैं। निर्यात हेतु किसी पूरक अंश की वस्तु का अनुमोदन स्थापना, परिचालन, अनुरक्षण, अथवा वस्तुओं की मरम्मती के लिए अपेक्षित न्यूनतम 'प्रौद्योगिकी' के अंतिम प्रयोक्ता को निर्यात के लिए प्राधिकृत करता है।

नोट:

लोक क्षेत्र में 'अथवा भूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान' में प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण लागू नहीं होता है।

(घ) **सामान्य साफ्टवेयर नोट:**

इस पूरक अंश में 'साफ्टवेयर' अभिनियंत्रित नहीं होता जो या तो:

1. सामान्य रूप से लोगों के लिए निम्न रूप में उपलब्ध है:

क. निम्न के माध्यम से किसी प्रतिबंध के बिना खुदरा बिक्री केन्द्रों पर स्टॉक से बिक्री की जाती है:

1. काउंटर लेन देन पर;

2. डाक ऑर्डर लेनदेन; अथवा

3. इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन; अथवा

4. टेलिफोन कॉल लेनदेन; और

ख. आपूर्तिकर्ता द्वारा आगे के पर्याप्त समर्थन के बिना यूजर द्वारा स्थापित किए जाने हेतु अभिकल्पित।; अथवा

2. "लोक क्षेत्र में"।

नोट:

सामान्य साफ्टवेयर नोट सामान्य उद्देश्य, व्यापक बाजार "साफ्टवेयर" पर ही लागू होते हैं।

(ड.) रासायनिक तत्व सेवा (सीएस) संख्या:

कुछ मामलों में रासायनों को नामों और सीएस संख्या द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। एक ही संरचनात्मक सूत्र (हाइड्रेट सहित) वाले रासायन नाम अथवा सीएस संख्या द्वारा अभिनियंत्रित होते हैं। सीएस संख्या को यह पहचान करने में सहायता करने के लिए दर्शाया जाता है कि क्या एक विशेष रासायन अथवा मिश्रण नामाकरण के निरपेक्ष अभिनियंत्रित है। सीएस संख्या को विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि कतिपय सूचीबद्ध रासायनों में सीएस संख्या भिन्न हो सकती हैं और मिश्रण वाले सूचीबद्ध रासायन में भी भिन्न सीएस संख्या हो सकती है।

2. **परिभाषा**

इस पूरक अंश के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं प्रयुक्त होती हैं:

"परिशुद्धता"

सामान्यतया परिशुद्धता के संदर्भ में मापित होता है, जिसका तात्पर्य एक स्वीकार्य मानक अथवा वास्तविक मान से अधिकतम विचलन, सकारात्मक अथवा नकारात्मक, सूचित मान होता है।

“आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान”

किसी घटना अथवा पर्यवेक्ष्य तथ्यों के मूलभूत सिद्धांतों के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक रूप से किए गए प्रयोगात्मक अथवा सिद्धांत कार्य मुख्य रूप से विशिष्ट व्यवहारिक लक्ष्य अथवा उद्देश्य लक्षित नहीं होता है।

“विकास”

‘उत्पादन’ से पूर्व सभी चरणों से संबंधित होता है यथा:

- डिजाइन
- डिजाइन अनुसंधान
- डिजाइन विश्लेषण
- डिजाइन सिद्धांत
- संयोजन और प्रतिमान परीक्षण
- प्रायोगिक उत्पादन योजना
- डिजाइन संबंधी आंकड़ा
- डिजाइन संबंधी आंकड़े का एक उत्पाद के रूप में बदलने की प्रक्रिया
- विन्यास डिजाइन
- समाकलन डिजाइन
- ले आउट

“लोक क्षेत्र में”

इसका तात्पर्य “साफ्टवेयर” अथवा “प्रौद्योगिकी” है जिसे इसके आगे के प्रसार के लिए प्रतिबंध रहित उपलब्ध कराया गया है। (कॉपी राइट प्रतिबंध में ‘लोक क्षेत्र में’ से ‘साफ्टवेयर’ अथवा ‘प्रौद्योगिकी’ को हटाया जाता है।)

“सूक्ष्म परिपथ”

एक उपकरण जिसमें एक अक्रिय और/ अथवा सक्रिय तत्वों को किसी परिपथ के कार्य को करने के लिए सतत संरचना के भीतर विभाज्य रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है।

“माइक्रो प्रोग्राम”

किसी विशेष भंडारण में अनुरक्षित प्रारंभिक अनुदेशों का एक क्रम जिसका कार्यान्वयन इसके संदर्भ अनुदेश रजिस्टर को लागू कर शुरू किया जाता है।

“स्फोटक शीर्ष”

वह कुल द्रव्यमान जिसे उस विनिर्दिष्ट रॉकेट प्रणाली अथवा मानव रहित आकाशीय वाहन (यूएवी) प्रणाली द्वारा ले जाया जा सकता है जिसका प्रयोग उड़ानों के कार्य में नहीं किया जाता है।

नोट:

“स्फोटक शीर्ष” में लगाए जाने वाले विशेष उपकरण, उप प्रणाली अथवा संघटक विचाराधीन वाहन के प्रकार और अभिविन्यास पर निर्भर करता है।

तकनीकी नोटः

1. बैलिस्टिक मिसाइल

क. पुनर्प्रवेश वाहन (आरवी) को अलग करने वाली प्रणाली के साथ "स्फोटक शीर्ष" में शामिल हैं:

1. आरवी में शामिल हैं:

क. समर्पित दिशानिर्देश, नौवहन और नियंत्रण उपकरण;

ख. समर्पित प्रत्युपाय उपकरण;

2. किसी प्रकार की युद्ध सामग्री (अर्थात् विस्फोटक अथवा गैर विस्फोटक तत्व);

3. युद्ध सामग्री के लिए सहायक ढांचा और तैनाती तंत्र (अर्थात् इसके साथ लगे हार्डवेयर, अथवा बस/ बढावा पश्चात वाहन से आरवी को अलग करना) जिसे किसी वाहन के संरचनात्मक पूर्णता के उल्लंघन के बिना हटाया जा सकता है;

4. सुरक्षा, कवच प्रदान करने, फ्युज लगाने अथवा आग के लिए तंत्र और उपकरण;

5. अन्य कोई प्रत्युपाय उपकरण (अर्थात् नमूना, जैमर अथवा शैफ डिस्पेंसर) जो आरवी बस/पोस्ट बूस्ट वाहन से अलग होता हो;

6. बस/ पोस्ट बूस्ट हिवकल अथवा प्रवृत्ति नियंत्रण / गति व्यवस्था मोड्यूल जिसे इन प्रणालियों/ उप प्रणालियों में शामिल नहीं किया गया, जो अन्य चरणों के परिचालन के लिए आवश्यक होता है।

ख. न पृथक की जाने वाली पुनर्प्रवेश करने वाली प्रणाली युक्त वाहनों के लिए "स्फोटक शीर्ष" में शामिल होता है:

1. किसी भी प्रकार की युद्ध सामग्री (अर्थात् विस्फोटक अथवा गैर विस्फोटक सामग्री);

2. युद्ध सामग्री के लिए सहायक ढांचा और तैनाती तंत्र जिसे उक्त वाहन की बनावट शुद्धता का उल्लंघन किए बिना हटाया जा सकता है;

3. सेफिंग, आर्मिंग, फ्युजिंग अथवा फायरिंग के लिए तंत्र और उपकरण;

4. कोई भी प्रति उपाय वाला उपकरण (अर्थात् नमूना, जैमर अथवा शैफ डिस्पेंसर) जिसे किसी वाहन के बनावट शुद्धता का उल्लंघन किए बिना हटाया जा सकता है।

2. अंतरिक्ष प्रेक्षण वाहन

"स्फोटक शीर्ष" में शामिल होता है:

क. अंतरिक्ष यान (एकल अथवा बहु) जो उपग्रह युक्त हो;

ख. अंतरिक्ष यान – प्रेक्षण वाहन एडाप्टर जिसमें यदि प्रयोज्य हो तो, एपोजी/ पेरीजी किक मोटर अथवा ऐसी ही युक्ति प्रणाली और **पृथक्करण प्रणाली** शामिल होता है।

3. साउंडिंग रॉकेट

"स्फोटक शीर्ष" में शामिल होता है:

क. किसी मिशन के लिए अपेक्षित उपकरण यथा आंकड़ा एकत्र किए जाने, रिकार्ड किए जाने अथवा प्रेषित किए जाने वाले उपकरण जो मिशन विशिष्ट आंकड़े कि लिए हो;

ख. रिकवरी उपकरण (अर्थात् पैराशूट) जिसे किसी वाहन की बनावट शुद्धता का उल्लंघन किए बिना हटाया जा सकता है।

4. कूज मिसाइल

“स्फोटक शीर्ष” में शामिल होता है:

क. किसी भी प्रकार की युद्ध सामग्री (अर्थात् विस्फोटक अथवा गैर विस्फोटक सामग्री);

ख. युद्ध सामग्री के लिए सहायक ढांचा और तैनाती तंत्र जिसे उक्त वाहन की बनावट शुद्धता का उल्लंघन किए बिना हटाया जा सकता है;

ग. सेफिंग, आर्मिंग, फ्युजिंग अथवा फायरिंग के लिए तंत्र और उपकरण;

घ. कोई भी प्रति उपाय वाला उपकरण (अर्थात् नमूना, जैमर अथवा शैफ डिस्पेंसर) जिसे किसी वाहन के बनावट शुद्धता का उल्लंघन किए बिना हटाया जा सकता है।

ड. सिग्नेचर विकल्प उपकरण जिसे किसी वाहन के बनावट शुद्धता का उल्लंघन किए बिना हटाया जा सकता है।

5. अन्य यूएवी

“स्फोटक शीर्ष” में शामिल होता है:

क. किसी भी प्रकार की युद्ध सामग्री (अर्थात् विस्फोटक अथवा गैर विस्फोटक सामग्री);

ख. सेफिंग, आर्मिंग, फ्युजिंग अथवा फायरिंग के लिए तंत्र और उपकरण;

ग. कोई भी प्रति उपाय वाला उपकरण (अर्थात् नमूना, जैमर अथवा शैफ डिस्पेंसर) जिसे किसी वाहन के बनावट शुद्धता का उल्लंघन किए बिना हटाया जा सकता है।

घ. सिग्नेचर विकल्प उपकरण जिसे किसी वाहन के बनावट शुद्धता का उल्लंघन किए बिना हटाया जा सकता है।

ड. किसी मिशन के लिए अपेक्षित उपकरण यथा आंकड़ा एकत्र किए जाने, रिकार्ड किए जाने अथवा प्रेषित किए जाने वाले उपकरण जो मिशन विशिष्ट आंकड़े के लिए हो;

च. रिकवरी उपकरण (अर्थात् पैराशूट) जिसे किसी वाहन की बनावट शुद्धता का उल्लंघन किए बिना हटाया जा सकता है;

छ. युद्ध सामग्री के लिए सहायक ढांचा और तैनाती तंत्र जिसे उक्त वाहन की बनावट शुद्धता का उल्लंघन किए बिना हटाया जा सकता है;

“उत्पादन” का तात्पर्य सभी उत्पादन चरण है अर्थात्:

- उत्पादन इंजीनियरिंग
- निर्माण
- समाकलन
- संयोजन (माउंटिंग)
- जांच
- परीक्षण
- गुणवत्ता आश्वासन

“उत्पादन उपकरण”

इसमें टूलिंग, टेम्प्लेट्स, जिग्स, मेंड्रेल्स, माउल्ड, डाइस, फिक्चर, संरेखण यंत्र, परीक्षण उपकरण, अन्य मशीनरी और संघटक होते हैं, इसलिए ये विशेषकर 'विकास' अथवा 'उत्पादन' के एक या एक से अधिक चरणों के लिए डिजाइन अथवा संशोधन तक सीमित होते हैं।

“उत्पादन सुविधाएं”

का तात्पर्य 'उत्पादन उपकरण' और विशेषरूप से डिजाइन किया गया 'साफ्टवेयर' है इसलिए इसे 'विकास' अथवा 'उत्पादन' के एक या एक से अधिक चरणों के लिए स्थाना में समाकलित किया जाता है।

“प्रोग्राम”

किसी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले रूप जो किसी प्रक्रिया अथवा परिवर्तन योग्य हो, को करने के लिए अनुदेशों का क्रम।

“विकिरण दृढीकरण”

का तात्पर्य यह है कि संघटक अथवा उपकरण को इस प्रकार डिजाइन अथवा रेटिंग किया गया है जो विकिरण स्तर का सहन करता है और जो 5×10^5 रेड्स (एसआई) के कुल प्रदीपन मात्रा को पूरा करता है अथवा उससे अधिक हो जाता है।

“दूरी”

वह अधिकतम दूरी जो विनिर्दिष्ट रॉकेट प्रणाली अथवा मानव रहित अंतरिक्ष यान (यूएवी) प्रणाली होती है जो पृथ्वी की सतह से अपने प्रक्षेपण से प्रेक्षण द्वारा मापे गए अनुसार स्थिर उड़ान के रूप में यात्रा करने में सक्षम होता है।

तकनीकी नोट:

1. किसी प्रणाली की डिजाइन विशेषता के आधार पर अधिकतम क्षमता, जिसे जब ईंधन अथवा प्रणोदक के साथ पूर्णतः लोड किया जाता है तो यह निर्धारित दूरी तक ले जाए जाने पर विचार किया जाएगा।
2. रॉकेट प्रणाली और यूएवी प्रणाली की 'दूरी' का निर्धारण स्वतंत्र रूप से किसी बाह्य कारणों द्वारा निर्धारित किया जाएगा यथा परिचालन प्रतिबंध, टेलिमिटी द्वारा अधिरोपित सीमाएं, आंकड़ा लिंक अथवा अन्य बाह्य बाधाएं।
3. रॉकेट प्रणालियों के लिए 'दूरी' का निर्धारण उस प्रक्षेप पथ का उपयोग करते हुए किया जाएगा जो शून्य हवा के साथ आईसीएओ मानक वायुमंडल को मानते हुए 'दूरी' को अधिकतम करता है।
4. यूएवी प्रणाली के लिए, 'दूरी' का निर्धारण शून्य हवा के साथ आईसीएओ मानक वाले वायुमंडल को मानते हुए सबसे बेहतर ईंधन दक्ष उड़ान प्रोफाइल (अर्थात् क्रूज गति और उंचाई) का प्रयोग करते हुए एक ओर की दूरी को निर्धारित किया जाएगा।

“साफ्टवेयर”

किसी भी मूर्त अभिव्यक्ति माध्यम में निर्धारित एक या एक से अधिक 'प्रोग्राम' अथवा 'माइक्रो प्रोग्राम' का संग्रहण।

“प्रौद्योगिकी”

का तात्पर्य वह विनिर्दिष्ट सूचना है जिसमें किसी उत्पाद के 'विकास', 'उत्पादन' अथवा 'उपयोग' के लिए आवश्यक होता है। इस सूचना में 'तकनीकी आंकड़ा' अथवा 'तकनीकी सहायता' का रूप ले सकता है।

“तकनीकी सहायता”

निम्न रूप ले सकता है यथा:

- अनुदेश
- कौशल
- प्रशिक्षण
- व्यवहार्य ज्ञान
- परामर्शी सेवाएं

“तकनीक आंकड़ा”

निम्न रूप में हो सकता है यथा:

- रूपरेखा
- प्लान
- रेखाचित्र
- मॉडल
- सूत्र
- यांत्रिक डिजाइन और विशिष्टियां
- मैनुअल और अनुदेश जो अन्य माध्यमों अथवा उपकरणों में लिखा या दर्ज हो यथा:
 - डिस्क
 - टेप
 - रीड ऑनी मेमोरी

“उपयोग”

का अर्थ होता है:

- परिचालन
- अधिष्ठापन (स्थल पर अधिष्ठापन सहित)
- अनुरक्षण
- मरम्मती
- पूरी जांच पश्चात मरम्मत
- पुनर्सज्जा

3. शब्दावली

जहां पाठ में निम्नलिखित शब्द आए, उन्हें निम्न दी गयी व्याख्या के अनुसार समझा जाए:

- (क) “विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ” शब्द उपकरण, इसके विभिन्न भागों, संघटकों, सामग्रियों अथवा ‘साफ्टवेयर’ के बारे में बताता है जिसमें ‘विकास’ के परिणामस्वरूप अद्वितीय विशेषताएं होती हैं जो कतिपय पूर्वनिर्धारित उद्देश्यों के लिए इन्हें अंतर करता है। उदाहरणस्वरूप, उपकरण का एक भाग जिसे किसी मिसाइल में इस्तेमाल के लिए ‘विशेष रूप से डिजाइन किए गए’ शब्दों को माना जाएगा इसलिए ताकि इसका अन्य कोई कार्य या इस्तेमाल न हो। उसी प्रकार, निर्माण उपकरण का एक भाग जिसे किसी खास प्रकार के संघटक के उत्पादन के लिए ‘विशेष रूप से डिजाइन’ किया जाता है, पर ही विचार किया जाएगा मानो यह अन्य प्रकार के संघटकों के उत्पादन में सक्षम नहीं है।
- (ख) “डिजाइन किए गए अथवा संशोधित किए गए” उपकरण, उपकरण भाग अथवा संघटकों के बारे में बतलाता है जिसमें ‘संवर्धन’ अथवा ‘संशोधन’ के परिणामस्वरूप विनिर्दिष्ट विशेषताएं होती हैं जो किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त बनाता है। ‘डिजाइन किए गए अथवा संशोधित’ उपकरणों, इनके भागों, संघटकों अथवा ‘साफ्टवेयर’ का इस्तेमाल अन्य अनुप्रयोगों के लिए

किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी मिसाइल के लिए डिजाइन किए गए टाइटेनियम आवरित पंप का इस्तेमाल प्रणोदक के अतिरिक्त क्षयकारी द्रव के साथ किया जा सकता है।

(ग) “में प्रयोग लायक”, “के लिए प्रयोग लायक”, “के रूप में प्रयोग लायक” अथवा “के लिए सक्षम” उन उपकरणों, इनके भागों, संघटकों, सामग्रियों अथवा ‘साफ्टवेयर’ के बारे में बतलाता है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्त होता है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए समनुरूपित, संशोधित अथवा विनिर्दिष्ट करने के लिए उपकरण, इनके भागों, संघटकों अथवा ‘साफ्टवेयर’ की आवश्यकतानहीं होती है। उदाहरण के लिए, किसी नियंत्रित प्रणाली में कोई सैन्य विशिष्टिकरण मेमोरी परिपथ परिचालन में सक्षम होगा।

(घ) “साफ्टवेयर” के संदर्भ में “संशोधित” का तात्पर्य उस “साफ्टवेयर” से है जिसे जानबूझकर इस प्रकार बदला गया है कि इसमें विनिर्दिष्ट उद्देश्यों अथवा अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होने की विशेषताएं होती हैं। इसकी विशेषताएं अन्य उद्देश्यों अथवा अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हो सकती हैं जिसके लिए इसे ‘संशोधित’ किया गया था।

श्रेणी I; मद 1

श्रेणी I

मद 1 पूर्ण डिलिवरी प्रणाली

1.क. उपकरण, असेम्बली और संघटक

1.क.1. पूर्ण रॉकेट प्रणाली (बैलेस्टिक मिसाइल प्रणाली, अंतरीक्ष प्रक्षेपण यान और सांउडिंग रॉकेट सहित) जो कम से कम 500 किग्रा ‘स्फोटक शीर्ष’ से लेकर कम से कम 300 किलोमीटर की ‘दूरी’ की डिलिवरी में सक्षम हो।

1.क.2. पूर्ण मानवरहित अंतरीक्ष यान प्रणाली (कूज मिसाइल प्रणाली, टारगेट ड्रोन और रिकोनाइसेंस ड्रोन सहित) जो कम से कम 500 किग्रा ‘स्फोटक शीर्ष’ और कम से कम 300 किमी. ‘दूरी’ की डिलिवरी में सक्षम हो।

1.ख. परीक्षण और उत्पादन उपकरण

1.ख.1. “उत्पादन सुविधाएं” जो 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया हो।

1.ग. सामग्री

कोई नहीं

1.घ. साफ्टवेयर

1.घ.1. 1.ख में विनिर्दिष्ट ‘उत्पादन सुविधाओं’ के ‘इस्तेमाल’ के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किए गए ‘साफ्टवेयर’।

1.घ.2. 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किए गए एक से अधिक कार्य के लिए समन्वयक का कार्य करने वाला ‘साफ्टवेयर’

1.ड.. प्रौद्योगिकी

1.ड..1. 1.क., 1.ख., अथवा 1.घ. में विनिर्दिष्ट उपकरण या ‘साफ्टवेयर’ के ‘विकास’, ‘उत्पादन’ अथवा ‘इस्तेमाल’ के लिए सामान्य प्रौद्योगिकी नोट के अनुसार ‘प्रौद्योगिकी’।

श्रेणी I; मद 2

मद 2 पूर्ण उपप्रणाली जो पूर्ण डिलिवरी प्रणाली के लिए उपयोगी हो

2.क. उपकरण, असेम्बली और संघटक

2.क.1. पूर्ण उपप्रणाली जो 1.क. में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में उपयोगी हो, निम्न प्रकार है:

क. 1.क. में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में प्रयुक्त विशिष्ट रॉकेट चरण;

ख. गैर शस्त्रीय स्फोटक शीर्ष के लिए डिजाइन किए गए यान के लिए निम्न नोट 2.क.1 में दिए गए को छोड़कर निम्न 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में प्रयोग योग्य डिजाइन किए गए अथवा संशोधित किए गए पुनर्प्रवेश वाले यान:

1. हीट शील्ड और संघटक जो सेरामिक अथवा एब्लेटिव सामग्रियों से तैयार किया गया हो;
2. हीट सिंक और संघटक जिसे हल्के, उच्च ताप क्षमता वाली सामग्रियों से तैयार किया गया हो;
3. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसे पुनर्प्रवेश के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया हो;

ग. **रॉकेट प्रणोदक उप प्रणाली जो 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में प्रयोग योग्य हो, निम्न प्रकार से है:**

1. ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर अथवा हाइब्रिड रॉकेट मोटर जिसमें 1.1×10^6 एनएस के समान अथवा इससे अधिक की कुल आवेग क्षमता हो;
2. तरल प्रणोदक रॉकेट इंजन जिसे किसी एक तरल प्रणोदक संचलन प्रणाली में एकीकृत किए जाने के लिए संघटित अथवा डिजाइन अथवा संशोधित किया गया हो जिसकी कुल आवेग क्षमता 1.1×10^6 एनएस के समान अथवा अधिक हो;

नोट:

तरल प्रणोदक एपोजी इंजन अथवा स्टेशन किपिंग इंजन जिसे 2.क.1.ग.2. में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसे यदि उप प्रणाली को 1केएन से अधिक निर्वात दाब होने पर आशयित उपरोक्त अंतिम प्रयोग को छोड़कर अंतिम प्रयोग वाले विवरण और मात्रात्मक सीमा उचित के अध्यक्षीन निर्यात किए जाने पर उपग्रहों में इस्तेमाल के लिए डिजाइन अथवा संशोधित किया गया हो, को श्रेणी 2 के रूप में माना जा सकता है।

घ. 1.क. में विनिर्दिष्ट प्रणाली में इस्तेमाल योग्य "गाइडेंस सेट", जो 300 किमी. के भीतर 'दूरी' के साथ वाले मिसाइलों अथवा मानव रहित एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन करने के लिए निम्न नोट 2.क.1 में प्रदत्त को छोड़कर 'दूरी' (अर्थात् 10 किमी की 'सीईपी' अथवा 300 किमी की दूरी से कम) के 3.33 प्रतिशत या इससे कम की परिशुद्धता वाली प्रणाली की प्राप्ति में सक्षम;

तकनीकी नोट:

1. गाइडेंस सेट 'किसी यान की स्थिति और गति (अर्थात् नौवहन) के मापन और गणन की प्रक्रिया को संघटित करता है जिससे प्रक्षेप पथ को सही करने के लिए यान की उड़ान नियंत्रण प्रणाली की गणना और प्रेषण आदेश प्राप्त होता है।
2. "सीईपी" (सरकिल ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी) परिशुद्धता का मापन होता है जिसे एक विनिर्दिष्ट दूरी पर लक्ष्य पर केन्द्रित वृत्त की त्रिज्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें स्फोटक शीर्ष प्रभाव 50 प्रतिशत होता है।

ड. श्रस्ट वेक्टर नियंत्रण उप प्रणाली जो 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में इस्तेमाल योग्य होता है, जो रॉकेट प्रणालियों के लिए डिजाइन के लिए निम्न नोट 2.क.1 में के अनुसार को छोड़कर 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणाली 'दूरी' / 'स्फोटक शीर्ष' क्षमता से अधिक नहीं होता है;

तकनीकी नोट:

2.क. 1.ड..में थ्रस्ट वेक्टर नियंत्रण की प्राप्ति की निम्न पद्धतियां शामिल होता है:

क. लचीला नॉजल;

ख. तरल अथवा द्वितीय गैस अंतक्षेपण;

ग. चलयोग्य इंजन अथवा नॉजल;

घ. एक्साउस्ट गैस स्ट्रीम (जेट वेन्स अथवा प्रोब्स) का विक्षेपण;

ड. थ्रस्ट टैब का इस्तेमाल

च. हथियार अथवा वारहेड सेफिंग, आर्मिंग, फ्युजिंग और फायरिंग यंत्र जो 1.क में विनिर्दिष्ट के अलावा अन्य प्रणालियों के लिए विनिर्दिष्ट की गयी प्रणालियों के लिए निम्न 2.क.1 में दिए गए अनुसार प्रणालियों को छोड़कर 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में इस्तेमाल योग्य होता है।

नोट:

उपर्युक्त 2.क. 1.ख., 2.क. 1.घ., 2.क. 1.ड.. और 2.क. 1.च. में दिए गए अपवादों को उपर्युक्त वर्णित अपवादित अंतिम प्रयुक्त के लिए अंतिम प्रयोग संबंधी विवरणों और गुणवत्ता सीमाओं के लिए उपयुक्त के अध्यक्षीन उप प्रणाली को निर्यात किये जाने पर श्रेणी दो के रूप में माना जा सकता है।

2.ख. परीक्षण और उत्पादन उपकरण

2.ख.1. "उत्पादन सुविधाएं" जिन्हें 2.क. में विनिर्दिष्ट उप प्रणालियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।

2.ख.2. "उत्पादन उपकरण" जिसे 2.क में विनिर्दिष्ट उप प्रणालियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।

2.ग. सामग्रियां

कोई नहीं

2.घ. साफ्टवेयर

2.घ.1. "साफ्टवेयर" जिसे 2.ख.1 में विनिर्दिष्ट 'उत्पादन सुविधाओं' के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किया गया।

2.घ.2. "साफ्टवेयर" जिसे 2.क.1.ग में विनिर्दिष्ट रॉकेट मोटर अथवा इंजन के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किया गया।

2.घ.3. "साफ्टवेयर", जिसे 2.क.1.घ में विनिर्दिष्ट 'गाइडेंस सेट' के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किया गया।

नोट:

2.घ.3.में वे "साफ्टवेयर" शामिल हैं जिन्हें 2.क.1.घ. में विनिर्दिष्ट परिशुद्धता की प्राप्ति अथवा अधिक होने के लिए गाइडेंस सेटों के कार्यनिष्पादन में वृद्धि करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन या संशोधित किया गया।

2.घ.4. "साफ्टवेयर" जिसे 2.क.1.ख.3. में विनिर्दिष्ट उप प्रणालियों अथवा उपकरणों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया अथवा संशोधित किया गया।

2.घ.5. "साफ्टवेयर" जिसे 2.क.1.ड.. में प्रणालियों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किया गया।

2.घ.6. "साफ्टवेयर" जिसे 2.क.1.च. में प्रणालियों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किया गया।

नोट:

अपवादित अंतिम इस्तेमाल के लिए उपयुक्त अंतिम प्रयोग विवरणों के अध्यक्षीन 2.घ.2. - 2.घ.6. द्वारा नियंत्रित 'साफ्टवेयर' को निम्न रूप में श्रेणी दो के रूप में माना जा सकता है:

1. 2.घ.2 के अंतर्गत यदि 2.क.1.ग.2 के लिए डिजाइन किए गए अथवा संशोधित किए गए नोट में विनिर्दिष्ट के रूप में उपग्रह अनुप्रयोग के लिए तरल प्रणोदक एपोजी इंजन अथवा स्टेशन कीपिंग इंजन के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किया गया हो;
2. 2.घ.3 के अंतर्गत, यदि 300 किमी की दूरी अथवा मानवचालित यान के साथ मिसाइल के लिए डिजाइन किया गया हो;
3. 2.घ.4 के अंतर्गत, यदि हथियार रहित स्फोटक शीर्ष के लिए डिजाइन किये गए पुनर्प्रवेश करने वाले यान के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किया गया;
4. 2.घ.5 के अंतर्गत, यदि 1.क. में विनिर्दिष्ट प्रणालियों की 'दूरी' 'स्फोटक शीर्ष' क्षमता से अनधिक रॉकेट प्रणाली के लिए डिजाइन किया गया हो;
5. 2.घ.6 के अंतर्गत, यदि 1.क. में विनिर्दिष्ट किए गए के अतिरिक्त अन्य प्रणालियों के लिए डिजाइन किया गया।

2.ड.. प्रौद्योगिकी

- 2.ड..1. 2.क., 2.ख अथवा 2.घ. में विनिर्दिष्ट उपकरण अथवा 'साफ्टवेयर' के विकास, उत्पादन अथवा इस्तेमाल के लिए सामान्य प्रौद्योगिकी नोट के अनुसार 'प्रौद्योगिकी'।

श्रेणी II; मद 3**श्रेणी II****मद 3 प्रणोदन संघटक और उपकरण**

3.क. उपकरण, संयोजन और संघटक

3.क.1. टर्बोजेट और टर्बोफैन इंजन निम्न रूप में:

क. ऐसी इंजन जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हों:

1. 8.89 केएन (प्राप्त गैर स्थापित) के अधिकतम दबाव वाले सिविल प्रमाणित इंजनों को छोड़कर अधिकतम 400 एन से अधिक दबाव मान वाली इंजन (प्राप्त गैर स्थापित); और
2. विनिर्दिष्ट 0.15 किग्रा एन⁻¹ एच⁻¹ ईंधन खपत अथवा इससे कम (**आईसीएओ मानक वायुमंडल का प्रयोग करते हुए समुद्र तल पर स्थिर स्थिति** पर अधिकतम सतत ऊर्जा);

तकनीकी नोट:

3.क. 1.क. 1.में, "अधिकतम दबाव मान" निर्माता के प्रदर्शित अधिकतम दबाव इंजन प्रकार गैर स्थापित के लिए है। सिविल प्रकार प्रमाणित दबाव मान इंजन प्रकार के लिए निर्माता के प्रदर्शित अधिकतम दबाव मान के समान अथवा कम होगा।

क. दबाव अथवा विशिष्ट ईंधन खपत के निरपेक्ष 1.क अथवा 19.क.2 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए डिजाइन अथवा संशोधित किए गए इंजन।

नोट:

3.क. 1 में विनिर्दिष्ट इंजन को मानवयुक्त एयरक्राफ्ट के एक भाग के रूप में निर्यात किया जा सकता है अथवा मानवयुक्त एयरक्राफ्ट के लिए प्रतिस्थापित भागों हेतु उपयुक्त मात्रा में निर्यात किया जा सकता है।

- 3.क.2. दहन को नियंत्रित करने के लिए रामजेट / स्क्रैमजेट / पल्स जेट / "संयुक्त चक्रीय इंजन" जो उपकरण युक्त हो और विशेष रूप से इसके संघटकों को डिजाइन किया गया है, 1.क अथवा 19.क.2 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के प्रयोग लायक होती है।

तकनीकी नोट:

मद 3.क.2 में, "संयुक्त चक्रीय इंजन" वे इंजन होते हैं जो निम्न प्रकार के इंजन के एक या एक से अधिक प्रकार के चक्रों को उपयोग में लाती है: ये इंजन हैं- गैस टर्बाइन इंजन (टर्बोजेट, टर्बोप्रोप, टर्बोफैन और टर्बोशाफ्ट), रामजेट, स्क्रैमजेट, पल्स जेट, पल्स डेटोनेशन इंजन, रॉकेट इंजन, रॉकेट मोटर (तरल/ ठोस प्रणोदक और हाइब्रिड)।

- 3.क.3. रॉकेट मोटर केस, 'इंसुलेशन' संघटक और नोजल इसलिए 1.क अथवा 19.क.1 में विनिर्दिष्ट प्रणाली के लिए उपयोगी है।

तकनीकी नोट:

3.क.3 में 'इंसुलेशन' का तात्पर्य रॉकेट मोटर के संघटकों के लिए प्रयुक्त किया जाना था अर्थात् केस, नोजल इन्लेट, केस क्लोजर में उपचारित अथवा अर्द्ध उपचारित संयुक्त रबर संघटक जिसमें शीट स्टॉक संघटक रोधन अथवा रिफेक्ट्री सामग्री शामिल होता है। इसे दबाव राहत बूट अथवा फ्लेप के रूप में भी निगमित किया जा सकता है।

नोट:

3.ग.2 के संदर्भ में बल्क अथवा शीट फार्म में रोधन 'सामग्री'

- 3.क.4. स्टेजिंग तंत्र, पृथक्करण तंत्र और इंटरस्टेज इसलिए 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में प्रयोग योग्य

नोट:

मद 11.क.5 को भी देखें

- 3.क.5. तरल, गारा और जेल प्रणोदक (आक्सीकारक सहित) नियंत्रण प्रणाली और विशेष रूप से डिजाइन वाले संघटक इसलिए, 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में उपयोग योग्य जिसे 20 हर्ट्ज और 2 किलो हर्ट्ज के बीच 10 ग्राम आरएमएस से अधिक कंपन वातावरण में परिचालित करने के लिए विनिर्दिष्ट अथवा संशोधित।

नोट:

1. 3.क.5 में विनिर्दिष्ट सर्वो वाल्व और पंप निम्नलिखित हैं:

a. प्रवाह दर के लिए डिजाइन किए गए सर्वो वाल्व प्रति मिनट 24 लिटर के समान या इससे अधिक होता है जो परम दाब पर होता है और जो 7 एमपीए के समान अथवा अधिक होता है जिसका 100 एमएस से कम एक्च्यूरेटर रिस्पांस समय होता है।

b. पंप, तरल प्रणोदक जिसमें शाफ्ट लगा होता है, उसकी गति 8000 आरएमपी के समान अथवा इससे अधिक होती है अथवा डिस्चार्ज दबाव 7 एमपीए के समान अथवा इससे अधिक होता है।

2. 3.क.5 में विनिर्दिष्ट प्रणाली और संघटक को सेटलाइट के एक भाग के रूप में निर्यात किया जा सकता है।

- 3.क.6. 2.क.1. ग और 20.क.1.ख में विनिर्दिष्ट हाइब्रिड रॉकेट मोटर के लिए विशेष रूपा से डिजाइन किए गए संघटक।

- 3.क.7. रेडियल बॉल बेयरिंग जिसमें आईएसओ 492 टॉलरेंस क्लास 2 (अथवा एएनएसआई/ एबीएमए स्टैंडर्ड 20 टॉलरेंस क्लास एबीईसी -9 अथवा अन्य राष्ट्रीय समतुल्य) अथवा बेहतर और निम्न विशेषताएं होती हैं:

क. आंतरिक रिंग बोर ब्यास जो 12 और 50 मिलीमीटर के बीच होता है;

ख. आउटर रिंग जो 25 और 100 मिलीमीटर के बीच होता है; और

ग. 10 से 20 मिलीमीटर के बीच की चौड़ाई।

- 3.क.8. मद 4.ग में नियंत्रित प्रणोदकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए तरल प्रणोदक टैंक अथवा अन्य तरल प्रणोदक जिसका 1.क.1 में विनिर्दिष्ट प्रणाली में प्रयोग किया जाता है।
- 3.क.9. "टर्बोप्रोप इंजन प्रणाली" जिसे विशेष रूप से 1.क.2 अथवा 19.क.2 में प्रणाली के लिए डिजाइन किया गया है और विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ संघटक होता है इसलिए इसमें 10 किलोवाट (आईसीएओ मानक वायुमंडलका प्रयोग करते हुए समुद्र तल स्थैतिक स्थितियों पर प्राप्त गैर स्थापित) से अधिक अधिकतम पावर होती है, यह सिविल प्रमाणित इंजनों को छोड़कर है।

तकनीकी नोट:

मद 3.क.9 के उद्देश्यों के लिए "टर्बोप्रोप इंजन प्रणाली" में निम्न सभी चीजें शामिल होती हैं:

क. टर्बोशाफ्ट इंजन; और

ख. किसी नोदक को ऊर्जा अंतरित करने के लिए पावर ट्रांसमिशन।

3.ख. परीक्षण और उत्पादन उपकरण

3.ख.1. 3.क.1., 3.क.2., 3.क.3., 3.क.4., 3.क.5., 3.क.6., 3.क.8., 3.क.9. अथवा 3.C. में विनिर्दिष्ट उपकरण अथवा सामग्रियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए "उत्पादन सुविधाएं"।

3.ख.2. "उत्पादन उपकरण" जिसे विशेषकर 3.क.1., 3.क.2., 3.क.3., 3.क.4., 3.क.5., 3.क.6., 3.क.8., 3.क.9. अथवा 3.C. में विनिर्दिष्ट उपकरणों अथवा सामग्रियों के लिए डिजाइन किया गया।

3.ख.3. फ्लो फॉर्मिंग मशीन और विशेष रूप से डिजाइन किया गया संघटक इसलिए यह:

क. निर्माताओं के अनुसार तकनीकी विशिष्टियों को डिलिवरी पर ऐसी इकाइयों के साथ युक्त न भी हो तो अंकीय नियंत्रण एककों अथवा कंप्यूटर नियंत्रण के साथ युक्त किया जा सकता है; और

ख. इसमें दो से अधिक धूरी होती है जिसे सम्मोच्च रेखांकन नियंत्रण के लिए साथ ही साथ समन्वित किया जा सकता है।

नोट:

इस मद में वे मशीने शामिल नहीं होती हैं जो 1.क. में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए प्रणोदन संघटकों और उपकरण (अर्थात् मोटर केस) के "उत्पादन" में उपयोग योग्य नहीं होता है।

तकनीकी नोट:

इस मद के उद्देश्य के लिए स्पिन फॉर्मिंग और फ्लो फॉर्मिंग के कार्य से जुड़ी मशीनों को फ्लो फॉर्मिंग मशीन माना जाता है।

3.ग. सामग्रियां

3.ग.1. 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में अथवा 19.क.1 अथवा 19.क.2 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए रॉकेट मोटर केसों में प्रयोग योग्य "इंटेरियर लाइनिंग"

तकनीकी नोट:

3.ग.1 में ठोस प्रणोदक और केस अथवा इंसुलेंटिंग लाइनर के बीच बांड इंटरफेस के लिए उपयुक्त 'इंटेरियर लाइनिंग' सामान्यतया एक तरल पॉलीमर होता है जो रिफ्रेक्ट्री के बिखराव अथवा इंसुलेंटिंग सामग्री आधारित होती है अर्थात् कार्बन पूरित एचटीपीबी अथवा अन्य पॉलीमर जिसमें केस इंटेरियर के ऊपर स्प्रे अथवा स्क्रीड किए जाने वाले क्यूरिंग एजेंट होते हैं।

3.ग.2. 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में अथवा 19.क.1 अथवा 19.क.2 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए रॉकेट मोटर केसों में प्रयोग योग्य बड़े आकार वाले "इन्सुलेशन" सामग्री

तकनीकी नोटः

3.ग.2.में 'इन्सुलेशन' को रॉकेट मोटर के संघटकों पर लगाया जाना होता है अर्थात् केस, नॉजल इन्लेट, केस क्लोजर जिसमें क्यूई अथवा सेमी क्यूई कंपाउंड शीट स्टॉक होता है जो इंसुलेटिंग अथवा रिफ्रेक्टरी सामग्री से युक्त होता है। इसे 3.क.3. में विनिर्दिष्ट स्ट्रेस रिलिफ बूट्स अथवा फ्लेप के रूप में भी निगमित किया जा सकता है।

3.घ. साफ्टवेयर

3.घ.1. 3.ख.1. अथवा 3.ख.3. में विनिर्दिष्ट "उत्पादन सुविधाओं" और फ्लो फॉर्मिंग मशीनों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए अथवा संशोधित किए गए "साफ्टवेयर"।

3.घ.2. 3.क.1., 3.क.2., 3.क.4., 3.क.5., 3.क.6. अथवा 3.क.9. विनिर्दिष्ट उपकरण के 'इस्तेमाल' के लिए विशेषरूप से डिजाइन किए गए अथवा संशोधित किए गए "साफ्टवेयर"।

नोटः

1. 3.क.1 में विनिर्दिष्ट इंजन के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए अथवा संशोधित किए गए "साफ्टवेयर" को मानवयुक्त वायुयान के एक भाग के रूप में अथवा "साफ्टवेयर" के प्रतिस्थापन के रूप में निर्यात किया जा सकता है।

2. 3.क.5 में विनिर्दिष्ट प्रणोदक नियंत्रण प्रणाली के इस्तेमाल के लिए विशेषरूप से डिजाइन किए गए अथवा संशोधित किए गए "साफ्टवेयर" को सेटलाइट के भाग के रूप में अथवा "साफ्टवेयर" के प्रतिस्थापन के रूप में निर्यात किया जा सकता है।

3.घ.3. 3.क.2., 3.क.3. अथवा **3.क.4** में विनिर्दिष्ट उपकरण के 'विकास' के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए अथवा संशोधित किए गए "साफ्टवेयर"।

3.ड.. प्रौद्योगिकी

3.ड..1. 3.क.1., 3.क.2., 3.क.3., 3.क.4., 3.क.5., 3.क.6., 3.क.8., 3.क.9., 3.ख., 3.ग. अथवा 3.घ. में विनिर्दिष्ट उपकरणों, सामग्रियों अथवा 'साफ्टवेयर' के "विकास", "उत्पादन", अथवा "इस्तेमाल" के लिए सामान्य प्रौद्योगिकी के अनुसार "प्रौद्योगिकी"

श्रेणी II; मद 4मद 4 प्रणोदक, रसायन और प्रणोदक उत्पादन

4.क. उपकरण, संधियां और संघटक

कोई नहीं

4.ख. परीक्षण और उत्पादन उपकरण

4.ख.1. 4.ग. में विनिर्दिष्ट तरल प्रणोदक अथवा प्रणोदक संघटकों के उत्पादन, संभलाई अथवा स्वीकार्य परीक्षण के लिए 'उत्पादन उपकरण' और विशेष रूप से डिजाइन किए गए संघटका।

4.ख.2. 4.ग. में विनिर्दिष्ट ठोस प्रणोदक अथवा प्रणोदक संघटक के उत्पादन, संभलाई, मिश्रण, क्यूरिंग, कास्टिंग, प्रेसिंग, मशीनिंग, एक्सट्रूडिंग अथवा स्वीकार्य परीक्षण के लिए 4.ख.3 में विनिर्दिष्ट और विशेष रूप से डिजाइन किए गए संघटकों के अलावा "उत्पादन उपकरण"।

4.ख.3. उपकरण निम्न प्रकार हैं और विशेष रूप से डिजाइन किए गए संघटकः

क. बैच मिक्सर जिसमें शून्य से 13.326 केपीए तक निर्वात के अंतर्गत मिश्रण का प्रावधान होता है और जिसमें मिश्रण चैम्बर की तापमान नियंत्रण क्षमता और निम्न सभी चीजें होती हैंः

1. कुल 110 लीटर या इससे अधिक की आयतन क्षमता; और

2. कम से कम एक मिक्सिंग/ नेडिंग शाफ्ट 'जो केन्द्र से दूर रखा जाता है;'

नोट:

मद 4.ख.3.क.2. में मिक्सिंग/नेडिंग शाफ्ट 'शब्द में डेगोलोमिरेटर अथवा नाइफ स्पिडल नहीं माना जाता है।

ख. सतत मिश्रण जिसमें शून्य से 13.326 केपीए में निर्वात के अंतर्गत मिश्रण का प्रावधान होता है और जिसमें निम्न में से किसी मिक्सिंग चैम्बर की तापमान नियंत्रण क्षमता होती है:

1. दो या दो से अधिक मिक्सिंग/ नेडिंग शाफ्ट; अथवा
2. एकल घूर्णन शाफ्ट जो दोलन करता है और जिसमें शाफ्ट पर नेडिंग दांत/ पिन और मिक्सिंग चैम्बर के केंसिंग के भीतर होता है;

ग. तरल ऊर्जा मिल जो 4.ग में विनिर्दिष्ट ग्राइंडिंग अथवा मिलिंग वस्तुओं के लिए इस्तेमाल योग्य होता है;

घ. 4.ग.2.ग., 4.ग.2.घ अथवा 4.ग.2.ङ. में विनिर्दिष्ट नियंत्रित वातावरण, गोलाकार, स्फेरोआइडल अथवा परमाणुकृत सामग्रियों में 'उत्पादन' के प्रयोग के लिए।

नोट:

4.ख.3.घ. इसमें शामिल होता है:

क. प्लाज्मा जेनेरेटर (उच्च आवृत्ति वाले आर्क जेट) जो आर्गन जल पर्यावरण में इस प्रक्रियाके संघटन के साथ स्पुटर्ड अथवा गोलाकार धात्विक पाउडर प्राप्त करने के लिए प्रयोग योग्य है;

ख. इलेक्ट्रोबर्स्ट उपकरण जो आर्गन जल वातावरण में इस प्रक्रिया के संघटन के साथ स्पुटर्ड अथवा गोलाकार धात्विक पाउडर प्राप्त करने के लिए प्रयोग योग्य होता है।

ग. किसी निष्क्रिय माध्यम (अर्थात नाइट्रोजन) में किसी पिघले तत्व को पीसकर गोलाकार एल्युमिनियम पाउडरों के 'उत्पादन' के लिए प्रयोग योग्य उपकरण।

नोट:

1. एकमात्र बैच मिक्सर, सतत मिक्सर, टोस प्रणोदक अथवा प्रणोदक संघटक जिसे 4.ग में विनिर्दिष्ट किया गया है, और 4. ख में विनिर्दिष्ट तरल ऊर्जा मिलें वे ऊर्जा मिलें हैं जो 4.ख.3 में विनिर्दिष्ट हैं।

2. धातु चूर्ण का रूप "उत्पादन उपकरण" जो 4.ख.3.घ में विनिर्दिष्ट नहीं है, जिन्हें 4.ख.2 के अनुसार मूल्यांकित किया जाना होता है।

4.ग. सामग्रियां

4.ग.1. संश्लिष्ट और संश्लिष्ट संशोधित दोहरे बेस वाले प्रणोदक

4.ग.2. ईंधन वस्तुएं निम्न प्रकार से हैं:

क. हाइड्रोजिन (सीएस 302-01-2) जिसमें 70 प्रतिशत से अधिक सान्द्रता होती है;

ख. हाइड्रोजिन व्युत्पन्न निम्नवत है:

1. मोनोमिथाइलहाइड्रोजिन(एमएमएच) (सीएस 60-34-4);

2. अनसिमिट्रिकलडाईमिथलहाइड्राजिन (यूडीएमएच) (सीएएस 57-14-7);
3. हाइड्राजिन मोनोनाइट्रेट;
4. ट्राईमिथाइल हाइड्राजिन (सीएएस 1741-01-1);
5. टेट्रामिथाइलहाइड्राजिन (सीएएस 6415-12-9);
6. एन, एन डायलअल्हायड्राजिन;
7. एलीहाइड्राजिन (सीएएस 7422-78-8);
8. ईथिलिनडाईहाइड्राजिन;
9. मोनोईथाइलहाइड्राजिननाइट्रेट;
10. अनसिमिट्रिकल डायमिथाइलहाइड्राजिन नाइट्रेट;
11. हाईजिनियमजाइज्ड (सीएएस 14546-44-2);
12. डाईमिथालहाईड्राजिनमजाइज्ड;
13. हाईड्राजिनिअमडाईनाइट्रेट;
14. डायइमिडो ऑक्सालिक एसिड डायहाइड्राजिन (सीएएस 3457-37-2);
15. 2- हाईड्रोक्सीइथाइलहाइड्राजिन नाइट्रेट (एचईएचएन);
16. हाइड्राजिनियम परक्लोरेट (सीएएस 27978-54-7);
17. हाइड्राजिनियम डायपरक्लोरेट (सीएएस 13812-39-0);
18. मिथाइलहाइड्राजिन नाइट्रेट (एमएचएन);
19. डायइथालहाइड्राजिन नाइट्रेट (डीईएचएन);
20. 3,6- डाईहाइड्राजिनो टेट्राजिन नाइट्रेट (डीएचटीएन);

तकनीकी नोट:

3,6- डायहाईड्राजिनो टेट्राजिन नाइट्रेट को भी 1, 4- डायहाइड्राजिन नाइट्रेट भी कहा जाता है।

ग. 200×10^{-6} मीटर (200 यूएम) से कम आकार वाले कण में गोलाकार अथवा स्फेरोडल एल्युमिनियम चूर्ण (सीएएस 7429-90-5) और एल्युमिनियम तत्व जिसका भार 97 प्रतिशत या इससे अधिक हो, यदि कुल वजन के कम से कम 10 प्रतिशत को आईएसओ 2592:1988 अथवा राष्ट्रीय समान मानक के अनुसार 63 यूएम से कम आकार वाले कणों से बना हो;

तकनीकी नोट:

250 मेश (टेलर) अथवा 230 मेश (एसटीएम मानक ई-11) के तदनुसार 63 ओम (आईएसओ आर- 565) आकार का एक कण।

घ. निम्न में से किसी भी धातु का चूर्ण: जरकोनियम (सीएएस 7440-67-7), बेरिलियम (सीएएस 7440-41-7), मैग्नेशियम (सीएएस 7439-95-4) अथवा वे मिश्रित धातु जिसमें 60 ओम से कम वजन वाले चूर्ण से बने हों अथवा उनका आयतन कुल चूर्ण का कम से कम 90 प्रतिशत हो (मापन तकनीक द्वारा निर्धारित यथा सीव, लेजर डिफ्रैक्शन अथवा ऑप्टिकल स्केनिंग का

प्रयोग), यह गोलाकार, अणु के आकार, फ्लेकड अथवा पीसा हुआ जिसमें उपर्युक्त किसी भी धातु के वजन का 97 या इससे अधिक प्रतिशत हो;

नोट:

एक मल्टीमॉडल कण वितरण (अर्थात् विभिन्न दाना आकारों का मिश्रण) जिसमें एक या एक से अधिक मोड नियंत्रित होते हैं, वहां संपूर्ण चूर्ण मिश्रण नियंत्रित होते हैं।

तकनीकी नोट:

जरकोनियम (विशिष्ट रूप से 2 प्रतिशत से 7 प्रतिशत) में हेफनियम (सीएएस 7440-58-6) में प्राकृतिक तत्व को जरकोनियम के साथ गणना की जाती है।

ड. बोरॉन (सीएएस 7440-42-8) धातु अथवा बोरॉन मिश्रित धातु का चूर्ण जिसमें 85 प्रतिशत या इससे अधिक वजन का बोरॉन तत्व हो और यदि 60 ओम से कम वजन वाले चूर्ण से बने हों अथवा उनका आयतन कुल चूर्ण का कम से कम 90 प्रतिशत हो (मापन तकनीक द्वारा निर्धारित यथा सीव, लेजर डिफ्रैक्शन अथवा ऑप्टिकल स्केनिंग का प्रयोग), यह गोलाकार, अणु के आकार, फ्लेकड अथवा पीसा हुआ

नोट:

एक मल्टीमोडल कण वितरण (अर्थात् विभिन्न दाना आकार का मिश्रण) जिसमें एक या एक से अधिक मोड नियंत्रित हो, समग्र पाउडर मिश्रण नियंत्रित होते हैं।

च. उच्च ऊर्जा घनत्व सामग्री, जो 1.क. अथवा 19.क. में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में उपयोग लायक हो, निम्न प्रकार है:

1. वे मिश्रित ईंधन जिसमें ठोस और द्रव यथा बोरॉन स्लरी शामिल होता है जिसका द्रव्यमान आधारित ऊर्जा घनत्व 40×10^6 जे/किग्रा या इससे अधिक होता है;
2. अन्य उच्च ऊर्जा घनत्व वाला ईंधन और ईंधन एडिटिव (अर्थात् क्यूबेन, आयनिक विलयन, जेपी-10) जिसमें आयतन आधारित ऊर्जा घनत्व 37.5×10^9 जे/मी.³ अथवा अधिक होता है जिसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड और (101.325 केपीए) दाब पर मापा जाता है।

नोट:

मद 4.ग.2.च.2 जीवाश्म रिफाइंड ईंधन और जैविक ईंधन जिसका उत्पादन वनस्पतियों से होता है जिसमें 1.क अथवा 19.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए विशेष रूप से निरूपित न किए जाने पर नागर विमानन में इस्तेमाल के लिए प्रमाणित इंजन के लिए ईंधन शामिल होता है, नियंत्रित नहीं करता है।

4.ग.3. ऑक्सीकारक/ ईंधन निम्न है:

परक्लोरेट्स, क्लोरेट्स अथवा क्रोमेट्स जो पाउडर वाली धातुओं अथवा अन्य उच्च ऊर्जा वाले ईंधन संघटकों के साथ मिश्रित होते हैं।

4.ग.4. आक्सीकारक वस्तुएं निम्नलिखित हैं:

क. तरल प्रणोदक रॉकेट इंजन में प्रयोग में आने वाले ऑक्सीकारक वस्तुएं निम्न हैं:

1. डायनाईट्रोजन ट्राइऑक्साइड (सीएएस 10544-73-7);
2. नाइट्रोजन डायऑक्साइड (सीएएस 10102-44-0) / डायनाईट्रोजन टेट्राऑक्साइड (सीएएस 10544-72-6);
3. डायनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड (सीएएस 10102-03-1);

4. नाइट्रोजन का मिश्रित ऑक्साइड (एमओएन);
5. संकुचित लाल फ्यूम वाला नाइट्रिक एसिड (आईआरएफएनए) (सीएस 8007-58-7);
6. फ्लोरिन से बने यौगिक और एक या एक से अधिक हैलोजेन, ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन;

नोट:

मद 4.ग.4.क.6. मिसाइल एप्लिकेशन के लिए न इस्तेमाल योग्य के रूप में गैसीय रूप में नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड (एनएफ₃) (सीएस 7783-54-2) को नियंत्रित नहीं करता है।

तकनीकी नोट:

मिश्रित नाइट्रोजन ऑक्साइड (एमओएन) डायनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड/नाइट्रोजन डायऑक्साइड (एन₂ ओ₄/एनओ₂) में नाइट्रिक ऑक्साइड (एनओ) का विलियन होता है जिसे मिसाइल प्रणालियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। संघटक की एक श्रृंखला होती है जिसे एमओएनआई अथवा एमओएनआईजी के द्वारा बतलाया जाता है जहां आई और जे पूर्णांक होते हैं जो इस मिश्रण (अर्थात् एमओएन₃ में 3 प्रतिशत नाइट्रिक आक्साइड, एमओएन₂₅ में 25 प्रतिशत नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। वजन द्वारा एमओएन 40 में 40 प्रतिशत होता है) नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रतिशत को बतलाता है।

ख. ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटरो में प्रयोग आने वाले ऑक्सीकारक वस्तुएं निम्न हैं:

1. अमोनियम परक्लोरेट (एपी) (सीएस 7790-98-9);
2. अमोनियम डायनाइट्रामाइड (एडीएन) (सीएस 140456-78-6);
3. नाइट्रो- एमिनेस (साइक्लोटेट्रामिथिलीन – टेट्रानिट्रेमाइन (एचएमएक्स) (सीएस 2691-41-0); साइक्लोटेट्रामिथिलीन – ट्राइनाइट्रामीन (आरडीएक्स) (सीएस 121-82-4);
4. हाईड्रोजिनियमनाइट्रोफॉर्मेट (एचएनएफ) (सीएस 20773-28-8);
5. 2,4,6,8,10,12-हेक्सानाइट्रोहेक्साजाइसोवुर्टजिटेन (सीएल-20) (सीएस 135285-90-4).

4.ग.5. पॉलीमरिक वस्तुएं निम्न होती हैं:

- क. कार्बोक्सी - टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडिन (कार्बोक्सिल –टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडिन सहित) (सीटीपीबी);
- ख. हाईड्रोक्सी – टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडिन (हाइड्रोक्सिल – टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडिन सहित) (एचटीपीबी);
- ग. ग्लाइसीडायलेजाइड पॉलीमर (जीएपी);
- घ. पॉलीब्यूटेडिन- एक्रिलिक एसिड (पीबीएए);
- ड.. पॉलिब्यूटेडिन – एक्रिलिक एसिड – एक्रिलोनाइट्राइल (पीबीएएन);
- च. पॉलिटेट्राहाइड्रोफ्यूरन पॉलीइथिलिन ग्लाइकोल (टीपीईजी).

तकनीकी नोट:

पॉलिटेट्राहाइड्रोफ्यूरन पॉलिथिलिन ग्लाइकोल (टीपीईजी) पॉली 1,4 –ब्यूटेनिडियोल और पॉलिथिलिन ग्लाइकोल (पीईजी) का एक ब्लॉक को पॉलिमर होता है।

4.ग.6. अन्य प्रणोदक योज्य और एजेंट होता है जो निम्न है:

- क. बॉडिंग एजेंट निम्न होता है:

1. ट्रिस (1-(2-मिथाइल)एजिरिडायनिल) फॉस्फिन ऑक्साइड (एमएपीओ) (सीएएस 57-39-6);
2. 1,1',1"-ट्रिमसोइल- ट्रिस(2-इथाइलजाइरिडिन) (एचएक्स-868, बीटा) (सीएएस 7722-73-8);
3. टेपानॉल (एचएक्स-878), टेट्राइथिलिननेपान्टामाइन, एक्रिलोनाइट्रिल और ग्लाइसिडोल (सीएएस 68412-46-4) का अभिक्रिया उत्पाद;
4. टेपान (एचएक्स-879), टेट्राइथिलिननेपान्टामाइन और एक्रिलोनाइट्रिल (सीएएस 68412-45-3) के अभिक्रिया उत्पाद;
5. आइसोफेथेलिक, ट्राइमेसिक, आइसोसाइनूरिक अथवा ट्राइमेथाइलेडिपिक बैकवोन सहित पॉलिफंक्शनलाजाइराइडिन और 2-मिथाइल अथवा 2-ईथाइल इरिजाइजिन समूह;

नोट:

मद 4.ग.6.क.5. में शामिल होता है:

1. 1,1'-आइसोफिथेलोइल- बिस (2-मिथाइलजाइराडिन) (एचएक्स-752) (सीएएस 7652-64-4);
2. 2,4,6-ट्रिस(2-ईथाइल-1-एरिजाइडिनाइल)-1,3,5-ट्राईजाइन (एचएक्स-874) (सीएएस 18924-91-9);
3. 1,1'-ट्राईइथाइलएडिपोइलबिस (2-ईथाइलजाइराडिन) (एचएक्स-877) (सीएएस 71463-62-2).

ड. क्यूरिंग अभिक्रिया उत्प्रेरक निम्न है:

ट्राईफिनाइल बिसमथ (टीपीबी) (सीएएस 603-33-8);

च. दहन दर संशोधक निम्न है:

1. कार्बोरेंस, डेकाबोरेंस, पेंटाबोरेंस और इसके तत्संबंधी व्युत्पन्न;
2. फेरोसिन व्युत्पन्न निम्नलिखित है:
 - क. केटोसीन (सीएएस 37206-42-1);
 - ख. ईथाल फेरोसीन (सीएएस 1273-89-8);
 - ग. प्रोपाइल फेरोसीन;
 - घ. एन-ब्यूटाइल फेरोसीन (सीएएस 31904-29-7);
 - ड. पेंटाइल फेरोसीन (सीएएस 1274-00-6);
 - च. डायसाक्लोपेंटाइल फेरोसिन;
 - छ. डायसाइक्लोहैक्साइल फेरोससीन;
 - ज. डायइथाइल फेरोसीन (सीएएस 1273-97-8);
 - झ. डायप्रोपाइल फेरोसीन;
 - ञ. डायब्यूटाइल फेरोसीन (सीएएस 1274-08-4);
 - ट. डायहेक्साइल फेरोसीन (सीएएस 93894-59-8);

- ठ. एसिटाइल फेरोसीन (सीएएस 1271-55-2) / 1,1'-डायएसिटाइल फेरोसीन (सीएएस 1273-94-5);
- ड. फेरोसीन कार्बोक्सिल एसिड (सीएएस 1271-42-7) / 1,1'- फेरोसीन डायकार्बोक्सिल एसिड (सीएएस 1293-87-4);
- डू. व्यूटेसिन (सीएएस 125856-62-4);
- ण. रॉकेट प्रणोदक दहन दर संशोधक के रूप में प्रयोग करने योग्य अन्य फेरोसीन व्युत्पन्न;

नोट:

मद 4.ग.6.ग.2.ण उन फेरोसीन व्युत्पन्न को नियंत्रित नहीं करता है जिसमें छह कार्बन एरोमेटिक फंक्शनल समूह होता है जो फेरासीन अणुओं से जुड़ा होता है।

घ. ईस्टर्स और प्लास्टिसाइजर निम्न हैं:

1. ट्राइइथिलीन ग्लाइकॉल डायनाइट्रेट (टीयईजीडीएन) (सीएएस 111-22-8);
2. ट्राईमिथाइलोलेथेन ट्राइनाइट्रेट (टीएमईटीएन) (सीएएस 3032-55-1);
3. 1,2,4-ब्यूटेनट्राइओल ट्राइनाइट्रेट (बीटीटीएन) (सीएएस 6659-60-5);
4. डायइथिलीन ग्लाइकॉल डायनाइट्रेट (डीईजीडीएन) (सीएएस 693-21-0);
5. 4,5 डायडायडोमिथाइल 1-2-मिथाइल-1,2,3-ट्राईजोल (आईएसओ- डीएमटीआर);
6. नाइट्राटोइथाइलनाइट्रामिन (एनईएनए) आधारित प्लास्टिसाइजर्स, निम्न हैं:

क. मिथाइल - एनईएनए (सीएएस 17096-47-8);

ख. इथाइल- एनईएनए (सीएएस 85068-73-1);

ग. ब्यूटाइल -एनईएनए (सीएएस 82486-82-6);

7. डायनाइट्रोप्रोपाइल आधारित प्लास्टिसाइजर निम्न हैं:

- a. क. बिस (2,2-डायनाइट्रोप्रोपाइल) एसीटेल (बीडीएनपीए) (सीएएस 5108-69-0);
- b. ख. बिस (2,2- डायनाइट्रोप्रोपाइल) औपचारिक (बीडीएनपीएफ) (सीएएस 5917-61-3);

ड. स्टेबिलाइजर निम्न हैं:

1. 2-नाइट्रोडायफिनाइलएमीन (सीएएस 119-75-5);
2. एन-मिथाइल-पी-नाइट्रोएनिलाइन (सीएएस 100-15-2).

4.घ. साफ्टवेयर

4.घ.1. 4.ग में विनिर्दिष्ट सामग्रियों के उत्पादन और संभलाई के लिए 4.ख में विनिर्दिष्ट उपकरणों के परिचालन अथवा अनुरक्षण के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किए गए "साफ्टवेयर"।

4.ड.. प्रौद्योगिकी

4.ड..1 4.ख और 4.ग. में विनिर्दिष्ट उपकरणों अथवा सामग्रियों को 'विकसित करने', 'उत्पादन करने', अथवा 'इस्तेमाल करने' के लिए सामान्य प्रौद्योगिकी नोट के अनुसार 'प्रौद्योगिकी' के अनुसार 'प्रौद्योगिकी'।

श्रेणी II; मद 5**भावी इस्तेमाल के लिए आरक्षित****मद 6 बनावट संयोजन, पायरोलिटिक क्षेपण और घनत्विकरण और संरचनात्मक सामग्री का उत्पादन****6.क. उपकरण, एसेम्बली और संघटक**

6.क.1. समिश्र संरचना, लेमिनेट और निर्माण जिसे 1.क, 19.क.1 अथवा 19.क.2 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों और 2.क अथवा 20.क में विनिर्दिष्ट उप प्रणालियों में प्रयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया।

6.क.2. पुनर्संतुप्त पायरोलाइज्ड (अर्थात् कार्बन-कार्बन) संघटक जिसमें निम्न सभी चीजें हों:

क. रॉकेट प्रणालियों के लिए डिजाइन किया गया; और

ख. 1.क अथवा 19.क.1 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए प्रयोग योग्य।

6.ख. परीक्षण और उत्पादन उपकरण

6.ख.1. निम्नवत 1.क, 19.क.1 अथवा 19.क.2 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों और संघटकों और इनसे संबद्ध विशेष रूप से डिजाइन किए गए एक्सेसरीज में प्रयोग में लाए जाने योग्य संरचना समिश्र, फाइबर, प्रीप्रेज अथवा प्रीफॉर्म के उत्पादन के लिए उपकरण :

क. फिलामेंट वाइंडिंग मशीन अथवा फाइबर प्लेसमेंट मशीन जिसमें पोजिशनिंग, रेपिंग और वाइंडिंग फाइबर के लिए गति को तीन अथवा इससे अधिक धुरी में समन्वित या बनाया जा सकता है जिसे समिश्र संघटक संरचना अथवा फाइबरस अथवा फिलामेंट्री सामग्री से लेमिनेट और समन्वित और प्रोग्राम नियंत्रण के लिए डिजाइन किया जाता है;

ख. टेप लेयिंग मशीन जिसमें पोजिशनिंग के लिए गति और लेयिंग टेप और शीट को दो या इससे अधिक की धुरी पर समन्वित या प्रोग्राम किया जा सकता है जिसे संश्लिष्ट एयरफ्रेम और मिसाइल संरचना के निर्माण के लिए डिजाइन किया जाता है;

ग. बहु दिशा वाले, बहु आयामी बुनाई मशीन अथवा इंटरलेसिंग मशीन जिसमें संश्लिष्ट ढांचे के निर्माण के लिए एडॉप्टर और बुनाई, इंटरलेसिंग अथवा ब्रेडिंग फाइबर हेतु संशोधक किटें होती हैं;

नोट:

6.ख. 1.ग. अंतिम कथित इस्तेमाल के लिए संशोधित न किए गए टेक्सटाइल मशीनरी को नियंत्रित नहीं करता है।

घ. फाइबर अथवा फिलामेंट्री सामग्री के निर्माण के लिए डिजाइन किए गए अथवा संशोधित किए गए उपकरण निम्न प्रकार हैं:

1. तापन के दौरान फाइबर के स्ट्रेन के लिए विशेष प्रावधान के सहित पॉलीमरिक फाइबर (यथा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, रेयान अथवा पॉलीकार्बोसिलेन) में परिवर्तित करने वाले उपकरण;

2. गर्म फिलामेंट सबस्ट्रेट पर तत्वों अथवा यौगिकों के वाष्पण निक्षेप के लिए उपकरण;

3. रिफेक्ट्री सेरामिक (यथा एल्युमिनियम ऑक्साइड) के गीले स्पीनिंग के लिए उपकरण;

ड. रॉलर, टेंशन स्ट्रेचर, कोटिंग उपकरण, कटाई उपकरण और क्लिकर डायज सहित उत्पादक प्रीप्रेज और प्रीफॉर्म के लिए विशेष फाइबर सतह शोधन के लिए डिजाइन किए गए अथवा संशोधित किए गए उपकरण।

नोट:

6.ख. 1 में विनिर्दिष्ट मशीनों के लिए संघटकों और एक्सेसरीजों के उदाहरण प्रीफॉर्म प्रेसिंग, क्यूरिंग, कास्टिंग, सिंटेरिंग अथवा संश्लिष्ट संरचना के बॉडिंग, लेमिनेट्स और निर्माण के लिए माउल्ड, मेंड्रेल, डायज, फिक्सचर और टूलिंग हैं।

6.ख.2. नोजल जिसे 6.ड.3 में संदर्भित प्रक्रियाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया

6.ख.3. आईसोस्टेटिक प्रेसेज जिसमें निम्न सभी विशेषताएं होती हैं-

क. अधिकतम कार्य दबाव जो 69 एमपीए के बराबर या इससे अधिक की होती है;

ख. 600 डिग्री सें. या इससे अधिक के तापमान पर नियंत्रित तापीय वातावरण को पाने और बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया; और

ग. 254 मिली. या इससे अधिक के व्यास के साथ चैम्बर केविटी होना

6.ख.4. रसायनिक वाष्प निक्षेप फर्नेस जिसे कार्बन-कार्बन संश्लिष्ट के घनत्विकरण के लिए डिजाइन या संशोधित किया गया।

6.ख.5. 6.ख.3 अथवा 6.ख.4 में विनिर्दिष्ट किए गए उपकरण के अलावा उपकरण और प्रक्रिया नियंत्रण जिसे संरचनात्मक संश्लिष्ट रॉकेट और पुनर्प्रवेश यान नोज टिप के घनत्विकरण और पाइरोलिसिस के लिए डिजाइन किया गया अथवा संशोधित किया गया।

6.ग. सामग्री

6.ग.1. 6.क.1 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए रेसिन इंफ्रीगनेटेड फाइबर प्रीप्रेस और धात्विक परत वाले फाइबर प्रीफार्म जिसे 7.62×10^4 की विनिर्दिष्ट टेंसिल शक्ति से अधिक तथा 3.18×10^6 मीटर की विनिर्दिष्ट मोड्यूलस वाले फाइबरस अथवा फिलामेंट्री रिइन्फोर्समेंट का उपयोग करते हुए कार्बनिक मैट्रिक्स अथवा धात्विक मैट्रिक्स से बना ।

नोट:

6.ग.1 में विनिर्दिष्ट एकमात्र रेसिन इंफ्रीगनेटेड फाइबरप्रेप्रेस वे होते हैं जो एएसटीएमडी 4065 अथवा राष्ट्रीय समतुल्य द्वारा निर्धारित कि गए अनुसार 145 डिग्रीसे अधिक (क्यूर के बाद) के ग्लास ट्रांजिशन तापमान के साथ रेसिन का उपयोग करते हैं।

तकनीकी नोट:

1. मद 6.ग.1 में 'विशिष्ट टेंसिल स्ट्रेंथ' एन/एम³ में विशिष्ट वजन द्वारा विभाजित एन/एम² में अंतिम टेंसिल शक्ति होती है जिसे (296 ± 2) के $((23 \pm 2)$ सें.) और सापेक्षिक आर्द्रता $(50 \pm 5)\%$ पर मापा जाता है।

2. 6.ग.1 मद में 'विशिष्ट मोड्यूल' एन/एम² में यंग मोड्यूल है जिसे $(296 \pm 2)K$ $((23 \pm 2)$ सें.) के तापमान पर मापित एन/एम³ और सापेक्षिक आर्द्रता $(50 \pm 5)\%$ द्वारा विशिष्ट वजन द्वारा विभाजित किया जाता है।

6.ग.2. पुनर्संतृप्त पाइरोलाइज्ड (अर्थात् कार्बन-कार्बन) सामग्री जिसमें निम्न सभी चीजें हों-

क. रॉकेट प्रणाली के लिए डिजाइन किया गया; और

ख. 1.क अथवा 19.क.1 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में उपयोग योग्य।

6.ग.3. 15⁰ सें. पर मापित कम से कम 1.72 ग्राम/सीसी के थोक घनत्व के साथ फाइन ग्रेन ग्रेफाइट और एक ग्रेन का आकार 100×10^{-6} मी. (100 ओम) अथवा इससे कम, जो रॉकेट नोजल और पुनर्प्रवेश वाले वाहन नोज टिप के लिए इस्तेमाल योग्य हो और जिसे निम्नलिखित उत्पादों में से किसी के लिए भी यांत्रिकृत किया जा सके:

क. 120 मिली. या इससे अधिक व्यास और 50 एमएम या इससे अधिक की लंबाई वाले सिलेंडर;

ख. 65 एमएम या इससे अधिक के व्यास और 25 एमएम या इससे अधिक की मोटाई तथा 50 मिली. या इससे अधिक की लंबाई वाले आंतरिक व्यास वाले ट्यूब; अथवा

ग. 120 एमएम x 120 एमएम x 50 एमएम या अधिक आकार के ब्लॉक।

6.ग.4. 1.क अथवा 19.क.1 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में उपयोग होने वाले रॉकेट नोजल और पुनर्प्रवेश वाहन के लिए इस्तेमाल योग्य रिइन्फोर्सड पाइरोलिटिक अथवा फाइबरस।

6.ग.5. सेरामिक संश्लिष्ट सामग्री (100 मेगाहर्ट्ज से 100 गिगाहर्ट्ज तक की किसी भी आवृत्ति पर 6 से कम के डाईइलेक्ट्रिक स्थिरांक) जिसका इस्तेमाल 1.क अथवा 19.क.1 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में इस्तेमाल योग्य मिसाइल रेडोम्स में इस्तेमाल होता हो।

6.ग.6. सिलिकॉन-कार्बाइड सामग्रियां जो निम्न प्रकार हैं:

क. बल्क यांत्रिकरण योग्य सिलिकन कार्बाइड रिइंफोर्स्ड अनफायर्ड सेरामिक जो 1.क अथवा 19.क.1 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में इस्तेमाल योग्य हो;

ख. रिइंफोर्स्ड सिलिकन कार्बाइड सेरामिक कंपोजिट जो 1.क अथवा 19.क.1 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में उपयोग योग्य नोज टिप, पुनर्प्रवेश यान, नोजल फ्लेप के लिए इस्तेमाल योग्य हो।

6.ग.7. 1.क., 19.क.1 अथवा 19.क.2 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में मिसाइल संघटकों के निर्माण के लिए सामग्री निम्न है:

क. एक कण के रूप में टंगस्टन और मिश्रित धातु जिसमें टंगस्टन का वजन 97 प्रतिशत और इससे अधिक और कण का आकार 50×10^{-6} एम (50 ओम) अथवा इससे कम हो;

ख. एक कण के रूप में मोलिब्डेनम और मिश्रित धातु जिसमें मोलिब्डेनम का वजन 97 प्रतिशत और इससे अधिक और कण का आकार 50×10^{-6} एम (50 ओम) अथवा इससे कम हो;

ग. निम्न विशेषताएं वाले ठोस रूप में टंगस्टन सामग्री:

1. निम्न में से कोई भी सामग्री संघटक:

- i. टंगस्टन और मिश्रित धातु जिसमें टंगस्टन का वजन 97 प्रतिशत या इससे अधिक हो;
- ii. कॉपर इंफिल्टर्ड टंगस्टन में टंगस्टन का वजन 80 प्रतिशत या इससे अधिक हो; अथवा
- iii. सिलवर इंफिल्टर्ड टंगस्टन जिसमें टंगस्टन का वजन 80 प्रतिशत या इससे अधिक हो; और

2. निम्न में से किसी भी उत्पादों के लिए यांत्रिकरण किए जाने योग्य:

- i. सिलेंडर जिसका व्यास 120 एमएम अथवा इससे अधिक और लंबाई 50 एमएम या इससे अधिक हो;
- ii. ट्यूब जिसका आंतरिक व्यास 65 एमएम या इससे अधिक और दीवार की मोटाई 25 एमएम या इससे अधिक तथा लंबाई 50 एमएम या इससे अधिक हो; अथवा
- iii. ब्लॉक जिसका आकार 120 एमएम x 120 एमएम x 50 एमएम अथवा अधिक हो।

6.ग.8. मैराजिंग इस्पात जो 1.क. अथवा 19.क.1. में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में इस्तेमाल योग्य हो तथा जिसमें निम्न सभी विशेषताएं हों:

क. 20° से. पर मापित समान या अधिक अंतिम टेसिल दृढ़ता वाला:

1. सोल्युशन एनिल्ड स्तर में 0.9 जीपीए; अथवा
2. अवक्षेपण हार्डेड चरण में 1.5 जीपीए; और

ख. निम्न में से कोई भी रूप:

1. 5.0 एमएम के समान या इससे कम की दीवार या प्लेट मोटाई वाले शीट, प्लेट अथवा ट्यूबिंग; अथवा
2. ट्यूबलर रूप जिसके दीवार की मोटाई 50 एमएम हो और आंतरिक व्यास 270 एमएम के बराबर या अधिक हो।

तकनीकी नोट:

मैराजिंग इस्पात लौह मिश्रित धातु होता है:

क. सामान्य रूप से उच्च निकेल, अत्यधिक निम्न कार्बन तत्व वाला तथा इस मिश्रित धातु की मजबूती व आयु ठोसीकरण उत्पन्न करने के लिए सब्सटीच्युशनल तत्व अथवा अवक्षेप का इस्तेमाल होता हो; और

ख. मार्टेनसिटिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया (विलयन एनेल्ड चरण) को सुकर बनाने के लिए ताप शोधन चक्र के अध्यक्षीन और बाद में एज हार्डेड (अवक्षेप हार्डेड चरण)।

6.ग.9. 1.क. अथवा 19.क.1 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में इस्तेमाल योग्य और निम्न सभी विशेषताओं वाले टाइटेनियम स्टेबिलाइज्ड ड्यूपलेक्स स्टेलेस स्टील (टीआई -डीएसएसस):

क. निम्न सभी विशेषताओं के साथ:

1. क्रोमियम का 17.0 - 23.0 वजन प्रतिशत और निकेल का 4.5 - 7.0 वजन प्रतिशत;
2. 0.10 से अधिक वजन प्रतिशत वाले टाइटेनियम संघटक; और
3. फेरिटिक -आउस्टेनिक माइक्रोस्ट्रक्चर (दो फेज माइक्रोस्ट्रक्चर के रूप में भी संदर्भित) जिसमें ऑस्टेनाइड का आयतन कम से कम 10 प्रतिशत हो (एसटीएम- 1181-87 के अनुसार अथवा राष्ट्रीय समतुल्य); और

ख. निम्न में से कोई भी रूप:

1. इंगोत्स अथवा बार जिसका आकार प्रत्येक आयाम में 100 एमएम या इससे अधिक हो;
2. शीट जिसकी चौड़ाई 600 एमएम या इससे अधिक हो और मोटाई 3 एमएम या इससे कम हो; अथवा
3. ट्यूब जिसका बाहरी व्यास 600 एमएम अथवा अधिक हो और दीवार की मोटाई 3 एमएम या इससे कम हो।

6.घ. साफ्टवेयर

6.घ.1. 6.ख.1 में विनिर्दिष्ट उपकरण के परिचालन अथवा अनुरक्षण के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किए गए "साफ्टवेयर"।

6.घ.2. 6.ख.3., 6.ख.4. अथवा 6.ख.5. में विनिर्दिष्ट उपकरण के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किए गए "साफ्टवेयर"।

6.ड.. प्रौद्योगिकी

6.ड..1. 6.क., 6.ख., 6.ग. अथवा 6.घ. में विनिर्दिष्ट उपकरण, सामग्रियों अथवा 'साफ्टवेयर' के विकास, उत्पादन और इस्तेमाल के लिए सामान्य प्रौद्योगिकी नोट के अनुसार 'प्रौद्योगिकी'।

6.ड..2. "तकनीकी आंकड़ा" (प्रसंस्करण स्थिति सहित) और आटोकलेव अथवा हाइड्रोक्लेव में तापमान, दाब अथवा वायुमंडल के नियंत्रण के लिए प्रक्रिया जिसे संश्लिष्ट अथवा आंशिक रूप से प्रसंस्कृत संश्लिष्ट उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह 6.क. अथवा 6.ग. में विनिर्दिष्ट उपकरण अथवा सामाग्री के लिए इस्तेमाल योग्य होता है।

6.ड..3. प्रीकर्सर गैसों से मोल्ड, मेंड्रेल अथवा अन्य सबट्रेट पर बने पाइरोलिटिकली व्युत्पन्न सामग्रियों का उत्पादन करने वाली "प्रौद्योगिकी" जो सामग्री 1,300° से. से 2,900° से. तापमान और 130 पीए(1एमएम एचजी) से लेकर 20 केपीए (150 एमएम एचजी) के दाब पर संघटित होता है और इसमें प्रीकर्सर गैसों, फ्लो दरों और प्रक्रिया नियंत्रण अनुसूची और मानकों के संघटन के लिए 'प्रौद्योगिकी' होती है।

श्रेणी II; मद 7

भावी इस्तेमाल के लिए आरक्षित

श्रेणी II; मद 8

भावी इस्तेमाल के लिए आरक्षित

श्रेणी II; मद 9**मद 9 यंत्रीकरण, नौवहन और दिशासूचक**

9.क. उपकरण, संयोजन और संघटक

9.क.1. समेकित उड़ान यंत्र प्रणाली जिसमें दिक्सूचक स्थिरक अथवा स्वचालित पायलट होता है जिसे 1.क., अथवा 19.क.1. अथवा 19.क.2. में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में इस्तेमाल के लिए डिजाइन अथवा संशोधित किया गया है और इसलिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया संघटक होता है।

9.क.2. दिक्सूचक - खगोलीय कंपास और अन्य उपकरण जो स्वचालित ट्रेकिंग आकाशीय पिंडों अथवा उपग्रहों के माध्यमों से स्थिति परिवर्तन अथवा अभिविन्यासित करता है और इसलिए यह विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ संघटक है।

9.क.3. सरिखीय एक्सिलेरोमीटर, जिसे जड़त्वीय नौवहन प्रणाली अथवा सभी प्रकार के प्रणालियों में प्रयोग के लिए डिजाइन किया गया, जो 1.क., 19.क.1., अथवा 19.क.2. में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में उपयोग योग्य है, जिसमें निम्न सभी विशेषताएं हैं और इन्हें विशेष रूप से डिजाइन किए हुए संघटक हैं:

क. "स्केल फेक्टर" "रिपिटेबिलिटी" जो 1250 पीपीएम से कम (बेहतर) होता है; और

ख. "बियास" "रिपिटेबिलिटी" 1250 माइक्रोग्राम से कम (बेहतर) होता है।

नोट:

मद 9.क.3. एक्सिलेरोमीटर को नियंत्रित नहीं करता है जिसे विशेष रूप से निम्न छिद्र बेहतर सेवा परिचालन में इस्तेमाल के लिए छेद करते समय मापन (एमडब्लूडी) संवेदक के रूप में डिजाइन किया गया।

तकनीकी नोट:

1. "बियास" को एक्सिलेरोमीटर आउटपुट के रूप में परिभाषित किया गया है जब कोई एक्सिलेरेटन नहीं लगाया जाता है।

2. "स्केल फेक्टर" को आउटपुट में बदलाव के अनुपात को इनपुट में बदलाव के रूप में परिभाषित किया जाता है।

3. "बियास" और "स्केल फेक्टर" के मापन को एक वर्ष की अवधि में नियत अंशांकन के संबंध में एक सिग्मा मानक विचलन के रूप में माना जाता है।

4. "रिपिटेबिलिटी" को **रिपिटेबिलिटी (दिक्सूचक, एक्सिलेरोमीटर) शीर्ष वाले परिभाषा खंड पैराग्राफ 2.214 में जड़त्व संवेदी शब्दावली 528-2001 के लिए** आईईईईई मानक के अनुसार परिभाषित किया गया है जो निम्न प्रकार से है: 'भापों के बीच होने वाली शर्तों अथवा गैर परिचालन अवधि में परिवर्तन के तहत उसी चर के बार बार मापन में संधि की निकटता।'

9.क.4. 1.क., 19.क.1, अथवा 19.क.2. में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में प्रयोग योग्य सभी प्रकार के दिक्सूचक जिसमें 1 जी. वातावरण में प्रति घंटा 0.5 डिग्री (1 सिग्मा अथवा आरएमएस) से कम 'ड्रिफ्ट दर' 'स्थिरता' होती है और जो विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ संघटक होता है।

तकनीकी नोटः

1. "ट्रिप्ट दर" को दिक्सूचक आउटपुट के संघटक के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कार्यमूलक रूप से इनपुट घूर्णन में स्वतंत्र होता है और जिसे कोणीय दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। (आईईईई मानक 528- 2001 पैराग्राफ 2.56)
2. "स्टेबिलिटी" को किसी नियत परिचालन स्थिति में सतत रूप से खुला होने पर स्थिर रहने के लिए विशिष्ट तंत्र अथवा कार्यनिष्पादन गुणक की क्षमता के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है। (इस परिभाषा का तात्पर्य डायनामिक अथवा सर्वो स्टेबिलिटी नहीं है।) (आईईईई मानक 528-2001 पैराग्राफ 2.247)

9.क.5. एक्सिलेरोमीटर अथवा किसी भी प्रकार का दिक्सूचक यंत्र जिसे जड़त्व नौवहन प्रणाली अथवा सभी प्रकार के मार्गनिर्देशन प्रणाली में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया जाता है जो 100 जी. से अधिक त्वरण स्तर पर कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट होता है और इसे विशेष रूप से संघटक के रूप में डिजाइन किया गया है।

नोटः

9.क.5.में वे एक्सिलेरोमीटर शामिल नहीं होता जिसे कंपनी अथवा झटके के मापन के लिए डिजाइन किया गया है।

9.क.6. 9.क.3 अथवा 9.क.5 में विनिर्दिष्ट एक्सिलेरोमीटर अथवा 9.क.4 अथवा 9.क.5. में विनिर्दिष्ट दिक्सूचक और ऐसे उपकरणों को शामिल करती प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए जड़त्व अथवा अन्य उपकरण और विशेष रूप से डिजाइन किए गए संघटक।

9.क.7. "समेकित नौवहन प्रणाली", 1.क., 19.क.1. अथवा 19.क.2. में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए डिजाइन किया गया अथवा संशोधित किया गया तथा 200 मीटर सीईपी अथवा इससे कम की नौवहन परिशुद्धता प्रदान करने की क्षमता।

तकनीकी नोटः

एक "समेकित नौवहन प्रणाली" में विशिष्ट रूप से निम्न सभी संघटक शामिल होते हैं:

- क. एक जड़त्व मापन उपकरण (अर्थात् एक मुद्रा और हेडिंग संदर्भ प्रणाली अथवा जड़त्व संदर्भ इकाई अथवा जड़त्व नौवहन प्रणाली);
- ख. एक या एक से अधिक बाह्य संवेदक जिनका प्रयोग स्थिति को अद्यतन करने और/ अथवा गति, जो उड़ान में आवधिक रूप से अथवा सतत रूप से हो, के लिए प्रयुक्त होता है (अर्थात् उपग्रह नौवहन प्राप्तक, रडार अल्टीमीटर, और/ अथवा डॉप्लर रडार); और
- ग. समेकित हार्डवेयर और साफ्टवेयर.

एन.बी. साफ्टवेयर 'समाकलन के लिए मद 9.घ.4 को देखें।

9.क.8. तीन धुरी वाले चुम्बकीय शीर्ष संवेदक जिसमें निम्न सभी विशेषताएं होती हैं और जिनमें विशेष रूप से डिजाइन किए हुए संघटक होते हैं:

- क. पिच में आंतरिक टिल्ट कंपंशंसन (+/- 90 डिग्री) और (+/- 180 डिग्री) एक्सेस वाले रॉल।
- ख. +/- 80 डिग्री वाली ऊंचाई पर 0.5 डिग्री आरएमएस से बेहतर (कम) एजिमुथल परिशुद्धता प्रदान करने में सक्षम जिसका उल्लेख स्थानिक चुम्बकीय क्षेत्र के लिए किया गया. और
- ग. उड़ान नियंत्रण और नौवहन प्रणाली के साथ समाकलित किए जाने के लिए डिजाइन अथवा संशोधित किए गए।

नोटः

मद 9.क.8. में उड़ान नियंत्रण और नौवहन प्रणालियों में जायरोस्टेबिलाइजर, स्वचालित पायलट और जड़त्व नौवहन प्रणाली शामिल है।

9.ख. परीक्षण और उत्पादन उपकरण

9.ख.1. "उत्पादन उपकरण", और अन्य परीक्षण, अंशांकन व संरेखन उपकरण, जिनका उल्लेख 9.ख.2 में नहीं किया गया है, जिसे 9.क में विनिर्दिष्ट उपकरणों के साथ प्रयोग किए जाने के लिए डिजाइन अथवा संशोधित किया गया।

नोट:

9.ख.1. में विनिर्दिष्ट उपकरण में निम्नलिखित शामिल है:

क. लेजर जायरो उपकरण के लिए दर्शाए गए अथवा बेहतर परिशुद्धता वाले मिरर की विशेषता बताने के लिए निम्न उपकरण का प्रयोग किया जाता है:

1. स्केटेरोमीटर (10 पीपीएम);
2. रिफ्लेक्टोमीटर (50 पीपीएम);
3. प्रोफाइलोमीटर (5 एंग्सट्रॉम);

ख. अन्य जड़त्व उपकरण के लिए:

1. जड़त्व मापन इकाई (आईएमयू) मोड्यूल टेस्टर;
2. आईएमयू प्लेटफार्म टेस्टर;
3. आईएमयू स्टेबल एलेमेंट हैंडलिंग फिक्सचर;
4. आईएमयू प्लेटफार्म बैलेंस फिक्सचर;
5. जायरो ट्यूनिंग टेस्ट स्टेशन;
6. जायरो डायनॉमिक बैलेंस स्टेशन;
7. जायरो रन इन/ मोटर टेस्ट स्टेशन;
8. जायरो इवेक्वेशन एंड फिलिंग स्टेशन;
9. जायरो बेयरिंग के लिए अपकेंद्री फिक्सचर;
10. एक्सिलेरोमीटर एक्सिस एलाइन स्टेशन;
11. एक्सिलेरोमीटर टेस्ट स्टेशन;
12. फायबर ऑप्टिक जायरो क्वायल वाइडिंग मशीन।

9.ख.2. उपकरण निम्न प्रकार से हैं:

क. बैलेंसिंग मशीन जिसमें निम्न सभी विशेषताएं होती हैं:

1. 3 किलोग्राम से अधिक द्रव्यमान वाले रोटर / एसेम्बली को संतुलित नहीं करने में सक्षम;
2. 12,500 आरपीएम से अधिक गति वाले रोटरों/ एसेम्बली को संतुलित करने में सक्षम;
3. दो या इससे अधिक प्लेनों में असंतुलन को सही करने में सक्षम; और
4. मोटर द्रव्यमान के 0.2 जी एमएम प्रति किग्रा के अवशिष्ट विशिष्ट असंतुलन के लिए संतुलन में सक्षम;

- ख. 9.ख.2.क. में विनिर्दिष्ट मशीनों के साथ इस्तेमाल के लिए डिजाइन अथवा संशोधित किए गए संकेतक शीर्ष (कभी कभी इसे संतुलन यंत्रीकरण के नाम से भी जाना जाता है।);
- ग. निम्न सभी विशेषताओं वाले मोटर उद्दीपक/ दर सारणी (उद्दीपन गति में सक्षम उपकरण):
1. दो या दो से अधिक एक्स;
 2. विद्युतीय शक्ति, संकेत सूचना अथवा दोनों को अंतरित करने में सक्षम स्लिपरिंग अथवा समेकित गैर संबद्ध उपकरण वाले उपकरणों को शामिल करने के लिए डिजाइन किए गए अथवा संशोधित किए गए; और
 3. निम्न में से कोई भी विशेषताएं:
 - क. निम्न सभी विशेषताओं के साथ कोई भी एकल धुरी:
 1. 400 डिग्री/ अथवा इससे अधिक, 30 डिग्रीय या इससे कम की दर में सक्षम; और
 2. 6 डिग्री के समान अथवा इससे कम और 0.6 डिग्री के समान अथवा इससे कम की परिशुद्धता वाले दर वियोजन;
 - ख. बदतर केस दर स्थिरता जो 10 डिग्री या इससे अधिक के औसत पर 0.05 प्रतिशत अधिक या कम के समान या बेहतर (कम) हो; अथवा
 - ग. 5 आर्क सेकेंड के समान अथवा कम (बेहतर) परिशुद्धता वाली स्थिति;
- घ. निम्नलिखित विशेषताओं वाली स्थिति सारणी (किसी भी एक्सेस में स्पष्ट घूर्णन स्थिति के लिए सक्षम उपकरण):
1. दो एक्सेस या इससे अधिक; और
 2. 5 आर्क सेकेंड के समान अथवा कम (बेहतर) परिशुद्धता वाली स्थिति;
- ड. 100 ग्राम से अधिक त्वरण देने में सक्षम अपकेंद्री औरविद्युतीय शक्ति, संकेत सूचना अथवा दोनों को अंतरित करने में सक्षम स्लिपरिंग अथवा समेकित गैर संबद्ध उपकरण वाले उपकरणों को शामिल करने के लिए डिजाइन किए गए अथवा संशोधित किए गए अथवा दोनों।

नोट:

1. एकमात्र संतुलन मशीन, संकेतक शीर्ष, गति उद्दीपक, दर सारणी, स्थिति सारणी और अपकेंद्री जिन्हें मद 9 में विनिर्दिष्ट किया गया है और ये 9.ख.2 में विनिर्दिष्ट हैं।
2. 9.ख.2.क. दंत्य अथवा अन्य चिकित्सीय उपकरणों के लिए डिजाइन अथवा संशोधित किए गए संतुलन मशीनों को नियंत्रित नहीं करता है।
3. 9.ख.2.ग. और 9.ख.2.घ. मशीन टूल्स अथवा चिकित्सीय उपकरण के लिए डिजाइन किए गए अथवा संशोधित रोटरी सारणी को नियंत्रित नहीं करता है।
4. दर सारणी को 9.ख.2.ग. द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है और स्थिति संबंधी सारणी के विशेषताओं को 9.ख.2.घ. के अनुसार आकलित किया जाता है।
5. वे उपकरण जिसमें 9.ख.2.घ. में विनिर्दिष्ट विशेषताएं होती हैं, जो 9.ख.2.घ की विशेषताओं को भी पूरा करता है, उन्हें 9.ख.2.ग. में विनिर्दिष्ट उपकरण के रूप में माना जाएगा।
6. मद 9.ख.2.ग यह बतलाता है कि स्लिपरिंग अथवा समेकित गैर संपर्क उपकरण निर्यात समय के लिए लगाया जाता है या नहीं।

7. मद 9.ख.2.ड.. यह बतलाता है कि स्लिपरिंग अथवा समेकित गैर संपर्क उपकरण निर्यात समय के लिए लगाया जाता है या नहीं।

9.ग. सामग्री
कोई नहीं।

9.घ. साफ्टवेयर

9.घ.1. 9.क अथवा 9.ख में विनिर्दिष्ट उपकरण के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए "साफ्टवेयर"।

9.घ.2. 9.क.1 में विनिर्दिष्ट उपकरण के लिए समाकलन 'साफ्टवेयर'।

9.घ.3. 9.क.6 में विनिर्दिष्ट उपकरण के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए समाकलन 'साफ्टवेयर'।

9.घ.4. 9.क.7. में विनिर्दिष्ट 'एकीकृत नौवहन प्रणाली' के लिए डिजाइन अथवा संशोधित किए गए समाकलन 'साफ्टवेयर'।

नोट:

समाकलन 'साफ्टवेयर' के सामान्य रूप में कालमन फिल्टरिंग प्रवृत्त करता है।

9.ड.. प्रौद्योगिकी

9.ड..1.9.क., 9.ख. अथवा 9.घ. में विनिर्दिष्ट उपकरण अथवा "साफ्टवेयर" के विकास, उत्पादन अथवा इस्तेमाल के लिए सामान्य प्रौद्योगिकी नोट के अनुसार "प्रौद्योगिकी"।

नोट:

9.क. अथवा 9.घ में विनिर्दिष्ट उपकरण अथवा "साफ्टवेयर" जिसे ऐसे अनुप्रयोगों के प्रतिस्थापन भागों के लिए पर्याप्त मात्रा में मानवयुक्त यान, सेटेलाइट, भूयान, मरीन/सबमरीन जहाज अथवा भूभौतिकी सर्वेक्षण उपकरण के भाग के रूप में निर्यात किया जा सकता है।

श्रेणी II; मद 10

मद 10 उड़ान नियंत्रण

10.क. उपकरण, एसेम्बली और संघटक

10.क.1. 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए डिजाइन अथवा संशोधित किए गए हाइड्रोलिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल अथवा इलेक्ट्रोमैकेनिकल फ्लाइट नियंत्रण प्रणाली (फ्लाई वाय वायर प्रणाली सहित)।

10.क.2. 1.क. में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए डिजाइन या संशोधित किए गए एटिज्युड नियंत्रण उपकरण।

10.क.3. 10.क.1 अथवा 10.क.2 में प्रणालियों के लिए डिजाइन या संशोधित किए गए उड़ान नियंत्रण सर्वो वाल्व और 20 हर्ट्ज से 2 किलो हर्ट्ज के बीच 10 जीआरएमएस से अधिक के चर वातावरण में परिचालन के लिए किये गए डिजाइन या संशोधन।

नोट:

10.क में विनिर्दिष्ट प्रणाली, उपकरण अथवा वाल्व जो मानवयुक्त एयरक्राफ्ट के प्रतिस्थापन भागों के लिए मानव युक्त यान या सेटेलाइट के भाग के रूप में या उपयुक्त मात्रा में निर्यात किया जा सकता है।

10.ख. परीक्षण और उत्पादन उपकरण

10.ख.1. 10.क में विनिर्दिष्ट उपकरण के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उपकरण का परीक्षण, अंशांकन और संरक्षण।

- 10.ग. सामग्री
कोई नहीं
- 10.घ. साफ्टवेयर
- 10.घ.1. 10.क अथवा 10.ख में विनिर्दिष्ट उपकरण के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन या संशोधित किए गए 'साफ्टवेयर'।

नोट:

10.घ.1 में विनिर्दिष्ट "साफ्टवेयर" जिसे मानव युक्त यान हेतु प्रतिस्थापन के लिए मानवयुक्त यान या सेटेलाइट के भाग के रूप में या उचित मात्रा में निर्यात किया जा सकता है।

10.ड. प्रौद्योगिकी

- 10.ड..1. मानव रहित अंतरिक्ष यान के फ्लाइट रिजिम में एयरोडायनामिक कार्यनिष्पादन को इष्टतम करने के लिए 1.क अथवा 19.क. में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए डिजाइन अथवा संशोधित किए गए वायुयान फ्युजलेज, प्रणोदन प्रणाली और लिफ्टिंग नियंत्रण सतह के समाकलन के लिए डिजाइन "प्रौद्योगिकी"।
- 10.ड..2. रॉकेट प्रणाली ट्रेजेक्टरी के इष्टतम उपयोग के लिए 1.क अथवा 19.क.1 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए डिजाइन किए गए अथवा संशोधित किए गए उड़ान नियंत्रण, दिशानिर्देशन और प्रणोदन आंकड़े को उड़ान प्रबंधन प्रणाली में समाकलन के लिए डिजाइन 'प्रौद्योगिकी'।
- 10.ड..3. 10.क., 10.ख. अथवा 10.घ. में विनिर्दिष्ट उपकरण अथवा 'साफ्टवेयर' के विकास, उत्पादन अथवा उपयोग के लिए सामान्य प्रौद्योगिकी नोट के अनुसार "प्रौद्योगिकी"।

श्रेणी II; मद 11

मद 11 एवियोनिक

- 11.क. उपकरण, एसेम्बली और संघटक
- 11.क.1. रडार और लेजर रडार प्रणाली जिसमें अल्टीमीटर होता है जिसे 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए डिजाइन अथवा संशोधित किया गया है।

तकनीकी नोट:

लेजर रडार प्रणाली में लोकेशन, रेडियल गति और बॉडी रिफ्लेक्शन विशेषताओं द्वारा इको रेंजिंग, दिशा का पता लगाने और लक्ष्यों में अंतर के लिए लेजरों के उपयोग के लिए विशेषीकृत ट्रांसमिशन, स्कैनिंग, रिसिविंग और सिगनल प्रोसेसिंग तकनीक होती है।

- 11.क.2. 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में इस्तेमाल के लिए डिजाइन या संशोधित किए गए विशिष्ट विद्युत चुम्बकीय स्रोत (दिशा सूचक उपकरण) अथवा टेरेन विशेषताओं हेतु बेयरिंग निर्धारण के लिए अक्रिय सेंसर।
- 11.क.3. वैश्विक नौवहन सेटेलाइट प्रणाली (जीएनएसएस अर्थात् जीपीएस, जीएलओएनएसएस अथवा गैलेलियो) के लिए प्राप्त उपकरण जिसमें निम्न में से कोई एक विशेषता हो और जिसके उसके अनुरूप विशेष रूप से डिजाइन किया गया हो:
- क. 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में इस्तेमाल के लिए डिजाइन अथवा संशोधित किया गया; अथवा
- ख. निम्न में से किसी भी विशेषता वाले तथा एयरबोर्न अनुप्रयोग के लिए डिजाइन या संशोधित किए गए:

1. 600 मीटर/सेकेंड से अधिक की गति पर नौवहन सूचना प्रदान करने में सक्षम;

2. जीएनएसएस सेक्युर सिग्नल/ आंकड़ा प्राप्त करने के लिए सैन्य अथवा सरकारी सेवाओं के लिए डिजाइन या संशोधित किए गए डेक्रिप्टेशन को लगाना; अथवा
3. सक्रिय या अक्रिय प्रति उपाया के माहौल में कार्य करने के लिए जाम रोधी विशेषताओं (अर्थात् नल स्टीयरिंग एंटीना अथवा इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयेबल एंटीना) को प्रवृत्त करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए।

नोट:

- 11.क.3.ख.2. और 11.क.3.ख.3. वाणिज्य, असैन्य अथवा 'जीवन सुरक्षा' (अर्थात् डाटा इंटीग्रिटी, उड़ान सुरक्षा) जीएनएसएस सेवा के लिए डिजाइन किए गए उपकरण को नियंत्रित नहीं करते हैं।
- 11.क.4. 1.क. अथवा 19.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में इस्तेमाल के लिए संशोधित अथवा डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक एसेम्बली और संघटक तथा 125 डिग्री सें. की अधिकता में तापमान पर सैन्य इस्तेमाल और परिचालन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए।

नोट:

1. 11.क में विनिर्दिष्ट उपकरण में निम्न शामिल होता है:
 - क. टैरेन कंटोर मैपिंग उपकरण;
 - ख. सीन मैपिंग और कोरलेशन (डिजिटल और एनॉलोग) उपकरण;
 - ग. डॉप्लर नौवहन रडार उपकरण;
 - घ. पैसिव इंटरफेरोमीटर उपकरण;
 - ड. इमेजिंग सेंसर उपकरण (सक्रिय और अक्रिय दोनों)।
2. 11.क में विनिर्दिष्ट उपकरण को मानवयुक्त यान के प्रतिस्थापन भागों के लिए मानवयुक्त यान या सेटेलाइट के भाग के रूप में या उपयुक्त मात्रा में निर्यात किया जा सकता है।

- 11.क.5. 1.क.1 अथवा 19.क.1 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए अम्बलिकल और इंटरस्टेज इलेक्ट्रिकल कनेक्टर।

तकनीकी नोट:

11.क.5 में संदर्भित इंटरस्टेज कनेक्टर में 1.क.1 अथवा 19.क.1 और उनके स्फोटक शीर्ष'के बीच स्थापित इलेक्ट्रिकल कनेक्टर भी शामिल होता है।

- 11.ख. परीक्षण और उत्पादन उपकरण
कोई नहीं
- 11.ग. सामग्री
कोई नहीं
- 11.घ. साफ्टवेयर
- 11.घ.1. 11.क.1, 11.क.2 अथवा 11.क.4. में विनिर्दिष्ट उपकरण के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन या संशोधित किए गए "साफ्टवेयर"।
- 11.ड.2. 11.क.3 में विनिर्दिष्ट उपकरण के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए "साफ्टवेयर"।
- 11.ड. प्रौद्योगिकी

- 11.ड..1. बाहरी स्रोतों से विद्युतीय चुम्बकीय पल्स (ईएमपी) और विद्युतीय चुम्बकीय इंटरफेरेंस (ईएमआई) खतरों से एवियोनिक और विद्युतीय उप प्रणालियों की रक्षा के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन निम्न प्रकार है:
- क. शील्डिंग प्रणाली के लिए 'प्रौद्योगिकी' को डिजाइन करना;
- ख. हार्डेंड इलेक्ट्रिक सर्किट और उपप्रणाली के कंफिगेशन के लिए 'प्रौद्योगिकी' डिजाइन करना;
- ग. उपर्युक्त के लिए हार्डेंनिंग मानदंड के निर्धारण के लिए 'प्रौद्योगिकी' को डिजाइन करना।
- 11.ड..2. 11.क अथवा 11.घ. में विनिर्दिष्ट उपकरण अथवा सॉफ्टवेयर के विकास, उत्पादन और इस्तेमाल के लिए सामान्य प्रौद्योगिकी नोट के अनुसार 'प्रौद्योगिकी'।

श्रेणी II; मद 12

मद 12 प्रक्षेपण सहायक

- 12.क. उपकरण, एसेम्बली और संघटक
- 12.क.1. 1.क. 19.क.1 अथवा 19.क.2 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों की संभलाई, नियंत्रण, एक्टिवेशन और प्रक्षेपण के लिए डिजाइन और संशोधित किए गए उपस्कर अथवा उपकरण।
- 12.क.2. 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के परिवहन, संभलाई, नियंत्रण, एक्टिवेशन और प्रक्षेपण के लिए डिजाइन अथवा संशोधित किए गए यान।
- 12.क.3. 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के उपयोग योग वायु जनित अथवा समुद्री उपयोग के लिए डिजाइन अथवा संशोधित किए गए गुरुत्व मीटर (ग्रेवीमीटर) ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर जो निम्न है और विशेष रूप से डिजाइन किए गए संघटक होते हैं:
- क. ग्रेविटी मीटर में निम्न सभी चीजें होती हैं:
1. 0.7 मिलीगेल (एमजीएएल) के समान अथवा इससे कम (बेहतर) स्थैतिक अथवा आपरेशनल परिशुद्धता; और
 2. दो मिनट या इससे कम के लिए स्टीडी-स्टेट पंजीकरण समय;
- ख. गुरुत्व ग्रेडियोमीटर।
- 12.क.4. टेलिमिटी और टेलिकंट्रोल उपकरण जिसमें ग्राउंड उपकरण हो जिसे 1.क, 19.क.1 अथवा 19.क.2 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए डिजाइन अथवा संशोधित किया जाता है।
- नोट:
1. 12.क.4. मानवयुक्त यान अथवा सेटेलाइट के लिए डिजाइन किए गए अथवा संशोधित किए गए उपकरण को नियंत्रित नहीं करता है।
 2. 12.क.4. आकाशीय अथवा समुद्री अनुप्रयोग के लिए डिजाइन किए गए अथवा संशोधित किए गए ग्राउंड आधारित उपकरण को नियंत्रित नहीं करता है।
 3. 12.क.4. वाणिज्यक, असैन्य अथवा 'जीवन सुरक्षा' (अर्थात् आंकड़ा संबंधी निष्ठा, उड़ान संबंधी सुरक्षा) जीएनएसएस सेवाओं के लिए डिजाइन किये गए उपकरण को नियंत्रित नहीं करता है।

- 12.क.5. प्रिसिजन ट्रेकिंग प्रणाली, जो 1.क., 19.क.1. अथवा 19.क.2 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के उपयोगी निम्न प्रकार है:
- क. ट्रेकिंग प्रणाली जिसमें इनफ्लाइट स्थिति और गति के रियल टाइम प्रबंधन प्रदान करने के लिए सरफेस अथवा एयरबोर्न संदर्भ अथवा नौवहन सेटेलाइट प्रणाली के सहयोग से रॉकेट अथवा मानवरहित यान पर अवस्थित ट्रांसलेटर कोड का इस्तेमाल किया जाता है;
- ख. रेंज इंस्ट्रुमेंट रडार में निम्नलिखित सभी क्षमताओं के साथ संबद्ध ऑप्टिकल/ इन्फ्रारेड ट्रेकर्स होता है:
1. एंगुलर रिजोल्यूशन जो 1.5 एमआरएडी से बेहतर होता है;
 2. 10 मीटर आरएमएस से बेहतर रिजोल्यूशन के साथ 30 किमी या इससे अधिक की दूरी; और
 3. 3 मीटर/ सेकेंड से बेहतर गति रिजोल्यूशन.
- 12.क.6. 1.क., 19.क.1 अथवा 19.क.2 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए डिजाइन किए गए अथवा संशोधित किये गए तापीय बैट्री
- नोट:
- मद 12.क.6. रॉकेट प्रणाली अथवा मानवरहित अंतरिक्ष यान के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए तापीय बैट्री को नियंत्रित नहीं करता है जो 300 किमी. के बराबर अथवा इससे अधिक की दूरी के लिए सक्षम नहीं होता है।
- तकनीकी नोट:
- तापीय बैट्री एक बार प्रयोग करने वाली बैट्री होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ठोस गैर चालक अकार्बनिक लवण होता है। इन बैट्रियों में पायरोलेटिक सामग्री होती है जिसे चालू किए जाने पर यह इलेक्ट्रोलाइट को पिघलाता है और बैट्री को सक्रिय बनाता है।
- 12.ख. परीक्षण और उत्पादन उपकरण
- कोई नहीं.
- 12.ग. सामग्री
- कोई नहीं
- 12.घ. साफ्टवेयर
- 12.घ.1. 12.क.1 में विनिर्दिष्ट उपकरण के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किए गए "साफ्टवेयर"।
- 12.घ.2. 1.क., 19.क.1. अथवा 19.क.2 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किए गए "साफ्टवेयर" जो यान के समग्र उड़ान पथ की यान स्थिति के निर्धारण में सक्षम हुए उड़ान पश्चात आंकड़े के रिकार्ड को संसाधित करता है।
- 12.घ.3. 12.क.4 अथवा 12.क.5 में विनिर्दिष्ट उपकरण के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किए गए "साफ्टवेयर" जो 1.क. 19.क.1 अथवा 19.क.2 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए प्रयोग योग्य हो।
- 12.ड.. प्रौद्योगिकी
- 12.ड.1. 12.क. अथवा 12.घ. में विनिर्दिष्ट उपकरण अथवा साफ्टवेयर के विकास, उत्पादन अथवा इस्तेमाल के लिए सामान्य प्रौद्योगिकी नोट के अनुसार "प्रौद्योगिकी"।

श्रेणी II; मद 13

मद 13 कंप्यूटर

- 13.क. उपकरण, एसेम्बली और संघटक

- 13.क.1. एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर अथवा डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर जिसे 1;क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में इस्तेमाल के लिए डिजाइन अथवा संशोधित किया गया है और जिसमें निम्न में से कोई भी होता है:
- क. निम्न माइनस 45 डिग्री सें. से लेकर उच्चतम 55 डिग्री सें. के बीच तापमान पर सतत परिचालन के लिए रेटेड; अथवा
- ख. रगेडाइज्ड अथवा रेडियेशन हार्डेड के रूप में डिजाइन।
- 13.ख. परीक्षण और उत्पादन उपकरण
कोई नहीं
- 13.ग. सामग्रियां
कोई नहीं
- 13.घ. साफ्टवेयर
कोई नहीं
- 13.ड. प्रौद्योगिकी
- 13.ड.1. 13.क में विनिर्दिष्ट उपकरण के विकास, उत्पादन और इस्तेमाल के लिए सामान्य प्रौद्योगिकी नोट के अनुसार “प्रौद्योगिकी”।

नोट:

मद 13 के उपकरण को मानवयुक्त यान के भाग के रूप में अथवा सेटेलाइट अथवा मानवयुक्त यान के प्रतिस्थापन भागों के लिए उपयुक्त मात्रा में निर्यात किया जा सकता है।

श्रेणी II; मद 14

मद 14 डिजिटल कन्वर्टर के लिए एनालॉग

- 14.क. उपकरण, एसेम्बली और संघटक
- 14.क.1. 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों में प्रयोग योग्य एनालॉग टू डिजिटल कनवर्टर जिसमें निम्न विशेषताएं हों:
- क. रगेडाइज्ड उपकरण के लिए सैन्य विशिष्टियों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया; अथवा
- ख. सैन्य उपयोग के लिए डिजाइन अथवा संशोधित किया गया और निम्न में से किसी भी प्रकार का-
1. एनालॉग टू डिजिटल कंवर्टर माइक्रोसर्किट जो रेडियेशन हार्डेड हो अथवा निम्न सभी विशेषताएं हों:
- क. बायनरी प्रणाली में कोडयुक्त होने पर 8 बिट्स या इससे अधिक की क्षमता के तदनुसारी विभाजक वाले;
- ख. -54° सें. निम्न से लेकर अधिकतम +125° सें. के तापमान में परिचालन के लिए रेटेड; और
- ग. हर्मेटिकली सील्ड; अथवा
2. विद्युतीय इनपुट प्रकार के एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर प्रिंटेड बोर्ड अथवा मोड्यूल जिसमें निम्न सभी विशेषताएं हों:
- क. बायनरी प्रणाली में कोड किए जाने पर 8 बिट्स या इससे अधिक के तदनुसारी विभाजक वाले;
- ख. -45 डिग्री सें. से लेकर +55 डिग्री सें. के बीच तापमान में परिचालन के लिए रेटेड; और
- ग. 14.क.1.ख.1 में विनिर्दिष्ट माइक्रोसर्किट को समाहित करना।
- 14.ख. परीक्षण और उत्पादन उपकरण

- कोई नहीं.
- 14.ग. सामग्री
कोई नहीं
- 14.घ. साफ्टवेयर
कोई नहीं.
- 14.ड.. प्रौद्योगिकी
- 14.ड..1. 14.क. में विनिर्दिष्ट उपकरण के विकास, उत्पादन अथवा इस्तेमाल के लिए सामान्य प्रौद्योगिकी नोट के अनुसार 'प्रौद्योगिकी'।

श्रेणी II; मद 15

मद 15 परीक्षण सुविधाएं और उपकरण

- 15.क. उपकरण, एसेम्बली और संघटक
कोई नहीं
- 15.ख. परीक्षण और उत्पादन उपकरण
- 15.ख.1. कंपनी परीक्षण उपकरण जो 1.क, 19.क.1 अथवा 19.क.2 में विनिर्दिष्ट प्रणाली अथवा 2.क अथवा 20.क में विनिर्दिष्ट उपकरणों के लिए उपयोग योग्य होता है और इसके संघटक निम्न प्रकार हैं:
- क. कंपनी परीक्षण प्रणाली जिसमें फीडबैक अथवा बंद लूप तकनीक होते हैं और जिसमें डिजिटल कंट्रोलर को समाहित किया जाता है जो 'बेयर टेबल' मापित 50केएन के समान या इससे अधिक के बल देने के दौरान 20 हर्ट्ज और 2 किलो हर्ट्ज के बीच 10 ग्राम के बराबर अथवा इसके समान त्वरण पर किसी प्रणाली में कंपनी के लिए सक्षम होता है;
- ख. डिजिटल कंट्रोलर जो 5 किलो हर्ट्ज से अधिक रियल टाइम कंट्रोल बैंडविथ के साथ विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंपनी परीक्षण के साथ संबद्ध होता है और जिसे 15.ख.1.क में विनिर्दिष्ट कंपनी परीक्षण प्रणाली के साथ इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है;

तकनीकी नोट:

“रीयल टाइम नियंत्रण बैंडविथ” को उस अधिकतम दर के रूप में परिभाषित किया गया है जिस दर पर कोई नियंत्रक आंकड़े के पूर्ण चक्र का सैंप्लिंग, संसाधित और नियंत्रण सिगनल को प्रेषित कर सकता है।

ग. कंपनी श्रस्टर (शेकर इकाई) जो एम्पलिफायर सहित या रहित होता है, जो 50 केन के बराबर या इससे अधिक के बल को प्रदान करने में सक्षम होता है बेयर टेबल द्वारा मापित होता है और 15.ख.1.क में विनिर्दिष्ट कंपनी परीक्षण प्रणाली में प्रयोग योग्य होता है;

घ. परीक्षण टुकड़ा सहायक संरचना और इलेक्ट्रॉनिक इकाई जिसे मल्टीपल शेकर इकाई को पूर्ण शेकर प्रणाली के साथ सम्बद्ध करने के लिए डिजाइन किया गया है और जो 50केएन के बराबर अथवा इससे अधिक के प्रभावी संयुक्त बल को देने में सक्षम है जो बेयर टेबल से मापित हो और 15.ख.1.क में विनिर्दिष्ट कंपनी परीक्षण प्रणाली में प्रयोग योग्य हो।

तकनीकी नोट:

कंपनी परीक्षण प्रणाली जिसमें डिजिटल नियंत्रक सम्मिलित होते हैं, वे प्रणाली हैं जिनके कार्य अंशतः अथवा समग्रतः, स्वतः स्टोर और डिजिटली कोडेड इलेक्ट्रॉनिक सिगनल द्वारा नियंत्रित होते हैं।

- 15.ख.2. 1.क अथवा 19.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों अथवा 2.क अथवा 20.क में विनिर्दिष्ट उप प्रणालियों के लिए प्रयोग योग्य मच 0.9 अथवा इससे अधिक की गति के लिए 'एयरोडायनामिक परीक्षण सुविधाएं'

नोट:

मद 15.ख. 250 मिलीमीटर के बराबर अथवा इससे कम के 'टेस्ट क्रास सेक्शन आकार' के आयाम में साथ मच 3 या इससे कम की गति के लिए विंड टनल को नियंत्रित नहीं करता है।

तकनीकी नोट:

1. "एयरोडायनामिक परीक्षण सुविधाओं" में वस्तुओं पर हवा के प्रवाह के अध्ययन के लिए विंड टनल और शॉक टनल शामिल होता है।
2. "टेस्ट क्रास सेक्शन साइज" का अर्थ है वृत्त का व्यास अथवा किसी चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा अथवा सबसे बड़े टेस्ट क्रास सेक्शन स्थान पर एलिप्स की प्रमुख धुरी। "टेस्ट क्रास सेक्शन" प्रवाह दिशा का खंड लंबवत होता है।

- 15.ख.3. 1.क, 19.क.1 अथवा 19.क.2 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों अथवा 2.क. अथवा 20.क में विनिर्दिष्ट उप प्रणालियों के लिए प्रयोग योग्य परीक्षण बेंच/ स्टैंड जिसमें 68 केएन से अधिक थ्रस्ट वाले ठोस या तरल प्रणोदक रॉकेट, मोटर अथवा इंजन की संभलाई की क्षमता होती है अथवा जो तीन धुरी वाले थ्रस्ट संघटकों के एक साथ मापन में सक्षम होता है।

- 15.ख.4. पर्यावरण चैंबर निम्न प्रकार होता है जो 1.क अथवा 19.क में विनिर्दिष्ट प्रणाली अथवा 2.क अथवा 20.क में विनिर्दिष्ट उप प्रणालियों के लिए प्रयोग योग्य होता है:

क. निम्न सभी उद्दान स्थितियों के उद्दीपन में सक्षम पर्यावरण चैंबर:

1. निम्न में से किसी से भी युक्त:

क. 15 किमी के बराबर या इससे अधिक की ऊंचाई; अथवा

ख. माइनस 50 डिग्री से लेकर 125 डिग्री सेंटीग्रेट तक तापमान; और

2. 5 केएन के बराबर अथवा इससे अधिक के बल प्रदान करते हुए 20 हर्ट्ज और 2 किलो हर्ट्ज के बीच बेयर टेबल मापित 10 ग्राम के बराबर या इससे अधिक वातावरण कंपन उत्पन्न करने के लिए शेकर इकाई अथवा अन्य कंपन परीक्षण उपकरण को समाहित किया गया अथवा समाहित करने के लिए डिजाइन अथवा संशोधित किया गया;

तकनीकी नोट:

1. मद 15.ख.4.क.2 उन प्रणालियों के बारे में बताता है जो एकल वेव (अर्थात् एक साइन वेव) के साथ कंपन वातावरण और ब्राडबैंड रैंडम कंपन (अर्थात् पावर स्पेक्ट्रम) के सृजन में सक्षम होती हैं।
2. मद 15.ख.4.क.2 में डिजाइन किए गए अथवा संशोधित किए गए का तात्पर्य होता है वातावरण चैंबर जो इस मद में विनिर्दिष्ट शेकर इकाई अथवा अन्य कंपन परीक्षण उपकरण को समाहित करने के लिए उपयुक्त इंटरफेस (अर्थात् सीलिंग उपकरण)।

ख. वातावरण चैंबरस जो निम्नलिखित सभी उद्दान दशाओं में उद्दीपन में सक्षम होता है:

1. 140 डेसिबल अथवा इससे अधिक (2×10^{-5} एन/एम² संदर्भ) के समग्र ध्वनि दबाव पर काउस्टिक वातावरण अथवा 4 किलोवाट या इससे अधिक के कुल रेटेड एकाउस्टिक पावर आउटपुट; और
2. निम्नलिखित में से कोई एक:

क. 15 किमी. के बराबर अथवा इससे अधिक की ऊंचाई; अथवा

ख. -50° से. से लेकर अधिकतम 125° से. तक तापमान

- 15.ख.5. त्वरक जो 2 एमईवी अथवा इससे अधिक के त्वरित इलेक्ट्रॉन से ब्रेमस्ट्राहलाउंग द्वारा जनित विद्युत चुम्बकीय विकिरण की डिलिवरी में सक्षम और 1.क., 19.क.1 अथवा 19.क.2 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों अथवा 2.क. अथवा 20.क में विनिर्दिष्ट उपप्रणालियों के लिए प्रयोग योग्य त्वरक वाले उपकरण।

नोट:

15.ख.5.चिकित्सा उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उपकरणों को नियंत्रित नहीं करता है।

तकनीकी नोट:

15.ख मद में "बेयर टेबल" का तात्पर्य चपटे टेबल अथवा सतह से है जिसमें कोई फिक्चर अथवा फिटिंग नहीं है।

- 15.ग. सामग्रियां

कोई नहीं।

- 15.घ. साफ्टवेयर

- 15.घ.1. 1.क., 19.क.1. अथवा 19.क.2 में विनिर्दिष्ट परीक्षण प्रणालियों अथवा 2.क. अथवा 20.क में विनिर्दिष्ट उप प्रणालियों के लिए प्रयोग योग्य 15.ख में विनिर्दिष्ट उपकरण के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किए गए 'साफ्टवेयर'

- 15.ड.. प्रौद्योगिकी

- 15.ड..1. 15.ख. अथवा 15.घ. में विनिर्दिष्ट उपकरण अथवा साफ्टवेयर के विकास, उत्पादन अथवा इस्तेमाल के लिए सामान्य प्रौद्योगिकी नोट के अनुसार 'प्रौद्योगिकी'।

श्रेणी II; मद 16

मद 16 मॉडलिंग –सिमुलेशन और डिजाइन इंटेग्रेसन

- 16.क. उपकरण, एसेम्बली और संघटक

- 16.क.1. विशेष रूप से डिजाइन किए गए हाइब्रिड (कंबाईंड एनॉलोग/ डिजिटल) कंप्यूटर जो 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणाली अथवा 2.क में विनिर्दिष्ट उप प्रणाली के मॉडलिंग, सिमुलेशन अथवा डिजाइन समेकन के लिए होता है।

नोट:

यह नियंत्रण तब प्रयुक्त होता है जब 16.घ.1 में विनिर्दिष्ट 'साफ्टवेयर' के साथ उपकरण की आपूर्ति की जाती है।

- 16.ख. परीक्षण और उत्पादन उपकरण

कोई नहीं।

- 16.ग. सामग्रियां

कोई नहीं

- 16.घ. साफ्टवेयर

- 16.घ.1. 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणाली अथवा 2.क अथवा 20.क. में विनिर्दिष्ट उप प्रणाली के मॉडलिंग, सिमुलेशन अथवा डिजाइन समेकन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया 'साफ्टवेयर'

तकनीकी नोटः

इस माँडलिंग में विशेष रूप से इन प्रणालियों के एयरोडायनामिक और थर्मोडायनामिक विश्लेषण शामिल है।

16.ड.. प्रौद्योगिकी

- 16.ड..1. 16.क अथवा 16.घ में विनिर्दिष्ट उपकरण अथवा साफ्टवेयर के विकास, उत्पादन अथवा इस्तेमाल के लिए सामान्य नोट के अनुसार "प्रौद्योगिकी"।

श्रेणी II; मद 17मद 17 स्टील्थ

17.क. उपकरण, एसेम्बली और संघटक

- 17.क.1. 1.क अथवा 19.क में विनिर्दिष्ट प्रणाली अथवा 2.क अथवा 20.क में विनिर्दिष्ट उप प्रणालियों के लिए एप्लिकेशन प्रयोग योग्य हेतु रडार रिफ्लेक्टिविटी, अल्ट्रावायलेट/ इंफ्रारेड सिग्नेचर और एकाउस्टिक सिग्नेचर (अर्थात स्टील्थ प्रौद्योगिकी) जैसे कम दिखायी देने वाली वस्तुओं के लिए उपकरण।

17.ख. परीक्षण और उत्पादन उपकरण

- 17.ख.1. 1.क, 19.क.1 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों अथवा 2.क में विनिर्दिष्ट उप प्रणालियों के लिए उपयोग योग्य रडार क्रास सेक्शन मापन के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गयी प्रणालियां।

17.ग. सामग्रियां

- 17.ग.1. 1.क अथवा 19.क में विनिर्दिष्ट प्रणाली अथवा 2.क अथवा 20.क में विनिर्दिष्ट उप प्रणालियों के लिए एप्लिकेशन प्रयोग योग्य हेतु रडार रिफ्लेक्टिविटी, अल्ट्रावायलेट/ इंफ्रारेड सिग्नेचर और एकाउस्टिक सिग्नेचर (अर्थात स्टील्थ प्रौद्योगिकी) जैसे कम दिखायी देने वाली वस्तुओं के लिए सामग्रियां।

नोटः

- 17.ग.1.में संरचनात्मक सामग्री और कोटिंग (पेंट सहित), माइक्रोवेव, इंफ्रारेड अथवा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा में घटी हुई अथवा कम की हुई रिफ्लेक्टिविटी अथवा इमिसिविटी के लिए विशेष रूप से डिजाइन की हुई वस्तुएं शामिल होती हैं।
- जब उपग्रह के तापीय नियंत्रण के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है तो 17.ग.1. परत (पेंट सहित) नियंत्रित नहीं करता है।

17.घ. साफ्टवेयर

- 17.घ.1. 1.क अथवा 19.क में विनिर्दिष्ट प्रणाली अथवा 2.क अथवा 20.क में विनिर्दिष्ट उप प्रणालियों के लिए एप्लिकेशन प्रयोग योग्य हेतु रडार रिफ्लेक्टिविटी, अल्ट्रावायलेट/ इंफ्रारेड सिग्नेचर और एकाउस्टिक सिग्नेचर (अर्थात स्टील्थ प्रौद्योगिकी) जैसे कम दिखायी देने वाली वस्तुओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए "साफ्टवेयर"।

नोटः

- 17.घ.1. में वे "साफ्टवेयर" शामिल होते हैं जिसे विशेष रूप से सिग्नेचर रिडक्शन के विश्लेषण के लिए डिजाइन किया गया हो।

17.ड.. प्रौद्योगिकी

- 17.ड..1. 17.क, 17.ख, 17.ग. अथवा 17.घ में विनिर्दिष्ट उपकरण, सामग्री अथवा साफ्टवेयर के विकास, उत्पादन अथवा इस्तेमाल के लिए सामान्य प्रौद्योगिकी नोट के अनुसार "प्रौद्योगिकी"।

नोट:

17.ड..1.में वे डाटावेस शामिल होते हैं जिसे सिग्नेचर रिडक्शन के विश्लेषण के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।

श्रेणी II; मद 18**मद 18 परमाणु प्रभाव सुरक्षा**

18.क. उपकरण, एसेम्बली और संघटक

18.क.1. परमाणु प्रभाव (अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स (ईएमपी), एक्सरे, कंबाईंड ब्लास्ट और थर्मल प्रभाव) के लिए रॉकेट प्रणाली और मानव रहित अंतरीक्ष यान में उपयोग में आने वाले और 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए उपयोग योग्य 'रेडियेशन हार्डेन्ड' 'माइक्रोसर्किट'।

18.क.2. परमाणु प्रभाव (अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स (ईएमपी), एक्सरे, कंबाईंड ब्लास्ट और थर्मल प्रभाव) के लिए रॉकेट प्रणाली और मानव रहित अंतरीक्ष यान की रक्षा करने और 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए उपयोग योग्य विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित किए गए 'डिटेक्टर'।

तकनीकी नोट:

डिटेक्टर 'को एक यांत्रिक, विद्युतीय, ऑप्टिकल अथवा रसायनिक उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो स्वतः ही दबाव अथवा तापमान में पर्यावरणी संबंधी बदलाव, विद्युतीय अथवा विद्युत चुम्बकीय सिगनल अथवा रेडियोसक्रिय वस्तु से विकिरण की पहचान करता है और इसे रिकार्ड अथवा इसके उद्दीपन को दर्ज करता है। इसमें वे उपकरण भी शामिल हैं जो एकबार के परिचालन अथवा असफलता से पता लगाता है।

18.क.3. 50 केपीए से अधिक के शीर्ष अधिकतम दबाव के साथ 4.184×10^6 जे/मीटर² से अधिक संयुक्त ताप शॉक को सहने के लिए डिजाइन किए गए रेडोम्स जो परमाणु प्रभाव (अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स (ईएमपी), एक्सरे, कंबाईंड ब्लास्ट और थर्मल प्रभाव) के लिए रॉकेट प्रणाली और मानव रहित अंतरीक्ष यान की रक्षा में उपयोग और 1.क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए उपयोग योग्य होता है।

18.ख. परीक्षण और उत्पादन उपकरण

कोई नहीं

18.ग. सामग्री

कोई नहीं

18.घ. साफ्टवेयर

कोई नहीं

18.ड.. प्रौद्योगिकी

18.ड..1. सामान्य प्रौद्योगिकी नोट के अनुसार 18.क में वर्णित उपकरण के 'विकास', उत्पादन' अथवा 'इस्तेमाल' के लिए 'प्रौद्योगिकी'।

श्रेणी II; मद 19**मद 19 अन्य पूर्ण डिलिवरी प्रणाली**

19.क. उपकरण, एसेम्बलीज और संघटक

19.क.1. पूर्ण रॉकेट प्रणाली (बैलेस्टिक मिसाइल प्रणाली, अंतरीक्ष प्रक्षेपण यान और साउंडिंग रॉकेट के साथ) जिसका उल्लेख 1.क.1 में नहीं किया गया है, जो 300 किमी के बराबर अथवा इससे अधिक की दूरी के लिए सक्षम हो।

19.क.2. पूर्ण मानव रहित अंतरिक्ष यान प्रणाली (क्लूज मिसाइल प्रणाली, टारगेट ड्रोन और रिकोनेसेंस ड्रोन सहित), जिसे 1.क.2 में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया, और जो 300 किमी या इससे अधिक की दूरी के लिए सक्षम हो।

19.क.3. पूर्ण मानव रहित अंतरिक्ष यान प्रणाली जिसे 1.क.2 अथवा 19.क.2 में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया और जिसमें निम्न चीजें हों:

क. इनमें से कोई भी हो:

1. स्वायत्त उड़ान नियंत्रण और नौवहन क्षमता; अथवा
2. मानव आपरेटर वाले सीधे विजन दूरी से नियंत्रित उड़ान की क्षमता; और

ख. इनमें से कोई भी हो:

1. 20 लीटर से अधिक की क्षमता वाली एयरोसोल डिस्पेंसिंग प्रणाली/ तंत्र; अथवा
2. 20 लीटर से अधिक की क्षमता वाली एयरोसोल डिस्पेंसिंग प्रणाली/ तंत्र को शामिल करने के लिए डिजाइन किया हुआ अथवा संशोधित किया हुआ।

नोट:

मद 19.क.3 रिक्रिशनल अथवा प्रतिस्पर्धा उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए मॉडल एयरक्राफ्ट को नियंत्रित नहीं करता है।

तकनीकी नोट:

1. एयरोसोल में वायुमंडल में फैलने वाले 'स्फोटक शीर्ष' के एक भाग के रूप में ईंधन संघटक, उप उत्पाद अथवा एडिटिव्स के अलावा पार्टिकुलेट अथवा तरल होता है। उदाहरण के लिए एयरोसोल में क्लाउड सीडिंग के लिए क्रॉप डस्टिंग और शुष्क रासायनों हेतु कीटनाशक शामिल होता है।
2. एयरोसोल डिस्पेंसिंग प्रणाली/ तंत्र में वे सभी उपकरण (यांत्रिक, विद्युतीय, हाइड्रोलिक आदि) होता है जो वायुमंडल में एयरोसोल के भंडारण और फैलाव के लिए आवश्यक होता है। इसमें दहन परिश्रांत वाष्प और प्रणोदक स्लिप स्ट्रीम में एयरोसोल के अंतर्क्षेपण की संभावना शामिल होती है।

19.ख. परीक्षण और उत्पादन उपकरण

19.ख.1. 19.क.1 अथवा 19.क.2 में विनिर्दिष्ट प्रणाली के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गयी 'उत्पादन सुविधाएं'।

19.ग. सामग्री

कोई नहीं

19.घ. सॉफ्टवेयर

19.घ.1. 19.क.1 अथवा 19.क.2 में विनिर्दिष्ट प्रणाली में इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया अथवा संशोधित किया गया 'सॉफ्टवेयर' जो एक से अधिक उप प्रणालियों के कार्यों को समन्वित करता है।

19.ड.. प्रौद्योगिकी

19.ड..1. सामान्य प्रौद्योगिकी नोट के अनुसार 'प्रौद्योगिकी जो 19.क.1 अथवा 19.क.2 में विनिर्दिष्ट उपकरण के 'विकास', 'उत्पादन' अथवा 'इस्तेमाल' के लिए होता है।

श्रेणी II; मद 20

मद 20 अन्य पूर्ण उप प्रणाली

20.क. उपकरण, संयोजन और संघटन

20.क.1. पूर्ण उप प्रणाली निम्न रूप में है:

क. व्यक्तिगत रॉकेट चरण, 2.क.1 में विनिर्दिष्ट नहीं, 19.क. में विनिर्दिष्ट प्रणाली में उपयोग योग्य;

ख. 2.क.1. में विनिर्दिष्ट न की गयी रॉकेट प्रणोदन उप प्रणाली, जो निम्न प्रकार से 19.क.1 में विनिर्दिष्ट प्रणाली में प्रयोग योग्य है:

1. ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर अथवा हाइब्रिड रॉकेट मोटर जिनमें 8.41×10^5 एन के समान अथवा इससे अधिक किंतु 1.1×10^6 एन से कम की कुल आवेग क्षमता हो;

2. तरल प्रणोदक संचालन प्रणाली में समाकलित अथवा समाकलित किए जाने के लिए डिजाइन अथवा संशोधित की गयी तरल प्रणोदक रॉकेट प्रणाली जिसकी कुल आवेग क्षमता 8.41×10^5 एन के समान या अधिक किंतु 1.1×10^6 एन से कम हो;

20.ख. परीक्षण और उत्पादन उपकरण

20.ख.1. 20.क में विनिर्दिष्ट उप प्रणालियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई "उत्पादन सुविधाएं"

20.ख.2. 20.क में विनिर्दिष्ट उप प्रणालियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए "उत्पादन उपकरण"

20.ग. सामग्री

कोई नहीं.

20.घ. साफ्टवेयर

20.घ.1. "साफ्टवेयर" 20.ख.1 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित अथवा संशोधित

20.घ.2. "साफ्टवेयर", 2.घ.2 में विनिर्दिष्ट नहीं., 20.क.1.ख में विनिर्दिष्ट रॉकेट मोटर अथवा इंजनों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित अथवा संशोधित

20.ड.. प्रौद्योगिकी

20.ड..1. "प्रौद्योगिकी", 20.क., 20.ख. अथवा 20.ग. में विनिर्दिष्ट "विकास", "उत्पादन" अथवा उपकरण के "उपयोग" अथवा "साफ्टवेयर" के लिए सामान्य प्रौद्योगिकी नोट के अनुसार।

इकाई, स्थिरांक, परिवर्णी शब्द और संक्षिप्त शब्द

पूरक अंश में प्रयुक्त किए जाने वाले इकाई, स्थिरांक, परिवर्णी और संक्षिप्त शब्द

एवीईसी

एनुलर बेयरिंग इंजीनियर्स कमिटी

एवीएमए

अमेरिकन बेयरिंग मैनुफैक्चर्स एसोशिएशन

एएनएसआई

अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टिट्यूट

एंगस्ट्रॉम

1×10^{-10} मीटर

एसटीएम	अमेरिकन सोसायटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स
बार	दाब की इकाई
से.	डिग्री सेल्सियस
सीसी	क्यूबिक सेंटीमीटर
सीएस	कैमिकल एब्सट्रैक्ट सर्विस
सीईपी	सर्कल आफ इक्वल प्रोबेबिलिटी
डीबी	डेसिबल
जी	ग्राम; साथ ही गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण
गिगा हर्ट्ज	गिगाहर्ट्ज
जीएनएसएस	ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम अर्थात् 'गैलिलियो' "जीएलओएनएसएस" – ग्लोबल नाया नेविगेशियोन्याया स्पुतनिकोवाया सिस्टेमा "जीपीएस" – ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
एच	घंटा
हर्ट्ज	हर्ट्ज
एचटीपीबी	हाइड्रोक्सी – टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडिन
आईसीओ	इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन
आईईईई	इंस्टीच्यूट ऑफ इलेक्ट्रीकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स
आईआर	इंफ्रारेड
आईएसओ	इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडराइजेशन
जे	जूल
जेआईएस	जपानी इंडस्ट्रीयल स्टैंडर्ड
के	कैल्बिन
किग्रा	किलोग्राम
केएचजेड	किलो हर्ट्ज
केएम	किलोमीटर
केएन	किलोन्यूटन
केपीए	किलोपास्कल
केडब्लू	किलोवाट
एम	मीटर
एमईवी	मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
एमएचजेड	मेगाहर्ट्ज
मिलीगल	10⁻⁵ मी/से² (साथ ही इसे एमगेल या मिलीगैलेलियो कहा जाता है)
एमएम	मिलीमीटर

एमएम एचजी	पारा का एमएम
एमपीए	मेगापास्कल
एमआरएडी	मिलीरेडियन
एमएस	मिलीसेकेंड
ओम	माइक्रोमीटर
एन	न्यूटन
पीए	पास्कल
पीपीएम	पाटर्स प्रति सेकेंड
आरएडीएस (एसआई)	रेडिएशन एबजावर्ड डोज
आरएफ	रेडियो आवृत्ति
आरएमएस	रूट मीन स्वायर
आरपीएम	प्रति मिनट घूर्णन
आरवी	रि एंट्री हिवकल
एस	सेकेंड
टीजी	ग्लास ट्रांजिशन तापमान
टेलर	टेलर मेश साइज, अथवा टेलर मानक सीव श्रृंखला
यूएवी	मानवरहित अंतरिक्ष यान
यूवी	परावैंगनी

परिवर्तन सारणी

इस पूरक अंश में प्रयुक्त परिवर्तन सारणी		
इकाई (से)	इकाई (तक)	परिवर्तन
बार	पास्कल (पीए)	1 बार = 100 किलो पास्कल
जी. (गुरुत्वाकर्षण)	मीटर/प्रति वर्ग सेकेंड	1 ग्राम = 9.806 65 मीटर/प्रति वर्ग सेकेंड
एमआरएडी (मिलिराड)	डिग्री (कोण)	1 एमआरएडी ≈ 0.0573°
रैड्स	सिलिकॉन का ऊर्जा/ग्राम	1 आरएडी (एसआई) = 100 सिलिकॉन का ऊर्जा/ ग्राम (= 0.01 ग्रे [जीवाई])
टायलर 250 मेयर	मिलीमीटर	250 मेश टेलर के लिए 0.063 मिलीमीटर मेश ऑपनिंग

सहमति विवरण

सदस्य इस पर सहमत हैं कि उन मामलों, जिनमें "राष्ट्रीय समतुल्य" को विशेष रूप से विनिर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकल्प के रूप में प्रयोग की अनुमति है, में राष्ट्रीय समतुल्य में निहित तकनीकी पद्धति और मानक यह सुनिश्चित करेगा कि विनिर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय मानकों द्वारा निर्धारित मालकों को पूरा किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र

सुरक्षा परिषद

संकल्प 1718 (2006) के अनुसरण में गठित सुरक्षा परिषद समिति के अध्यक्ष के दिनांक 4 अप्रैल, 2016 का पत्र जो सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को संबोधित है।

संकल्प 1718 (2006) के अनुसरण में गठित समिति की ओर से मैं संकल्प 2270 (2016) के पैराग्राफ 25 के अनुसार समिति की 29 मार्च, 2016 की रिपोर्ट प्रेषित कर रहा हूँ (संलग्नक देखें)।

यदि इस पत्र और इसके संलग्नक की ओर सुरक्षा परिषद के सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जाए और इन्हें परिषद के दस्तावेज के रूप में जारी किया जाए तो मैं आपका आभारी होऊँगा।

(ह.) रोमन **ओयारज़ून माकैसी**

अध्यक्ष,

संकल्प 1718 (2006) के अनुसार

स्थापित सुरक्षा परिषद

संलग्नक

संकल्प 1718(2006) के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद समिति की रिपोर्ट जो संकल्प 2270(2016) के पैराग्राफ 25 के अनुसार तैयार की गई है।

2 मार्च, 2016 को सुरक्षा परिषद ने अपने संकल्प 2270 (2016) के माध्यम से संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 8 तथा संकल्प 2270 (2016) के तहत की गई कार्रवाई को अतिरिक्त सामानों के स्पष्टोल्लेख के जरिए समायोजित करने का निर्णय किया है और समिति को इससे संबंधित अपना कार्य करने तथा संकल्प 2270 (2016) के अंगीकरण के 15 दिन के अन्दर परिषद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

इन कार्यों को पूरा करने के लिए समिति ने व्यापक जनसंहार से संबंधित मदों, सामग्री, उपस्कर, सामान तथा प्रौद्योगिकी का निर्धारण करने और इन्हें संवेदनशील सामान मानने का निर्णय किया है।

निम्नलिखित सूची में शामिल उपस्कर, सामान तथा प्रौद्योगिकी सिर्फ संकल्प 2270 (2016) के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ हैं और अंतरराष्ट्रीय एवं बहुपक्षीय प्रणाली व्यवस्थाओं, विलेखों, अप्रसार से संबंधित सिद्धान्तों एवं व्यवहार तथा निर्यात नियंत्रण के लिए इन्हें पूर्वोदाहरण न माना जाए।

29 मार्च, 2016 को समिति ने सुरक्षा परिषद के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की और निम्नलिखित अनुमोदन किया।

मद, सामग्री, उपस्कर, सामान एवं प्रौद्योगिकी

क. परमाणु और/अथवा मिसाइल में प्रयुक्त मदें

1. बलयाकार चुंबक: स्थाई चुंबकीय सामग्री जिसमें निम्नलिखित दोनों विशेषताएं हो।

(क) बलयाकार चुंबक जिसका बाहरी तथा भीतरी व्यास 1.6:1 के तुल्य या इससे कम हो;

(ख) निम्नलिखित में से किसी चुंबकीय सामग्री से निर्मित हो- एल्युमीनियम, निकिल, कोबाल्ट, फेराइट्स, सामेरीयम कोबाल्ट अथवा नियोडिमियम-आयरन बोरोन।

2. माराजिंग इस्पात जिसमें निम्नानुसार विशेषताएं हो:-

(क) 293के. (20° सेल्सियस) पर जिसकी अधिकतम तन्य क्षमता 1500 एमबीए या इससे अधिक हो;

(ख) छड़ या ट्यूब के आकार में हो और उसका बाहरी व्यास 75 एमएम अथवा उससे अधिक हो।

3. चुंबकीय मिश्र धातु सामग्री जो पतली चादर या पतली पट्टी के रूप में हो जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हो:

(क) मोटाई 0.5 एमएम या उससे कम हो; ऊंचाई 25 एमएम या उससे कम हो;

(ख) निम्नलिखित में से किसी चुंबकीय मिश्र धातु का बना हो, लौह-क्रोमियम-कोबाल्ट, लौह-कोबाल्ट-वैनाडियम, लौह-क्रोमियम-कोबाल्ट-वैनाडियम अथवा लौह- क्रोमियम।

(4) बारम्बारता परिवर्तक (जिसे कन्वर्टर या इन्वर्टर भी कहा जाता है) जिसमें सभी निम्नलिखित विशेषताएं हों और जिसके लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया सॉफ्टवेयर हो।

(क) बहुचरणीय बारम्बारता निर्गम;

(ख) 40 वाट या उससे अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करने सक्षम हो;

(ग) जिसे 600 हर्ट्ज तथा 2000 हर्ट्ज के बीच की बारम्बारता श्रेणी में कहीं भी चलाया जा सके।

तकनीकी टिप्पणी:

1. बारम्बारता परिवर्तक को कन्वर्टर तथा इन्वर्टर भी कहा जाता है।

2. उपर्युक्त कार्य कुच्छेक ऐसे उपस्कर से किए जा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपस्कर, एसी विद्युत आपूर्ण, परिवर्तनशील गति वाले मोटर ड्राईव अथवा परिवर्तनशील बारम्बारता ड्राईवर्स कहा जाता है और इनका विपणन किया जाता है।

(5) अत्यधिक मजबूत एल्युमीनियम मिश्र धातु जिसमें दोनों विशेषताएं हो:-

(क) 293 के (20° सेल्सियस) पर जिसकी अधिकतम तन्य क्षमता 415 एम.पी.ए. हो सके; (सक्षम हो)

(ख) छड़ या ट्यूब के आकार में हो और उसका बाहरी व्यास 75 एमएम या इससे अधिक हो।

तकनीकी टिप्पणी: "सक्षम" का अर्थ ताप उपचार से पहले या उसके बाद एल्युमीनियम मिश्र धातु है।

6. निम्नलिखित रेशेदार एवं तन्तुमय सामग्री और प्रिप्रेग्स

(क) कार्बन, अरामिड अथवा ग्लास रेशेदार एवं तन्तुमय सामग्री जिसमें निम्नलिखित दोनों विशेषताएं हो:-

(i) 'विशिष्ट मापांक' 3.18×10^6 एम से अधिक हो;

(ii) विशिष्ट तन्य क्षमता 76.2×10^3 एम से अधिक हो।

(ख) प्रिप्रेग्स, थर्मोस्टेट, रेजिन इंप्रिगनेटिड कान्टिन्यूअस, "यार्नस्", "रोविंग", "टोअ" या "टेप्स" जिसकी चौड़ाई 30 एमएम अथवा उससे कम हो और कार्बन, अरामिड अथवा रेशेदार या तन्तुमय ग्लास सामग्री से निर्मित हो जैसा कि उपर्युक्त (क) में उल्लिखित है।

(7) फिलामेंट बांधने वाली मशीन और निम्नलिखित संबंधित उपस्कर;

(क) फिलामेंट बांधने वाली मशीनें जिसमें निम्नलिखित सभी विशेषताएं हो:-

(i) जिसमें स्थिति निर्धारण, तंतुओं को लपेटने और कुंडलन की गति हो और जो 2 या अधिक एक्सों में समन्वित अथवा प्रोग्रामबद्ध हो;

(ii) रेशेदार अथवा तन्तुमय सामग्री से सम्मिश्रित संरचनाएं अथवा लैमिनेट्स बनाने के लिए तैयार किया गया हो;

(iii) 75 एमएम अथवा उससे अधिक आकार के बेलनाकार ट्यूब के कुंडलन में सक्षम हो।

(ख) उपर्युक्त (क) में वर्णित तन्तुमय कुंडलन मशीनों का समन्वयन और प्रोग्राम नियंत्रण;

(ग) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित तन्तुमय कुंडलन मशीनों के लिए मैंडरल्स।

- (8) आईएनएफसीआईआरसी/254/रेव.9/पार्ट2 और एस/2014/203 में यथावर्णित फ्लो-फार्मिंग मशीन
 (9) लेजर वैल्विंग उपस्कर
 (10) 4 और 5 एक्सिस सीएनसी मशीन उपस्कर
 (11) प्लाज्मा कटिंग उपस्कर
 (12) मेटल हाईड्राईड, जैसे कि जिरकोनियम हाईड्राईड

(ख) रासायनिक/जैविक हथियार में प्रयुक्त मदें

1. रासायनिक विद्युत सामग्री के लिए उपयुक्त अतिरिक्त रसायन

- एल्यूमीनियम क्लोराइड (7446-70-0)
- डाईक्लोरोमीथेन (75-09-2)
- एनएन- डाईमिथाइलेनिलिन (121-69-7)
- आइसोप्रोपाइल- ब्रोमाईड (75-26-3)
- आइसोप्रोपाइल ईथर (108-20-3)
- मोनोआइसोप्रोपालेमाईन (75-31-03)
- पोटेशियम ब्रोमाईड (7758-02-03)
- पाइराडाईन (110-86-1)
- सोडियम ब्रोमाईड (7647-15-6)
- सोडियम मेटल (7440-23.5)
- सल्फर ट्राईआक्साईड (7446-11-9)
- ट्राईबूटीलामाईन (102-82-9)
- ट्राईथिलोमाईन (121-44-8)
- ट्राईइथिलोमाईन (75-50-3)

2. प्रतिक्रिया पात्र, रिएक्टर, एमीटेर्स, उष्मा विनियामक, कन्डेन्सर्स पम्प, वाल्व, भण्डारण टैंक, कॉन्टेनर्स, रिसीवर्स और स्रवण तथा अवशेषण स्तंभ जो एस/2006/853 ओर शुद्धि पत्र 1. में वर्णित निष्पादन मानदण्डों को पूरा करते हैं-

एकल सील पंप जिसके साथ विनिर्मिताओं द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम प्रवाह दर 0.6एम/प्रति घण्टा से अधिक हो और केसिंग, पर पूर्व रचित लाईनर, इम्पेलेर, रोटर्स और जेट पम्प नोज़ल हों जो ऐसे पम्पों के लिए निर्दिष्ट हों और जिसमें संसाधित किए जाने वाले रसायन के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आने वाली सभी सतहें निम्नलिखित में से एक धातु का बना हुआ हो-

(क) निकिल अथवा मिश्र धातु जिसमें निकिल का भार 40% से अधिक हो

(ख) ऐसे मिश्र धातु जिनमें निकिल का भार 25% और क्रोमियम का भार 20% से अधिक हो

(ग) फ्लोरोपोलिमर्स (फोलीमरिक अथवा ईलासटोमरिक सामग्री) जिसमें क्लोरीन का भार 35% से अधिक हो

(घ) शीशा अथवा शीशे की लाईनिंग (काचित अथवा मीनाकारी सहित)

(ङ) ग्रेफाईट अथवा कार्बन ग्रेफाईट

(च) टैन्टालम अथवा टैन्टालम मिश्र धातु

(छ) जिरकोनियम अथवा जिरकोनियम मिश्र धातु

(झ) सिरमिक्स

(ज) फेरोसिलिकोन (अधिक सिलिकोन युक्त लौह मिश्र धातु) अथवा

(ट) नियोबियम (कोलम्बियम) अथवा नियोबियम मिश्र धातु

3. परम्परागत अथवा तेज वायु प्रवाह वाले स्वच्छ वायुयुक्त कमरे जिसमें स्वतः पूर्ण पंखें-एचडीपीए यूनिट हों और जिन्हें पी3 अथवा पी4 (बीएसएल3, बीएसएल4, एल3, एल4) समावेशन सुविधाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र - नेशंस यूनीज़

मुख्यालय - सीज, न्यूयार्क, एनवाई 10017

दूरभाष : 1(212)963 1234 फ़ैक्स : 1(212) 963 4879

संदर्भ: एससीए/4/16(12)**[संयुक्त राष्ट्र के स्थायी मिशनों को****न्यूयार्क में दिए गए संबोधन का****इलेक्ट्रॉनिक संस्करण]**

संकल्प 1718(2006) के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद समिति के अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधियों और प्रेक्षकों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं तथा एतद्वारा संयुक्त राष्ट्र की दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 की प्रेस प्रकाशनी एससी/12636 संप्रेषित करते हैं जिसका शीर्षक है "संकल्प 1718(2006) के अनुसरण में सुरक्षा परिषद समिति ओशन मैरीटाइम मैनेजमेंट द्वारा नियंत्रित अथवा प्रचालित आर्थिक संसाधनों की सूची से पांच जलयानों का नाम हटाती है"

18 दिसम्बर, 2016

सुरक्षा परिषद**प्रेस प्रकाशनी****संयुक्त राष्ट्र**

लोक सूचना विभाग * समाचार और मीडिया प्रभाग * न्यूयार्क

एससी/126363

17 दिसम्बर, 2016

संकल्प (2006) के अनुसरण में गठित सुरक्षा परिषद समिति ओशन मैरीटाइम मैनेजमेंट द्वारा नियंत्रित अथवा प्रचालित आर्थिक संसाधनों की सूची से पांच जलयानों का नाम हटाती है

17 दिसम्बर, 2016 को, संकल्प 1718(2006) के अनुसरण में गठित सुरक्षा परिषद समिति ने यह निर्णय लिया कि निम्नलिखित पांच जलयान, जो संकल्प 2270(2016) के पैराग्राफ 23 के अनुसरण में उसी संकल्प के अनुबंध-III में निर्दिष्ट किए गए हैं, ओशन मैरीटाइम मैनेजमेंट कंपनी आर्थिक संसाधन नहीं हैं, अतः वे संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8(घ) में अधिरोपित आस्ति अवरोधन के अध्यक्षीन नहीं हैं:

- सं. 4 डॉनलाइट (आईएमओ सं 9110236)
- सं. 5 एवर ब्राइट 88 (जे स्टार, आईएमओ सं 89149341)
- सं. 6 गोल्ड स्टार 3 (बेनेवोलेंस 2, आईएमओ सं 1405402)
- सं. 18 ओरिअन स्टार (रिचओशन, आईएमओ सं. 9333589)
- सं. 26 साउथ हिल 5 (आईएमओ सं. 9138680)

समिति नोट करती है कि यह विश्वास स्थापित करने के लिए नए उपाय किए गए हैं कि ये जलयान ओएमएस द्वारा प्रचालित अथवा नियंत्रित नहीं किए जा रहे हैं। इन उपायों के आलोक में, समिति ने ओएमएस द्वारा प्रचालित और नियंत्रित किए जाने वाले जलयानों की सूची से इन जलयानों को हटाने का निर्णय लिया है। समिति उपलब्ध जानकारी की समीक्षा करना जारी रखेगी तथा सूची को अद्यतन बनाए रखेगी।

अनुसूची- I

एस/आरईएस/2094



संयुक्त राष्ट्र
सुरक्षा परिषद्

वितरण : सामान्य
7 मार्च 2013

संकल्प 1718(2006)

सुरक्षा परिषद द्वारा अपनी 5551वीं बैठक में 14 अक्टूबर, 2006 को अंगीकृत

सुरक्षा परिषद,

अपने पूर्व के प्रासंगिक संकल्पों का स्मरण करते हुए जिनमें संकल्प 825(1993), संकल्प 1540(2004) और विशेषतः संकल्प 1695(2006) तथा इसके अध्यक्ष का 6 अक्टूबर, 2006 का वक्तव्य (एस/पीआरएसटी/2006/41) भी शामिल है,

इस बात की पुनः पुष्टि करते हुए कि परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों का प्रचुरोद्भवन तथा उनके वितरण के साधन अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं,

लोकतांत्रिक कोरिया जन गणतंत्र (डीपीआरके) द्वारा किए गए इस दावे पर कि उसने 9 अक्टूबर, 2006 को परमाणु हथियारों का परीक्षण संचालित किया है, तथा इस चुनौती पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए जो ऐसा कोई परीक्षण परमाणु हथियारों के गैर-प्रचुरोद्भवन की संधि तथा उन अंतराष्ट्रीय प्रयासों के विरुद्ध उत्पन्न करता है जिनका उद्देश्य परमाणु हथियारों की गैर-प्रचुरोद्भवन वैश्विक प्रणाली को मजबूत बनाना होता है तथा उस खतरे पर भी जो यह क्षेत्र तथा उसके आसपास शांति और स्थायित्व के लिए उत्पन्न करता है,

अपनी दृढ़ धारणा को अभिव्यक्त करते हुए कि परमाणु हथियारों के गैर-प्रचुरोद्भवन पर अंतराष्ट्रीय व्यवस्था अनुरक्षित की जानी चाहिए तथा इस बात का स्मरण करते हुए कि परमाणु हथियारों के गैर-प्रचुरोद्भवन की संधि के अनुसार डीपीआरके को परमाणु हथियार वाले राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है,

परमाणु हथियारों के गैर-प्रचुरोद्भवन की संधि से वापस हटने की डीपीआरके की घोषणा और परमाणु हथियारों की इसकी होड़ की निंदा करते हुए,

इस बात की भर्त्सना करते हुए कि डीपीआरके ने बिना किसी पूर्व शर्त के छह-दलीय वार्ता में लौटने से इंकार कर दिया है,

चीन, डीपीआरके, जापान, कोरिया गणतंत्र, रूसी परिसंघ और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा 19 सितम्बर, 2005 को जारी संयुक्त घोषणा का अनुसमर्थन करते हुए,

अंतराष्ट्रीय समुदाय की अन्य सुरक्षा और मानवीय चिंताओं के प्रति डीपीआरके की प्रतिक्रिया के महत्व को रेखांकित करते हुए,

इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कि डीपीआरके द्वारा दावा किए गए परीक्षणों ने क्षेत्र तथा उसके आस-पास तनाव में वृद्धि उत्पन्न कर दी है और यह अवधारित करते हुए कि इससे अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए स्पष्ट खतरा है,

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए और इसके अनुच्छेद 41 के अंतर्गत उपाय करते हुए :

1. इसके प्रासंगिक संकल्प विशेषतः संकल्प 1695(2006) और इसके अध्यक्ष के 6 अक्तूबर के वक्तव्य (एस/पीआरएसटी/2006/41) की घोर अवमानना करते हुए डीपीआरके द्वारा 9 अक्तूबर, 2006 को घोषित किए गए परमाणु परीक्षणों की **भर्त्सना करती है** और यह **उल्लेख भी करती है** कि ऐसा परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सावर्जनिक भर्त्सना को आमंत्रित करेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट चुनौती प्रस्तुत करेगा;
2. **मांग करती है** कि डीपीआरके कोई अन्य परमाणु परीक्षण नहीं संचालित करेगा अथवा कोई बैलिस्टिक मिसाइल प्रप्रेक्षित नहीं करेगा;
3. **मांग करती है** कि डीपीआरके परमाणु हथियारों के गैर-प्रचुरोद्भवन की संधि से वापस हटने की अपनी घोषणा को तत्काल वापस लेगा;
4. **मांग करती है** कि डीपीआरके परमाणु हथियारों के गैर-प्रचुरोद्भवन की संधि तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) रक्षोपायों में वापस लौटेगा तथा परमाणु हथियारों की गैर-प्रचुरोद्भवन की संधि के सभी राज्य पक्षकारों से उनके संधि दायित्वों का अनुपालन जारी रखने की आवश्यकता को **रेखांकित करती है**;
5. यह **निर्णय लेती है** कि डीपीआरके अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित समस्त क्रियाकलापों को निलंबित कर देगा और इस संबंध में मिसाइल प्रेक्षण पर कंसोर्टियम पर अपनी पूर्व-विद्यमान प्रतिबद्धताओं को पुनः स्थापित करेगा;
6. यह **निर्णय लेती है** कि डीपीआरके एक पूर्ण, सत्यापनीय और गैर-परिवर्तनीय तरीके से अपने सभी परमाणु हथियारों और विद्यमान परमाणु कार्यक्रमों को त्याग देगा, परमाणु हथियार गैर-प्रचुरोद्भवन की संधि तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए); रक्षोपाय करार (आईएईए आईएनएफ-सीआईआरसी/403) के निबंधन और शर्तों के अंतर्गत पक्षकारों के लिए लागू दायित्वों के अनुसार कड़ाई से कार्यवाही करेगा तथा इन अपेक्षाओं से परे विस्तारित आईएईए पारदर्शी उपायों को उपलब्ध कराएगा जिनमें व्यक्तियों, प्रलेखनों, उपकरणों और सुविधाओं के प्रति ऐसी पहुंच भी शामिल है, जो आईएईए द्वारा अपेक्षित और आवश्यक समझी जाए;
7. यह भी निर्णय लेती है कि डीपीआरके एक पूर्ण, सत्यापनीय और गैर-परिवर्तनीय रीति से व्यापक संहार के सभी अन्य विद्यमान हथियार तथा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम त्याग देगा;
8. घोषणा करता है:
 - (क) सभी सदस्य राष्ट्र अपने भू-भाग के माध्यम से अथवा उनके राष्ट्रिकों द्वारा डीपीआरके को निम्नलिखित की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आपूर्ति, विक्रय अथवा अंतरण को निवारित करेंगे, अथवा इस प्रयोजनार्थ अपने फ्लैग जलयानों अथवा विमानों का प्रयोग भी नहीं करेंगे, चाहे वे उनके भू-भाग से आरंभ हुए हों अथवा नहीं,
 - (i) कोई युद्धक टैंक, सशस्त्र लड़ाकू वाहन, विशाल कैलिबर आर्टिलरी प्रणालियां, युद्धक विमान, आक्रामक हेलीकॉप्टर्स, युद्धपोत, मिसाइल अथवा मिसाइल प्रणालियां जैसी कि पारंपरिक हथियारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र रजिस्टर के प्रयोजनार्थ परिभाषित की गई है अथवा संबंधित सामग्रियां जिनमें स्पेयर पार्ट्स अथवा वे मर्दें शामिल हैं जो सुरक्षा परिषद अथवा निम्न पैराग्राफ 12(समिति) द्वारा स्थापित समिति द्वारा अवधारित की गई हैं;
 - (ii) समस्त मर्दें, सामग्रियां उपकरण, माल और प्रौद्योगिकी जैसी कि दस्तावेज एस/2006/814 और एस/2006/215 में निर्दिष्ट की गई हैं, जब तक कि इस संकल्प के अंगीकृत किए जाने के 14 दिन के भीतर समिति ने दस्तावेज एस/2006/816 में निहित सूची को ध्यान में रखते हुए अपने उपबंधों को संशोधित अथवा पूर्ण न कर लिया हो, और इसमें शामिल हैं सुरक्षा परिषद अथवा समिति द्वारा अवधारित अन्य मर्दें, सामग्रियां, उपकरण, माल और प्रौद्योगिकी जो डीपीआरके के परमाणु-संबंधी बैलिस्टिक मिसाइल-संबंधी अथवा व्यापक संहार के हथियारों के अन्य कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करती हो;
 - (iii) लकजरी वस्तुएं;
 - (ख) डीपीआरके उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (क) (i) और (क) (ii) में शामिल की गई सभी मर्दों के निर्यात को रोक देगा तथा यह कि सभी सदस्य राष्ट्र अपने राष्ट्रिकों द्वारा डीपीआरके से ऐसी मर्दों की अधिप्राप्ति अथवा उनके फ्लैगड जलयानों अथवा विमानों का प्रयोग करना प्रतिषिद्ध करेंगे भले ही वे डीपीआरके भू-भाग से उद्भूत हुए हों अथवा नहीं;

- (ग) सभी सदस्य राष्ट्र अपने राष्ट्रिकों द्वारा अथवा अपने भू-भागों से डीपीआरके को अथवा अपने राष्ट्रिकों द्वारा अथवा अपने भू-भागों से डीपीआरके से उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (क) (i) और (क) (ii) में उल्लिखित मदों के प्रावधानों, विनिर्माण, अनुरक्षण अथवा प्रयोग से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण, परामर्श, सेवा अथवा सहायता के अंतरण को निवारित करेंगे;
- (घ) सभी सदस्य राष्ट्र अपनी संबंधित विविध प्रक्रियाओं के अनुरूप ऐसी निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों और आर्थिक संसाधनों को तत्काल रोक देंगे जो इस संकल्प के अंगीकरण की तारीख को अथवा उसके उपरांत किसी समय पर उनके भू-भाग में विद्यमान हैं, जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः समिति द्वारा अथवा सुरक्षा परिषद द्वारा अभिहित व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा इस प्रकार स्वामित्व में रखी गई है अथवा नियंत्रित की गई है कि वे डीपीआरके के परमाणु-संबंधी, अन्य व्यापक संहार के हथियारों-संबंधी अथवा बैलिस्टिक मिसाइल-संबंधी कार्यक्रमों में संलिप्त हों अथवा उसमें सहायता प्रदान कर रहे हों, जिनमें अन्य अवैध साधनों द्वारा प्रदान की गई सहायता भी शामिल है, अथवा उनकी ओर से अथवा उनके निदेश पर कार्य करने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा ऐसा किया जा रहा हो, तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी निधि, वित्तीय आस्ति अथवा आर्थिक संसाधन उनके भू-भाग के भीतर उनके राष्ट्रिकों द्वारा अथवा किसी व्यक्ति द्वारा अथवा संस्थाओं द्वारा ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को अथवा के लाभ के लिए उपलब्ध न कराया जाए;
- (ङ.) सभी सदस्य राष्ट्र अपने भू-भाग से समिति द्वारा अथवा सुरक्षा परिषद द्वारा अभिहित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के प्रवेश को निवारित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे जो डीपीआरके के परमाणु संबंधी, बैलिस्टिक मिसाइल-संबंधी तथा व्यापक विनाश के अन्य हथियारों-संबंधी कार्यक्रमों के संबंध में डीपीआरके की नीतियों के लिए उत्तरदायी हों, जिसमें उसे सहायता अथवा संबंधित करना भी शामिल है, बशर्ते कि इस पैराग्राफ की कोई बात किसी राज्य को अपने भू-भाग में अपने स्वयं के राष्ट्रिकों के प्रवेश को इंकार करने का दायित्व नहीं देगी।
- (च) इस पैराग्राफ की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने, और इस प्रकार परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के अवैध व्यापार तथा उनके वितरण की नीति और संबंधित सामग्री को निवारित करने के उद्देश्य से सभी सदस्य राष्ट्रों से आह्वान किया जाता है कि वे अपने राष्ट्रीय प्राधिकरणों और विधानों के अनुसार तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप सहयोग करने के लिए कार्यवाही करें जिनमें आवश्यकतानुसार डीपीआरके को भेजे जाने तथा वहां से अपने वाले कार्गो का निरीक्षण भी शामिल है।

9. यह **निर्णय लेती है** कि उपर्युक्त पैराग्राफ 8(घ) के उपबंध उन वित्तीय अथवा अन्य आस्तियों अथवा संसाधनों पर लागू नहीं होंगे जिनका अवधारण संबंधित राज्यों पर लागू नहीं होंगे जिनका अवधारण संबंधित राज्यों द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया गया है:

- (क) जो आधारभूत व्ययों के लिए जिनमें खाद्य-वस्तुओं, किराए अथवा गिरवी, औषधियों और औषधीय उपचार, करों, बीमा प्रीमियमों और जल उपयोगिता प्रभारों का भुगतान भी शामिल है, अथवा अनन्य रूप से युक्तियुक्त वृत्तिक शुल्कों के भुगतान अथवा विधिक सेवाओं के प्रावधान के साथ सहयोजित उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति करने अथवा राष्ट्रीय विधियों के अनुसार फीस अथवा सेवा प्रभारों के भुगतान, नेमी धृति अथवा फ्रोजन फंड्स के अनुरक्षण, अन्य वित्तीय आस्तियों और आर्थिक संसाधनों के लिए भुगतान हेतु आवश्यक है तथा संबंधित राज्यों द्वारा समिति को प्राधिकार देने के आशय के विषय में अधिसूचित किया जाएगा, जहां ऐसे निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों और आर्थिक संसाधनों की पहुंच प्राप्त करने की अनुमति दी गई है तथा समिति द्वारा नकारात्मक निर्णय लेने की स्थिति में ऐसी अधिसूचना के पांच कार्यदिवसों के भीतर सूचना दी जाएगी;
- (ख) जो असाधारण व्ययों के लिए आवश्यक होंगे, बशर्ते कि ऐसे अवधारणों को संबंधित राज्यों द्वारा समिति को सूचित किया गया है था समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है, अथवा
- (ग) जो किसी न्यायिक, प्रशासनिक अथवा माध्यस्थम पुनर्ग्रहणाधिकार अथवा निर्णय का विषय है, जिस स्थिति में अन्य वित्तीय आस्तियों और आर्थिक संसाधनों का यह संतुष्टि करने के लिए प्रयोग किया जाए कि ऐसा पुनर्ग्रहणाधिकार अथवा निर्णय वर्तमान अधिसूचना की तारीख से पूर्व किया गया था, उपर्युक्त पैराग्राफ 8(घ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों या सुरक्षा परिषद या समिति द्वारा पहचाने गए किसी व्यक्ति या संस्था के लाभ के लिए नहीं है तथा संबंधित राज्य द्वारा उसकी सूचना समिति को दे दी गई है।

10. **निर्णय लेती है** कि उपर्युक्त पैराग्राफ 8 द्वारा अधिरोपित उपाय ऐसी स्थिति में लागू नहीं होंगे जहां समिति मामला-दर-मामला आधार पर अवधारित करती है कि ऐसी यात्रा मानवीय आवश्यकता के आधार पर औचित्यपूर्ण है जिसमें धार्मिक देयताएं भी शामिल हैं अथवा जहां समिति का यह निष्कर्ष है कि ऐसी छूट वर्तमान संकल्प के उद्देश्यों को अन्यथा प्रभावित करेगी;

11. सभी सदस्य राष्ट्रों से **आह्वान करती है** कि वे इस संकल्प के अंगीकरण के तीस दिन के भीतर उपर्युक्त पैराग्राफ 8 में निर्दिष्ट उपबंधों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाए गए कदमों के विषय में इस संकल्प के अंगीकरण के तीस दिन के भीतर सूचित करें;
12. इसकी प्रक्रिया के अस्थायी नियमों के नियम 28 के अनुसार सुरक्षा परिषद समिति का गठन करने का **निर्णय लेती है** जिसमें परिषद के सभी सदस्य शामिल होंगे तथा निम्नलिखित का निष्पादित करेंगे:
- (क) सभी राज्यों से, विशेष रूप से वे, जो उपर्युक्त पैराग्राफ 8(क) में निर्दिष्ट मदों, सामग्रियों, उपकरणों, माल अथवा प्रौद्योगिकी का उत्पादन अथवा धारण कर रहे हैं, इस संकल्प के उपर्युक्त पैराग्राफ 8 द्वारा अधिरोपित उपायों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के बारे में सूचना तथा उनके द्वारा इस संबंध में जो भी जानकारी उपयोगी समझी जाए उसे प्राप्त करना;
- (ख) इस संकल्प के पैराग्राफ 8 में अधिरोपित उपायों के कथित उल्लंघनों के बारे में प्राप्त सूचना की जांच करना और उस पर उपयुक्त कार्रवाई करना;
- (ग) उपर्युक्त पैराग्राफ 9 और 10 में निर्धारित छूटों के लिए प्राप्त अनुरोधों पर विचार करना और उन पर निर्णय लेना;
- (घ) उपर्युक्त पैराग्राफ 8(क) (i) और 8(क) (ii) के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट किए जाने वाली अतिरिक्त मदों, सामग्रियों, उपकरणों, माल और प्रौद्योगिकी का अवधारण करना;
- (ङ.) उपर्युक्त पैराग्राफ 8(घ) और 8(ङ.) द्वारा जारी उपायों के अध्यक्षीन अतिरिक्त व्यक्तियों और संस्थाओं को अभिहित करना;
- (च) इस संकल्प द्वारा अधिरोपित उपायों के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए यथा आवश्यक दिशा-निर्देशों का प्रचार-प्रसार करना;
- (छ) सुरक्षा परिषद को इसके कार्यकरण के दौरान कम-से-कम प्रत्येक 90 दिन पर इसकी टिप्पणियों और सिफारिशों के संबंध में, विशेष रूप से उपर्युक्त पैराग्राफ 8 द्वारा अधिरोपित उपायों की प्रभावकारिता को सुदृढ़ बनाने के लिए रिपोर्ट करना;
13. सभी संबंधित राष्ट्रों द्वारा ऐसे किसी कृत्य से दूर रहने के लिए उनके राजनयिक प्रयासों को सघन बनाने के प्रयासों का **स्वागत करती है** तथा उन्हें **प्रोत्साहित करती है** जिनके फलस्वरूप तनाव में वृद्धि होती हो तथा कोरियाई प्रायद्वीप के सत्यापित गैर-सैन्यीकरण को प्राप्त करने के लिए चीन, डीपीआरके, जापान, कोरिया गणराज्य, रूसी गणराज्य और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा 19 सितम्बर, 2005 को जारी संयुक्त वक्तव्य के त्वरित क्रियान्वयन के उद्देश्य से छह-दलीय वार्ता के शीघ्र प्रारंभ किए जाने को सुकर बनाया जा सकता हो;
14. डीपीआरके से **आह्वान करती है** कि वह बिना किसी पूर्व-शर्त के तत्काल ही छह-दलीय वार्ता में शामिल हो तथा चीन, डीपीआरके, जापान, कोरिया गणराज्य, रूसी परिसंघ और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा 19 सितम्बर, 2005 को जारी संयुक्त वक्तव्य के त्वरित क्रियान्वयन की दिशा में कार्य करें;
15. यह **पुष्टि करती है** कि यह डीपीआरके के कार्यों की सतत् समीक्षा करना जारी रखेगी तथा यह उपर्युक्त पैरा 8 में अंतर्विष्ट उपायों की उपयुक्तता की समीक्षा के लिए तैयार रहेगी जिसमें उन उपायों का सुदृढीकरण, आशोधन, निलंबन और उन्हें उठाया जाना भी शामिल है जो संकल्प के उपबंधों के डीपीआरके के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में उस समय आवश्यक हो;
16. यह **रेखांकित करती है** कि यदि अतिरिक्त उपाय आवश्यक होंगे, तो आगे निर्णय लिए जाने की आवश्यकता होगी;
17. मामले की सक्रियता से निगरानी रखने का **निर्णय लेती है**

अनुसूची- II

एस/आरईएस/1874 (2009)

संयुक्त राष्ट्र



सुरक्षा परिषद्

वितरण : सामान्य

12 जून, 2009

संकल्प 1874 (2009)**संयुक्त परिषद् द्वारा उसकी 6141वीं बैठक में 12 जून, 2009 को अंगीकृत**

सुरक्षा परिषद्

अपने पूर्व के प्रासंगिक संकल्पों का **स्मरण करते हुए**, जिनमें संकल्प 825 (1993), संकल्प 1540 (2004), संकल्प 1695 (2006) और विशेषतः संकल्प 1718 (2006) तथा साथ ही इसके अध्यक्ष के 6 अक्टूबर 2006 (एस/पीआरएसटी/2006/41) और 13 अप्रैल, 2009 (एस/पीआरएसटी/2009/7) के वक्तव्य भी शामिल हैं,

इस बात की **पुनः पुष्टि करते हुए** कि आण्विक, रासायनिक और जैविक हथियारों का प्रचुरोद्भव तथा साथ ही इनके वितरण के साधन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं,

संकल्प 1718 (2006) के उल्लंघन में 25 मई, 2009 को (स्थानीय समय पर) कोरिया लोकतान्त्रिक गणतंत्र ("डीपीआरके") द्वारा संचालित किए गए परमाणु परीक्षण तथा ऐसे परीक्षण द्वारा परमाणु हथियारों के निःस्त्रीकरण ("एनपीटी") की संधि पर तथा 2010 के एनपीटी समीक्षा सम्मेलन के प्रति परमाणु हथियारों के निःस्त्रीकरण की वैश्विक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने पर लक्षित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर होने वाली चुनौतियों और क्षेत्र और उससे परे इसके द्वारा शांति और स्थायित्व के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले संकट पर **गंभीरतम चिंता व्यक्त करते हुए**,

एनपीटी के लिए तथा संधि को उसके समस्त पहलुओं में सुदृढ़ बनाने की प्रतिबद्धता और परमाणु प्रसार-निरोध एवं परमाणु निःस्त्रीकरण के लिए वैश्विक प्रयासों पर सामूहिक सहयोग पर **बल प्रदान करते हुए** और इस बात का **स्मरण करते हुए** कि डीपीआरके को किसी भी स्थिति में एनपीटी के अनुरूप नाभिकीय हथियार वाले राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता है,

एनपीटी से नाम वापस लेने की डीपीआरके को घोषणा तथा परमाणु हथियारों को तैयार करने के उसके प्रयासों की **भर्त्सना** करते हुए,

इस महत्व को पुनः **रेखांकित** करते हुए कि डीपीआरके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अन्य सुरक्षा और मानवीय चिंताओं के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करती है,

इस बात को भी **रेखांकित** करते हुए कि इस संकल्प द्वारा अधिरोपित उपाय डीपीआरके की सिविलियन जनसंख्या के लिए प्रतिकूल माननीय परिणामों के लिए आशयित नहीं हैं,

इस बात पर अपनी गंभीरतम चिंता व्यक्त करत हुए कि डीपीआरके द्वारा संचालित परमाणु परीक्षण और मिसाइल क्रियाकलापों ने क्षेत्र और उसके बाहर तनाव में और भी वृद्धि कर दी है, तथा यह अवधारित करते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट संकट निरंतर बना हुआ है,

इस महत्व की पुनःपुष्टि करते हुए कि समस्त सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रयोजनों और सिद्धांतों को अनुरक्षित करते हैं, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए तथा इसके अनुच्छेद 41 के अंतर्गत उपाय करते हुए,

1. कठोरतम शब्दों में, इसके प्रासंगिक संकल्पों, विशेष रूप से संकल्प 1695 (2006) और 1718 (2006), और इसके अध्यक्ष के 13 अप्रैल, 2009 के वक्तव्य (एस/पीआरएसटी/2009/7) का उल्लंघन तथा घोर अवहेलना करते हुए डीपीआरके द्वारा 25 मई, 2009 को (स्थानीय समय के अनुसार) को किए गए परमाणु परीक्षण की **निंदा करती है**;
2. यह **मांग करती है** कि डीपीआरके कोई और परमाणु परीक्षण अथवा बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए कोई अन्य प्रेक्षण संचालित नहीं करेगा;
3. **निर्णय लेती है** कि डीपीआरके अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित समस्त क्रियाकलापों को निलंबित करे तथा इस संदर्भ में मिसाइल प्रक्षेपणों पर मार्टोरियम पर अपनी पूर्व में विद्यमान प्रतिबद्धताओं को पुनः स्थापित करे;
4. **मांग करती है** कि डीपीआरके प्रासंगिक सुरक्षा परिषद संकल्पों, विशेषतः संकल्प 1718 (2006) के अंतर्गत अपने दायित्वों का तत्काल पूर्णतः अनुपालन करे;
5. **मांग करती है** कि डीपीआरके एनपीटी से वापस हटने की अपनी घोषणा के तत्काल वापस लें;
6. **मांग करती है** कि डीपीआरके एनपीटी के राज्य पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए एनपीटी और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के दायरे में यथाशीघ्र वापस लौटे, तथा एनपीटी के सभी राज्य पक्षकारों के लिए उनके संधि संबंधी दायित्वों का अनुपालन करते रहने की आवश्यकता को **रेखांकित करती है**;
7. सभी सदस्य राज्यों से **आह्वान करती है** कि वे संकल्प 1718 (2006) के अनुपालन में जिनमें संकल्प 1718 (2016) ("समिति") के अनुसरण में और इसके अध्यक्ष के 13 अप्रैल, 2009 (एस/पीआरएसटी/2009/7) के वक्तव्य के अनुसरण में गठित समिति द्वारा बनाए गए अभिधान भी शामिल हैं, अपने दायित्वों को क्रियान्वित करें;
8. **निर्णय लेती है** कि डीपीआरके एक पूर्ण, सत्यापनीय और अनिवार्य रीति से अपने समस्त परमाणु हथियारों और विद्यमान परमाणु कार्यक्रमों को त्याग देगा तथा एनपीटी के अंतर्गत पक्षकारों के लिए लागू दायित्वों और आईएईए रक्षोपाय करार (आईएईए आईएनएफसीआईआरसी/403) के निबंधन और शर्तों के अनुरूप कड़ाई से कार्रवाई करेगा और इन अपेक्षाओं से परे विस्तारित करने के लिए आईएईए पारदर्शिता उपाय उपलब्ध कराएगा जिसमें व्यक्तियों, प्रलेखीकरण, उपकरण और सुविधाओं की ऐसी, पहुंच भी शामिल होगी जैसी आईएईए द्वारा अपेक्षित है और आवश्यक समझी गई है;
9. **निर्णय लेती है** कि संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 8 (ख) में निहित उपाय समस्त शस्त्रों और संबंधित सामग्री तथा वित्तीय संव्यवहारों, तकनीकी प्रशिक्षण, परामर्श, ऐसे शस्त्रों अथवा सामग्री के प्रावधान, विनिर्माण, अनुरक्षण से संबंधित सेवाओं अथवा सहायता पर भी लागू होंगे;
10. **निर्णय लेती है** कि 1718 (2006) के पैराग्राफ 8 (ख) में निहित उपाय समस्त शस्त्रों और संबंधित सामग्री तथा वित्तीय संव्यवहारों, तकनीकी प्रशिक्षण, परामर्श, ऐसे शस्त्रों के प्रावधान, विनिर्माण, अनुरक्षण से संबंधित सेवाओं अथवा सहायता पर भी लागू होंगे, सिवाए छोटे शस्त्रों और हल्के हथियारों तथा उनसे संबंधित सामग्री के, तथा राष्ट्रों से **आह्वान करती है** वे डीपीआरके को छोटे शस्त्रों अथवा हल्के हथियारों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आपूर्ति, विक्रय अथवा अंतरण पर निगरानी करें और यह भी **निर्णय लेती है** कि राष्ट्र डीपीआरके को छोटे शस्त्रों अथवा हल्के हथियारों की विक्री, आपूर्ति अथवा अंतरण करने से कम-से-कम पांच दिन पूर्व समिति को अधिसूचित करेंगे;

11. सभी राष्ट्रों से **आह्वान करती है** कि वे अपने राष्ट्रीय प्राधिकरणों और विधान के अनुरूप तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप अपने भू-भाग जिसमें समुद्र-पत्तन और विमानपत्तन भी शामिल हैं, में डीपीआरके से आने वाले तथा वहां जाने वाले समस्त कार्गो का उस स्थिति में निरीक्षण करें यदि संबंधित राष्ट्रों के पास ऐसी सूचना है जिसमें यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार विद्यमान हो कि उस कार्गो में ऐसी मदें अंतर्विष्ट हैं जिसकी आपूर्ति, विक्रय, अंतरण अथवा निर्यात संकल्प 1718 के पैराग्राफ 8(क), 8(ख) या 8(ग) अथवा इस संकल्प के पैराग्राफ 9 अथवा 10 द्वारा प्रतिषिद्ध है ताकि उन उपबंधों का कड़ा क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके;
12. सभी सदस्य राष्ट्रों से **आह्वान करती है** कि वे फ्लैग राष्ट्र की सहमति से उसस्थिति में खुले समुद्र में जलयानों का निरीक्षण करे यदि संबंधित राष्ट्रों के पास ऐसी सूचना है जिसमें यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार विद्यमान हो कि उस जलयानों में ऐसी मदें अंतर्विष्ट हैं जिसकी आपूर्ति, विक्रय, अंतरण अथवा निर्यात संकल्प 1718 के पैराग्राफ 8(क), 8(ख) या 8(ग) अथवा इस संकल्प के पैराग्राफ 9 अथवा 10 द्वारा प्रतिषिद्ध है ताकि उन उपबंधों का कड़ा क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके;
13. सभी राष्ट्रों से **आह्वान करती है** कि वे पैराग्राफ 11 और 12 के अनुसरण में निरीक्षण में सहयोग करें और यदि फ्लैग राष्ट्र खुले समुद्र में निरीक्षण के लिए सहमति नहीं देता है, तो **निर्णय लेती है** कि राष्ट्र उन जलयानों को पैराग्राफ 11 के अनुसरण में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित निरीक्षण कराने के लिए जलयानों को एक उपयुक्त और सुविधाजनक पत्तन पर जाने का निदेश होगा;
14. सभी सदस्य राष्ट्रों को प्राधिकृत करने का **निर्णय लेती है** और यह कि सभी सदस्य राष्ट्र उन मदों को जब्त करेंगे और उनका निपटान करेंगे जिनकी आपूर्ति, विक्रय, अंतरण अथवा निर्यात संकल्प 1718 के पैराग्राफ 8(क), 8(ख) अथवा 8(ग) अथवा इस संकल्प के पैरा 9 अथवा 10 द्वारा प्रतिषिद्ध है और जो इस रीति से पैराग्राफ 11, 12 अथवा 13 के अनुसरण में पहचान की गई है जो लागू सुरक्षा परिपद के संकल्पों के अंतर्गत उनके दायित्वों से असंगत नहीं है जिसमें संकल्प 1540 (2004) शामिल है, तथा एनपीटी के पक्षकारों के किसी दायित्व से असंगत है, रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भण्डारण और प्रयोग पर प्रतिषेध पर तथा उनके विध्वंस पर 29 अप्रैल, 1997 का कन्वेंशन, तथा बक्टीरियोलॉजिकल (जैविक) और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन और भण्डारण पर प्रतिषेध और उनके विध्वंस पर 10 अप्रैल, 1972 का कन्वेंशन भी शामिल है, और यह भी **निर्णय लेती है** कि वे ऐसे प्रयासों में सहयोग करें;
15. किसी सदस्य राष्ट्र से **अपेक्षा करती है** कि वह पैराग्राफ 11, 12 अथवा 13 के अनुसरण में निरीक्षण संचालित करते समय अथवा पैराग्राफ 14 के अनुसरण में कार्गो की जब्ती करते हुए निरीक्षण, जब्ती और निपटान के बारे में समिति को तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें प्रासंगिक विवरण होंगे;
16. किसी सदस्य राष्ट्र से **अपेक्षा करती है** कि जब पैराग्राफ 12 अथवा 13 के अनुसरण में फ्लैग राष्ट्र से सहयोग प्राप्त नहीं करता है, तो इसकी रिपोर्ट तत्काल समिति को प्रस्तुत करे जिसमें प्रासंगिक विवरण दिए गए हों;
17. **निर्णय करती है** कि राष्ट्र अपने राष्ट्रिकों द्वारा अथवा उनके भू-भाग से उस स्थिति में डीपीआरके के लिए बंकरिंग सेवाओं, जैसे ईंधन अथवा आपूर्तियों के प्रावधान अथवा जलयान की अन्य सेवाओं प्रतिषिद्ध कर दें यदि उनके पास कोई ऐसी जानकारी है जो यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है कि उनमें निर्यात की ऐसी मदों का वहन किया जा रहा है जिनकी आपूर्ति, विक्रय, अंतरण अथवा निर्यात संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 8(क), 8(ख) अथवा 8(ग) द्वारा अथवा इस संकल्प के पैराग्राफ 9 अथवा 10 द्वारा प्रतिषिद्ध है, जब तक कि ऐसी सेवाओं के प्रावधान मानवीय प्रयोजनों के लिए आवश्यक न हो, अथवा ऐसे समय तक जब तक कि कार्गो का निरीक्षण किया गया है और उसे जब्त किया गया है तथा आवश्यक होने पर उसका निपटान कर दिया गया है, तथा यह **रेखांकित करती है** कि यह पैराग्राफ विधिक आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने के लिए आशयित नहीं है;
18. सदस्य राष्ट्रों से **आह्वान करती है** कि, संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 8(घ) और (ड.) के अनुसरण में अपने दायित्वों का क्रियान्वयन करने के अलावा वे अपने भू-भाग के माध्यम से अथवा उसके द्वारा अथवा अपने राष्ट्रिकों या उनकी विधियों (जिसमें विदेश स्थित शाखाएं भी शामिल हैं) के अंतर्गत संगठित संस्थाओं को या उनके द्वारा या उनके भू-भाग के किसी व्यक्ति अथवा वित्तीय संस्थाओं को उन वित्तीय सेवाओं को निवारित करने के लिए कदम उठाएंगे जो वित्तीय अथवा अन्य आस्ति अथवा संसाधन के रूप में डीपीआरके के परमाणु-संबंधी, बैलिस्टिक-संबंधी अथवा अन्य व्यापक विनाश के हथियारों से संबंधित कार्यक्रम को सहायता प्रदान करती हो, जिसमें उनके भू-भाग में अथवा जो उनकी अधिकारिता के अध्येधीन हैं और जो बाद में उनकी अधिकारिता के अध्येधीन आ जाएंगे, में किसी वित्तीय अथवा अन्य आस्तियों अथवा संसाधनों को रोकना भी शामिल है जो ऐसे कार्यक्रम अथवा क्रियाकलाप के साथ सहयोजित हों तथा वे अपने राष्ट्रीय प्राधिकरणों और विधानों के अनुरूप ऐसे सभी संव्यवहारों की निगरानी में वृद्धि करेंगे;

19. सभी सदस्य राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और ऋण संस्थाओं से **आह्वान करती है** कि वे डीपीआरके को अनुदान, वित्तीय सहायता अथवा रियायती ऋण प्रदान करने के लिए कोई नई प्रतिबद्धता न करें, सिवाए मानवीय और विकासात्मक प्रयोजनों के जिनका प्रत्यक्ष संबंध सिविल जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करना अथवा परमाणु-निरोध का संवर्धन करना है, तथा राष्ट्रों से **आह्वान करती है** के वे वर्तमान प्रतिबद्धताओं को न्यून करने के उद्देश्य से सतर्कता में वृद्धि करें;
20. सभी सदस्य राष्ट्रों से **आह्वान करती है** के वे डीपीआरके के साथ व्यापार के लिए सार्वजनिक वित्तीय सहायता प्रदान न करें (जिसमें ऐसे व्यापार में संलिप्त उनके राष्ट्रों अथवा संस्थाओं को निर्यात ऋण, गारंटियां अथवा बीमा प्रदान करना भी शामिल है) जहां ऐसी वित्तीय सहायता डीपीआरके के परमाणु-संबंधी अथवा बैलिस्टिक मिसाइल संबंधी अथवा अन्य डब्ल्यूएमडी-संबंधी कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों में योगदान देती हो;
21. इस बात पर **बल प्रदान करती है** कि सदस्य राष्ट्रों को वियना राजनयिक संबंध कन्वेंशन के अनुरण में डीपीआरके में राजनयिक मिशनों के क्रियाकलापों के प्रति पूर्वापेक्षा रखे बगैर संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 8(क) (iii) और 8(घ) के उपबंधों का पालन करना चाहिए;
22. सदस्य राष्ट्रों से **आह्वान करती है** कि वे इस संकल्प के अंगीकरण के पैंतालीस दिन के भीतर सुरक्षा परिषद को तथा उसके पश्चात् समिति द्वारा अनुरोध किए जाने पर संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 8 तथा इस संकल्प के पैराग्राफ 9 और 10 तथा इस संकल्प के पैराग्राफ 18, 19 और 20 में निर्धारित वित्तीय उपायों को प्रभावशाली रूप से क्रियान्वित करने के लिए उनके द्वारा किए गए ठोस उपायों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें;
23. **निर्णय करती है** कि संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 8(क) 8(ख) और 8(ग) में निर्धारित उपाय आईएनएफसीआईआरसी/254/रेव.9/पार्ट 1क तथा आईएनएफसीआईआरसी/254/ रेव.7/पार्ट 2ख में सूचीबद्ध मदों पर भी लागू होंगे;
24. संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 8 तथा संकल्प द्वारा अधिरोपित उपायों को समायोजित करने का **निर्णय लेती है** जिसमें संस्थाओं, माल और व्यक्तियों को अभिहित करने का माध्यम भी शामिल है तथा समिति को निदेश देती है कि वे इस संबंध में अपने कार्य संचालित करें और इस संकल्प के अंगीकरण के तीस दिन के भीतर सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करें और यह भी **निर्णय लेती है** कि यदि समिति कार्रवाई नहीं करती है, तो सुरक्षा परिषद उस रिपोर्ट की प्राप्ति के सात दिन के भीतर उपायों को समायोजित करने के लिए कार्रवाई पूर्ण करेगी;
25. यह **निर्णय लेती है** कि समिति एक कार्यवाही कार्यक्रम के माध्यम से संकल्प 1718 (2006), इसके अध्यक्ष के 13 अप्रैल, 2009 (एस/पीआरएसटी/2009/7) के वक्तव्य और इस संकल्प के पूर्ण कार्यान्वयन को प्रवर्तित करने के लिए अपने प्रयासों को सघनता प्रदान करेगी जिसमें अनुपालन, अन्वेषण, पहुंच, वार्ता, सहायता और सहयोग को शामिल किया जाएगा जिसे 15 जुलाई, 2009 तक परिषद को प्रस्तुत किया जाएगा, तथा यह कि इसे इस संकल्प के पैराग्राफ 10, 15, 16 और 22 के अनुसरण में सदस्य राष्ट्रों से रिपोर्टें भी प्राप्त होंगी तथा उन पर विचार किया जाएगा;
26. महासचिव को, समिति के साथ परामर्श करके, एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए सात विशेषज्ञों तक का एक समूह सृजित करने का ("विशेषज्ञों का पैनल") **अनुरोध करती है** जो निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित करने के लिए समिति के निर्देशों क अधीन कार्य करेगी : (क) संकल्प 1718 (2006) में यथानिर्दिष्ट इसके अधिदेश को क्रियान्वित करने तथा इस संकल्प के पैराग्राफ 25 में निर्दिष्ट कृत्यों को करने के लिए समिति की सहायता करना; (ख) राष्ट्रों, प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र निकायों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से संकल्प 1718 (2006) और इस

संकल्प में अधिरोपित उपायों, विशेष: गैर-अनुपालन के उपायों के क्रियान्वयन के बारे में सूचना एकत्र करना उसकी जांच करना और विश्लेषण करना; (ग) परिषद अथवा समिति अथवा सदस्य राष्ट्रों द्वारा संकल्प 1718 (2006) और इस संकल्प में अधिरोपित उपायों के क्रियान्वयन में सुधार लाने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली कार्यवाहियों पर सिफारिश करना; और (घ) इस संकल्प के अंगीकरण के उपरांत 90 दिन के अपश्चात् परिषद को इस कार्य पर एक अंतिम रिपोर्ट तथा इस अधिदेश की समाप्ति से 30 दिन पूर्व से अपश्चात् अपने निष्कर्षों और सिफारिशों के साथ परिषद को एक अंतिम रिपोर्ट प्रदान करना;

27. राष्ट्रों, प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र निकायों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से **आग्रह करती है** कि वे समिति तथा विशेषज्ञ पैनल के साथ विशेष रूप से संकल्प 1718 (2006) और इस संकल्प द्वारा अधिरोपित उपायों के क्रियान्वयन पर उनके पास विद्यमान किसी सूचना की आपूर्ति करते हुए पूर्ण सहयोग करें;

28. सभी सदस्य राष्ट्रों से **आह्वान करती है** कि वे सतर्कता का प्रयोग करें और अपने भू-भाग के भीतर अथवा उनके राष्ट्रिकों द्वारा डीपीआरके के राष्ट्रिकों को ऐसे विशेषीकृत शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का निवारण करें जिससे डीपीआरके के निरस्त्रीकरण संवेदी परमाणु क्रियाकलापों को योगदान मिलता हो तथा परमाणु हथियारों के वितरण की प्रणाली का विकास होता है;

29. डीपीआरके से यथाशीघ्र व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि में शामिल होने का **आह्वान करती है** ;

30. शांतिपूर्ण वार्तालापों का **समर्थन करती है**, डीपीआरके से **आह्वान करती है** कि वह बिना किसी पूर्व-शर्त के छह दलीय वार्ता में तत्काल वापस आए और सभी प्रतिभागियों से **आग्रह करती है** कि वे कोरियाई प्राय:द्वीप का सत्यापनीय गैर-परमाणुकरण हासिल करने तथा कोरियाई प्राय:द्वीप और उत्तर-पूर्व एशिया में शांति और स्थायित्व अनुरक्षित करने के उद्देश्य से चीन, डीपीआरके, जापान, कोरिया गणराज्य, रूसी फेडरेशन और संयुक्त राज्य द्वारा 13 फरवरी, 2007 और 3 अक्टूबर, 2007 के संयुक्त दस्तावेजों और 19 सितम्बर, 2005 को जारी संयुक्त वक्तव्य का पूर्ण और तात्कालिक क्रियान्वयन करने के लिए अपने प्रयासों को और गहन बनाएं;

31. स्थिति के शांतिपूर्ण, राजनयिक और राजनीतिक समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता **अभिव्यक्त करती है** तथा वार्तालापों के माध्यम से एक शांतिपूर्ण और व्यापक समाधान को सुकर बनाने तथा ऐसी किसी कार्यवाही से दूर रहने के लिए परिषद के सदस्यों के प्रयासों का स्वागत करती है, जिससे संभवतः तनावों में वृद्धि होगी;

32. इस बात की **पुनः पुष्टि करती है** कि डीपीआरके के कार्यों की निरंतर समीक्षा की जा रही है और यह कि उसे संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 8 तथा इस संकल्प के प्रासंगिक पैराग्राफों में निहित उपायों की उपयुक्तता की समीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए जिसमें संकल्प 1718 (2006) तथा इस संकल्प के प्रासंगिक उपबंधों का डीपीआरके द्वारा अनुपालन किए जाने के परिप्रेक्ष्य में उस समय यथाअपेक्षित उपायों का सुदृढीकरण, आशोधन, निलंबन अथवा हटाया जाना भी शामिल है;

33. इस बात को **रेखांकित करती है** कि यदि अतिरिक्त उपाय अपेक्षित होंगे तो इस संबंध में आगे निर्णय किया जाना आवश्यक होगा;

34. इस मामले में सक्रिय रूप से शामिल रहने का **निर्णय लेती है**।

अनुसूची- III

एस/आरईएस/2087(2013)

संयुक्त राष्ट्र



सुरक्षा परिषद्

वितरण : सामान्य

22 जनवरी, 2013

संकल्प 2087 (2013)

सुरक्षा परिषद् द्वारा इसकी 6904वीं बैठक में 22 जनवरी, 2013 को अंगीकृत

सुरक्षा परिषद्,

अपने पूर्व के प्रासंगिक संकल्पों का स्मरण करते हुए जिनमें संकल्प 825(1993), संकल्प 1540(2004), संकल्प 1695(2006), संकल्प 1718(2006), संकल्प 1874(2009), संकल्प 1887(2009), संकल्प 1887(2009) तथा इसके अध्यक्ष के 6 अक्तूबर, 2006 (एस/पीआरईएसटी/2006/41), 13 अप्रैल, 2009 (एस/पीआरईएसटी/2009/7) और 16 अप्रैल, 2012 (एस/पीआरईएसटी/2013/13) के वक्तव्य भी शामिल हैं,

सभी राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार बाह्य अंतरिक्ष का अन्वेषण करने और उसका प्रयोग करने की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करते हुए, जिसमें प्रासंगिक सुरक्षा परिषद् संकल्पों द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध भी शामिल हैं,

1. डीपीआरके 12 दिसम्बर, 2012 के प्रक्षेपण की निंदा करती है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग किया गया था तथा जो संकल्प 1718(2006) और 1874(2009) के संकल्पों के उल्लंघन में था;
2. यह मांग करती है कि डीपीआरके बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए आगे और प्रक्षेपण नहीं करेगा, तथा अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित समस्त क्रियाकलापों को निलंबित करते हुए संकल्प 1718(2006) और 1874(2009), का अनुपालन करेगा तथा इस संबंध में मिसाइल प्रक्षेपणों पर मोरेटोरियम के प्रति अपनी पूर्व-विद्यमान प्रतिबद्धताओं को पुनः स्थापित करेगा;
3. यह मांग करती है कि डीपीआरके तत्काल संकल्प 1718(2006) और 1874(2009) के अंतर्गत अपने दायित्वों का पूर्ण अनुपालन करेगा, जिसमें यह भी शामिल है कि यह: एक पूर्ण, सत्यापनीय और गैर-परिवर्तनीय तरीके से सभी परमाणु हथियारों और विद्यमान परमाणु कार्यक्रमों को त्याग देगा; उससे संबंधित समस्त क्रियाकलापों को तत्काल बंद कर देगा; और ऐसा कोई अन्य प्रेक्षपण नहीं करेगा जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी, परमाणु परीक्षण अथवा किसी अन्य भड़काने वाले कार्यों का प्रयोग किया गया हो;
4. संकल्प 1718(2006) और 1874(2009) में अंतर्विष्ट अपने वर्तमान प्रतिबंधित उपायों की पुनः पुष्टि करती है;

5. संकल्प 1874(2009) द्वारा यथाआशोधित संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ द्वारा अधिरोपित उपायों का **स्मरण करती** है, तथा **अवधारित करती** है कि;

- (क) संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8(घ) में निर्दिष्ट उपाय अनुबंध I और II में सूचीबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं पर लागू होंगे, तथा संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8(ड.) में निर्दिष्ट उपाय अनुबंध I में सूचीबद्ध व्यक्तियों पर लागू होंगे; और
- (ख) संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8(क), 8(ख) और 8(ग) में अधिरोपित उपाय मद सं. आईएनएफसी आईआरसी/254/रेव II पार्ट 1 तथा आईएनएफसी आईआरसी/254/रेव. 8/पार्ट 2 और एस/2012/947 की मदों पर लागू होंगे;

6. संकल्प 1874(2009) के पैराग्राफ 18 का स्मरण करती है, तथा संकल्प राज्यों से आग्रह करती है कि वे इस संबंध में संबंधित सतर्कता का प्रयोग करें जिसमें उनके भू-भाग में उनके राष्ट्रियों, व्यक्तियों के क्रियाकलापों, डीपीआरके में वित्तीय संस्थाओं के साथ अथवा उनकी ओर से उनकी विधि के अंतर्गत संगठित वित्तीय संस्थाओं और अन्य संस्थाओं (जिसमें उनकी विदेशी शाखाएं भी शामिल हैं) और उन संस्थाओं का अनुवीक्षण भी शामिल है जो डीपीआरके की वित्तीय संस्थाओं की ओर से अथवा उनके निदेशों पर कार्य करती है जिसमें उनकी शाखाएं, प्रतिनिधि, एजेंट और विदेशी अनुषंगियां भी सम्मिलित हैं;

7. संकल्प 1718(2006) के अनुसरण में गठित समिति को निदेश देती है कि वह ऐसी स्थितियों के बारे में क्रियान्वयन सहायता नोटिस जारी करे जहां जलयान ने जलयान के फ्लैग राज्य द्वारा निरीक्षण को प्राधिकृत कर दिए जाने के उपरांत किसी निरीक्षण की अनुमति देने से इंकार कर दिया हो अथवा यदि डीपीआरके फ्लैग जलयान ने संकल्प 1874(2009) के पैराग्राफ 12 के अनुसरण में निरीक्षण कराने से इंकार कर दिया हो;

8. संकल्प 1874(2009) के पैराग्राफ 14 का **स्मरण करती** है, यह **स्मरण भी करती** है कि राज्य संकल्प 1718(2006), 1874(2009) और इस संकल्प के उपबंधों से संगत मदों को जब्त करें और उनका निपटान करें तथा यह **स्पष्ट भी करती** है कि निपटान करने की राज्यों की पद्धति में शामिल है, परंतु सीमित नहीं है, उन्हें नष्ट करना, उन्हें प्रचालनहीन बनाना, उनके भण्डारण को समाप्त करना अथवा निपटान के लिए उन्हें प्रारंभन अथवा गंतव्य राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों को अंतरित करना;

9. यह **स्पष्ट करती है** कि संकल्प 1718(2006) और 1874(2009) में अधिरोपित उपाय किसी मद के अंतरण को उस स्थिति में प्रतिषिद्ध करते हैं यदि उसके संव्यवहार से संबद्ध राज्य के पास ऐसी सूचना है जो यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है कि अभिहित व्यक्ति अथवा संस्था अंतरित की जाने वाली मदों की आरंभक, आशयित प्राप्तकर्ता अथवा उसमें सहायता प्रदानकर्ता है;

10. उस सदस्य राज्य से, जिसने ऐसा नहीं किया है, **आह्वान करती** है कि वह संकल्प 1718(2006) और 1874(2009) के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए उनके द्वारा किए गए उपायों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे, सभी सदस्य राज्यों को **प्रोत्साहित करती** है कि वे संकल्प 1718(2006) और 1874(2009) के उपबंधों के क्रियान्वयन के बारे में अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई है, प्रस्तुत करे;

11. अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को **प्रोत्साहित करती** है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं कि डीपीआरके के संबंध में उनके सभी क्रियाकलाप संकल्प 1718(2006) और 1874(2009) के उपबंधों के साथ संगत है, और प्रासंगिक एजेंसियों को भी **प्रोत्साहित करती** है कि वे डीपीआरके के संबंध में उनके क्रियाकलापों के बारे में समिति के साथ संबद्ध रहें जो इन संकल्पों के उपबंधों से संबंधित हों;

12. संकल्प 1718(2006) और 1874(2009) में अधिरोपित उपायों के उल्लंघन की **भर्त्सना करती** है, जिसमें प्रतिबंधों के वंचन के लिए अत्यधिक नकदी का प्रयोग शामिल है, डीपीआरके को तथा उससे अथवा राज्यों के भू-भागों से ऐसी मदों की आपूर्ति, विक्रय अथवा अंतरण को

निवारित करने, जो संकल्प 1718(2006) अथवा 1874(2009) द्वारा प्रतिबंधित क्रियाकलापों में योगदान कर सकती हैं तथा राज्यों द्वारा इस संबंध में उपयुक्त कार्यवाही किए जाने के महत्व को **रेखांकित करती** है, किसी अभिहित व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से अथवा उसके निर्देश पर कार्य कर रहे व्यक्तियों द्वारा उनके भू-भागों के माध्यम से प्रवेश अथवा संप्रेषण के बारे में सतर्कता और कड़ाई बरतने का राज्यों को आह्वान करती है, समिति को **निदेश देती** है कि वह सूचित किए गए उल्लंघनों की समीक्षा करे और उपयुक्त समझी जाने वाली कार्यवाही करे जिसमें उन संस्थाओं और व्यक्तियों को अभिहित करना भी शामिल है, जिन्होंने संकल्प 1718(2006) और 1874(2009) के उपबंधों के उल्लंघन अथवा प्रतिबंधों के वंचन में सहायता प्रदान की है;

13. डीपीआरके सहित सभी राज्यों के महत्व पर **बल प्रदान** करती है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करें कि डीपीआरके की ओर से अथवा डीपीआरके में किसी व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से, अथवा संकल्प 1718(2006) और 1874(2009) के अनुसरण में अभिहित व्यक्तियों अथवा संस्थाओं की ओर से अथवा ऐसे किसी व्यक्ति अथवा संस्था के हित में किसी संविदा अथवा अन्य संव्यवहार से संबंधित कोई दावा शेष न रह जाए, जहां इसके निष्पादन को संकल्प 1718(2006) और 1874(2009) द्वारा अधिरोपित उपायों के कारण से निवारित किया गया हो;

14. स्थिति के शांतिपूर्ण, राजनयिक और राजनीतिक समाधान के लिए अपनी इच्छा की **पुनः पुष्टि करती है** वार्तालाप के माध्यम से एक शांतिपूर्ण और व्यापक समाधान को सुकर बनाने के परिषद के सदस्यों तथा अन्य राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों का स्वागत करती है, तथा किसी ऐसी कार्रवाई से दूर रहने की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जो तनाव में वृद्धि कर सकती है;

15. छह-दलीय वार्ताओं को अपने सहयोग की **पुनः पुष्टि करती है**, उन्हें पुनः आरंभ करने का **आह्वान करती है**, सभी प्रतिभागियों से **आग्रह करती है** कि वे एक शांतिपूर्ण ढंग से कोरियाई प्रायद्वीप के सत्यापनीय गैर-परमाणुकरण को हासिल करने तथा कोरियाई प्रायद्वीप और उत्तर-पूर्व एशिया में शांति और स्थायित्व अनुरक्षित करने के उद्देश्य से चीन, डीपीआरके, जापान, कोरिया गणराज्य रूसी फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा जारी 19 सितम्बर, 2005 के संयुक्त वक्तव्य के पूर्ण और त्वरित क्रियान्वयन पर उनके प्रयासों को गहन बनाएं;

16. सभी सदस्य राज्यों से आह्वान करती है कि वे संकल्प 1718(2006) और 1874(2009) के अनुसरण में अपने दायित्वों को पूर्णतः क्रियान्वित करें;

17. इस बात पर **पुनः बल प्रदान करती है** कि सदस्य राष्ट्रों को राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के अनुसरण में डीपीआरके में राजनयिक मिशनों के क्रियाकलापों के प्रति पूर्वापेक्षा रखे बिना संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8(क) (iii) और 8(घ) के उपबंधों का अनुपालन करना चाहिए;

18. इस बात को **रेखांकित करती है** कि संकल्प 1718(2006) और 1874(2009) द्वारा अधिरोपित उपाय डीपीआरके की नागरिक जनसंख्या के लिए प्रतिकूल मानवीय परिणामों के लिए आशयित नहीं हैं;

19. यह **पुष्टि करती है** कि यह डीपीआरके के कृत्यों को निरंतर समीक्षाधीन रखेगी तथा डीपीआरके के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित समझे जाने वाले उपायों को सुदृढ़ बनाने, उनका आशोधन करने, उन्हें निलंबित करने अथवा उठाने के लिए तैयार है, अपने **इस दृढ़ संकल्प को भी अभिव्यक्त करती है** कि यह डीपीआरके द्वारा आगे परमाणु प्रक्षेपण अथवा परीक्षण किए जाने की स्थिति में उल्लेखनीय कार्रवाई करेगी;

20. इस मामले में सक्रियता के साथ कार्यवाही करने का **निर्णय लेती है**

अनुबंध I**यात्रा प्रतिबंध/आस्ति परिरोधन****1. पाएक चांग-हो**

- क. वर्णन : वरिष्ठ अधिकारी तथा कोरियाई अंतरित प्रौद्योगिकी समिति के उपग्रह नियंत्रण केन्द्र के प्रमुख।
- ख. एकेए : पाक चांग - हो; पाएक चांग-हो
- ग. पहचान : पासपोर्ट : 381420754; पासपोर्ट जारी करने की तारीख : 7 दिसम्बर, 2011, पासपोर्ट समाप्ति की तारीख : 7 दिसम्बर, 2016; जन्मतिथि : 18 जून, 1964; पी.ओ.बी. के सोंग, डीपीआरके

2. चांग मायोंग चिन

- क. वर्णन : सोहिया उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्र के महाप्रबंधक तथा उस प्रक्षेपण केन्द्र के प्रमुख जहां 13 अप्रैल और 12 दिसम्बर, 2012 को प्रक्षेपण संचालित किए गए।
- ख. एकेए : जांग मायोंग जिन
- ग. पहचान : जन्मतिथि : 1966; वैकल्पिक जन्मतिथि : 1965

3. रा कायोंग - सु

- क. वर्णन : रा कायोंग-सु तान्चोन वाणिज्यिक बैंक (टीसीबी) के अधिकारी हैं। इस हैसियत में उन्होंने टीपीबी के संव्यवहारों की सहायता की है। तान्चोन को समिति द्वारा अप्रैल, 2009 में डीपीआरके की उस प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में अभिहित किया गया था जो पारंपरिक हथियारों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ऐसे हथियारों के संग्रहण और विनिर्माण से संबंधित सामग्री की बिक्री के लिए उत्तरदायी थी।

4. किम क्वांग - इल

- क. वर्णन : किम क्वांग-इन तान्चोन वाणिज्यिक बैंक (टीसीबी) के अधिकारी हैं। इस पद पर, उन्होंने टीसीबी और कोरिया खनन विकास व्यापार कार्पोरेशन (कोओएमआईडी) की सहायता के लेन-देनों की सहायता की है। तान्चोन को समिति द्वारा अप्रैल, 2009 में डीपीआरके की उस प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में अभिहित किया गया था जो पारंपरिक हथियारों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ऐसे हथियारों के संग्रहण और विनिर्माण से संबंधित सामग्री की बिक्री के लिए उत्तरदायी थी। कोओएमआईडी को अप्रैल, 2009 में समिति द्वारा अभिहित किया गया था तथा वह डीपीआरके का बैलिस्टिक मिसाइलों और पारंपरिक हथियारों से संबंधित माल और उपकरणों का प्रमुख अस्त्र डीलर और मुख्य निर्यातक है।

अनुबंध II**परिरोधित आस्तियां****1. कोरियाई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समिति**

- क. वर्णन : कोरियाई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समिति (केसीएसटी) ने उपग्रह नियंत्रण केन्द्र तथा सोहिया प्रक्षेपण क्षेत्र के माध्यम से 13 अप्रैल, 2012 और 12 दिसम्बर, 2012 को डीपीआरके के प्रक्षेपणों की अगुआई की।
- ख. एकेए : डीपीआरके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समिति; डीपीआरके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विभाग; अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समिति; केसीएसटी

2. बैंक ऑफ ईस्ट लैंड

- क. वर्णन : डीपीआरके वित्तीय संस्थान बैंक, ईस्ट लैंड हथियारों से संबंधित संव्यवहारों में सहायता प्रदान करता है तथा अन्य सहायताएं उपलब्ध कराता है, ग्रीन पाइन एसोसिएटेड कापोरेशन (ग्रीन पाइन) नाम से हथियारों का विनिर्माता और निर्यातक है। बैंक ऑफ ईस्ट लैंड ने ऐसे तरीके से धनराशि के अंतरण के लिए ग्रीन पाइन के साथ सक्रिय रूप से कार्य किया है कि उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वर्ष 2007 और 2008 में, बैंक ऑफ ईस्ट लैंड ने ग्रीन पाइन और ईरानियन वित्तीय संस्थाओं, जिनमें बैंक मेल्ली और बैंक सेपाह भी शामिल थी, को अपने साथ शामिल करते हुए वित्तीय लेन-देनों में सहायता प्रदान की थी सुरक्षा परिक्षद ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प 1747 (2007) में बैंक सेपाह को अभिहित किया था। समिति द्वारा ग्रीन पाइन को अप्रैल, 2012 में अभिहित किया गया था।
- ख. एकेए : डोनबैंग, बैंक, टोंगबैंग यू ' न्हेंग, तोनबैंक बैंक मोरोनबंग जिला, प्योंगयान, डीपीआरके

3. कोरिया कमरयोंग ट्रेडिंग कापोरेशन

- क. वर्णन : अधिप्राप्ति क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए कोरिया माइनिंग डेवलपमेंट ट्रेडिंग कापोरेशन (केओएमआईडी) द्वारा उपनाम के रूप में प्रयुक्त। केओएमआईडी को समिति द्वारा अप्रैल, 2009 में अभिहित किया गया था तथा यह डीपीआरके का मुख्य हथियार डीलर तथा बैलिस्टिक मिसाइलों और पारंपरिक हथियारों से संबंधित माल और उपकरण का प्रमुख निर्यातक है।

4. दोसोंग टेक्नालॉजी ट्रेडिंग कापोरेशन

- क. वर्णन : कोरिया माइनिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन (केओएमआईडी) दोसोंग टेक्नालॉजी ट्रेडिंग कापोरेशन की मूल कंपनी है। केओएमआईडी को समिति द्वारा अप्रैल, 2009 में अभिहित किया गया था तथा यह डीपीआरके का मुख्य हथियार डीलर तथा बैलिस्टिक मिसाइलों और पारंपरिक हथियारों से संबंधित माल और उपकरण का प्रमुख निर्यातक है।
- ख. एकेए :

5. कोरिया रयोन्हा मशीनरी संयुक्त उद्यम कापोरेशन

- क. वर्णन : कोरिया रयोन्हा जनरल कापोरेशन कोरिया (रहोन्हा मशीनरी संयुक्त उद्यम कापोरेशन की मूल कंपनी है। कोरिया रयोन्बोंग जनरल कापोरेशन को समिति द्वारा अप्रैल, 2009 में अभिहित किया गया था तथा यह एक रक्षा संगठन है जो डीपीआरके के रक्षा उद्योगों के लिए अधिप्राप्ति करने में विशेषज्ञता प्राप्त है और यह उस देश के सैन्य-संबंधी विक्रयों को सहयोग प्रदान करता है।)
- ख. एकेए : चोसुन युन्हा मशीनरी संयुक्त ऑप्रेशन कंपनी, कोरिया रायेन्हा मशनरी जे/वी कापोरेशन, रयोन्हा मशीनरी ज्वाइंट वेंचर कापोरेशन
- ग. स्थान : सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, प्योंगयांग, डीपीआरके, मुंगुगंडे-गु, प्योंगयांग, डीपीआरके, मन्योंगडे जिला, प्योंगयांग, डीपीआरके

6. लीडर (हांगकांग) इंटरनेशनल

- क. वर्णन : कोरिया माइनिंग डेवलपमेंट ट्रेडिंग कापोरेशन (केओएमआईडी) की ओर से शिप मेंगें में सहायता प्रदान करती है। केओएमआईडी को समिति द्वारा अप्रैल, 2009 में अभिहित किया गया था तथा यह डीपीआरके का मुख्य हथियार डीलर तथा बैलिस्टिक मिसाइलों और पारंपरिक हथियारों से संबंधित माल और उपकरण का प्रमुख निर्यातक है।
- ख. एकेए : लीडर इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिमिटेड
- ग. स्थान : कमरा 1610 नान फंग टावर, 173, डेस बोयक्स रोड, हांगकांग

अनुसूची- IV

एस/आरईएस/2094 (2013)

संयुक्त राष्ट्र



सुरक्षा परिषद्

वितरण : सामान्य

7 मार्च, 2013

संकल्प 2094 (2013)**सुरक्षा परिषद् द्वारा 7 मार्च, 2013 को अपने 6932 वीं बैठक में अंगीकृत**

सुरक्षा परिषद्,

अपने पूर्व के संगत संकल्पों जिनमें संकल्प 825 (1993), संकल्प 1540 (2004), संकल्प 1695 (2006), संकल्प 1718 (2006), संकल्प 1874 (2009), संकल्प 1887 (2009) और संकल्प 2087 (2013), तथा 6 अक्टूबर, 2006 (एस/पीआरएसटी/ 2006/ 41), 13 अप्रैल 2009 (एस/ पीआरएसटी/ 2009/ 7) और 16 दिसम्बर, 2012 (एस/पीआरएसटी / 2012/13) के अपने सभापति के विवरणों को स्मरण करते हुए,

परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार व इसकी आपूर्ति के तरीकों जो अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है, की पुष्टि करते हुए,

इस बात के महत्व को रेखांकित करते हुए कि डीपीआरके अंतरराष्ट्रीय समुदायों की अन्य सुरक्षा और मानवीय चिंताओं के प्रति जवाबदेह है,

संकल्प 1718(2006), 1874 (2009) और संकल्प 2087 (2013) के संकल्पों के उल्लंघन में 12 फरवरी, 2013 (स्थानीय समय) को डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (द डीपीआरके) द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण और परमाणु हथियार अप्रसार संधि के तहत ऐसे परीक्षणों की चुनौतियों तथा परमाणु हथियारों के वैश्विक अप्रसार क्षेत्र को मजबूत बनाने तथा इस क्षेत्र व इसके परे क्षेत्रों में शांति और स्थायित्व के लिए खतरे से निपटने के प्रति अंतरराष्ट्रीय प्रयासों पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए,

यह चिंता व्यक्त की है कि डीपीआरके कूटनीति और दूतावास संबंध के विना समझौते के तहत प्रदत्त विशेषाधिकार और निरापदता का उल्लंघन कर रहा है,

प्रसार से जुड़े लक्षित वित्तीय प्रतिबंध पर नयी सिफारिश 7 के वित्तीय कार्रवाई कृतिक बल (एफएटीएफ) का स्वागत करते हुए और सदस्य राष्ट्रों का प्रसार संबंधी लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश 7 और इसके संबंधित दिशानिर्देश पत्रों के लिए एफएटीएफ की व्याख्यात्मक टिप्पणी को लागू करने का अनुरोध करते हुए,

इस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कि डीपीआरके की चालू परमाणु और बैलेस्टिक मिसाइल संबंधी गतिविधियों ने इस क्षेत्र या इसके परे तनाव को सृजित और बढ़ावा दिया है और इसकी पुष्टि करते हुए कि यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए लगातार एक स्पष्ट खतरा बना हुआ है,

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय सात के तहत कार्रवाई करते हुए और इसके अनुच्छेद 41 के अंतर्गत उपाय करते हुए,

1. परिषद् के संगत संकल्पों का उल्लंघन और घोर अनादर करते हुए 12 फरवरी, 2013 (स्थानीय समय) को डीपीआरके द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण की कड़ी निंदा करता है;
2. यह निर्णय लेता है कि डीपीआरके आगे कोई ऐसा परीक्षण नहीं करेगा जिसमें बैलेस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी, परमाणु परीक्षण अथवा ऐसी कोई उत्तेजना हो;
3. मांग करता है कि डीपीआरके तत्काल एनपीटी से अपने निकलने की घोषणा को वापस लेगा;
4. आगे यह मांग करता है कि डीपीआरके एनपीटीके प्रति राष्ट्रों के अधिकारों और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए एनपीटी और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के लिए यथाशीघ्र वापस लौटे और सभी राष्ट्रों के लिए उनके संधि संबंधी दायित्वों का पालन करने हेतु इसे जारी रखने के लिए एनपीटी की आवश्यकता को रेखांकित करता है;
5. डीपीआरके की जारी सभी परमाणु गतिविधियों जिसमें इसके यूरैनियम संवर्धन शामिल है, की भर्त्सना करता है और नोट करता है कि ऐसी गतिविधियां 1718 (2006), 1874 (2009) और 2087 (2013) के प्रस्तावों का उल्लंघन है, अपने निर्णय की पुष्टि करता है कि डीपीआरके पूर्ण रूपेण जांच योग्य और पुनः इसे वापस न शुरू करने के तरीके से अपने सभी परमाणु हथियारों और विद्यमान परमाणु कार्यक्रमों को त्याग देगा और तत्काल ही सभी संबंधित क्रियाकलापों को रोक देगा व एनपीटी तथा आईएईए सुरक्षा समझौता (आईएईए आईएनएफसीआईआरसी/403) के निबंधन व शर्तों के अंतर्गत पक्षों पर लागू दायित्वों के अनुसार कठोरता पूर्वक कार्य करेगा;
6. अपने निर्णय की पुनर्पुष्टि करता है कि डीपीआरके पूर्णरूपेण और पुष्टियोग्य व पुनः शुरू न करने के लिए अपने सभी अन्य विद्यमान व्यापक जनसंहार के हथियारों व बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को छोड़ देगा;
7. यह पुष्टि करता है कि संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 8 (ग) में अधिरोपित उपाय संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 8 (क) (एक), 8 (क) (दो) और संकल्प 1874 (2009) के पैराग्राफ 9 और 10 द्वारा प्रतिबंधित मदों पर लागू हो, निर्णय लेता है कि संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 8 (ग) में अधिरोपित उपाय इस संकल्प के पैराग्राफ 20 और 22 के लिए भी लागू हों, और यह नोट करता है कि अन्य राष्ट्रों में प्रतिबंधित वस्तुओं के प्रावधान, अनुरक्षण अथवा इस्तेमाल अथवा अन्य राष्ट्रों से इसकी आपूर्ति, बिक्री या हस्तांतरण व निर्यात के लिए व्यवस्था सहित ब्रोकिंग अथवा अन्य मध्यस्थ सेवाओं पर भी लागू होते हैं;
8. आगे यह निर्णय लेता है कि संकल्प 1718 (2006) के पैरा 8 (घ) में विनिर्दिष्ट उपाय इस संकल्प के अनुबंध एक और दो में सूचीबद्ध व्यक्तियों और सत्ताओं व उनकी ओर से कार्य कर रहे अथवा उनके निर्देश पर कार्य कर रहे व्यक्तियों और सत्ताओं और उनके स्वाधिकृत या नियंत्रित सत्ताओं जिसमें गैरकानूनी साधन शामिल है, पर भी लागू होंगे और आगे यह निर्णय लेता है कि संकल्प 1718 (2006) के पैरा 8 (घ) में विनिर्दिष्ट उपाय उनकी ओर से कार्य कर रहे लोगों अथवा सत्ताओं अथवा उन लोगों और सत्ताओं के निर्देश पर कार्य कर रहे लोगों अथवा सत्ताओं पर लागू होंगे जिन्हें गैर कानूनी साधनों सहित उनके द्वारा स्वाधिकृत अथवा नियंत्रित सत्ताओं हेतु पहले ही विनिर्दिष्ट किया गया है;
9. यह निर्णय लेता है कि संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 8 (ड.) में विनिर्दिष्ट उपाय इस संकल्प के अनुबंध में सूचीबद्ध लोगों और उनकी ओर से या उनके निर्देश पर कार्य कर रहे लोगों पर भी लागू होंगे;
10. यह निर्णय लेता है कि संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 8 (ड.) में विनिर्दिष्ट उपाय और संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 10 में निर्धारित छूट उस किसी व्यक्ति पर भी लागू होगा जिसमें कोई राष्ट्र निर्धारित करता है और संकल्पों 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) और इस संकल्प के प्रावधानों के प्रतिबंधों से वंचन अथवा उल्लंघन में सहायता करने वाले नामोद्दिष्ट व्यक्ति अथवा

सत्ता या लोग की ओर से अथवा उनके निर्देश पर कार्य कर रहा हो और आगे यह निर्णय लेता है कि यदि यह व्यक्ति डीपीआरके का नागरिक है तो अन्य राष्ट्र डीपीआरके को प्रत्यावर्तन करने के उद्देश्य से उनके राज्य क्षेत्र से उन्हें बाहर निकालेगा जो न्यायिक प्रक्रिया अथवा विशेष रूप से चिकित्सा, सुरक्षा अथवा अन्य मानवीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रयोज्यता के साथ ससंजक हो बशर्ते कि इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं हो जो संयुक्त राष्ट्र के कार्य को करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय को डीपीआरके के सरकार के प्रतिनिधियों के पारगमन को बाधित करेगा।

11. यह निर्णय लेता है कि सदस्य राष्ट्र संकल्प 1718 (2006) के पैरा 8 (घ) और (ड.) के अनुसरण में अपने दायित्वों के कार्यान्वयन के अतिरिक्त अपने राष्ट्र क्षेत्र में या वहां से उनके नागरिकों अथवा उनके कानूनों के तहत गठित सत्ताओं (विदेश में स्थित शाखाओं सहित) अथवा लोगों अथवा अपने क्षेत्रों में स्थित वित्तीय संस्थाओं के जरिये भारी मात्रा में नकद सहित किन्हीं वित्तीय अथवा अन्य आस्तियों या संसाधनों के प्रावधानों को रोकेगा जिससे डीपीआरके के परमाणु अथवा बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों अथवा संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) और इस संकल्प द्वारा प्रतिबंधित अथवा संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) और इस संकल्प द्वारा अधिरोपित उपायों से बचने के लिए अन्य गतिविधियों में सहयोग कर सकता हो, इसमें उनके क्षेत्रों में वित्तीय अथवा अन्य आस्तियों व संसाधनों जो उसके पश्चात उनके क्षेत्राधिकार में आते हों और जो उनके क्षेत्राधिकार के अधधीन हो, को जब्त करना शामिल है जो ऐसे कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से जुड़ा हो और उनके राष्ट्रीय प्राधिकारियों एवं कानूनों के अनुरूप ऐसे सभी लेनदेनों को रोकने के लिए संबंधित निगरानी पर लागू होता हो;

12. राष्ट्रों से आह्वान करता है कि वे अपने क्षेत्रों में डीपीआरके के बैंकों की नई शाखाओं, अनुषंगी शाखाओं अथवा प्रतिनिधि शाखाओं को खोलने के लिए मना करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करे और राष्ट्रों से यह भी आह्वान करता है कि यदि उन्हें यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार वाली सूचना हो कि संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) और इस संकल्प द्वारा प्रतिबंधित डीपीआरके के परमाणु या मिसाइल कार्यक्रमों अथवा अन्य गतिविधियां अथवा संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) और इस संकल्प द्वारा अधिरोपित उपायों से वंचन के लिए वह उनके क्षेत्रों में वित्तीय सेवा के प्रावधानों में बैंकों के साथ नए संयुक्त उपक्रम और स्वामित्व हित की स्थापना अथवा प्रतिनिधि संबंध बनाता है तो डीपीआरके बैंकों पर प्रतिबंध लगाएं;

13. राष्ट्रों से आह्वान करता है कि यदि उन्हें यह सूचना हो जो यह मानने के लिए उपयुक्त आधार देता हो कि ऐसी वित्तीय सेवा से संकल्प 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) और इस संकल्प द्वारा प्रबंधित डीपीआरके के परमाणु अथवा बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों में सहायता मिल सकती है , तो वे डीपीआरके में प्रतिनिधि कार्यालयों अथवा अनुषंगी कार्यालयों अथवा बैंक खातों को खोलने से अपने क्षेत्रों की वित्तीय संस्थाओं को मना करने के लिए उपयुक्त उपाय कर सकते हैं;

14. चिंता व्यक्त करता है कि डीपीआरके को भारी मात्रा में नकद के अंतरण का इस्तेमाल संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) और इस संकल्प में अधिरोपित उपायों से बचने के लिए किया जा सकता है और यह स्पष्ट करता है कि सभी राष्ट्रों को डीपीआरके को या उससे नकद कूरियर या प्रेषण माध्यम सहित नकद अंतरण के संबंध में इस संकल्प के पैराग्राफ 11 में निर्धारित उपायों पर लागू होंगे ताकि यह सुनिश्चित हो कि भारी मात्रा में नकद अंतरण का इस्तेमाल संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) और इस संकल्प द्वारा प्रतिबंधित डीपीआरके के परमाणु अथवा बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों अथवा अन्य गतिविधियां अथवा संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) और इस संकल्प द्वारा अधिरोपित उपायों से बचने के लिए न हो;

15. यह निर्णय करता है कि सभी सदस्य राष्ट्र डीपीआरके के साथ व्यापार के लिए सार्वजनिक वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेंगे (इसमें ऐसे व्यापार में शामिल उनके नागरिक अथवा सत्ता के लिए निर्यात ऋण, गारंटी अथवा बीमा देना शामिल है) जहां ऐसी वित्तीय सहायता से संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) और इस संकल्प द्वारा प्रतिबंधित डीपीआरके के परमाणु अथवा बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम अथवा अन्य गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता और संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) और इस संकल्प द्वारा अधिरोपित उपायों से वंचन शामिल है;

16. यह निर्णय करता है कि सभी राष्ट्र डीपीआरके अथवा इसके नागरिकों अथवा व्यक्तियों या उनकी ओर से कार्यरत किसी सत्ता द्वारा डीपीआरके के लिए अथवा वहां जाने के लिए वहां से शुरू होने वाले अथवा पारगमन करने वाले सभी कार्गो की जांच करेंगे जब संबंधित

राष्ट्र के पास यह विश्वस्त सूचना हो कि उस कार्गो में ऐसी वस्तुएं हैं जिसकी आपूर्ति, बिक्री या अंतरण या निर्यात संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) और इस संकल्प द्वारा उन प्रावधानों के कठोर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक है;

17. यह निर्णय करता है कि यदि कोई जहाज किसी राष्ट्र के झंडे युक्त हो और उसे प्राधिकृत किया गया हो एवं ऐसी जांच के लिए अनुमति नहीं प्रदान करता है अथवा यदि डीपीआरके का झंडा लगाए हुए कोई जहाज ने संकल्प 1874 (2009) के पैराग्राफ 12 के अनुसरण में जांच करने से मना कर दिया है तो सभी राष्ट्र जांच के उद्देश्य, आपात स्थिति या इसे अपने मूल पत्तन में वापस लौटने की स्थिति के लिए प्रवेश की स्थिति नहीं होने पर अपने पत्तनों में प्रवेश नहीं देंगे और आगे यह निर्णय करता है कि कोई भी राष्ट्र जिसने जांच की अनुमति देनेके लिए इस जहाज को मना कर दिया है, वह इस समिति को इस बारे में तत्काल रिपोर्ट देगा;

18. राष्ट्रों से आह्वान करता है कि यदि उनके पास यह सूचना हो जिसमें उन्हें उपयुक्त आधार दिया गया हो ताकि यह विश्वास हो कि उक्त वायुयान में आपात स्थिति में लैंडिंग के मामले को छोड़कर संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) और इस संकल्प द्वारा बिक्री, अंतरण अथवा निर्यात की जाने वाली प्रतिबंधित वस्तुएं हों तो उस वायु यान को वहां से उड़ान भरने अथवा उस क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं प्रदान करें;

19. सभी राष्ट्रों से अनुरोध करता है कि वे डीपीआरके के वायुयानों अथवा जहाजों को अन्य कंपनियों को हस्तांतरण करने के संबंध में उपलब्ध किसी भी सूचना के बारे में समिति को सूचित करें जिसे संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) और इस संकल्पके प्रावधानों के तहत प्रतिबंध से बचने अथवा इसके उल्लंघन के लिए किया गया हो, इसमें वायुयानों और जहाजों के पुनर्नामकरण और पुनर्पंजीकरण शामिल है और अनुरोध करता है कि समिति इस सूचना को व्यापक रूप से उपलब्ध कराएं;

20. यह निर्णय लेता है कि संकल्प 1718 (2006) के पैरा 8 (क) और 8 (ख) में अधिरोपित उपाय इस संकल्प के अनुबंध तीन में दी गयी मदों, सामग्रियों, उपकरणों, वस्तुओं और प्रौद्योगिकी पर भी लागू होंगे;

21. समिति को निर्देश देता है कि वह इस संकल्प के स्वीकार किए जाने के 12 महीने से अनधिक और उसके बाद वार्षिक आधार पर संकल्प 2087 (2013) के पैराग्राफ 5 (ख) में विनिर्दिष्ट सूची में निहित मदों की समीक्षा करें और इसे अद्यतन रखें और यह निर्णय लेता है कि यदि समिति ने तब तक इस सूचना को अद्यतन करने के लिए कार्य नहीं किया है जो सुरक्षा परिषद् अतिरिक्त तीस दिनों में इसे अद्यतन करने के लिए कार्रवाई पूरी करेगा;

22. सभी राष्ट्रों से आह्वान करता है और उन्हें अनुमति प्रदान करता है कि वे डीपीआरके अथवा इसके नागरिकों को या उससे उनके क्षेत्रों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनके क्षेत्रों अथवा उनके नागरिकों के माध्यम से अथवा उनके झंडे से युक्त जहाज या वायुयान के प्रयोग द्वारा और उनके क्षेत्रों से बनने वाली किन्हीं वस्तुओं की बिक्री या अंतरण को रोकें यदि राष्ट्र यह पुष्टि करे कि ऐसी वस्तु डीपीआरके के परमाणु अथवा बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों, गतिविधियों में योगदान दे सकता है जो संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) और इस संकल्प द्वारा प्रतिबंधित है अथवा संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) अथवा इस संकल्प द्वारा अधिरोपित उपायों का वंचन है और समिति को निर्देश देता है कि वे इस प्रावधान के उचित कार्यान्वयन के संबंध में कार्यान्वयन सहायता नोटिस जारी करें;

23. विलासितापूर्ण वस्तुओं के संबंध में संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 8 (क) (तीन) में अधिरोपित उपायों की पुनर्पुष्टि करता है और यह स्पष्ट करता है कि 'विलासिता की वस्तुओं' में इस संकल्प के अनुबंध चार में विनिर्दिष्ट वस्तुएं शामिल हैं, हालांकि यह उन तक ही सीमित नहीं है;

24. राष्ट्रों से आह्वान करता है कि वे डीपीआरके कूटनीति कार्मिक पर अधिक निगरानी रखें ताकि संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) और इस संकल्प द्वारा प्रतिबंधित डीपीआरके के परमाणु अथवा बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों अथवा अन्य गतिविधियों में योगदान करने अथवा संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) और इस संकल्प द्वारा अधिरोपित उपायों के वंचन से ऐसे लोगों को रोका जा सके;

25. सभी राष्ट्रों से आह्वान करता है कि वे इस संकल्प को स्वीकार करने के 90 दिनों के भीतर और उसके बाद समिति द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद इस संकल्प के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में उनके द्वारा किए गए ठोस उपायों के संबंध में सुरक्षा परिषद् को सूचित करें और 1874 (2009) के अनुसरण में और अन्य संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध निगरानी समूहों के सहयोग से स्थापित विशेषज्ञों के पैनल से अनुरोध करता है कि वे समयबद्ध रूप से ऐसी रिपोर्टों को तैयार करने और उन्हें सौंपने में राष्ट्रों को सहयोग देने के अपने प्रयास जारी रखें;
26. सभी राष्ट्रों से आह्वान करता है कि वे संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) अथवा इस संकल्प में अधिरोपित उपायों के गैर अनुपालन के संबंध में अपने निस्तारण के बारे में सूचना प्रदान करें;
27. समिति को संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) और इस संकल्प में निर्णित उपायों के उल्लंघन के प्रति प्रभावी रूप से कार्रवाई करने का निर्देश देता है, समिति को संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) और इस संकल्प में अधिरोपित उपायों के अध्यक्षीन अतिरिक्त व्यक्तियों और सत्ताओं को नामोद्दिष्ट करने का निर्देश देता है, और यह निर्णय लेता है कि समिति संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) और इस संकल्प द्वारा प्रतिबंधित डीपीआरके के परमाणु और बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम अथवा अन्य गतिविधियों अथवा संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) और इस संकल्प द्वारा अधिरोपित उपायों के वंचन में योगदान देने के संबंध में संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 8 (घ) के तहत उपायों हेतु किसी भी व्यक्ति और 8 (ड.) के तहत उपायों और संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 8 (घ) के तहत उपायों हेतु किसी भी सत्ता को नामोद्दिष्ट कर सकता है;
28. यह निर्णय लेता है कि संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 12 में यथा निर्धारित समिति का अधिदेश संकल्प 1874 (2009) और इस संकल्प में अधिरोपित उपायों के संबंध में लागू होंगे;
29. उक्त पैराग्राफ द्वारा प्रदत्त कार्यों को करने के लिए समिति के निर्देश के तहत विशेषज्ञों के पैनल के सृजन जो संकल्प 1874 (2009) के पैराग्राफ 26 के अनुसरण में है, का स्मरण करता है, संकल्प 2050 (2012) द्वारा यथा नवीकृत पैनल के अधिदेश को 7 अप्रैल, 2014 तक बढ़ाने का निर्णय लेता है, आगे यह निर्णय लेता है कि यह अधिदेश इस संकल्प में अधिरोपित उपायों के संबंध में लागू होगा, इस अधिदेश की समीक्षा करने इस संकल्प के अंगीकरण से 12 महीने से अनधिक विस्तार के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करने के प्रति अपना इरादा व्यक्त करता है, महासचिव से अनुरोध करता है कि वे आठ विशेषज्ञों को एक समूह बनाए और इस संबंध में आवश्यक प्रशासनिक उपाए करें और इस समिति से अनुरोध करता है कि इस पैनल से परामर्श कर रिपोर्टिंग संबंधी पैनल की अनुसूची को समयोजित करें;
30. यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने वाले डीपीआरके सहित सभी सदस्य राष्ट्रों की महत्ता पर बल देता है कि संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) में निर्धारित उपायों अथवा यह संकल्प अथवा कोई भी व्यक्ति जो किसी संविदा अथवा अन्य लेने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा सत्ता के लाभ के लिए डीपीआरके अथवा डीपीआरके में किसी व्यक्ति या सत्ता के दृष्टांत पर कोई दावा लागू नहीं होगा जहां इसके कार्यनिष्पादन को इस संकल्प अथवा पूर्व संकल्पों द्वारा अधिरोपित उपायों द्वारा रोक दिया गया था;
31. उन उपायों को रेखांकित करता है जो संकल्प 1718 (2006) , 1874 (2009), 2087 (2013) द्वारा अधिरोपित हैं और इन संकल्पों का तात्पर्य यह है कि यह डीपीआरके की आम जनसंख्या के लिए प्रतिकूल मानवीय त्रासदी न हों;
32. इस पर बल देता है कि सभी सदस्य राष्ट्र कूटनीतिक संबंधों संबंधी विना कंवेशन के अनुसरण में डीपीआरके में कूटनीतिक मिशन की गतिविधियों के पूर्वाग्रह के बिना संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 8 (क) (तीन) और 8 (घ) के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए;
33. इस स्थिति के शांतिपूर्ण, कूटनीतिक और राजनीतिक समाधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करता है और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण और व्यापक समाधान को सुकर बनाने तथा किन्हीं कार्रवाई जो तनाव को और बढ़ा सकता है, से बचने के लिए परिषद् के सदस्यों और अन्य राष्ट्रों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का स्वागत करता है;
34. छह दलीय बातचीत को समर्थन देने की अभिपुष्टि करता है, इसे शुरू करने का आह्वान करता है, सभी प्रतिभागियों को शांतिपूर्ण तरीके से कोरियाई प्रायद्वीप को सत्यापनीय परमाणु हथियार मुक्त करने और कोरियाई प्रायद्वीप व पूर्वोत्तर एशियाई क्षेत्र में शांति और

स्थायित्व बनाए रखने के लिए चीन, डीपीआरके, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रूसी संघ और अमेरिका द्वारा 19 सितम्बर, 2005 को जारी संयुक्त वक्तव्य के पूर्ण और त्वरित कार्यान्वयन पर अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह करता है;

35. कोरियाई प्रायद्वीप और व्यापक रूप से पूर्वोत्तर एशियाई क्षेत्रों में शांति व स्थायित्व बनाए रखने की महत्ता पर जोर देता है;

36. इसकी पुष्टि करता है कि वह डीपीआरके की गतिविधियों की लगातार समीक्षा करना जारी रखेगा और इसके संवर्धन, संशोधन और प्रतिबंध के लिए तैयार होता है अथवा उपायों को हटायेगा जो डीपीआरके के आलोक में आवश्यक हो सकता है और इस संबंध में यह डीपीआरके द्वारा आगे प्रक्षेपण अथवा परमाणु परीक्षण की घटना में महत्वपूर्ण उपायों को करने के लिए अपनी दृढ़ता व्यक्त करता है;

37. यह इस मामले पर जव्त रहने का निर्णय करता है।

अनुबंध एक

यात्रा प्रतिबंध /आस्ति जब्ती

1. योन चोंग नाम

(क) विवरण : कोरिया माइनिंग डेवलपमेंट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (केओएमआईडी) का मुख्य प्रतिनिधि। केओएमआईडी को अप्रैल 2009 में समिति द्वारा नामोद्दिष्ट किया गया था और यह डीपीआरके का मुख्य हथियार विक्रीकर्ता और बैलिस्टिक मिसाइल और परंपरागत हथियारों से जुड़ी वस्तुओं और उपकरणों का मुख्य निर्यातक है।

2. को चोल – चाय

(क) विवरण : कोरिया माइनिंग डेवलपमेंट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (केओएमआईडी) का उप मुख्य प्रतिनिधि। केओएमआईडी को अप्रैल 2009 में समिति द्वारा नामोद्दिष्ट किया गया था और यह डीपीआरके का मुख्य हथियार विक्रीकर्ता और बैलिस्टिक मिसाइल और परंपरागत हथियारों से जुड़ी वस्तुओं और उपकरणों का मुख्य निर्यातक है।

3. मुन चोंग – चोल

(क) विवरण : मुन चोंग –चोल एक टीसीबी अधिकारी होता है। इस हैसियत से उसने टीसीबी के लिए लेन देन को सुकर बनाया है। टेंचोन को अप्रैल 2009 में समिति द्वारा नामोद्दिष्ट किया गया था और यह डीपीआरके के परंपरागत हथियारों, बैलिस्टिक मिसाइलों और वस्तुओं जो ऐसे हथियारों को जोड़ने और निर्माण से संबंधित है, की विक्री के लिए मुख्य वित्तीय कंपनी है।

अनुबंध दो

आस्ति जब्ती

1. प्राकृतिक विज्ञान की द्वितीय अकादमी

(क) विवरण: प्राकृतिक विज्ञान की द्वितीय अकादमी एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो मिसाइल और संभावित रूप से परमाणु हथियारों सहित डीपीआरके की उन्नत हथियार प्रणाली के अनुसंधान और विकास के लिए उत्तरदायी है। प्राकृतिक विज्ञान की द्वितीय अकादमी, डीपीआरके के मिसाइल और संभावित परमाणु हथियार कार्यक्रमों में इस्तेमाल के लिए टंगन ट्रेडिंग निगम सहित विदेश से प्रौद्योगिकी, उपकरण और सूचना प्राप्त करने के लिए कई अधीनस्थ संगठनों का इस्तेमाल करता है। टंगन ट्रेडिंग निगम को जुलाई, 2009 में समिति द्वारा नामोद्दिष्ट किया गया था और यह मुख्य रूप से संगत बहुपक्षीय नियंत्रण क्षेत्रों के तहत नियंत्रित अथवा प्रतिबंधित सामग्रियों सहित व्यापक जनसंहार के हथियारों और डिलिवरी प्रणाली के कार्यक्रमों और प्रापण, किंतु केवल यहां तक ही सीमित नहीं, सहित डीपीआरके के रक्षा अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों की सहायता के लिए वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के प्रापण के लिए उत्तरदायी है।

(ख) एकेए: प्राकृतिक विज्ञान की द्वितीय अकादमी; सीएचई 2 चायोन क्वाहाक्वोन; प्राकृतिक विज्ञान अकादमी; चायोन क्वाहाक- वोन; नेशनल डिफेंस अकादमी; कुकपांग क्वाहाक- वोन; प्राकृतिक विज्ञान की द्वितीय अकादमी अनुसंधान संस्थान; सांश्री

(ग) स्थान: प्योंगयांग, डीपीआरके

2. कोरिया कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट इंपोर्ट कोरपोरेशन

(क) विवरण : कोरिया रियोनबोंग जेनरल कोरपोरेशन कोरिया कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट इंपोर्ट कार्पोरेशन की मूल कंपनी है। कोरिया रियोनबोंग जेनरल कार्पोरेशन को अप्रैल, 2009 में समिति द्वारा नामोद्दिष्ट किया गया था और यह डीपीआरके के रक्षा उद्योग और इसकी सहायता जो देश की सैन्य संबंधित विक्री के लिए होती है, हेतु अधिग्रहण में रक्षा समूह विशेषज्ञ है।

(ख) स्थान: रेक्वोन – डोंग, पोथोंगेंग जिला, प्योंगयांग, डीपीआरके।

अनुबंध तीन

वस्तुएं, सामग्री, उपकरण, वस्तु और प्रौद्योगिकी

नाभिकीय वस्तुएं

1. परफ्लूरिनेटेड लुब्रिकेंट

- इनका इस्तेमाल वेक्युम पंप और कंप्रेसर बेयरिंग के लुब्रिकेंटिंग के लिए किया जा सकता है। इसका वाष्प दबाव कम होता है, जो यूरेनियम हेक्साफ्लूराइड (यूएफ 6) का प्रतिरोधी होता है, गैस अभिकेंद्री प्रक्रिया में प्रयुक्त गैसीय यूरेनियम यौगिक और इसका इस्तेमाल फ्लोरिन के पंप के लिए किया जाता है।

2. यूएफ6 कोरोशन रेसिस्टेंट बिलो सीलड वाल्व

- इसका इस्तेमाल यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं (यथा गैस अभिकेंद्री और गैसीय डिफ्यूज संयंत्र) में किया जा सकता है, उन सुविधाओं में जो यूरेनियम हेक्साफ्लूराइड (यूएफ6) का उत्पादन करता है, गैस अभिकेंद्री प्रक्रिया में प्रयुक्त गैसीय यूरेनियम यौगिक, ईंधन फेब्रिकेशन सुविधाओं में और ट्रिटियम की संभलाई सुविधाओं में।

मिसाइल से जुड़ी वस्तुएं

1. विशेष जंक रोधी इस्पात- जो इस्पात तक सीमित होता है जो इंहिविटेड रेड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड (आईआरएफएनए) अथवा नाइट्रिक एसिड का प्रतिरोधी होता है यथा नाइट्रोजन स्टेबलाइज्ड डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील (एन-डीएसएस)।

2. अल्ट्रा उच्च ताप वाला ठोस रूप वाला सेरामिक संश्लिष्ट सामग्री (अर्थात् ब्लॉक सिलेंडर, ट्यूब अथवा इंगोट्स) जो निम्न रूप वाले कारकों में से किसी में भी होता है:

(क) 120 मिलीमीटर या इससे अधिक व्यास वाला अथवा 50 मिलीमीटर या इससे अधिक की लंबाई वाला सिलेंडर;

(ख) 65 मिलीमीटर या इससे अधिक आंतरिक व्यास वाला और 25 मिलीमीटर या इससे अधिक की दीवार मोटाई वाला तथा 50 मिलीमीटर या इससे अधिक की लंबाई वाला ट्यूब; अथवा

(ग) 120 मिलीमीटर x 120 मिलीमीटर x 50 मिलीमीटर या इससे अधिक के आयाम वाले ब्लॉक।

3. पायरोटेक्निकली एक्चुयेटेड वाल्व।

4. विंड टनेल (संतुलन, तापीय धारा मापन, प्रवाह नियंत्रण) के लिए इस्तेमाल योग्य मापन और नियंत्रण उपकरण।

5. सोडियम परक्लोरेट।

रासायनिक हथियारों की सूची

1.1 मीटर³ प्रति घंटा (मानक तापमान और दबाव स्थिति में) से अधिक निर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम प्रवाह – दर वाला वेक्यूम पंप, कास्टिंग (पंप बॉडी), प्रीफार्म्ड कैसिंग लाइनर, इंपेल्लर, रॉटर्स और जेट पंप नॉजल जो ऐसे पंपों के लिए डिजाइन किया गया हो, जिसमें सभी सतहें जो रसायनों के सीधे संपर्क में आते हैं जिसमें प्रसंस्कृत किए जाने वाले रसायनों को नियंत्रित सामग्रियों से बनाया जाता है।

अनुबंध चार**विलासिता की वस्तुएं**

1. आभूषण

(क) मोती युक्त आभूषण

(ख) रत्न

(ग) कीमती और कम कीमती पत्थर (हीरा, सफायर, रूबी और इमेरेल्ड सहित)

(घ) कीमती धातुओं के आभूषण अथवा कीमती धातु युक्त अन्य धातु

2. परिवहन वस्तुएं निम्न हैं:

(क) याट्च

(ख) लक्जरी आटोमोबाइल (और मोटर वाहन); लोगों को लाने या ले जाने के लिए आटोमोबाइल और अन्य मोटर वाहन

(सर्वजनिक परिवहन के अलावा) जिसमें स्टेशन वैगन शामिल हैं;

(ग) रेसिंग कार।

अनुसूची- V**संयुक्त राष्ट्र**

एस/आरईएस/2270(2016)

संयुक्त राष्ट्र

वितरण : सामान्य

2 मार्च, 2016

संकल्प 2270(2016)**सुरक्षा परिषद द्वारा उसकी 7638वीं बैठक में 1 मार्च, 2016 को अंगीकृत**

सुरक्षा परिषद,

अपने पूर्व के प्रासंगिक संकल्पों का **स्मरण करते हुए** जिनमें संकल्प 825(1993), संकल्प 1540(2004) संकल्प 1695(2006), संकल्प 1718(2006), संकल्प 1874(2009), संकल्प 1887(2009), संकल्प 2087(2013) और संकल्प 2094(2013) तथा उसके अध्यक्ष के 6 अक्तूबर (एस/पीआरएसटी/2006/41), 13 अप्रैल, 2009 (एस/पीआरटी/2009/7) और 16 अप्रैल, 2012 (एस/पीआरएसटी/2013/13) के वक्तव्य भी शामिल हैं,

इस बात की **पुष्टि करते हुए** कि परमाणु रासायनिक और जैविक हथियारों का प्रचुरोद्भवन तथा साथ ही उनके वितरण के तरीके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं;

संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) के उल्लंघन में लोकतांत्रिक कोरिया जन गणतंत्र ("डीपीआरके") द्वारा 6 जनवरी, 2016 को संचालित किए गए परमाणु परीक्षण तथा परमाणु हथियारों के गैर-प्रचुरोद्भव संबंधी संधि ("एनटीपी") और परमाणु हथियारों के गैर-प्रचुरोद्भव की वैश्विक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने पर लक्षित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर ऐसे परीक्षण द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों और इसके द्वारा क्षेत्र और उसके आस-पास शांति और सुरक्षा को उत्पन्न किए गए खतरे के प्रति गंभीरतम **चिंता व्यक्त करते** हुए,

उस महत्व को पुनः **रेखांकित करते हुए** जो डीपीआरके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सुरक्षा और माननीय चिंताओं के प्रति दर्शाया जाना चाहिए,

इस बात को भी **रेखांकित करते हुए** कि इस संकल्प द्वारा अधिरोपित किए गए उपायों का आशय डीपीआरके नागरिकों के लिए प्रतिकूल मानवीय परिणाम उत्पन्न करना नहीं है,

अपने परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास के प्रति डीपीआरके के वित्तीय, तकनीकी और औद्योगिक संसाधनों के विपथन पर खेद व्यक्त करते हुए और परमाणु हथियारों के विकास के प्रति इसके घोषित आशय की निंदा करते हुए,

डीपीआरके के लोगों द्वारा महसूस की जा रही गंभीर विपदाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए,

इस बात पर **गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए** कि डीपीआरके की शस्त्रों की विक्री ने ऐसा राजस्व सृजित किया है जिसे परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों की होड़ में विपथित किया जा रहा है जबकि डीपीआरके नागरिकों की अनेक मांगों की पूर्ति नहीं की जा रही है।

इस बात पर **गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए** कि डीपीआरके 2014 और 2015 में बैलिस्टिक मिसाइलों के लगातार प्रक्षेपण तथा 2015 में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल इजेक्शन के माध्यम से सुरक्षा परिषद के संकल्पों का निरंतर उल्लंघन किया है तथा यह **नोट करते हुए** कि ऐसे समस्त बैलिस्टिक मिसाइल क्रियाकलाप डीपीआरके की परमाणु हथियार वितरण प्रणालियों के विकास में सहायता करते हैं तथा क्षेत्र और उसके आस-पास तनाव में वृद्धि करते हैं,

इस बात पर अपनी **निरंतर चिंता व्यक्त करते हुए** कि डीपीआरके राजनयिक और कांसुलर संबंधों पर वियना कन्वेंशन के अंतर्गत समझौता किए गए विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है,

इस बात पर **गंभीरतम चिंता व्यक्त करते हुए** कि डीपीआरके की चल रही परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों संबंधित गतिविधियों ने क्षेत्र तथा उसके आस-पास तनाव में अत्यधिक वृद्धि की है तथा यह **रेखांकित करते हुए** कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए निरंतर खतरा बना हुआ है,

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए तथा इसके अनुच्छेद 41 के अंतर्गत उपाय करते हुए,

1. परिषद के प्रासंगिक संकल्पों का उल्लंघन और घोर अवमानना करते हुए डीपीआरके द्वारा 6 जनवरी, 2016 को संचालित किए गए परमाणु परीक्षण की कठोरतम शब्दों में **भर्त्सना करती है** और जिसने बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया तथा जो संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) का गंभीर उल्लंघन है;
2. अपने इस निर्णय की **पुनः पुष्टि करती है** कि डीपीआरके आगे कोई ऐसे प्रक्षेपण नहीं करेगा जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी, परमाणु परीक्षणों अथवा किसी अन्य उद्दीपकों का प्रयोग किया गया हो और अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित सभी क्रियाकलापों को निलंबित कर देगा तथा इस संदर्भ में मिसाइल प्रक्षेपणों पर मोर्टारियम के प्रति अपने पूर्व-विद्यमान प्रतिबद्धताओं को पुनः स्थापित करेगा, और यह **मांग करती है** कि डीपीआरके तत्काल इन दायित्वों का पूर्णतः अनुपालन करेगा;
3. अपने इस निर्णय की **पुनः पुष्टि करती है** कि डीपीआरके एक पूर्ण, सत्यापनीय और अपरिवर्तनीय तरीके से अपने सभी परमाणु हथियारों और विद्यमान परमाणु कार्यक्रमों को त्याग देगा और उससे संबद्ध सभी क्रियाकलापों को तत्काल रोक देगा;
4. अपने इस निर्णय की **पुनः पुष्टि करती है** कि डीपीआरके एक सत्यापनीय और अपरिवर्तनीय तरीके से व्यापार संहार के सभी विद्यमान हथियारों तथा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को त्याग देगा;
5. यह पुनः पुष्टि करती है कि संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8(ग) के अनुसरण में, सभी सदस्य राष्ट्र अपने राष्ट्रियों द्वारा अथवा अपने भू-भाग से, अथवा डीपीआरके से इसके राष्ट्रियों द्वारा अथवा अपने भू-भाग से परमाणु-संबंधी, बैलिस्टिक मिसाइल संबंधी तथा अन्य व्यापक विनाश के हथियारों से संबंधित मदों, सामग्रियों, उपकरणों, माल और प्रौद्योगिकी के प्रावधान, विनिर्माण, अनुरक्षण अथवा प्रयोग से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण, परामर्श, सेवा अथवा सहायता के किसी भी अंतरण को निवारित करेंगे, तथा यह **रेखांकित करती है** कि यह उपबंध डीपीआरके को बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए प्रक्षेपणों पर अन्य सदस्य राष्ट्रों के साथ किसी भी रूप में कार्य करने से प्रतिषिद्ध करता है, भले ही वह उपग्रह प्रक्षेपण अथवा अंतरिक्ष प्रेक्षण के रूप में विशेषीकृत हो;

6. यह निर्णय लेती है कि संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8 के उपाय सभी हथियारों से संबंधित सामग्रियों पर भी लागू होंगे, जिसमें छोटे अस्त्र और हल्के हथियार और उनकी संबद्ध सामग्री भी शामिल है तथा ये ऐसे हथियारों और संबंधित सामग्री के प्रावधान, विनिर्माण, अनुरक्षण और प्रयोग से संबंधित वित्तीय संव्यवहारों तकनीकी प्रशिक्षण, परामर्श, सेवाओं और सहायता पर भी लागू होंगे;
7. निम्नपूर्वक उल्लेख करती है कि संकल्प 1874(2009) के पैराग्राफ 9 और 10 द्वाराथाविस्तारित संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8(क), 8(ख) और 8(ग) में अधिरोपित दायित्व मरम्मत, सर्विसिंग, जीर्णोद्धार, परीक्षण, रिवर्स-इंजीनियरी और विपणन के लिए डीपीआरके को जाने वाले अथवा उससे आने वाले शिपमेंट पर भी लागू होंगे, भले ही उसके स्वामित्व अथवा नियंत्रण का अंतरण हो गया हो, तथा रेखांकित करती है कि संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8(ड.) में निर्दिष्ट उपाय इस पैराग्राफ में वर्णित क्रियाकलापों के संचालन के प्रयोजन के लिए किसी वैयक्तिक यात्रा पर भी लागू होंगे;
8. यह निर्णय लेती है कि 1718(2006) के पैराग्राफ 8(क) और 8(ख) में अधिरोपित उपाय किसी उस मद, खाद्य अथवा औषधि को छोड़कर, पर भी लागू होंगे, यदि राज्य अवधारित करते हैं कि ऐसी मद डीपीआरके के सशस्त्र बलों की प्रचालनात्मक क्षमताओं के विकास में प्रत्यक्षतः योगदान करेगी तथा उन निर्यातों पर भी जो डीपीआरके से बाहर अन्य सदस्य राष्ट्र के सशस्त्र बलों की प्रचालनात्मक क्षमताओं में वृद्धि अथवा सहायता करेंगे और यह भी निर्णय लेती है कि यह उपबंध किसी मद के अंतरण, आपूर्ति वितरण अथवा उसकी अधिप्राप्त पर लागू होना उस स्थिति में समाप्त हो जाएगा, यदि;
 - (क) राज्य अवधारित करता है कि ऐसा क्रियाकलाप अनन्य रूप से मानवीय प्रयोजनों के लिए अथवा अनन्य रूप से आजीविका के प्रयोजनों के लिए है जिसका प्रयोग डीपीआरके के व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा राजस्व सृजित करने के लिए नहीं किया जाएगा, और साथ ही यह संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प द्वारा प्रतिषिद्ध किसी क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है, बशर्ते कि राज्य ऐसे अवधारणों के बारे में समिति को अग्रिम रूप में सृजित करते हैं तथा समिति को ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए मद के विपथन को निवारित करने के बारे में भी सृजित किया गया है; अथवा
 - (ख) समिति ने मामला-दर-मामला आधार पर यह अवधारित किया है कि कोई विशेष आपूर्ति, बिक्री अथवा अंतरण संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प के उद्देश्यों के प्रतिकूल नहीं होगा;
9. स्मरण करती है कि संकल्प 1874(2009) का पैराग्राफ 9 राष्ट्रों के लिए शस्त्रों और संबंधित सामग्रियों के प्रावधान, विनिर्माण, अनुरक्षण अथवा प्रयोग के संबंध में डीपीआरके से तकनीकी प्रशिक्षण, परामर्श, सेवाओं अथवा सहायता की अधिप्राप्ति को प्रतिषिद्ध करता है और स्पष्ट करती है कि यह पैराग्राफ राज्यों को सैन्य, अर्ध-सैन्य अथवा पुलिस-संबंधी प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए प्रशिक्षकों, परामर्शकों अथवा अन्य अधिकारियों की मेजबानी करने को भी प्रतिषिद्ध करता है;
10. यह निर्णय लेती है कि संकल्प 1874(2009) का पैराग्राफ 8 में निर्दिष्ट उपाय इस संकल्प के अनुबंध I और II में सूचीबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं पर तथा उसकी ओर से अथवा उनके निर्देश पर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति अथवा संस्थाओं पर तथा उनके द्वारा स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रित संस्थाओं, जिसमें अवैध तरीके शामिल हैं, पर भी लागू होंगे;
11. यह निर्णय लेती है कि संकल्प 1874(2009) का पैराग्राफ 8(ड.) में निर्दिष्ट उपाय इस संकल्प में सूचीबद्ध व्यक्तियों तथा उनकी ओर से अथवा उनके निर्देशों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होंगे;
12. दृढ़तापूर्वक निम्न करती है कि संकल्प 1874(2009) का पैराग्राफ 8(घ) में निर्दिष्ट "आर्थिक संसाधनों" में शामिल हैं - हर प्रकार की आस्तियां, चाहे वे मूर्त हों अथवा अमूर्त, चल हो या अचल, वास्तविक हों अथवा संभावित, जिनका संभावित प्रयोग निधियों माल अथवा सेवाओं के लिए किया जा सकता है, जैसे जलयान (जिसमें सामुद्रिक जलयान भी शामिल हैं)
13. यह निर्णय लेती है कि यदि कोई सदस्य राज्य अवधारित करता है कि डीपीआरके के राजनयिक, सरकारी प्रतिनिधि अथवा सरकारी क्षमता में कार्य करने वाले डीपीआरके के अन्य राष्ट्रिक संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प के उपबंधों में लगाए गए प्रतिबंधों का वंचन करते हुए अथवा उल्लंघन करते हुए किसी अभिहित व्यक्ति अथवा संस्था अथवा इनके उल्लंघन में सहायता करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से अथवा उसके निर्देश पर कार्य कर रहे हैं, तो सदस्य राष्ट्र लागू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विधियों के अनुसार उसे डीपीआरके को प्रत्यावर्तित करने के प्रयोजनार्थ अपने भू-भाग से ऐसे व्यक्ति को निष्कासित कर देगा, बशर्ते यह कि इस पैराग्राफ की कोई भी बात डीपीआरके की सरकार के प्रतिनिधियों के अंतरण को संयुक्त राष्ट्र

मुख्यालय अथवा अन्य यूएन सुविधाओं तक विस्तारित और संयुक्त राष्ट्र के कार्य को संचालित करने से निवारित नहीं करेगी, तथा यह **निर्णय लेती** है कि इस पैराग्राफ के उपबंध किसी व्यक्ति-विशेष के संबंध में लागू नहीं होंगे, यदि (क) उस व्यक्ति की उपस्थिति न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ति के लिए अपेक्षित है (ख) व्यक्ति की उपस्थिति चिकित्सा, सुरक्षा अथवा अन्य मानवीय प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से अपेक्षित है, अथवा (ग) समिति मामला-दर-मामला आधार पर अवधारित करती है कि व्यक्ति का निष्कासन संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प के उद्देश्यों के प्रतिकूल होगा;

14. **निर्णय लेती है** कि यदि सदस्य राष्ट्र यह अवधारित करते हैं कि कोई व्यक्ति, जो उस राज्य का राष्ट्रिक नहीं है, और संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प में अभिहित किसी व्यक्ति अथवा संस्थान के निर्देश पर कार्य कर रहा है अथवा इसके उपबंधों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की अवहेलना करने अथवा इनका उल्लंघन करने में सहायता कर रहा है, तो सदस्य राज्य लागू राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप राज्य की राष्ट्रीयता से व्यक्ति के प्रत्यावर्तन करने के प्रयोजनार्थ उस व्यक्ति को अपने भू-भाग से निष्कासित कर देंगे, जब तक उस व्यक्ति की उपस्थिति किसी न्यायिक प्रक्रिया अथवा अनन्य रूप से चिकित्सा, सुरक्षा अथवा अन्य मानवीय प्रयोजनों के लिए अपेक्षित न हो अथवा समिति मामला-दर-मामला आधार पर अवधारित करती है कि व्यक्ति का निष्कासन संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प के उद्देश्यों के प्रतिकूल होगा; बशर्ते यह कि इस पैराग्राफ की कोई भी बात डीपीआरके की सरकार के प्रतिनिधियों के अंतरण को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय अथवा अन्य यूएन सुविधाओं तक विस्तारित और संयुक्त राष्ट्र के कार्य को संचालित करने से निवारित नहीं करेगी,
15. यह **रेखांकित करती है** कि संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8(घ) और संकल्प 2094(2013) के पैराग्राफ 8 और 11 में अधिरोपित दायित्वों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप सभी सदस्य राज्य अभिहित संस्थाओं के प्रतिनिधि कार्यालयों को बंद कर देंगे तथा ऐसी संस्थाओं अथवा उनकी ओर से अथवा उनके लिए प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा संस्थाओं को किसी भी संयुक्त उद्यम अथवा किसी अन्य व्यापारिक व्यवस्था में भाग लेने से प्रतिषिद्ध कर देंगे, और यह **रेखांकित करती है** कि यदि ऐसे किसी कार्यालय का कोई प्रतिनिधि डीपीआरके का राष्ट्रिक है, तो राज्यों को यह अपेक्षित होगा कि वे 2094(2013) के पैराग्राफ 10 के अनुसरण में और उसके अनुसार लागू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप डीपीआरके को प्रत्यावर्तित करने के प्रयोजनार्थ उस व्यक्ति को अपने भू-भाग से निष्पादित कर दे;
16. यह **नोट करती है** कि डीपीआरके प्रासंगिक सुरक्षा परिषद संकल्पों में अधिरोपित उपायों के उल्लंघन के प्रयोजनार्थ फ्रंट कंपनियों, शैल कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और संश्लिष्ट, अस्पष्ट स्वामित्व संरचनाओं का बार-बार उल्लंघन करता है तथा इस संबंध में, समिति को **निदेश देती है** कि वह विशेषज्ञ पैनल के सहयोग से ऐसी प्रक्रियाओं में संलिप्त व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान करें तथा यदि उपयुक्त हो, तो उन्हें संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) और इस संकल्प में अधिरोपित उपायों के अधिधीन अभिहित करे;
17. यह **निर्णय लेती है** कि सभी सदस्य राज्य अपने भू-भाग के भीतर अथवा अपने राष्ट्रिकों द्वारा ऐसे विषय क्षेत्रों में डीपीआरके को विशेषीकृत शिक्षण अथवा प्रशिक्षण प्रदान करने से निवारित करें जो डीपीआरके के प्रचुरोद्भवन संवेदी परमाणु क्रियाकलापों में अथवा परमाणु हथियार वितरण प्रणालियों में योगदान कर सकते हैं, जिनमें प्रगत भौतिकी, प्रगत कम्प्यूटर अनुकरण और संबंधित कम्प्यूटर विज्ञान, भू-स्थैतिक नौवहन, परमाणु इंजीनियरी एरोस्पेस इंजीनियरी, एरोनॉटिकल इंजीनियर और संबद्ध विषयक्षेत्र भी शामिल हैं;
18. यह **निर्णय लेती है** कि सभी राज्य अपने भू-भाग के भीतर अथवा वहां के माध्यम से प्रेषित किए जाने वाले उस कार्गो का निरीक्षण करेंगे, जिनमें उनके विमानपत्तन, समुद्रपत्तन और मुक्त व्यापार क्षेत्र भी शामिल हैं, जो डीपीआरके से प्रारंभ हुआ है अथवा जो डीपीआरके के लिए आशयित है, अथवा डीपीआरके अथवा उसके राष्ट्रिकों अथवा उनकी ओर से अथवा उनके निर्देशों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा अथवा उनके स्वामित्व या नियंत्रण वाली संस्थाओं द्वारा अथवा अभिहित व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा आदत या सुविधा प्रदान किया गया है, अथवा जो डीपीआरके के फ्लैगड विमानों अथवा सामुद्रिक जलयानों पर परिवहन किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी मद संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) और इस संकल्प के उल्लंघन में अंतरित नहीं किया जा रहा है तथा राज्यों से आग्रह करती है कि वे ऐसे निरीक्षण इस रीति से करे कि उस कार्गो के अंतरण पर कम-से-कम प्रभाव पड़े जिसका राज्य निर्धारण करता है कि वह मानवीय प्रयोजनों के लिए है;
19. यह **निर्णय लेती है** कि सदस्य राज्य अपने राष्ट्रिकों तथा उनके भू-भागों में उपस्थित व्यक्तियों को उनके फ्लैगड जलयानों अथवा विमानों को डीपीआरके को पट्टे पर देने अथवा उनकी चार्टरिंग करने अथवा डीपीआरके को कू-सेवाएं उपलब्ध कराने से प्रतिषिद्ध करेंगे और निर्णय लेती है कि यह प्रतिषेध किसी उस अभिहित व्यक्ति अथवा संस्था, किसी अन्य डीपीआरके संस्था, किसी अन्य ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था के संबंध में भी लागू होगा जिसके बारे में राज्य सह अवधारित करता है कि उसने प्रतिबंधों के वंचन में अथवा संकल्प

1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प के उल्लंघन में सहायता की है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था जो उक्तसंदर्भित श्रेणियों की ओर से अथवा उसके निर्देश पर कार्य कर रही है अथवा उक्तसंदर्भित में से किसी भी के स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रण वाली संस्थाओं पर लागू होगा, और सदस्य राज्यों से आह्वान करती है कि वे डीपीआरके के स्वामित्व वाले, उसके द्वारा प्रचालित अथवा उसके कू-सदस्यों वाले जलयानों को रजिस्टर करें तथा सदस्य-राज्यों से यह भी **आह्वान करती है** कि वे ऐसे किसी भी जलयान को रजिस्टर न करे जिसे इस पैराग्राफ के अनुसरण में किसी अन्य सदस्य राष्ट्र द्वारा डी-रजिस्टर्ड किया गया है और **निर्णय लेती है** कि यह उपबंध मामला-दर-मामला आधार पर समिति को अग्रिम रूप से अधिसूचित कू-सेवाओं की लीजिंग, चार्टरिंग अथवा प्रावधान के संबंध में लागू नहीं होगा जिनके साथ (क) यह सूचना दर्शाई गई है कि ऐसे क्रियाकलाप अनन्य रूप से ऐसे आजीविका प्रयोजनों के लिए हैं जिनका प्रयोग राजस्व जुटाने के लिए डीपीआरके के व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा नहीं किया जाएगा, और (ख) उक्त संदर्भित संकल्पों के उल्लंघन में योगदान देने वाले ऐसे क्रियाकलापों का निवारण करने के लिए किए गए उपायों पर सूचना निहित हो;

20. यह **निर्णय लेती है** कि सभी सदस्य राज्य अपनी अधिकारिता के अध्यक्षीन अपने राष्ट्रिकों, व्यक्तियों को तथा उनके भू-भाग में अंतर्विष्ट सभी संस्थाओं को अपनी अधिकारिता के अध्यक्षीन डीपीआरके के जलयानों को रजिस्टर करने से, डीपीआरके के फ्लैग का प्रयोग करने के लिए किसी जलयान के लिए प्राधिकार प्राप्त करने अथवा किसी जलयान के वर्गीकरण, प्रमाणन अथवा किसी सहयोजित सेवा का स्वामित्व, पट्टा लेने, प्रचालन करने अथवा प्रदान करने से तथा डीपीआरके द्वारा फ्लैगड किसी जलयान का बीमा करने से निवारित करेंगे तथा **यह भी निर्णय लेती है** कि यह उपाय मामला-दर-मामला आधार पर समिति द्वारा अग्रिम रूप से अधिसूचित क्रियाकलापों, जिनमें उनमें शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम भी सम्मिलित हैं, पर लागू नहीं होंगे जिसके लिए समिति के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा तथा यह सूचना प्रदर्शित की जाएगी कि ऐसे क्रियाकलाप अनन्य रूप से ऐसे आजीविका प्रयोजनों के लिए है जिसका प्रयोग डीपीआरके के व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा राजस्व अर्जित करने के लिए नहीं किया जाएगा तथा ऐसे उपायों के लिए किया जाएगा जिससे संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प के उल्लंघन को योगदान देने वाले क्रियाकलापों का निवारण होता हो;
21. यह **निर्णय लेती है** कि सभी राज्य किसी भी विमान को उस स्थिति में अपने भू-भाग से उड़ने, उतरने अथवा ऊपर से गुजरने की अनुमति नहीं देंगे, जब तक कि उसे निरीक्षण के लिए उतरने की परिस्थितियां विद्यमान न हों, यदि उनके पास ऐसी सूचना है जो यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है कि उस विमान में ऐसी मर्दे हैं जिनकी आपूर्ति, विक्रय, अंतरण अथवा निर्यात संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प द्वारा प्रतिषिद्ध हैं, सिवाए आपातकालीन लैंडिंग की स्थिति से, और सभी राज्यों से **आह्वान करती है** कि वे उड़ानों को ऊपर से गुजरने की अनुमति प्रदान करने पर विचार करते समय ज्ञात जोखिम कारकों का आकलन करें;
22. यह **निर्णय लेती है** कि सभी सदस्य राज्य किसी जलयान को उनके पत्तनों में प्रवेश को प्रतिषिद्ध करेंगे यदि सदस्य राज्य के पास यह सूचना है जो यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है कि वह जलयान किसी अभिहित व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रित किया गया है, अथवा ऐसा कार्गो रखता है जिसकी आपूर्ति, विक्री, अंतरण अथवा निर्यात संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है, जब तक कि वह प्रवेश आपातकालीन स्थिति में अथवा प्रारंभन पत्तन को वापस लौटने की स्थिति में न हो, अथवा जब तक समिति अग्रिम रूप से यह अवधारित न करे कि ऐसा प्रवेश मानवीय प्रयोजनों अथवा इस संकल्प के उद्देश्यों के साथ संगत किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपेक्षित है;
23. यह **स्मरण करती है** कि समिति ने डीपीआरके की फर्म महासागर सामुद्रिक प्रबंधन (ओएमएम) को अभिहित किया है, यह **नोट करती है** कि इस संकल्प के अनुबंध III में निर्दिष्ट जलयान ऐसे आर्थिक संसाधन है जिनका नियंत्रण अथवा संचालन ओशन मेरीटाइम मेनेजमेंट (ओएमएम) द्वारा किया जाता है, अतः वे संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8(घ) में अधिरोपित प्रतिबंधित आस्ति के अध्यक्षीन है और यह **रेखांकित करती है** सदस्य राज्य को उस संकल्प के प्रासंगिक उपबंधों का क्रियान्वयन करना अपेक्षित है।
24. यह **निर्णय लेती है** कि डीपीआरके सभी रासायनिक और जैविक हथियारों को तथा हथियारों संबंधी कार्यक्रमों को त्याग देगा तथा जीवाणुवैज्ञानिक (जैविक) और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन तथा भण्डारण का प्रतिषेध और उन्हें नष्ट करने संबंधी कन्वेंशन के राज्य पक्षकार के रूप में अपने दायित्वों के अनुरूप कड़ाई से कार्रवाई करे तथा डीपीआरके से **आह्वान करती है** कि वह जीवाणुवैज्ञानिक (जैविक) और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन तथा भण्डारण का प्रतिषेध और उन्हें नष्ट करने संबंधी कन्वेंशन का अनुपालन करे, और फिर उसके उपबंधों का तत्काल अनुपालन करे;

25. अभिहित माल को अभिहित करने के माध्यम से संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8 और इस संकल्प द्वारा अधिरोपित उपायों का समायोजित करने का **निर्णय लेती** है और समिति को **निदेश देती** है कि वह इस दिशा में अपना कार्य करे और इस संकल्प के अंगीकरण के पन्द्रह दिन के भीतर समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे और यह **निर्णय भी लेती** है कि यदि समिति ने कार्यवाही नहीं की, तो सुरक्षा परिषद् उस रिपोर्ट के प्राप्त होने के सात दिन के भीतर उपायों को समायोजित करने के लिए कार्यवाही पूर्ण करेगी;
26. समिति को **निदेश देती** है कि वह इस संकल्प के अंगीकरण से पन्द्रह दिनों के अपश्चात् तथा उसके बाद वार्षिक आधार पर एस/2006/853 कोर 1 में अंतर्विष्ट मदों की समीक्षा करे और उन्हें अद्यतन बनाए;
27. यह **निर्णय लेती** है कि संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8(क) और 8(ख) में अधिरोपित उपाय उस मद पर भी लागू होंगे, यदि राज्य अवधारित करता है कि ऐसी मद डीपीआरके परमाणु अथवा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के प्रति अथवा संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) और इस संकल्प द्वारा प्रतिषिद्ध व्यापक संहार के अन्य हथियारों के कार्यक्रमों, क्रियाकलापों अथवा संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प द्वारा अधिरोपित उपायों के वंचन में योगदान करती है;
28. संकल्प 1874(2009) के पैराग्राफ 16 तथा संकल्प 2087(2013) के पैराग्राफ 8 के माध्यम से पैराग्राफ 14 की **पुनः पुष्टि करती** है और यह **निर्णय लेती** है कि ये पैराग्राफ इस संकल्प के पैराग्राफ 18 के अनुपालन में संचालित निरीक्षणों में पहचानी गई किसी ऐसी वस्तु के संबंध में भी लागू होंगे जिसकी आपूर्ति, विक्रय अथवा अंतरण संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प द्वारा प्रतिषिद्ध है;
29. यह निर्णय लेती है कि डीपीआरके अपने भू-भाग से अथवा अपने राष्ट्रिकों द्वारा अथवा अपने फ्लैग जलयानों अथवा विमानों द्वारा कोयला, लोहा और लौह अयस्क की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः आपूर्ति, विक्रय अथवा अंतरण नहीं करेगा और यह कि सभी राज्य अपने राष्ट्रिकों द्वारा अथवा अपने फ्लैग जलयानों या विमानों का प्रयोग करते हुए ऐसी सामग्री की अधिप्राप्ति डीपीआरके से नहीं करेंगे, चाहे वह डीपीआरके के भू-भाग से उद्भूत हुई हो अथवा नहीं, और **निर्णय लेती** है कि यह उपबंध निम्न के संबंध में लागू नहीं होगा:
- (क) कोयला जिसके लिए अधिप्राप्ति करने वाले राज्य विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुष्टि करेगा कि वह डीपीआरके से बाहर से उद्भूत हुआ है तथा उसे केवल पोर्ट ऑफ राजिन (रेसन) से निर्यात करने के लिए डीपीआरके के माध्यम से परिवहन किया गया था, बशर्ते कि राज्य ऐसी सूचना समिति को अग्रिम रूप से देगा तथा ऐसा संव्यवहार डीपीआरके के परमाणु अथवा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के लिए राजस्व अर्जित करने अथवा संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प द्वारा प्रतिषिद्ध अन्य क्रियाकलापों से असंगत है; और
- (ख) ऐसे संव्यवहार जो अनन्य रूप से आजीविका प्रयोजनों के लिए अवधारित है तथा ऐसा संव्यवहार डीपीआरके के परमाणु अथवा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के लिए राजस्व अर्जित करने अथवा संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प द्वारा प्रतिषिद्ध अन्य क्रियाकलापों से असंगत है;
30. यह निर्णय लेती है कि डीपीआरके अपने भू-भाग के अथवा अपने राष्ट्रिकों द्वारा अथवा अपने फ्लैग जलयानों अथवा विमानों द्वारा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वर्ण, टिटैनियम अयस्क, वेनाडियम अयस्क और दुर्लभ भू-खनिजों की आपूर्ति, विक्री अथवा अंतरण नहीं करेगा और यह कि सभी राज्य अपने राष्ट्रिकों द्वारा अथवा अपने फ्लैग जलयानों या विमानों का प्रयोग करते हुए डीपीआरके से ऐसी सामग्री की अधिप्राप्ति को प्रतिषिद्ध करेंगे, चाहे वह सामग्री डीपीआरके के भू-भाग से उद्भूत हुई हो अथवा नहीं;
31. यह निर्णय लेती है कि सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रिकों द्वारा अथवा अपने भू-भाग से अथवा अपने फ्लैग जलयानों या विमानों का प्रयोग करते हुए ईंधन का डीपीआरके के भू-भाग को विक्रय अथवा आपूर्ति का निवारण करेंगे जिसमें विमानन गैसोलीन, नैप्था-टाइप जेट फ्यूल, केरोसीन-टाइप जेट फ्यूल और कैरोसीन टाइप रॉकट फ्यूल भी शामिल हैं, चाहे वह उनके भू-भाग से उद्भूत हुआ हो अथवा नहीं, अथवा जब तक कि समिति अपवादस्वरूप मामला-दर-मामला आधार पर अग्रिम तौर पर सत्यापित अनिवार्य मानवीय आवश्यकताओं के लिए ऐसे उतपादों का डीपीआरके को अंतरण का अनुमोदन नहीं दे देती है, बशर्ते कि वितरण और प्रयोग की प्रभावी निगरानी के लिए विनिर्दिष्ट व्यवस्थाओं की पूर्ति होती हो, और **निर्णय लेती** है कि यह उपबंध डीपीआरके से बाहर सिविलियन यात्री विमान को विमानन ईंधन की विक्री अथवा आपूर्ति के संबंध में लागू नहीं होगा जो अनन्य रूप से उसकी डीपीआर को उड़ान और वापसी की उड़ान के दौरान उपभोग के लिए है;

32. **निर्णय लेती** है संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8(घ) में अधिरोपित आस्तियों का प्रतिबंध डीपीआरके बाहर अन्य वित्तीय आस्तियों और आर्थिक संसाधनों पर भी लागू होगा जिनका डीपीआरके की सरकार की संस्थाओं द्वारा अथवा वर्कर्स पार्टी और कोरिया द्वारा अथवा उनकी ओर से अथवा उनके द्वारा निर्देशित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा अथवा उनके स्वामित्व अथवा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व ग्रहण किया गया है अथवा उन्हें नियंत्रित किया गया है और राज्य यह अवधारित करेगा कि वे डीपीआरके के परमाणु अथवा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों अथवा संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प द्वारा प्रतिषिद्ध अन्य क्रियाकलापों से सहयोजित है, और यह भी **निर्णय लेती** है कि सभी राज्य, डीपीआरके को छोड़कर, यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा उनके भू-भाग के भीतर किसी निधि, वित्तीय आस्ति अथवा आर्थिक संसाधनों को ऐसे व्यक्तियों अथवा संस्थाओं अथवा उनकी ओर से अथवा उनके निर्देश पर कार्य कर रहे व्यक्तियों अथवा संस्थाओं अथवा उनके द्वारा स्वामित्व वाली या नियंत्रण वाली संस्थाओं के लाभ के लिए उपलब्ध कराए जाने का निवारण किया गया है, और **निर्णय लेती** है कि ऐसे उपाय उस निधि, अन्य वित्तीय आस्तियों और आर्थिक संसाधनों के संबंध में लागू नहीं होंगे जो डीपीआरके मिशन के संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेषीकृत एजेंसियों और संबंधित संगठनों अथवा डीपीआरके के अन्य राजनयिक और कांसुलर मिशनों के प्रति दर्शाए जाने वाले क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए अपेक्षित है तथा कोई अन्य निधि, अन्य वित्तीय आस्तियां और आर्थिक संसाधन, जो समिति मामला-दर-मामला आधार पर अग्रिम रूप से अवधारित करे कि वे मानवीय सहायता के वितरण, गैर-परमाणुकरण अथवा किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जो इस संकल्प के उद्देश्यों के साथ संगत है;
33. यह **निर्णय लेती** है कि राज्य अपने भू-भाग में डीपीआरके बैंकों की नई शाखाओं, अनुषंगियों और प्रतिनिधि कार्यालयों के खुलने और प्रचालन को प्रतिषिद्ध करेंगे, और यह भी **निर्णय लेती** है कि राज्य अपनी अधिकारिता के भीतर अथवा अपनी अधिकारिता के अध्यक्षीन वित्तीय संस्थाओं को डीपीआरके के बैंकों के साथ नए संयुक्त उद्यम स्थापित करने और उसके हित में स्वामित्व लेने अथवा तदनुसूची संबंध स्थापित और अनुरक्षित करने से प्रतिषिद्ध करेंगे, जब तब कि ऐसे संव्यवहार समिति द्वारा अग्रिम रूप से अनुमोदित न कर दिए गए हों और यह **निर्णय लेती** है कि राज्य इस संकल्प के नब्बे दिन के भीतर ऐसी विद्यमान शाखाओं, अनुषंगियों और प्रतिनिधि कार्यालयों को बंद करने तथा डीपीआरके के बैंकों के साथ ऐसे संयुक्त उद्यमों स्वामित्व हितों और तदनुसूची बैंकिंग संबंधों को समाप्त करने के लिए भी आवश्यक उपाय करेंगे;
34. **निर्णय लेती** है राज्य अपने भू-भाग के भीतर अथवा अपनी अधिकारिता के अध्यक्षीन वित्तीय संस्थाओं को डीपीआरके में नए प्रतिनिधि कार्यालय अथवा अनुषंगियां, शाखाएं अथवा बैंकिंग खाते खोलने से प्रतिषिद्ध करेंगे;
35. **निर्णय लेती** है कि राज्य उस स्थिति में नब्बे दिन के भीतर डीपीआरके में विद्यमान प्रतिनिधि कार्यालयों, अनुषंगियों अथवा बैंकिंग खातों को बंद करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे यदि उनके पास ऐसी विश्वसनीय जानकारी है जो यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है कि ऐसी वित्तीय सेवाएं डीपीआरके के परमाणु अथवा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों तथा संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प द्वारा प्रतिषिद्ध अन्य क्रियाकलापों के प्रति योगदान कर सकती है, और यह भी **निर्णय लेती** है कि यह उपबंध उस समय लागू नहीं होंगे यदि समिति मामला-दर-मामला आधार पर अवधारित करती है कि ऐसे कार्यालय, अनुषंगियां अथवा खाते मानवीय सहायता के वितरण अथवा डीपीआरके में राजनयिक मिशनों के क्रियाकलापों के लिए राजनयिक संबंधी पर वियना कन्वेंशन के अनुसरण में अथवा संयुक्त राष्ट्र अथवा इसकी विशेषीकृत एजेंसियों अथवा संबंधित संगठनों के क्रियाकलापों अथवा संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प के साथ संगत प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है;
36. **निर्णय लेती** है कि सभी राज्य अपने भू-भाग के भीतर सार्वजनिक अथवा निजी वित्तीय सहायता अथवा व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा दी गई सहायता को उनकी अधिकारिता के अध्यक्षीन डीपीआरके के साथ व्यापार के लिए प्रतिषिद्ध कर देंगे (जिसमें उनके अपने राष्ट्रिकों को जो ऐसे व्यापार में लगे हैं, निर्यात ऋण, गारंटी अथवा बीमा प्रदान करना शामिल है) जहां ऐसी वित्तीय सहायता डीपीआरके के परमाणु अथवा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों तथा संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प जिसमें पैराग्राफ 8 भी शामिल है, द्वारा प्रतिषिद्ध अन्य कार्यक्रमों को सहायता प्राप्त होती है;
37. इस बात पर **चिंता व्यक्त करती** है कि डीपीआरके को स्वर्ण के अंतरणों का प्रयोग संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प में अधिरोपित उपायों के बचन के लिए किया जा सकता है तथा **स्पष्ट करती** है कि सभी राष्ट्र संकल्प 2094(2013) के पैराग्राफ 11 में निर्धारित उपायों को डीपीआरके को प्रेषित किए जाने वाले अथवा वहां से प्राप्त होने वाले स्वर्ण के अंतरण, जिसमें गोल्ड कुरियरों के माध्यम से अंतरण भी शामिल है, पर लागू करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि स्वर्ण को ऐसा अंतरण डीपीआरके परमाणु अथवा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों अथवा संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और

- 2094(2013) इस संकल्प द्वारा प्रतिषिद्ध अन्य क्रियाकलापों अथवा संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प द्वारा अधिरोपित उपायों के बचन में योगदान नहीं कर रहा है;
38. यह **स्मरण करती है** कि वित्तीय कार्यवाही कार्य-बल (एफएटीएफ) ने देशों से डीपीआरके के अवैध वित्तीय क्रियाकलापों से अपनी अधिकारिताओं की संरक्षा करने के लिए सम्यक सतर्कता बरतने और प्रभावी उपाय करने का आह्वान किया था और सदस्य राष्ट्रों से **आह्वान करती है** कि वे प्रचुरोद्भव से संबंधित लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए एफएटीएफ सिफारिश 7, इसकी व्याख्यात्मक टिप्पणी और संबंधित दिशा-निर्देशों को लागू करें;
39. संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8(क) (iii) में लकजरी माल के बारे में अधिरोपित उपायों की **पुनः पुष्टि करती है** तथा **स्पष्ट करती है** कि 'लकजरी माल' पदबंध में शामिल है, परंतु सीमित नहीं है, इस संकल्प के अनुबंध V में निर्दिष्ट मदे;
40. सभी राज्यों को इस संकल्प के अंगीकरण के नब्बे दिन के भीतर तथा उसके उपरांत समिति द्वारा अनुरोध किए जाने पर सुरक्षा परिषद को इस संकल्प के उपबंधों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों के बारे में रिपोर्ट भेजने का **आह्वान करती है** तथा संकल्प 1874(2009) के अनुसरण में गठित विशेषज्ञों के पैनल से अनुरोध करती है वह अन्य यूएन प्रतिबंध निगरानी समूहों के साथ सहयोग करते हुए राज्यों को समयबद्ध तरीके से ऐसी रिपोर्टें तैयार करने और प्रस्तुत करने में सहायता करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखे, और समिति को **निदेश देती है** कि वह ऐसे सदस्य राज्यों को पहुंच प्रदान करने में प्राथमिकता बरते जिन्होंने सुरक्षा परिषद द्वारा अनुरोध की गई क्रियान्वयन रिपोर्ट कभी प्रस्तुत ही नहीं की है;
41. सभी राज्यों से **आह्वान करती है** कि वे संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प में अधिरोपित उपायों के गैर-क्रियान्वयन के बारे में उनके पास उपलब्ध जानकारी की आपूर्ति करें;
42. सभी राज्यों को **प्रोत्साहित करती है** कि वे पूर्व में सूचित की गई परिस्थितियों विशेष रूप से इस संकल्प के अनुसरण में निवारित क्रियाकलापों और जब्त की गई मदों की जांच करें ताकि इन संकल्पों, विशेष रूप से इस संकल्प के पैराग्राफ 27 का पूर्ण और उपयुक्त क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके, तथा इस संबंध में विशेषज्ञों के पैनल की रिपोर्टिंग तथा समिति द्वारा हाल ही में सार्वजनिक किए गए उल्लंघनों के बारे में रिपोर्टों को नोट करती है;
43. समिति को **निदेश देती है** कि वह संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) और इस संकल्प में निर्णित उपायों के उल्लंघन के प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करे तथा इस संबंध में समिति को निदेश देती है कि वह संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) और इस संकल्प में अधिरोपित उपायों के अध्यधीन रखे जाने के लिए अतिरिक्त व्यक्तियों और संस्थाओं को अभिहित करे;
44. समिति ने निदेश देती है कि वह डीपीआरके पर अधिरोपित उपायों के क्रियान्वयन में सदस्य राज्यों को सहायता करने के अपने प्रयासों को जारी रखे तथा इस संबंध में, समिति से अनुरोध करती है कि वह संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प में अधिरोपित उपायों के एक व्यापक संकल्प का मसौदा तैयार करे और उसे परिचालित करे ताकि सदस्य राज्यों के क्रियान्वयन में सहायता की जा सके;
45. समिति को **निदेश देती है** कि वह व्यक्तियों और संस्थाओं की समिति की सूची, जिसमें नए नामों वाली और फ्रंट कंपनियां भी शामिल हैं, में अंतर्विष्ट सूचना को अद्यतन बनाए और समिति को **निदेश देती है** कि वह इस संबंध में अंगीकरण के 45 दिन के भीतर तथा उसके उपरांत प्रत्येक बाहर माह पर इस कार्य को पूर्ण करें;
46. यह निर्णय लेती है कि संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 12 में निर्धारित समिति का अधिदेश संकल्प 1874(2009), 2094 (2013) और इस संकल्प में अधिरोपित उपायों के संबंध में भी लागू होंगे;
47. डीपीआरके सहित सभी राज्यों के यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने के महत्व पर **बल प्रदान करती है** कि डीपीआरके की ओर से, अथवा डीपीआरके के किसी व्यक्ति या संस्था का अथवा संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) इस संकल्प में निर्दिष्ट उपायों के लिए अभिहित किसी व्यक्ति या संस्था का अथवा ऐसे व्यक्ति या संस्था के माध्यम से अथवा उसके लाभ के लिए दावा करने वाले किसी व्यक्ति का कोई भी दावा किसी संविदा अथवा अन्य संव्यवहार के संबंध में लंबित न रह जाए, जहां उसके निष्पादन को इस संकल्प अथवा पूर्व संकल्पों द्वारा अधिरोपित उपायों के कारण निवारित किया गया था;

48. यह रेखांकित करती है कि संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प द्वारा अधिरोपित उपायों का आशय डीपीआरके की नागरिक जनसंख्या के लिए प्रतिकूल मानवीय परिणाम सृजित करना अथवा उन क्रियाकलापों जिनमें वे आर्थिक क्रियाकलाप भी शामिल हैं जिन्हें संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013) अथवा इस संकल्प द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है, को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना तथा डीपीआरके की नागरिक जनसंख्या के लाभ के लिए डीपीआरके में सहायता और राहत क्रियाकलापों को संचालित कर रहे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों में बाधा पहुंचाना नहीं है;
49. कोरियाई प्रायद्वीप और व्यापक रूप से उत्तर-पूर्व एशिया में शांति और स्थायित्व अनुरक्षित करने के महत्व को पुनः **दोहराती है** और इस स्थिति के एक शांतिपूर्ण, राजनयिक और राजनीतिक समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को **व्यक्त करती है** और वार्ता के माध्यम से एक शांतिपूर्ण और व्यापक समाधान करने को सुकर बनाने के लिए परिषद के सदस्यों तथा अन्य राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों का स्वागत करती है तथा उन्हें ऐसे कृत्यों से दूर रहने का परामर्श देती है, जो तनाव में वृद्धि करते हैं;
50. छह-दलीय वार्ताओं को अपने सहयोग का **पुनः पुष्टि करती है** कि उनके प्रारंभ किए जाने का **आह्वान** करती है तथा चीन, डीपीआरके, जापान, कोरिया गणराज्य, रूसी परिसंघ और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा 19 सितम्बर, 2005 के संयुक्त वक्तव्य में निर्धारित की गई प्रतिबद्धताओं के प्रति अपने सहयोग को **दोहराती है**, जिसमें यह शामिल है कि छह-दलीय वार्ताओं का लक्ष्य एक शांतिपूर्ण तरीके से कोरियाई प्रायद्वीप का सत्यापनीय गैर-परमाणुकरण करना है तथा यह कि यूनाइटेड स्टेट्स और डीपीआरके ने एक-दूसरे की संप्रभुता और शांतिपूर्वक एक-साथ रहने के प्रति सम्मान दर्शाया है, तथा छह दलों ने आर्थिक सहयोग को प्रवर्तित करने और अन्य सभी प्रासंगिक प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने का दायित्व उठाया है;
51. यह **पुनः पुष्टि करती है** कि वह डीपीआरके के कार्यों की निरंतर समीक्षा करेगी तथा वह डीपीआरके के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में यथा अपेक्षित उपायों को सुदृढ़ करने, उन्हें आशोधित करने, निलंबित करने अथवा उठाने के लिए तैयार है और इस संबंध में, डीपीआरके द्वारा आगे और परमाणु परीक्षण और प्रेक्षणपणों की स्थिति में आगामी उल्लेखनीय उपाय करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त करती है;
52. मामले की निरंतर निगरानी करने का निर्णय लेती है।

अनुबंध ।

यात्रा प्रतिबंध/आस्ति अवरोधन (व्यक्ति)

1. चोई चुन-सिक

- क. वर्णन : चोई चुन-सिक सेकंड एकेडमी ऑफ नैचुरल साइंसेज (एसएएनएस) के निदेशक थे तथा वे डीपीआरके लंबी दूरी के मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख थे।
- ख. एकेए : चोई चुन सिक; चोई चुन सिक
- ग. पहचान : जन्मतिथि : 12 अक्तूबर, 1954, राष्ट्रियता : डीपीआरके

2. चोई सोंग एल

- क. वर्णन : वियतनाम में तान्चोन वाणिज्यिक बैंक के प्रतिनिधि
- ख. एकेए : उपलब्ध नहीं
- ग. पहचान : पासपोर्ट : 472320665, पासपोर्ट समाप्ति की तारीख : 26 सितम्बर, 2017, पासपोर्ट : 563120356, राष्ट्रियता : डीपीआरके

3. ह्योग क्वांग एच.

- क. वर्णन : ह्योन क्वांग II नेशनल एरोस्पेस डेवलपमें एडमिनिस्ट्रेशन में वैज्ञानिक विकास के विभाग के निदेशक हैं।
 ख. एकेए : ह्योन क्वांग II
 ग. पहचान : जन्मतिथि : 27 मई, 1961; राष्ट्रीयता : डीपीआरके

4. जांग बोम सू

- क. वर्णन : सीरिया के टेनचोन वाणिज्यिक बैंक के प्रतिनिधि
 ख. एकेए : जांग पोम सू
 ग. पहचान : जन्मतिथि : 15 अप्रैल, 1957; राष्ट्रीयता : डीपीआरके

5. जांग योंग सन

- क. वर्णन : ईरान में कोरिया खनन विकास व्यापारिक निगम (केओएमआईडी) के प्रतिनिधि
 ख. एकेए : उपलब्ध नहीं
 ग. पहचान : जन्मतिथि : 20 फरवरी, 1957; राष्ट्रीयता : डीपीआरके

6. जोन म्योंग गुक

- क. वर्णन : सीरिया में तान्चोन वाणिज्यिक बैंक के प्रतिनिधि
 ख. एकेए : चोन क्यो 'ग-कुक
 ग. पहचान : पासपोर्ट : 4721202031, पासपोर्ट समाप्ति की तारीख : 21 फरवरी, 2017, राष्ट्रीयता : डीपीआरके, जन्मतिथि : 18 अक्टूबर, 1976

7. कांग मुन किल

- क. वर्णन : कांग कुन किल ने नाम्चोंग गैंग के प्रतिनिधि के रूप में, जिसे नामहुंग भी कहा जाता है, परमाणु अधिप्राप्ति क्रियाकलाप संचालित किए
 ख. एकेए : जियांग वेन-जी
 ग. पहचान : पासपोर्ट: वीएस 474330208, पासपोर्ट समाप्ति की तारीख : 4 जुलाई, 2017, राष्ट्रीयता : डीपीआरके

8. कांग र्योंग

- क. वर्णन : सीरिया में कोरिया खनन विकास व्यापार निगम (केओएमआईडी) के प्रतिनिधि
 ख. एकेए : उपलब्ध नहीं
 ग. पहचान : जन्मतिथि : 21 अगस्त, 1969; राष्ट्रीयता : डीपीआरके

9. किम जंग जोंग

- क. वर्णन : वियतनाम में तान्चोन वाणिज्यिक बैंक के प्रतिनिधि
 ख. एकेए : किम चंग चोंग
 ग. पहचान : पासपोर्ट 199421147, पासपोर्ट समाप्ति की तारीख : 29 दिसम्बर, 2014, पासपोर्ट 381110042, पासपोर्ट समाप्ति की तारीख : 25 जनवरी, 2016, पासपोर्ट 563210184, पासपोर्ट समाप्ति की तारीख : 18 जनवरी, 2016, जन्मतिथि : 07 नवम्बर, 1966, राष्ट्रीयता : डीपीआरके

10. किम क्यू

- क. वर्णन : कोरिया खनन विकास व्यापार निगम (कोओएमआईडी) विदेशी मामलों के अधिकारी
 ख. एकेए : उपलब्ध नहीं
 ग. पहचान : जन्मतिथि : 30 जुलाई, 1968, राष्ट्रियता : डीपीआरके

11. किम टोंग मायोंग

- क. वर्णन : किम टोंग मायोंग तान्चोन वाणिज्यिक बैंक के अध्यक्ष हैं तथा उन्होंने 2002 के बाद से तान्चोन वाणिज्यिक बैंक में विभिन्न पद धारण किए हैं। उन्होंने एग्नोग्गोंग के कार्यों को प्रबंधित करने में भी भूमिका निभाई है।
 ख. एकेए : किम चिन-सोक, किम तोंग-म्योंग, किम जिन-सोक, किम ह्योक-चोल
 ग. पहचान : जन्मतिथि : 1964, राष्ट्रियता : डीपीआरके

12. किम योंग चोल

- क. वर्णन : ईरान में केओएमआईडी के प्रतिनिधि
 ख. एकेए : उपलब्ध नहीं
 ग. पहचान : जन्मतिथि : 18 फरवरी, 1962, राष्ट्रियता : डीपीआरके

13. को तार्ई हुन

- क. वर्णन : तान्चोन वाणिज्यिक बैंक के प्रतिनिधि
 ख. एकेए : किम म्योंग जी
 ग. पहचान : पासपोर्ट 563120630, पासपोर्ट समाप्ति की तारीख : 20 मार्च, 2018, जन्मतिथि : 25 मई, 1972, राष्ट्रियता : डीपीआरके

14. रीमान गोन

- क. वर्णन : रीमान गोन म्यूनीशन इंडस्ट्री विभाग के मंत्री हैं
 ख. एकेए : उपलब्ध नहीं
 ग. पहचान : जन्मतिथि : 29 अक्तूबर, 1945, पासपोर्ट पीओ381230469, पासपोर्ट समाप्ति की तारीख : 6 अप्रैल, 2016, राष्ट्रियता : डीपीआरके

15. र्यू जिन

- क. वर्णन : सीरिया में केओएमआईडी के प्रतिनिधि
 ख. एकेए : उपलब्ध नहीं
 ग. पहचान : जन्मतिथि : 7 अगस्त, 1965, पासपोर्ट सं. 563410081, राष्ट्रियता : डीपीआरके

16. यू चोल यू

- क. वर्णन : यू चोल यू राष्ट्रीय एरोस्पेस विकास प्रशासन के निदेशक हैं
 ख. एकेए : उपलब्ध नहीं
 ग. पहचान : राष्ट्रियता : डीपीआरके

उपनाम के लिए सूची अद्यतनीकरण : रा, क्योंग सू (केपीआई 008) नया एकेए : चांग, क्योंग

अनुबंध ॥

आस्ति परिरोधन (संस्थाएं)**1. राष्ट्रीय रक्षा विज्ञान अकादमी**

- क. वर्णन : राष्ट्रीय रक्षा विज्ञान अकादमी डीपीआर की बैलिस्टिक मिसाइलों तथा परमाणु हथियार कार्यक्रमों के विकास का संवर्धन करने के डीपीआरके के प्रयासों में कार्यरत है।
- ख. एकेए : उपलब्ध नहीं
- ग. स्थान : प्योंगयांग, डीपीआरके

2. चोंगयोंग गांग शिपिंग कंपनी

- क. वर्णन : चोंगचोंगगांग शिपिंग कंपनी ने अपने जलयान चोंग योन गांग के माध्यम से जुलाई, 2013 में डीपीआरके को पारंपरिक हथियारों और शस्त्रों के अवैध शिपमेंट का प्रत्यक्षतः आयात करने का प्रयास किया।
- ख. एकेए : चोंग चोन गांग शिपिंग कंपनी लिमिटेड
- ग. स्थान : पता : 817, हेयून, डांगहंग-डोंग, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, प्योंगयांग, डीपीआरके, वैकल्पिक पता : 817, हेयूम, थोंगहन-डोंग, चूंग गु, प्योंगयांग, डीपीआरके, आईएमओ सं 5342883

3. डेएडांग क्रेडिट बैंक (डीसीबी)

- क. वर्णन : डेएडांग क्रेडिट बैंक ने कोरिया खनन विकास ट्रेडिंग कार्पोरेशन (केओएमआईडी) तथा तान्चोन वाणिज्यिक बैंक को वित्तीय सेवाएं प्रदान की हैं। वर्ष 2007 से, डीसीबी ने केओएमआईडी और तान्चोन वाणिज्यिक बैंक की ओर से मिलियनों डॉलरों के सैकड़ों वित्तीय लेन-देनों को सुविधा प्रदान की। कुछ मामलों में डीसीबी ने जानबूझकर भ्रामक वित्तीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए ऐसे लेन-देनों को सुकर बनाया।
- ख. एकेए : डीसीबी, एकेए : डेएडांग क्रेडिट बैंक
- ग. स्थान : पता : स्ट्रीट 401, पोतोंगगांग, होटल, एन्सन-डोंग, प्योंगचोन जिला, प्योंगयांग, डीपीआरके
वैकल्पिक पता : एन्सन-डोंग, बोटोनगांग होटल, प्योंगयांग, डीपीआरके, स्विफ्ट : डीसीबीकेकेके पीवाई

4. हेसोंग ट्रेडिंग कंपनी

- क. वर्णन : कोरिया खनन विकास ट्रेडिंग कार्पोरेशन (केओएमआईडी) हेसोंग ट्रेडिंग कार्पोरेशन की मूल कंपनी है।
- ख. पता : प्योंगयांग, डीपीआरके

5. कोरिया क्वांगसोन बैंकिंग कार्पोरेशन (केकेबीसी)

- क. वर्णन : केकेबीसी तान्चोन वाणिज्यिक बैंक तथा कोरिया ह्योक्सिन कार्पोरेशन, जो कोरिया रयोगबोंग जरनल कार्पोरेशन की अधीनस्थ कंपनी है, को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। तान्चोन वाणिज्यिक बैंक ने निधियों के अंतरणों को सुकर बनाने के लिए केकेबीसी का प्रयोग किया है जिसे मिलियन डॉलर होने की संभावना है, जिसमें अंतरण तथा कोरिया खनन विकास निगम से संबंधित निधियां भी शामिल हैं।
- ख. एकेए : केकेबीसी
- ग. पता : रेकवन-डोंग, पोथनगांग, जिला, प्योंगयांग, डीपीआरके

7. परमाणु ऊर्जा उद्योग मंत्रालय

- क. वर्णन : परमाणु ऊर्जा उद्योग मंत्रालय का सृजन 2013 में डीपीआरके के परमाणु ऊर्जा उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए किया गया था ताकि परमाणु सामग्रियों के उत्पादन में वृद्धि की जा सके, उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और एक स्वतंत्र डीपीआरके परमाणु उद्योग विकसित किया जा सके। इस प्रकार, एमआईआई को डीपीआरके के परमाणु हथियारों के विकास में एक प्रमुख सहयोगी माना जा सकता है तथा यह देश के परमाणु हथियार कार्यक्रम के दौरान दैनिक प्रचालन का प्रभारी है और इसके अंतर्गत अन्य परमाणु-संबंधी संगठन भी हैं। इस मंत्रालय के अंतर्गत अनेक परमाणु-संबंधी संगठन और अनुसंधान केन्द्र तथा दो समितियां भी हैं - पहली आइसोटॉप अनुप्रयोग समिति और दूसरी परमाणु ऊर्जा समिति। एमआईआई योग्यबूत में स्थित परमाणु अनुसंधान केन्द्र को भी निर्देशित करता है जो डीपीआरके की सुप्रसिद्ध प्लेटोनियम सुविधाओं का स्थान भी है। इसके अलावा, 2015 में विशेषज्ञों के पैनल (पीओई) की रिपोर्ट में पीओई ने यह कहा था कि री जे-सोन, जो जीबीआई के पूर्व निदेशक थे तथा जिन्हें संकल्प 1718(2006) के अनुसरण में 2009 में गठित समिति द्वारा परमाणु-संबंधी कार्यक्रमों में व्यस्त रहने अथवा उसमें सहयोग करने के लिए अभिहित किया गया था, को 7 अप्रैल, 2014 में एमआईआई के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था।
- ख. एकेए : एमआईआई

ग. स्थान: हेएयून-2-डोंग, पोंगचोन जिला, प्योंगयांग, डीपीआरके

8. म्यूनीशन उद्योग विकास

क. वर्णन : म्यूनीशन उद्योग विभाग डीपीआरके के मिसाइल कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल है। एमआईडी डीपीआरके के बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास की निगरानी के लिए उत्तरदायी है, जिसमें तेएपो डोंग-2 भी शामिल है। एमआईडी डीपीआरके के हथियार उत्पादन और अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों की निगरानी करता है, जिसमें डीपीआरके का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम भी शामिल है। द्वितीय आर्थिक समिति तथा द्वितीय प्राकृतिक विज्ञान अकादमी जिन्हें आर्थिक समिति तथा द्वितीय प्राकृतिक विज्ञान अकादमी, जिन्हें भी अगस्त, 2010 में अभिहित किया गया था, एमआईडी के अधीनस्थ हैं। एमआईडी ने हाल के वर्षों में केएन 08 रोड-मोबाइल आईसीबीएस का विकास करने की दिशा में कार्य किया है।

ख. एकेए: सैन्य आपूर्ति उद्योग विभाग

ग. स्थान: प्योंगयांग, डीपीआरके

9. राष्ट्रीय एरोस्पेस विकास प्रशासन

क. वर्णन : एनएडीए डीपीआरके अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में संलग्न है, जिसमें उपग्रहों और कैरियर राकेटों का प्रक्षेपण भी शामिल है।

ख. एकेए: एनएडीए

ग. स्थान: डीपीआरके

10. ऑफिस 39

क. वर्णन : डीपीआरके की सरकारी संस्था

ख. एकेए: ऑफिस #39, एकेए: ऑफिस नं. 39, एकेए: ब्यूरो 39, एकेए: सेंट्रल कमिटी ब्यूरो 39, एकेए: थर्ड फ्लोर, एकेए: डिवीजन 39

ग. स्थान: डीपीआरके

11. रेकॉनेसां जनरल ब्यूरो

क. वर्णन : रेकॉनेसां जनरल ब्यूरो डीपीआरके का प्रमुख आसूचना संगठन है जिसकी स्थापना कोरियन वर्कर्स पार्टी, आप्रेशंस डिपार्टमेंट और ऑफिस 35 के विद्यमान आसूचना संगठनों तथा कोरियाई पीपल्स पार्टी के रेकॉनेसां ब्यूरो के विलय के साथ हुई थी। रेकॉनेसां जनरल ब्यूरो डीपीआरके की पारंपरिक हथियारों की फर्म ग्रीन पाइन एसोसिएटेड कार्पोरेशन से पारंपरिक हथियारों और नियंत्रणों का व्यापार करता है।

ख. एकेए: चोंगचाल, केपीए यूनिट 586, आरजीबी

ग. स्थान: पता: ह्योंग जेसन - गुयोक्, प्योंगयांग, डीपीआरके, वैकल्पिक पता: नंगराडो, प्योंगयांग, डीपीआरके

12. सेकेंड इकॉनामिक कमेटी

क. वर्णन : सेकेंड इकॉनामिक कमेटी डीपीआरके के मिसाइल कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल है। सेकेंड इकॉनामिक कमेटी डीपीआरके की बैलिस्टिक मिसाइलों के उत्पादन की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है तथा यह केओएमआईडी के क्रियाकलापों को निर्देशित करती है।

ख. एकेए: उपलब्ध नहीं

ग. स्थान: कांगडोंग, डीपीआरके

उपनामों के लिए सूची अद्यतनीकरण: नामचोंगगांग ट्रेडिंग कार्पोरेशन (केपीई 004) -न्यू एकेए: नामहंग ट्रेडिंग कार्पोरेशन

अनुबंध III**आएमएम जलयान**

पोत संख्या		आईएमओ संख्या
1.	चोंग रयोंग (रयोंग जुन बोंग)	8606173
2.	चोंग बोंग (ग्रीन लाइन) (ब्ल्यू नोवेले)	8909575
3.	चोंग रिम 2	8916293
4.	डॉनलाइट	9110236
5.	एयरब्राइट 88 (जे स्टार)	8914934
6.	गोल्ड स्टार 3 (बिनोवेलेंस 2)	8405402
7.	होई रयोंग	9041552
8.	हु चांग (ओ युन चोंग न्योन)	8330815
9.	हुन चोन (हवांग गुम सान 2)	8405270
10.	जेएच 86	8602531
11.	जीह्ये सान (ह्योक सिन 2)	8018900
12.	जिनताल	9163154
13.	जिन तेन	9163166
14.	कांग र्यू (पीप्यू गांग)	8829593
15.	मी रिम	8713471
16.	मी रिम 2	9361407
17.	ओ रांग (पीओ थोंग गांग)	8829555
18.	ओरिओन स्टार (रिकोशियन)	9333589
19.	राम नाम 2	8625545
20.	राम नाम 3	9314650
21.	रयो म्योंग	8987333
22.	रयोंग रिम (जोन जिन 2)	8018912
23.	से फो (रॉक वोन 2)	8819017
24.	सोंगजिन (जांग जा सान चोंग न्योन हो)	8133530
25.	साउथ हिल 2	8412467
26.	साउथ हिल 5	9138680
27.	तान चोन (रयांग मांग 2)	7640378
28.	ताए प्योंग सान (पेटरेल 1)	9009085
29.	तोंगहंग सान (चोंग चोन गांग)	7937317
30.	ग्रैंड कारो	8511823
31.	तोंग हंग 1	8661575

अनुबंध IV**लकजरी माल**

- (क) लकजरी घडियां : कलाई, जेब और अन्य जिनमें कीमती धातु का केस हो अथवा कीमती धातु के साथ मेटल क्लैड हो
- (ख) परिवहन मर्दे, निम्नानुसार

- (i) एंक्रैटिक रीक्रिएशन वाहन (जैसे निजी जलयान)
- (ii) स्नोमोबाइल (2000 डॉलर से अधिक मूल्य)
- (ग) लैड क्रिस्टल की मर्दे
- (घ) रीक्रिएशनल स्पोर्ट्स उपकरण

अनुसूची- VI

संयुक्त राष्ट्र

एस/आरईएस/2321 (2016)



सुरक्षा परिषद

वितरण: सामान्य

30 नवम्बर, 2016

संकल्प 2321 (2016)

सुरक्षा परिषद द्वारा उसकी 7821वीं बैठक में 30 नवम्बर, 2016 को अंगीकृत

सुरक्षा परिषद,

अपने पूर्व के प्रासंगिक संकल्पों जिनमें संकल्प 825(1993), संकल्प 1540(2004) संकल्प 1695(2006), संकल्प 1718(2006), संकल्प 1874(2009), संकल्प 1887(2009), संकल्प 2087(2013) और संकल्प 2094(2013) और संकल्प 2270(2016) तथा इसके अध्यक्ष के 6 अक्तूबर, 2006 (एस/पीआरएसटी/2006/41), 13 अक्तूबर, 2009 (एस/पीआरटी/2009/7) और 16 अप्रैल, 2012 (एस/पीआरएसटी/2012/13) भी शामिल हैं, का स्मरण करते हुए,

इस बात की पुष्टि करते हुए कि परमाणु रासायनिक और जैविक हथियारों का प्रचुरोद्भवन तथा साथ ही उनके वितरण के तरीके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं;

संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013) और 2270(2016) के उल्लंघन में लोकतांत्रिक कोरिया जन गणतंत्र ("डीपीआरके") द्वारा 9 सितम्बर, 2016 को संचालित किए गए परमाणु परीक्षण तथा परमाणु हथियारों के गैर-प्रचुरोद्भव संबंधी संधि ("एनटीपी") और परमाणु हथियारों के गैर-प्रचुरोद्भव की वैश्विक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने पर लक्षित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर ऐसे परीक्षण द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों और इसके द्वारा क्षेत्र और उसके आस-पास शांति और सुरक्षा को उत्पन्न किए गए खतरे के प्रति गंभीरतम चिंता व्यक्त करते हुए,

उस महत्व को पुनः रेखांकित करते हुए जो डीपीआरके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सुरक्षा और माननीय चिंताओं के प्रति दर्शाया जाना चाहिए,

इस बात को भी रेखांकित करते हुए कि इस संकल्प द्वारा अधिरोपित किए गए उपायों का आशय डीपीआरके नागरिकों के लिए प्रतिकूल मानवीय परिणाम उत्पन्न करना नहीं है,

इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कि डीपीआरके 2014 और 2015 में बैलिस्टिक मिसाइलों के लगातार प्रक्षेपण तथा 2015 में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल इजेक्शन के माध्यम से सुरक्षा परिषद के संकल्पों का निरंतर उल्लंघन किया है तथा यह नोट करते हुए कि

ऐसे समस्त बैलिस्टिक मिसाइल क्रियाकलाप डीपीआरके की परमाणु हथियार वितरण प्रणालियों के विकास में सहायता करते हैं तथा क्षेत्र और उसके आस-पास तनाव में वृद्धि करते हैं,

इस बात पर अपनी **निरंतर चिंता व्यक्त करते** हुए कि डीपीआरके राजनयिक और कांसुलर संबंधों पर वियना कन्वेंशन के अंतर्गत समझौता किए गए विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है,

इस बात पर **गंभीर चिंता व्यक्त करते** हुए कि डीपीआरके की शस्त्रों की बिक्री ने ऐसा राजस्व सृजित किया है जिसे परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों की होड़ में विपथित किया जा रहा है जबकि डीपीआरके नागरिकों की अनेक मांगों की पूर्ति नहीं की जा रही है।

इस बात पर **गंभीरतम चिंता व्यक्त करते** हुए कि डीपीआरके की चल रही परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों संबंधित गतिविधियों ने क्षेत्र तथा उसके आस-पास तनाव में अत्यधिक वृद्धि की है तथा यह **रेखांकित करते हुए** कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए निरंतर खतरा बना हुआ है,

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय III के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए तथा इसके अनुच्छेद 41 के अंतर्गत उपाय करते हुए,

1. परिषद के प्रासंगिक संकल्पों का उल्लंघन और घोर अवमानना करते हुए डीपीआरके द्वारा 9 सितम्बर, 2016 को संचालित किए गए परमाणु परीक्षण की कठोरतम शब्दों में **भर्त्सना करती है**;
2. अपने इस निर्णय की **पुनः पुष्टि करती है** कि डीपीआरके आगे कोई ऐसे प्रक्षेपण नहीं करेगा जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी, परमाणु परीक्षणों अथवा किसी अन्य उद्दीपकों का प्रयोग किया गया हो और अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित सभी क्रियाकलापों को निलंबित कर देगा तथा इस संदर्भ में मिसाइल प्रक्षेपणों पर मोर्टोरियम के प्रति अपने पूर्व-विद्यमान प्रतिबद्धताओं को पुनः स्थापित करेगा; एक पूर्ण, सत्यापनीय और अपरिवर्तनीय तरीके से अपने सभी परमाणु हथियारों और विद्यमान परमाणु कार्यक्रमों को त्याग देगा और उससे संबद्ध सभी क्रियाकलापों को तत्काल रोक देगा; और एक सत्यापनीय और अपरिवर्तनीय तरीके से व्यापार संहार के सभी विद्यमान हथियारों तथा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को त्याग देगा;
3. यह **निर्णय लेती है** कि संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8(घ) में निर्दिष्ट उपाय इस संकल्प के अनुबंध I और II में सूचीबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं पर तथा उसकी ओर से अथवा उनके निर्देश पर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति अथवा संस्थाओं पर तथा उनके द्वारा स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रित संस्थाओं, जिसमें अवैध तरीके शामिल हैं, पर भी लागू होंगे; और यह भी **निर्णय लेती है** कि संकल्प 1874(2009) का पैराग्राफ 8(ड.) में निर्दिष्ट उपाय इस संकल्प में सूचीबद्ध व्यक्तियों तथा उनकी ओर से अथवा उनके निर्देशों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होंगे;
4. यह **निर्णय लेती है** कि संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8(क), 8(ख) और 8(ग) में अधिरोपित उपाय इस संकल्प के अनुबंध-III में सूचीबद्ध मदों, सामग्रियों, उपकरणों, माल और प्रौद्योगिकी पर भी लागू होंगे;
5. लकजरी माल के बारे में संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8(क), 8(ख) और 8(ग) में अधिरोपित उपायों को **पुनःपुष्टि** करती है; तथा यह स्पष्ट करती है कि 'लकजरी माल' में शामिल है, परंतु सीमित नहीं है, इस संकल्प के अनुबंध V में निर्दिष्ट मदें;
6. संकल्प 1874(2009) के माध्यम से पैराग्राफ 14 तथा संकल्प 2087(2013) के पैराग्राफ 8 की **पुनःपुष्टि करती है** तथा यह निर्णय लेती है कि ये पैराग्राफ आपूर्ति, विक्रय अथवा अंतरण की किसी ऐसी मद के संबंध में भी लागू होंगे जो इस संकल्प द्वारा प्रतिषिद्ध हैं;

7. यह **निर्णय लेती है** कि संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8(क), 8(ख) और 8(ग) में अधिरोपित उपाय समिति द्वारा अंगीकृत नए पारंपरिक शस्त्रों की डुएल-प्रयोग सूची में सूचीबद्ध मदों पर भी लागू होंगे, यह **निर्देश देती है** कि समिति 15 दिनों के भीतर इस सूची को अंगीकृत करे और सुरक्षा परिषद को इस आशय की रिपोर्ट दे, और यह **निर्णय भी लेती है** कि यदि समिति कोई कार्यवाही नहीं करती है, तो सुरक्षा परिषद उस रिपोर्ट के प्राप्त होने के सात दिन के भीतर इस सूची को अंगीकृत करने की कार्यवाही पूर्ण कर लेगी, और समिति को **निर्देश देती है** कि वह प्रत्येक 12 माह पर इस सूची को अद्यतन बनाए;
8. **निर्णय लेती है** कि संकल्प 2270(2016) का पैराग्राफ 19 बिना किसी अपवाद के डीपीआरके को किए जाने वाली समस्त लीजिंग, चार्टरिंग अथवा कू-सेवाओं के प्रावधान के संबंध में लागू होंगे, जब तक कि समिति अग्रिम रूप में मामला-दर-मामला आधार पर अनुमोदन न कर दे;
9. निर्णय लेती है कि संकल्प 2270(2016) का पैराग्राफ 20 डीपीआरके में जलयानों के रजिस्ट्रीकरण, डीपीआरके पताका का प्रयोग करने हेतु किसी जलयान का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए तथा कोई भी जलयान वर्गीकरण प्रमाणन अथवा सहयोजित सेवा का स्वामित्व, लीजिंग, प्रचालन, प्रदान करने, अथवा डीपीआर द्वारा फ्लैग किए गए किसी जलयान का बीमा करने के संबंध में बिना किसी अपवाद के लागू होगा, जब तक कि समिति अग्रिम तौर पर मामला-दर-मामला आधार पर इनका अनुमोदन न कर दे;
10. यह स्पष्ट करती है कि संकल्प 2270(2016) का पैराग्राफ 17 के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ विशेषीकृत शिक्षण और प्रशिक्षण में, जो डीपीआरके प्रचुरोद्भवन संवेदी क्रियाकलापों अथवा परमाणु वितरण प्रणालियों में योगदान कर सकता है, शामिल होगा परंतु इस तक सीमित नहीं होगा, प्रगत पदार्थ विज्ञान, प्रगत रासायनिक इंजीनियरी प्रगत यांत्रिक इंजीनियरी, प्रगत विद्युत इंजीनियरी और प्रगत औद्योगिक इंजीनियरी ;
11. निर्णय लेती है कि सभी सदस्य डीपीआरके व्यक्तियों को शामिल करने वाले अथवा उसके द्वारा अधिकारिक रूप से प्रायोजित अथवा उसका प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों के वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोगों को निलंबित कर देंगे, सिवाए चिकित्सा आदान-प्रदान के, जब तक कि:
 - (क) परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी, एरोस्पेस और एरोनाटिकल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी अथवा प्रगत विनिर्माण उत्पादन तकनीकों और पद्धतियों के क्षेत्र में वैज्ञानिक अथवा तकनीकी सहयोग के मामले में समिति ने मामला-दर-मामला यह अवधारित न किया हो कि वह **क्रियाकलाप** डीपीआरके की प्रचुरोद्भवन संवेदी गतिविधियों अथवा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के प्रति योगदान नहीं करेगा; अथवा
 - (ख) अन्य सभी वैज्ञानिक अथवा तकनीकी सहयोग के मामलों में, वैज्ञानिक अथवा तकनीकी सहयोग में संलिप्त होने वाले राज्य यह अवधारित न कर लें कि वह क्रियाकलाप डीपीआरके की प्रचुरोद्भवन संवेदी गतिविधियों अथवा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के प्रति योगदान नहीं करेगा तथा समिति को ऐसे अवधारण की सूचना अग्रिम तौर पर नहीं देते हैं;
12. निर्णय लेती है कि समिति, यदि उसके पास ऐसी सूचना है जो यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है कि जलयान परमाणु अथवा बैलिस्टिक मिसाइल संबंधी कार्यक्रमों से अथवा ऐसे क्रियाकलापों से संबंधित है जो संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270(2016) अथवा इस संकल्प द्वारा प्रतिषिद्ध हैं, तो वह इस पैराग्राफ के अनुसरण में अभिहित किए गए जलयानों के संबंध में निम्न में से कोई अथवा सभी उपायों की अपेक्षा कर सकेगी : (क) अभिहित जलयान का फ्लैग राज्य जलयान को डी-फ्लैग करेगा; (ख) अभिहित जलयान का फ्लैग राज्य जलयान को ऐसे पत्तन पर जाने का निर्देश देगा

जिसकी पहचान समिति द्वारा पत्तन राज्य के साथ समन्वय करते हुए की गई हो; (ग) सभी सदस्य राज्य अपने पत्तनों में अभिहित जलयान को प्रवेश करने से इंकार करेंगे, सिवाए आपातकालीन मामले के जलयान के आरंभन पत्तन के लौटने के मामले में अथवा समिति द्वारा निर्देश दिए जाने के मामले में; (घ) समिति द्वारा अभिहित जलयान संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 8(घ) में अधिरोपित आस्ति अवरोधन के अध्यक्षीन होगा;

13. यह **चिंता व्यक्त करती** है कि डीपीआरके में प्रवेश करने अथवा वहां से निर्वासन करने वाले व्यक्तियों के निजी सामान अथवा जांच किए गए सामान का प्रयोग ऐसी मर्दों के परवहन के लिए किया जा रहा है जो संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270(2016) तथा इस संकल्प द्वारा प्रतिषिद्ध हैं तथा **स्पष्ट करती** है कि ऐसे सामान अथवा बैगेज में केवल वही 'कार्गो' होगा जो संकल्प 2270(2016) के पैराग्राफ 18 के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए निहित है;
14. सभी सदस्य राज्यों से डीपीआरके राजनयिक मिशनों और कौंसलर पोस्टों में अपने कर्मचारियों की संख्या में कमी करने का **आह्वान करती** है;
15. निर्णय लेती है कि सभी सदस्य राज्य अपने भू-भाग के माध्यम से डीपीआरके की सरकार के सदस्यों, उस सरकार के अधिकारियों और डीपीआरके के सशस्त्र बलों के सदस्यों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाएंगे यदि राज्य यह अवधारित करते हैं कि ऐसे सदस्य अथवा अधिकारी डीपीआरके के परमाणु अथवा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों अथवा संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270(2016) अथवा इस संकल्प द्वारा प्रतिषिद्ध अन्य क्रियाकलापों से सहयोजित है;
16. **निर्णय लेती है** कि सभी राज्य बैंक खातों की संख्या एक प्रति डीपीआरके राजनयिक मिशन और कौंसलर पोस्ट तथा उनके भू-भाग में एक प्रति प्रत्यायित डीपीआरके राजनयिक अथवा कौंसलर अधिकारी तक सीमित करने के लिए कदम उठाएं;
17. यह **स्मरण करती** है कि 1961 के राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के अंतर्गत, राजनयिक एजेंट प्राप्तकर्ता राज्य में व्यक्ति लाभ के लिए कोई व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक क्रियान्वयन संचालित नहीं करेगा, तथा तदनुसार इस बात पर **बल देती** है कि डीपीआरके के राजनयिक एजेंट ऐसे व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक क्रियाकलाप संचालित करने के लिए प्राप्तकर्ता राज्य में प्रतिषिद्ध हैं;
18. निर्णय लेती है कि सदस्य राज्य डीपीआरके को उस भू-संपदा का प्रयोग राजनयिक अथवा कौंसलर क्रियाकलापों के अलावा किसी और प्रयोजन के लिए करने के प्रतिषिद्ध करेंगे जो उनके भू-भाग में उसके स्वामित्व में अथवा पट्टे पर हैं;
19. **स्मरण करती** है कि संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य को, जिसके विरुद्ध निवारक अथवा प्रवर्तन की कार्रवाई सुरक्षा परिषद् द्वारा की गई है, महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद् को सिफारिश करने के उपरांत सदस्यता के अधिकारों अथवा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से निलंबित किया जा सकता है, और यह कि इन अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रयोग को सुरक्षा परिषद् द्वारा पुनः प्रदान किया जा सकता है;
20. **स्मरण करती है** कि संकल्प 2270(2016) के पैराग्राफ 18 सभी राज्यों से अपेक्षा करता है कि वे अपने भू-भाग के भीतर अथवा वहां के माध्यम से प्रेषित किए जाने वाले उस कार्गो का निरीक्षण करेंगे, जिनमें उनके विमानपत्तन, समुद्रपत्तन और मुक्त व्यापार क्षेत्र भी शामिल हैं, जो डीपीआरके से प्रारंभ हुआ है अथवा जो डीपीआरके के लिए आशयित है, अथवा डीपीआरके अथवा उसके राष्ट्रिकों अथवा उनकी ओर से अथवा उनके निर्देशों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा अथवा उनके स्वामित्व या नियंत्रण वाली संस्थाओं द्वारा अथवा अभिहित व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा आदृत या सुविधा प्रदान किया गया है, अथवा जो डीपीआरके के फ्लैगड

विमानों पर परिवहन किया जा रहा है और **बल देती** है कि इस उपाय में राज्यों के लिए अपेक्षित होगा कि वे डीपीआरके फ्लैग्ड विमान का निरीक्षण करें जब वे उनके भू-भाग में उतरे अथवा वहां से उड़ान भरे, यह स्मरण भी करती है कि संकल्प 2270(2016) के पैराग्राफ 31 में सभी राज्यों के लिए अपेक्षित है कि वे उने राष्ट्रिकों द्वारा अथवा अपने भू-भाग से अथवा अपने फ्लैग-जलयानों या विमानों का प्रयोग करते हुए डीपीआरके के भू-भाग में विमानन ईंधन की बिक्री या आपूर्ति का निवारण करें, और राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बरतने का **आह्वान करती** है कि वे डीपीआरके फ्लैग्ड सिविल पैसेंजर विमान को उस मात्रा से अधिक ईंधन उपलब्ध न कराएं जो उस प्रासंगिक उड़ान के लिए आवश्यक हो, जिसमें विमान की सुरक्षा के लिए मानक मार्जिन शामिल हैं;

21. यह चिंता व्यक्त करती है कि प्रतिषिद्ध मर्दे रेल अथवा सड़क द्वारा डीपीआरके को भेजी अथवा वहां से परिवहन की जा सकती है और **यह रेखांकित करती** है कि संकल्प 2270(2016) के पैराग्राफ 18 में उनके भू-भाग के भीतर अथवा उसके माध्यम से संप्रेषित कार्गो का निरीक्षण करने के देयताओं में रेल और सड़क द्वारा परिवहन किए जाने वाले कार्गो भी शामिल है;
22. **निर्णय लेती** है सदस्य राज्य अपनी अधिकारिता के अध्यक्षीन अपने राष्ट्रिकों, व्यक्तियों तथा उनके भू-भाग में अंतर्वेशित अथवा उनकी अधिकारिता के अध्यक्षीन संस्थाओं को डीपीआरके के द्वारा स्वामित्व वाले, नियंत्रण वाले, प्रचालित, जिसमें अवैध तरीकों के माध्यम से प्रचालन भी शामिल है, जलयानों को बीमा अथवा पुनर्बीमा प्रदान करने से प्रतिषिद्ध करेंगे जब तक कि समिति मामला-दर-मामला आधार पर यह अवधारित नहीं कर लेती है कि जलयान विशेष रूप से आजीविका के प्रयोजनों से संबंधित क्रियाकलापों में लगा है जिसका प्रयोग डीपीआरके के व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा राजस्व अर्जित करने के लिए नहीं किया जाएगा अथवा वह केवल मानवीय प्रयोजनों के लिए है;
23. **निर्णय लेती** है कि सभी सदस्य राज्य अपने राष्ट्रिकों को डीपीआरके से जलयान और विमान कू-सेवाएं प्राप्त करने से प्रतिषिद्ध करेंगे;
24. **निर्णय लेती** है कि सदस्य राज्य डीपीआरके द्वारा स्वामित्व वाले, नियंत्रित अथवा प्रचालित किसी जलयान को गैर-रजिस्ट्रीकृत कर देंगे तथा यह निर्णय भी लेती है कि सदस्य राज्य ऐसे किसी जलयान को रजिस्ट्रीकृत नहीं करेंगे जिसे इस पैराग्राफ के अनुसरण में किसी अन्य सदस्य राज्य द्वारा गैर-रजिस्ट्रीकृत किया गया हो;
25. **नोट करती है** कि संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270(2016) और इस संकल्प के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ, "प्रेषण" शब्द में शामिल है परंतु सीमित नहीं है किसी राज्य के अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे के टर्मिनल से होते हुए किसी अन्य राष्ट्र में किसी गंतव्य की यात्रा, जिसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि ऐसा व्यक्ति उस हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क या पासपोर्ट नियंत्रण से होकर गुजरा है;
26. निर्णय लेती है कि संकल्प 2270(2016) के पैराग्राफ 29 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"यह निर्णय लेती है कि डीपीआरके अपने भू-भाग से अथवा अपने राष्ट्रिकों द्वारा अथवा अपने फ्लैग जलयानों अथवा विमानों द्वारा कोयला, लोहा और लौह अयस्क की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः आपूर्ति, विक्रय अथवा अंतरण नहीं करेगा और यह कि सभी राज्य अपने राष्ट्रिकों द्वारा अथवा अपने फ्लैग जलयानों या विमानों का प्रयोग करते हुए ऐसी सामग्री की अधिप्राप्ति डीपीआरके से नहीं करेंगे, चाहे वह डीपीआरके के भू-भाग से उद्भूत हुई हो अथवा नहीं, और **निर्णय लेती** है कि यह उपबंध निम्न के संबंध में लागू नहीं होगा:

- (ग) कोयला जिसके लिए अधिप्राप्ति करने वाले राज्य विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुष्टि करेगा कि वह डीपीआरके से बाहर से उद्भूत हुआ है तथा उसे केवल पोर्ट ऑफ राजिन (रेसन) से निर्यात करने के लिए डीपीआरके के माध्यम से परिवहन किया गया

था, बशर्ते कि राज्य ऐसी सूचना समिति को अग्रिम रूप से देगा तथा ऐसा संव्यवहार डीपीआरके के परमाणु अथवा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के लिए राजस्व अर्जित करने अथवा संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013) अथवा इस संकल्प द्वारा प्रतिषिद्ध अन्य क्रियाकलापों से असंगत है; और

- (ख) सभी सदस्य राज्यों को डीपीआरके में उद्भूत कोयले का कुल निर्यात इस संकल्प के अंगीकरण की तारीख से 31 दिसम्बर, 2016 के बीच सकल मात्रा में 53,495,894 यूएस डॉलर अथवा 1,000,866 मीट्रिक टन, जो भी कम हो से अधिक नहीं होगा तथा सभी सदस्य राज्यों को डीपीआरके में उद्भूत होने वाले कोयले का कुल सकल निर्यात 1 जनवरी, 2017 से आरंभ होने वाली अवधिसे प्रतिवर्ष 400,870,018 यूएस डॉलर अथवा 7,500,000 मीट्रिक टन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा, बशर्ते कि इस अधिप्राप्ति में (i) कोई ऐसा व्यक्ति अथवा संस्था शामिल नहीं है जो डीपीआरके के परमाणु अथवा मिसाइल कार्यक्रमों अथवा संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270(2016) अथवा इस संकल्प द्वारा प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों से सहयोजित न हो; जिसमें अधिहित व्यक्ति अथवा संस्थाएं अथवा उनकी ओर से अथवा उनके निर्देश पर कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा संस्थाएं, अथवा उने द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित संस्थाएं अथवा प्रतिबंधों के वंचन में सहायता करने वाले व्यक्ति अथवा संस्थाएं भी शामिल हैं, और (ii) जो विशेष रूप से डीपीआरके के राष्ट्रियों के आजीविका प्रयोजनों के लिए हैं तथा डीपीआरके परमाणु या बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों अथवा संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270(2016) और इस संकल्प द्वारा प्रतिषिद्ध अन्य क्रियाकलापों के लिए राजस्व अर्जित करने से संबंधित हैं, तथा निर्णय लेती है कि प्रत्येक ऐसा सदस्य राज्य जो डीपीआरके से कोयला अधिप्राप्त करता है, इस संकल्प के अनुबंध V में दिए गए प्ररूप में प्रत्येक माह उस माह के समाप्त होने से 30 दिन के अघुश्चात् ऐसी अधिप्राप्ति की मात्रा की सूचित मात्रा के बारे में समिति को सूचित करेगा, और समिति को **निर्देश देती** है कि वह सदस्य राज्यों द्वारा सूचित की गई तथा समिति के सचिव द्वारा आकलित की गई डीपीआरके से कोयले की अधिप्राप्ति की मात्रा अपनी वेबसाइट पर जनसाधारण के लिए उपलब्ध कराएगी, तथा साथ ही प्रत्येक माह के लिए सूचित तथा प्रत्येक माह के लिए राज्यों की संख्या को भी दर्शाएगी, समिति को **निर्देश देती** है कि वह इस सूचना के प्राप्त होने पर उसे वास्तविक आधार पर अद्यतन बनाती रहेगी, उन सभी राज्यों से **आह्वान करती** है जो डीपीआरके कोयले का आयात करते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे अनिवार्य सकल वार्षिक सीमा से अधिक मात्रा में आयात न करें, समिति सचिव को **निर्देश देती** है कि वे उस स्थिति में सभी सदस्य राज्यों को सूचित करें जब डीपीआरके से कोयला अधिप्राप्ति का सकल मूल्य अथवा मात्रा वार्षिक सकल मात्रा या राशि के 75 प्रतिशत तक पहुंच जाए, समिति सचिव को यह **निर्देश भी देती** है कि वह उस स्थिति में सभी सदस्य राज्यों को सूचित करें जब डीपीआरके से कोयला अधिप्राप्ति का सकल मूल्य अथवा मात्रा वार्षिक सकल मात्रा या राशि के 90 प्रतिशत तक पहुंच जाए, आगे समिति सचिव को यह **निर्देश भी देती** है कि वह उस स्थिति में सभी सदस्य राज्यों को सूचित करें जब डीपीआरके से कोयला अधिप्राप्ति का सकल मूल्य अथवा मात्रा वार्षिक सकल मात्रा या राशि के 95 प्रतिशत तक पहुंच जाए, और यह सूचित करें कि अब उन्हें डीपीआरके से उस वर्ष के लिए कोयले की अधिप्राप्ति बंद कर देनी चाहिए, और महासचिव से अनुरोध करती है कि वे इस संबंध में आवश्यक व्यवस्थाएं करें और इस दिशा में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराएं; और
- (ग) लौह और लौह अयस्क का लेन-देन जिसे विशेष रूप से आजीविका प्रयोजनों के लिए अवधारित किया गया है तथा जो डीपीआरके के परमाणु अथवा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों अथवा संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270(2016) अथवा इस संकल्प द्वारा प्रतिषिद्ध अन्य क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है।"

27. विशेषज्ञों के पैनल को **निर्देश देती** है कि वह प्रत्येक माह की समाप्ति पर, 30 दिन के भीतर, विश्वसनीय और तथ्यात्मक रूप से सही व्यापार आंकड़ों के आधार पर उस माह डीपीआरके से निर्यात किए गए कोयले के यूएस डॉलर में औसत (माध्य) मूल्य का अनुमान तैयार करे और समिति को भेजे, तथा समिति के सचिव को निर्देश देती है कि वह इस औसत मूल्य का प्रयोग राज्यों द्वारा सूचित की गई मात्रा के आधार पर डीपीआरके से प्रत्येक माह कोयले की अधिप्राप्ति की मात्रा को आकलित करने के आधार के रूप में सभी सदस्य राज्यों को सूचित करने तथा इस संकल्प के पैराग्राफ 26 में यथाअपेक्षित वास्तविक आधार पर समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध डीपीआरके निर्यात स्तरों को सार्वजनिक बनाने के लिए करे;
28. यह निर्णय लेती है कि डीपीआरके अपने भू-भाग से अथवा अपने राष्ट्रिकों द्वारा अथवा अपने फ्लैग जलयानों अथवा विमानों द्वारा कॉपर, निकेल, सिल्वर और जिंक की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः आपूर्ति, विक्रय अथवा अंतरण नहीं करेगा और यह कि सभी राज्य अपने राष्ट्रिकों द्वारा अथवा अपने फ्लैग जलयानों या विमानों का प्रयोग करते हुए ऐसी सामग्री की अधिप्राप्ति डीपीआरके से नहीं करेंगे, चाहे वह डीपीआरके के भू-भाग से उद्भूत हुई हो अथवा नहीं;
29. यह निर्णय लेती है कि डीपीआरके अपने भू-भाग से अथवा अपने राष्ट्रिकों द्वारा अथवा अपने फ्लैग जलयानों अथवा विमानों द्वारा स्टेचूज़ की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः आपूर्ति, विक्रय अथवा अंतरण नहीं करेगा और यह कि सभी राज्य अपने राष्ट्रिकों द्वारा अथवा अपने फ्लैग जलयानों या विमानों का प्रयोग करते हुए ऐसी मद की अधिप्राप्ति डीपीआरके से नहीं करेंगे, चाहे वह डीपीआरके के भू-भाग से उद्भूत हुई हो अथवा नहीं, जब तक कि समिति मामला-दर-मामला आधार पर अग्रिम रूप से इसका अनुमोदन नहीं कर देती है;
30. यह निर्णय लेती है कि सभी सदस्य राज्य अपने भू-भाग से अथवा अपने राष्ट्रिकों द्वारा अथवा अपने फ्लैग जलयानों अथवा विमानों द्वारा नए हैलीकॉप्टरों और जलयानों की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः आपूर्ति, विक्रय अथवा अंतरण को निवारित करेगा, चाहे वह डीपीआरके के भू-भाग से उद्भूत हुई हो अथवा नहीं, जब तक कि समिति मामला-दर-मामला आधार पर अग्रिम रूप से इसका अनुमोदन नहीं कर देती है;
31. **निर्णय लेती** है कि सदस्य राज्य 90 दिन के भीतर डीपीआरके में उसके विद्यमान प्रतिनिधि कार्यालयों, अनुषंगियों अथवा बैंक खातों को बंद करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, जब तक कि समिति मामला-दर-मामला आधार पर यह अवधारित न कर दे कि ये अनुषंगियां अथवा खाते डीपीआरके में मानवीय सहायता के वितरण अथवा राजनयिक मिशनों के क्रियाकलापों के लिए अथवा संयुक्त राष्ट्र अथवा इसकी विशेषज्ञ एजेंसियों अथवा संबंधित संगठनों के लिए अथवा इस संकल्प के उद्देश्यों से संगत अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हैं;
32. निर्णय लेती है कि सभी सदस्य राज्य उनके भू-भाग के भीतर अथवा डीपीआरके के साथ व्यापार के लिए उनकी अधिकारिता के अध्येक्षित व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक अथवा प्राइवेट वित्तीय सहयोग को प्रतिषिद्ध करेंगे (जिसमें उनके राष्ट्रिकों अथवा ऐसे व्यापार में शामिल संस्थाओं को निर्यात ऋण गारंटियां अथवा बीमा प्रदान करना भी शामिल है) सिवाए समिति द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर अग्रिम रूप से दिए गए अनुमोदन को छोड़कर;
33. **निर्णय लेती** है कि यदि सदस्य राज्य अवधारित करते हैं कि कोई व्यक्ति डीपीआरके बैंक अथवा वित्तीय संस्था की ओर से अथवा उसके निर्देश पर कार्य कर रहा है, तो सदस्य राज्य उस व्यक्ति को लागू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार प्रत्यावर्तन करने के प्रयोजनार्थ उस व्यक्ति को अपने भू-भाग से निष्कासित कर देंगे, जब तक कि उस व्यक्ति की उपस्थिति किसी न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ति के लिए अथवा अनन्य रूप से चिकित्सा, सुरक्षा अथवा अन्य मानवीय प्रयोजनों के लिए अपेक्षित न हो अथवा समिति ने मामला-दर-मामला आधार पर अवधारित न किया हो कि उस व्यक्ति का निष्कासन संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270(2016) अथवा इस संकल्प के उद्देश्यों के प्रतिकूल होगा;

34. **चिंता व्यक्त करती** है कि डीपीआरके के राष्ट्रिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के प्रयोजनार्थ अन्य राज्यों में कार्य करने के लिए भेजे गए हैं जिसका प्रयोग डीपीआरके द्वारा अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के लिए किया जा रहा है, और राष्ट्रों से **आह्वान करती** है कि वे इस प्रक्रिया की निगरानी करें;
35. अपनी **चिंता को दोहराती है** कि उस थोक नकदी का प्रयोग सुरक्षा परिषद द्वारा अधिरोपित उपायों का वंचन करने के लिए किया जा सकता है, तथा सदस्यों से **आह्वान करती है** कि वे इस जोखिम के प्रति सचेत रहे;
36. सभी सदस्य राज्यों से **आह्वान करती है** कि वे इस संकल्प के अंगीकरण के 90 दिन के भीतर तथा उसके बाद समिति द्वारा अनुरोध किए जाने पर उनके द्वारा इस संकल्प के उपबंधों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाए गए कदमों की रिपोर्ट सुरक्षा परिषद को भेजें, विशेषज्ञ समिति के पैनल से **अनुरोध करती है** कि वह ऐसी रिपोर्टों को समय पर तैयार करने और प्रेषित करने के लिए अन्य संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध निगरानी समूहों के साथ समन्वय करते हुए संकल्प 1874(2009) के अनुसरण में सदस्य राज्यों की सहायता करने के अपने प्रयासों को जारी रखे;
37. **पुनःपुष्टि करती है** कि सुरक्षा परिषद का संकल्प 1540(2004) सभी राज्यों के लिए यह दायित्व प्रस्तुत करता है कि वे परमाणु, रासायनिक अथवा जैविक हथियारों के प्रचुरोद्भवन का निवारण करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना हेतु प्रभावी उपाय करें और उन्हें प्रवर्तित करें और **नोट करती है** कि ये दायित्व 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013) और 2270(2016) के संकल्पों में निहित दायित्वों के समपूरक हैं ताकि डीपीआरके से ऐसी मदों, सामग्री, उपकरणों, माल और प्रौद्योगिकी की प्रत्यक्ष आपूर्ति, विक्रय अथवा अंतरण को निवारित किया जा सके जो डीपीआरके के परमाणु संबंधी, बैलिस्टिक मिसाइल संबंधी तथा व्यापक संहार के अन्य हथियारों संबंधी कार्यक्रमों में योगदान दे सकते हैं;
38. सदस्य राज्यों से **आह्वान करती है** कि वे संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013) और 2270(2016) में निहित उपायों के क्रियान्वयन की पूर्ति के लिए तथा ऐसा करने में एक-दूसरे के साथ, विशेष रूप से उन मदों का निरीक्षण करने, पता लगाने और उन्हें जब्त करने के लिए जिनका अंतरण इन संकल्पों द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है, सहयोग करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करें;
39. **निर्णय लेती है** कि संकल्प 1718(2006) के पैराग्राफ 12 में यथानिर्धारित समिति का अधिदेश इस संकल्प में अधिरोपित उपायों के संबंध में लागू होगा और **यह निर्णय भी लेती है** कि संकल्प 1874(2009) के पैराग्राफ 26 में निर्दिष्ट तथा 2276(2016) के पैराग्राफ 1 में आशोधित विशेषज्ञ पैनल का अधिदेश इस संकल्प में अधिरोपित उपायों के संबंध में लागू होगा;
40. सभी सदस्य राज्यों को प्राधिकृत करने का **निर्णय लेती है** तथा यह कि सभी राज्य ऐसी मदों को जब्त और उनका निपटान करेंगे (जैसे उन्हें नष्ट करके, उन्हें गैर-प्रचालित अथवा प्रयोग के लिए समाप्त करके, उनका भण्डारण करके या निपटान के लिए उन्हें किसी ऐसे राज्य को स्थानांतरित करके जो उनके प्रारंभन और गंतव्य राज्य से भिन्न हो) जिनकी आपूर्ति, विक्रय, अंतरण अथवा निर्यात संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270(2016) अथवा इस संकल्प द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है तथा जिन्हें निरीक्षण में ऐसी रीति से पहचाना गया है जो लागू सुरक्षा परिषद संकल्पों के अंतर्गत उनके दायित्वों से संगत नहीं है, जिसमें संकल्प 1540(2004) तथा एनटीपी के पक्षकारों, रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भण्डारण और प्रयोग का प्रतिषेध तथा उनका विनाश संबंधी 29 अप्रैल, 1997 के कन्वेंशन और जीवाणु-विज्ञान (जैविक) और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन और भण्डारण का प्रतिषेध और उनका विनाश संबंधी 10 अप्रैल, 1972 के कन्वेंशन के अंतर्गत उनके दायित्व भी शामिल है;

41. डीपीआरके सहित सभी राज्यों के यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने के महत्व पर **बल प्रदान करती** है कि डीपीआरके की ओर से, अथवा डीपीआरके के किसी व्यक्ति या संस्था का अथवा संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) और 2094(2013), 2270(2016) अथवा इस संकल्प में निर्दिष्ट उपायों के लिए अभिहित किसी व्यक्ति या संस्था का अथवा ऐसे व्यक्ति या संस्था के माध्यम से अथवा उसके लाभ के लिए दावा करने वाले किसी व्यक्ति का कोई भी दावा किसी संविदा अथवा अन्य संव्यवहार के संबंध में लंबित न रह जाए, जहां उसके निष्पादन को इस संकल्प अथवा पूर्व संकल्पों द्वारा अधिरोपित उपायों के कारण निवारित किया गया था;
42. महासचिव से **अनुरोध करती** है कि वे संकल्प 1874(2009) के अनुसरण में स्थापित विशेषज्ञों के पैनल की क्षमता में वृद्धि करने तथा डीपीआरके के प्रतिबंधों का उल्लंघन और बंचन संबंधी क्रियाकलापों का विश्लेषण करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त प्रशासनिक और विश्लेषणात्मक सहयोग प्रदान करें ताकि एरियल इमेजरी और विश्लेषण सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जा सके, प्रासंगिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा डाटाबेसों और सूचना के अन्य स्रोतों तक पहुंच प्राप्त की जा सके तथा सचिवालय द्वारा समिति के क्रियाकलापों में वृद्धि की जा सके;
43. विशेषज्ञों के पैनल से **अनुरोध करती** है कि वे 5 अगस्त, 2017 तक प्रस्तुत किए जाने के लिए देय समिति की रिपोर्ट से आरंभ करते हुए अपनी मध्यावधि रिपोर्टों में निष्कर्षों और सिफारिशों को शामिल करें;
44. समिति को **निदेश देती** है कि वह अपने विशेषज्ञों के पैनल की सहायता से उन क्षेत्रों के लिए संसाधनों की पहचान, प्राथमिकता और संघटन करने के प्रयोजनार्थ, जो तकनीकी और क्षमता-निर्माण सहायता से लाभान्वित होंगे महत्वपूर्ण विषयों पर क्षेत्रीय विषयों पर तथा सदस्य राज्यों की क्षमता संबंधी चुनौतियों पर विशेष बैठकें आयोजित करे ताकि सदस्य राज्यों द्वारा क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाया जा सके;
45. डीपीआरके के लोगों द्वारा झेली जा रही घोर आर्थिक तंगी पर अपनी गहन चिंता को **दोहराते हुए**, अपने लोगों का कल्याण करने के स्थान पर डीपीआरके द्वारा परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण करने की **भर्त्सना करती** है जबकि डीपीआरके में लोगों की अनेक आवश्यकताएं अधूरी हैं, तथा इस आवश्यकता पर **बल प्रदान करती** है कि डीपीआरके द्वारा डीपीआरके के लोगों के कल्याण तथा उनकी नैसर्गिक मर्यादा का सम्मान किया जाएगा और उसे सुनिश्चित किया जाएगा;
46. इस बात की **पुनःपुष्टि करती** है कि संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270(2016) अथवा इस संकल्प द्वारा अधिरोपित उपायों का आशय डीपीआरके की नागरिक जनसंख्या पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव डालना नहीं है, अथवा उन क्रियाकलापों, जिनमें आर्थिक क्रियाकलाप और सहयोग भी शामिल हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव डालना नहीं है जो संकल्प 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270(2016) अथवा इस संकल्प द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं किए गए हैं, तथा डीपीआरके की नागरिक जनसंख्या के लाभ के लिए डीपीआरके में सहायता और राहत क्रियाकलापों को करने वाले अंतर्राष्ट्रीय और गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों को प्रभावित करना नहीं है, और **निर्णय लेती** है कि समिति, मामला-दर-मामला आधार पर, इन संकल्पों द्वारा अधिरोपित किसी उपाय से किसी क्रियाकलाप को छूट प्रदान कर सकेगी यदि समिति अवधारित करती है कि ऐसी हर डीपीआर में ऐसे कार्य को सुकर बनाने अथवा इन संकल्पों के उद्देश्यों के साथ संगत किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक है;
47. छह-दलीय वार्ताओं को अपने सहयोग का **पुनः पुष्टि करती** है कि उनके प्रारंभ किए जाने का **आह्वान** करती है तथा चीन, डीपीआरके, जापान, कोरिया गणराज्य, रूसी परिसंघ और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा 19 सितम्बर, 2005 के संयुक्त वक्तव्य में निर्धारित की गई प्रतिबद्धताओं के प्रति अपने सहयोग को **दोहराती** है, जिसमें यह शामिल है कि छह-दलीय वार्ताओं का लक्ष्य एक शांतिपूर्ण तरीके से

कोरियाई प्रायद्वीप का सत्यापनीय गैर-परमाणुकरण करना है तथा यह कि यूनाइटेड स्टेट्स और डीपीआरके ने एक-दूसरे की संप्रभुता और शांतिपूर्वक एक-साथ रहने के प्रति सम्मान दर्शाया है, तथा छह दलों ने आर्थिक सहयोग को प्रवर्तित करने और अन्य सभी प्रासंगिक प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने का दायित्व उठाया है;

48. कोरियाई प्रायद्वीप और व्यापक रूप से उत्तर-पूर्व एशिया में शांति और स्थायित्व अनुरक्षित करने के महत्व को पुनः **दोहराती है** और इस स्थिति के एक शांतिपूर्ण, राजनयिक और राजनीतिक समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को **व्यक्त करती है** और वार्ता के माध्यम से एक शांतिपूर्ण और व्यापक समाधान करने को सुकर बनाने के लिए परिषद के सदस्यों तथा अन्य राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों का स्वागत करती है तथा उन्हें ऐसे कृत्यों से दूर रहने का परामर्श देती है, जो तनाव में वृद्धि करते हैं और कोरियाई प्रायद्वीप तथा उसके आस-पास तनाव में कमी करने के महत्व पर **बल प्रदान** करती है;

49. यह **पुष्टि करती है** कि वह डीपीआरके के कार्यों की निरंतर समीक्षा करेगी तथा वह डीपीआरके के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में यथा अपेक्षित उपायों को सुदृढ़ करने, उन्हें आशोधित करने, निलंबित करने अथवा उठाने के लिए तैयार है और इस संबंध में, डीपीआरके द्वारा आगे और परमाणु परीक्षण और प्रेक्षणपणों की स्थिति में आगामी उल्लेखनीय उपाय करने के लिए अपनी **प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त करती है**;

50. मामले की निरंतर निगरानी करने का निर्णय लेती है।

अनुबंध ।

यात्रा प्रतिबंध/आस्ति परिरोधन (व्यक्ति)

1. पाक चुन इल

- क. वर्णन : पाक चुन इल ने मित्र में डीपीआरके के राजदूत के रूप में कार्य किया है तथा कोमिड को सहयोग प्रदान किया है।
- ख. एकेए : उपलब्ध नहीं
- ग. पहचान : जन्मतिथि : 28 जुलाई, 1954, राष्ट्रियता : डीपीआरके, पासपोर्ट : 56340091

2. किम सोंग चोल

- क. वर्णन : किम सोंग चोल कोमिड के अधिकारी है जिसने कोमिड के हित में सूडान में व्यवसाय संचालित किया है।
- ख. एकेए : किम हूक सोंग
- ग. पहचान : जन्मतिथि : 26 मार्च, 1968, वैकल्पिक जन्मतिथि : 15 अक्तूबर, 1970, राष्ट्रियता : डीपीआरके, पासपोर्ट : 381420565, वैकल्पिक पासपोर्ट : 654120219

3. सोंग जोंग ह्योक

- क. वर्णन : सोंग जोंग ह्योक कोमिड के अधिकारी है जिसने कोमिड के हित में सूडान में व्यवसाय संचालित किया है।
- ख. एकेए : सोन मिन
- ग. पहचान : जन्मतिथि : 20 मई, 1980, राष्ट्रियता : डीपीआरके

4. किम से गोन

- क. वर्णन : किम से गोन परमाणु ऊर्जा उद्योग मंत्रालय की ओर से कार्य करते हैं।
- ख. एकेए : उपलब्ध नहीं
- ग. पहचान : जन्मतिथि : 13 नवम्बर, 1969, पासपोर्ट : पीडी 472310104, राष्ट्रियता : डीपीआरके

5. री वोन हो

- क. वर्णन : री वोन हो डीपीआरके राज्य सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारी हैं तथा वे सीरिया में तैनात हैं और कोमिड की सहायता करते हैं।
- ख. एकेए : उपलब्ध नहीं
- ग. पहचान : जन्मतिथि : 17 जुलाई, 1964, पासपोर्ट : 381310014, राष्ट्रियता : डीपीआरके

6. जो योंग चोल

- क. वर्णन : जो योंग चोल डीपीआरके राज्य सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारी हैं तथा वे सीरिया में तैनात हैं और कोमिड की सहायता करते हैं।
- ख. एकेए : जो योंग चोल
- ग. पहचान : जन्मतिथि : 30 सितम्बर, 1973, राष्ट्रियता : डीपीआरके

7. किम चोल सैम

- क. वर्णन : किम चोल सैम डेइडांग क्रेडिट बैंक (डीसीबी) के प्रतिनिधि है जो डीसीबी वित्त लिमिटेड की ओर से संव्यवहारों को प्रबंधित करने का कार्य करते हैं। डीसीबी के विदेश में स्थित प्रतिनिधि के रूप में, उनके संबंध में संदेह है कि किम चोल सैम ने लाखों डालरों के लेन-देनों को सुकर बनाया है तथा डीपीआरके से संबंधित खातों में लाखों डॉलरों का प्रबंधन किया है जिनके संभावित संबंध परमाणु मिसाइल कार्यक्रमों से हो सकते हैं।
- ख. एकेए : उपलब्ध नहीं
- ग. पहचान : जन्मतिथि : 11 मार्च, 1971, राष्ट्रियता : डीपीआरके

8. किम सोक चोल

- क. वर्णन : किम सोक चोल ने म्यांमार में डीपीआरके के राजदूत के रूप में कार्य किया है तथा वे कोमिड के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें उनकी इस सहायता के लिए तथा कोमिड की ओर से बैठकों का आयोजन करने जिसमें वित्तीय मामलों पर चर्चा करने के लिए कोमिड और म्यांमार के रक्षा से जुड़े व्यक्तियों के बीच हुई बैठक भी शामिल है, के लिए कोमिड द्वारा भुगतान भी किया गया।
- ख. एकेए : उपलब्ध नहीं
- ग. पहचान : जन्मतिथि : 8 मई, 1955, पासपोर्ट : 472310082, राष्ट्रियता : डीपीआरके

9. चांग चांग हा

- क. वर्णन : चांग चांग हा सेकेण्ड एकेडमी ऑफ नैचुरल साइंसेज (एसएएनएस) के अध्यक्ष हैं।
- ख. एकेए : चांग चांग हा
- ग. पहचान : जन्मतिथि : 10 जनवरी, 1964, राष्ट्रियता : डीपीआरके

10. चो चुन र्योंग

- क. वर्णन : चो चुन रयोग सेकेण्ड इकानामिक कमिटी (एसईसी) के अध्यक्ष हैं।
 ख. एकेए : जो चुन रयोग
 ग. पहचान : जन्मतिथि : 4 अप्रैल, 1960, राष्ट्रीयता : डीपीआरके

11. सोन मुन सान

- क. वर्णन : सोन मुन सान जनरल ब्यूरो ऑफ एटॉमिक एनर्जी (जीबीएई) के विदेशी मामलों के ब्यूरो के महानिदेशक हैं।
 ख. एकेए : उपलब्ध नहीं
 ग. पहचान : जन्मतिथि : 23 जनवरी, 1951, राष्ट्रीयता : डीपीआरके

अनुबंध II

आस्ति परिरोधित (संस्थाएं)

1. कोरिया यूनाइटेड डेवलपमेंट बैंक

- क. वर्णन : कोरिया यूनाइटेड डेवलपमेंट बैंक डीपीआरके अर्थव्यवस्था के वित्तीय सेवा उद्योग में कार्य करता है।
 ख. स्थान : प्योंगयांग, उत्तर कोरिया, स्विफ्ट/बीआईसी, केयूडीबीकेपीपीवाई

2. इस्लिम इंटरनेशनल बैंक

- क. वर्णन : इस्लिम इंटरनेशनल बैंक डीपीआरके डीपीआरके की सेना के साथ संबद्ध है तथा उसका कोरिया ब्रांच सन बैंकिंग कार्पोरेशन (केकेबीसी) के साथ घनिष्ठ संबंध है। इस्लिम इंटरनेशनल बैंक ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का वंचन करने का प्रयास किया है।
 ख. एकेए : उपलब्ध नहीं
 ग. स्थान : प्योंगयांग, डीपीआरके, स्विफ्ट : आईएलएसकेपीपीवाई

3. कोरिया डेइसोंग बैंक

- क. वर्णन : डेइसोंग बैंक का स्वामित्व और नियंत्रण कोरिया वर्कर्स पार्टी के ऑफिस 39 के हाथ में है।
 ख. एकेए : चासोन ताइसोंग अनहेंग, एकेए : तेइसोंग बैंक
 ग. स्थान : सेगोरी-डोंग, ज्योंगहेयंक सेंट पोटोन्गगैंग जिला, प्योंगयांग, डीपीआरके, स्विफ्ट/बीआईसी : केडीबीकेकेपीपीवाई

4. सिंगवांग इकॉनामक्स एंड ट्रेडिंग जनरल कार्पोरेशन

- क. वर्णन : सिंगवांग इकॉनामक्स एंड ट्रेडिंग जनरल कार्पोरेशन डीपीआरके की फर्म है जो कोयले का व्यापार करती है। डीपीआरके प्राकृतिक संसाधनों का खनन करके तथा इन संसाधनों को विदेश में बेचकर अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त मात्रा में धन एकत्र करता है।
 ख. एकेए : उपलब्ध नहीं
 ग. स्थान : डीपीआरके

5. कोरिया विदेश तकनीकी व्यापार केन्द्र

- क. वर्णन : कोरिया विदेश तकनीकी व्यापार केन्द्र डीपीआरके की फर्म है जो कोयले का व्यापार करती है। डीपीआरके प्राकृतिक संसाधनों का खनन करके तथा इन संसाधनों को विदेश में बेचकर अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त मात्रा में धन एकत्र करता है।
- ख. एकेए : उपलब्ध नहीं
- ग. स्थान : डीपीआरके

6. कोरिया परगैंग ट्रेडिंग कारपोरेशन

- क. वर्णन : कोरिया परगैंग ट्रेडिंग कारपोरेशन डीपीआरके की रक्षा संस्था कोरिया रयोंगबोंग जनरल कारपोरेशन के स्वामित्व में है तथा यह डीपीआरके के रक्षा उद्योगों के अर्जन और प्योंगयांग के सैन्य-संबंधी विक्रयों को सहायता प्रदान करने में विशेषज्ञता प्राप्त है।
- ख. एकेए : उपलब्ध नहीं
- ग. स्थान : रेकवन - डोंग, पोथोनरगैंग जिला, प्योंगयांग, डीपीआरके

7. कोरिया इंटरनेशनल कैमिकल ज्वाइंट वेंचर कंपनी

- क. वर्णन : कोरिया इंटरनेशनल कैमिकल ज्वाइंट वेंचर कंपनी डीपीआरके की रक्षा संस्था कोरिया रयोंगबोंग जनरल कारपोरेशन की अनुषंगी है तथा यह डीपीआरके के रक्षा उद्योगों के अर्जन और प्योंगयांग के सैन्य-संबंधी विक्रयों को सहायता प्रदान करने में विशेषज्ञता प्राप्त है और प्रचुरोद्भवन संबंधी लेन-देन में संलिप्त है।
- ख. एकेए : चोसोन इंटरनेशनल कैमिकल्स ज्वाइंट आप्रेशन कंपनी, एकेए : चोसुन इंटरनेशनल कैमिकल्स ज्वाइंट आप्रेशन कंपनी, एकेए : इंटरनेशनल कैमिकल ज्वाइंट वेंचर कंपनी।
- ग. स्थान : हैमहंग, साउथ हैमरग्योंग प्रोविंस, डीपीआरके, स्थान : मान रग्योंग डे-क्योक, प्योंगयांग, डीपीआरके, स्थान : मानरग्युन्गडे - गु, प्योंगयांग, डीपीआरके

8. डीसीबी फाइनेंस लिमिटेड

- क. वर्णन : डीसीबी फाइनेंस लिमिटेड एक अभिहित संस्था डाएडोंग क्रेडिट बैंक (डीसीबी) की फ्रंट कंपनी है।
- ख. एकेए : उपलब्ध नहीं
- ग. स्थान : अकारा भवन, 24 डी कैस्ट्रो स्ट्रीट विकहैम्स के 1, रोड डाइन, तोर्टोला, ब्रिटिश विर्जिन आइलैंड्स, डालियान, चीन

9. कोरिया ताइसोंग ट्रेडिंग कंपनी

- क. वर्णन : कोरिया ताइसोंग ट्रेडिंग कंपनी ने सीरिया में कोमिड की ओर से लेन-देन संचालित किए हैं।
- ख. एकेए : उपलब्ध नहीं
- ग. स्थान : प्योंगयांग, डीपीआरके

10. कोरिया डाइसोंग जनरल ट्रेडिंग कारपोरेशन

- क. वर्णन : कोरिया डाइसोंग जनरल ट्रेडिंग कारपोरेशन खनिजों (स्वर्ण), धातुओं, मशीनरी, कृषि उत्पादों, जिनसेंग, आभूषणों और हल्के औद्योगिक उत्पादों के निर्यात के माध्यम से ऑफिस 39 के साथ संबंधित है।

- ख. एकेए : डाइसोंग ट्रेडिंग, डाइसोंग ट्रेडिंग कंपनी, कोरिया डाइसोंग ट्रेडिंग कंपनी, कोरिया डाइसोंग ट्रेडिंग कापोरेशन
- ग. स्थान : पुलगन गोरी डोंग 1, पोदोन्गगैंग जिला, प्योंगयांग सिटी, डीपीआरके

अनुबंध III

मदें, सामग्रियां, उपकरण, माल और प्रौद्योगिकी

परमाणु और/अथवा मिसाइल उपयोग मदें

1. आइसोसाइनेट्स (टीडीआई (टोलुएनी - डी-अइसोसाइनेट), एमआईडी (मिथाइलीन बिस (फिनाइल साइसोसाइनेट)), आईपीडीआई (साइसोफोरोन डाइ-आइसोसाइनेट), एचएनएमडीआई अथवा डीडीआई (डाईमिथाइल डाइ-आइसोसाइनेट) और उत्पादन उपकरण
2. एमोनियम नाइट्रेट, रासायनिक दृष्टि से परिशुद्ध अथवा फेस स्टेबलाइज्ड वर्जन में (पीएसएएन)
3. 1 मी अथवा अधिक निर्णायक आंतरिक आयाम के साथ गैर-नाशक परीक्षा चैम्बर्स
4. द्रव्य अथवा संकर राकेट इंजनों के लिए टर्बो-पंप्स
5. पालीमेरिक सबस्टेंसेस (हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पाली ईथर (एचटीपीई), हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड कैप्रालेक्टोन ईथर (एचटीसीई), पालीप्रोपीलीन ग्लाइकोल (पीपीजी), पॉली डाइइथाइलीन ग्लाइकोल एडिपेट (पीजीए) और पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल (पीईजी)।
6. किसी अनुप्रयोग के लिए इटर्शियल उपकरण, विशेष रूप से सिविलियन एयरक्राफ्ट, उपग्रह भू-भौतिक सर्वेक्षण अनुप्रयोगों और उनके सहयोजित परीक्षण उपकरणों के लिए।
7. काउंटर मैजर सबसिस्टम्स और पेनेट्रेशन एड्स (अर्थात् जैमर्स, शैंफ, डिक्ॉय) जो मिसाइल डिफेंस को संतृप्त, भ्रमित अथवा वंचित करने के लिए तैयार किए जाते हैं।
8. मैगनेनीज़ धातु ब्रेजिंग फॉइल्स।
9. हाइड्रोफोर्मिंग मशीनें
10. थर्मल ट्रीटमेंट फर्नेसेस - तापमान 7850 डिग्री से. और एक डाइमेंशन > 1 मी
11. इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनें (ईडीएम)
12. फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग मशीनें
13. मॉडलिंग और डिजाइन साफ्टवेयर जो रॉकिज अथवा मानव रहित एरियल व्हीकल प्रणालियों की एरोडायनेमिक मॉडलिंग और थर्मोडायनेमिक विश्लेषण से संबंधित है।
14. उच्च गति के इमेजिंग कैमरा, उन्हें छोड़कर जो चिकित्सा इमेजिंग प्रणाली में प्रयोग में लाए जाते हैं।
15. 6 अथवा अधिक एक्सेलों वाली ट्रक चैसिस।

रासायनिक/जैविक हथियार-प्रयोग में लाई जाने वाली मदें

1. 2.5 मीटर की न्यूनतम नाममात्र चौड़ाई वाले फ्लोर-माउंटेड फ्यूम हुड्स (वाक-इन स्टाइल)
2. 4 ली अथवा अधिक की रोटार क्षमता के साथ बैच सेंट्रिफ्यूग्स, जैविक सामग्रियों के साथ प्रयोग-योग्य
3. 10-20 ली (.01-.02 क्यूबिक मीटर) की आंतरिक मात्रा वाले फर्मेंटर्स, जैविक सामग्रियों के साथ प्रयोग-योग्य

अनुबंध IV

लकजरी माल

1. रस और टेपेस्ट्रीज़ (500 डॉलर से अधिक मूल्य वाले)
2. पार्सेलेन अथवा बोन चाइना के टेबलवेयर (100 डॉलर से अधिक मूल्य वाले)

अनुबंध V

संकल्प 2321(2016) के पैराग्राफ 26(ख) के अनुसरण में लोकतांत्रिक कोरिया जन गणतंत्र (डीपीआरके) से कोयले के निर्यात की अधिसूचना के लिए मानक प्ररूप

यह प्ररूप संकल्प 2321(2016) के प्रासंगिक उपबंधों के अनुसरण में लोकतांत्रिक कोरिया जन गणतंत्र (डीपीआरके) से कोयले की अधिप्राप्ति पर संयुक्त राष्ट्र परिषद 1718 समिति को अधिसूचित करता है।

अधिप्राप्ति करने वाला राज्य :

माह :

वर्ष :

डीपीआरके से आयातित कोयला, मीट्रिक टन में :

डीपीआरके से आयातित कोयला, यूएस डॉलर में :

अतिरिक्त जानकारी (वैकल्पिक)

हस्ताक्षर/मुहर :

तारीख :

[फा. सं. एई-1/102/11(ए)/2016]

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**ORDER**

New Delhi, the 21st April, 2017

S.O. 1549 (E).-- Whereas the Security Council of the United Nations adopted Resolution 1718 (2006) on 14 October 2006 at its 5551st Meeting, Resolution 1874 (2009) on 12 June 2009 at its 6141st Meeting, Resolution 2087 (2013) on 22 January 2013 at its 6904th Meeting, Resolution 2094 (2013) on 7 March 2013 at its 6932nd Meeting, Resolution 2270 (2016) on 2 March 2016 at its 7638th Meeting and Resolution 2321 (2016) on 30 November 2016 at its 7821st meeting (appended to this Order as Schedules I, II, III, IV, V and VI respectively) under Chapter VII of the Charter of the United Nations requiring all States to take certain measures;

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to issue an Order under the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947) to implement the said Resolutions of the Security Council adopted under Article 41 of Chapter VII of the Charter of the United Nations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), and in supersession of the Implementation of Security Council Resolution on Democratic People's Republic of Korea Order, 2007 [S.O.131(E) dated 7 February 2007 and S.O. 2374 (E) dated 15 September 2009], except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Order to give effect to the Resolutions referred therein, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) This Order may be called the Implementation of Security Council Resolution on Democratic People's Republic of Korea Order, 2017.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**- In this Order, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Resolutions" mean the United Nations Security Council Resolutions under Chapter VII of the Charter of the United Nations on Democratic People's Republic of Korea, namely, 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) and 2321 (2016);
 - (b) "Committee" means the Committee of the United Nations Security Council set up in terms of paragraph 12 of Resolution 1718 (2006) and paragraph 39 of Resolution 2321 (2016);
 - (c) Words and expressions used but not defined in this Order and defined in any law for the time being in force shall have the meanings respectively assigned to them in such laws.
3. The Central Government shall have all the powers to take measures to,-
 - (a) prevent the direct or indirect supply, sale, transfer or export, through its territories or by its nationals, or using its flag vessels or aircraft, and whether or not originating in its territories, to the Democratic People's Republic of Korea, of:-
 - (i) any battle tanks, armoured combat vehicles, large calibre artillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles or missile systems as defined for the purpose of the United Nations Register on Conventional Arms, or related materiel including spare parts;
 - (ia) all arms and related materiel, including small arms and light weapons and their related materiel, as well as financial transactions, technical training, advice, services or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of such arms and related materiel;
 - (ii) all items, materials, equipment, goods and technology as set out in the United Nations Security Council and International Atomic Energy Agency documents, namely,
 1. S/2006/853* (Appendix I to this Order);
 2. S/2006/853/Corr.1 (Appendix II to this Order);
 3. Part B of S/2009/364 (Appendix III to this Order),
 4. Annex III of Resolution 2094 (2013);
 5. S/2016/1069 (Appendix IV to this Order);
 6. Annex A to INFCIRC/254/Rev.12/Part1 (International Atomic Energy Agency document);
 7. Annex to INFCIRC/254/Rev.9/Part2 (International Atomic Energy Agency document);
 8. S/2014/253 (Appendix V to this Order);
 9. S/2016/308 (Appendix VI to this Order);

10. Annex III of Resolution 2321 (2016); and

11. other items, materials, equipment, goods and technology, as determined by the Central Government, which could contribute to Democratic People's Republic of Korea's nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction related programmes;

(iii) luxury goods, including, but not limited to, the items specified in Annex IV of Resolution 2094 (2013), Annex IV of Resolution 2270 (2016) and Annex IV of Resolution 2321 (2016);

(iv) items as determined by the Central Government, except food or medicine, that could directly contribute to the development of the Democratic People's Republic of Korea's operational capabilities of its armed forces. This measure is subject to the exemptions set out in paragraph 8 (a) and (b) of Resolution 2270 (2016);

(b) prohibit the procurement, by its nationals, or using its flagged vessels or aircraft, and whether or not originating in the territory of the Democratic People's Republic of Korea, of items covered in sub-paragraphs (a)(i), (a)(ia), (a)(ii) and (a)(iv) above, from the Democratic People's Republic of Korea. This prohibition includes the hosting of trainers, advisors, or other officials for the purpose of military-, paramilitary- or police-related training;

(c) prevent any transfers to the Democratic People's Republic of Korea by Indian nationals or from Indian territory, or from the Democratic People's Republic of Korea by its nationals or from its territory, of technical training, advice, services or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of the items in sub-paragraphs (a)(i) and (a)(ii) above.

(d) freeze immediately the funds, other financial assets and economic resources which are on its territories, that are owned or controlled, directly or indirectly, by the persons or entities set out in

1. Part A and Part C of S/2009/364 (Appendix III to this Order);
2. Annex I and II of Resolution 2087 (2013);
3. Annex I and II of Resolution 2094 (2013);
4. Annex I, II and III of Resolution 2270 (2016), as amended by Security Council Press Release SC/12636 of 17 December 2016 (Appendix VII to this Order); and
5. Annex I and II of Resolution 2321 (2016)

as being engaged in or providing support for, including through other illicit means, Democratic People's Republic of Korea's nuclear-related, other weapons of mass destruction-related and ballistic missile-related programmes, or by persons or entities acting on their behalf or at their direction, and ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by its nationals or by any persons or entities within India, to or for the benefit of such persons or entities.

Note 1: The asset freeze shall apply to all the funds, other financial assets and economic resources outside of the Democratic People's Republic of Korea that are owned or controlled, directly or indirectly, by entities of the Government of the Democratic People's Republic of Korea or the Worker's Party of Korea, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them, that the Central Government determines are associated with the Democratic People's Republic of Korea's nuclear or ballistic missile programs or other activities prohibited by the Resolutions .

Note 2: These measures are subject to the exemptions set out in paragraph 9 of Resolution 1718 (2006) and paragraph 32 of Resolution 2270 (2016);

(e) prevent the entry into or transit through India of the persons listed in

1. Part C of S/2009/364 (Appendix III to this Order);
2. Annex II of Resolution 2087 (2013);
3. Annex II of Resolution 2094 (2013);
4. Annex II of Resolution 2270 (2016); and
5. Annex II of Resolution 2321 (2016)

as being responsible for, including through supporting or promoting, Democratic People's Republic of Korea policies in relation to the Democratic People's Republic of Korea's nuclear-related, ballistic missile-related and other weapons of mass destruction-related programmes, together with their family members, provided that nothing contained above shall oblige the Central Government to refuse its own nationals entry into its territory.

Note: The travel ban measures are subject to the exemptions set out in paragraph 10 of Resolution 1718 (2006) and paragraph 10 of Resolution 2094 (2013);

(f) inspect, in accordance with provisions of all laws for the time being in force, all cargo (including cargo transported by rail or by road and personal or checked baggage of individuals) within or transiting through its territory, that has originated in the Democratic People's Republic of Korea, or that is destined for the Democratic People's Republic of Korea, or has been brokered or facilitated by the Democratic People's Republic of Korea or its nationals, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or entities owned or controlled by them, or by designated individuals or entities, or that is being transported on Democratic People's Republic of Korea-flagged aircraft or maritime vessels, for the purpose of ensuring that no items are transferred in violation of the Resolutions;

(g) prohibit its nationals, persons subject to its jurisdiction and entities incorporated in its territory or subject to its jurisdiction from providing insurance or re-insurance services to vessels owned, controlled, or operated, including through illicit means, by the Democratic People's Republic of Korea;

(h) prohibit the provision by its nationals or from its territory, of bunkering services, such as provision of fuel or supplies, or other servicing of vessels, to Democratic People's Republic of Korea vessels if there are reasonable grounds to believe that they are carrying items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by the Resolutions;

(i) prevent the provision of financial services or the transfer to, through, or from its territory, or to or by its nationals or entities organised under its laws (including branches abroad), or persons or financial institutions in its territory, of any financial or other assets or resources including bulk cash, and transfers of gold, including through gold couriers, transiting to and from the Democratic People's Republic of Korea, that could contribute to the Democratic People's Republic of Korea's nuclear or ballistic missile programme, or other activities prohibited by the Resolutions or to the evasion of measures imposed by the Resolutions, including by freezing any financial or other assets or resources on its territories or that hereafter come within its territories, or that are subject to its jurisdiction or that hereafter become subject to its jurisdiction, that are associated with such programmes or activities and applying enhanced monitoring to prevent all such transactions in accordance with its national authorities and legislation;

(j) prohibit public and private financial support from within its territory or by persons or entities subject to its jurisdiction for trade with the Democratic People's Republic of Korea (including the granting of export credits, guarantees or insurance to its nationals or entities involved in such trade), except as approved in advance by the Committee on a case-by-case basis;

(k) expel an individual from its territory for the purpose of repatriation to the Democratic People's Republic of Korea, consistent with applicable law, if it is determined by the Central Government that such individual, being a Democratic People's Republic of Korea diplomat, governmental representative, or other Democratic People's Republic of Korea national acting in a governmental capacity, or working on behalf of or at the direction of a Democratic People's Republic of Korea bank or financial institution, or working on behalf of or at the direction of a designated individual or entity, or of an individual or entities assisting in the evasion of sanctions or violating the provisions of the Resolutions. This measure is subject to the exemptions set out in paragraph 13 of Resolution 2270 (2016);

(l) expel an individual who is not an Indian from its territories for the purpose of repatriation to the individual's State of nationality, consistent with applicable national and international law, if it is determined by the Central Government that the individual is working on behalf of or at the direction of a designated individual or entity or assisting the evasion of sanctions or violating the provisions of the Resolutions. This measure is subject to the exemptions set out in paragraph 14 of Resolution 2270 (2016);

(m) prevent specialized teaching or training of Democratic People's Republic of Korea nationals within its territories or by its nationals of disciplines which could contribute to the Democratic People's Republic of Korea's proliferation sensitive nuclear activities or the development of nuclear weapons delivery systems, including teaching or training in advanced physics, advanced computer simulation and related computer sciences, geospatial navigation, nuclear engineering, aerospace engineering, aeronautical engineering and related disciplines, advanced materials science, advanced chemical engineering, advanced mechanical engineering, advanced electrical engineering and advanced industrial engineering;

(n) suspend scientific and technical cooperation involving persons or groups officially sponsored by or representing the Democratic People's Republic of Korea except for medical exchanges unless-

- (i) in the case of scientific or technical cooperation in the fields of nuclear science and technology, aerospace and aeronautical engineering and technology, or advanced manufacturing production techniques and methods, the Committee has determined on a case-by-case basis that a particular

- activity will not contribute to the Democratic People's Republic of Korea's proliferation sensitive nuclear activities or ballistic missile-related programmes; or
- (ii) in the case of all other scientific or technical cooperation, the Central Government determines that the particular activity will not contribute to the Democratic People's Republic of Korea's proliferation sensitive nuclear activities or ballistic missile-related programmes and notifies the Committee in advance of such determination;
- (o) prohibit its nationals from procuring vessel and aircraft crewing services from the Democratic People's Republic of Korea;
- (p) prohibit its nationals and those in its territories from leasing or chartering its flagged vessels or aircraft or providing crew services to the Democratic People's Republic of Korea without exception unless approved in advance by the Committee;
- (q) prevent the direct or indirect supply, sale or transfer, through its territories or by its nationals, or using its flag vessels or aircraft, and whether or not originating in its territories, of new helicopters and vessels, to the Democratic People's Republic of Korea, except as approved in advance by the Committee on a case-by-case basis;
- (r) prohibit Indian nationals, persons subject to Indian jurisdiction and entities incorporated in its territory or subject to its jurisdiction from registering vessels in the Democratic People's Republic of Korea, obtaining authorisation for a vessel to use the Democratic People's Republic of Korea flag, and from owning, leasing, operating, providing any vessel classification, certification or associated service, or insuring any vessel flagged by the Democratic People's Republic of Korea. The said provisions would apply without exception, unless the Committee approves on a case-by-case basis in advance;
- (s) de-register any vessel that is owned, controlled, operated or crewed by the Democratic People's Republic of Korea, and not register any such vessel that has been de-registered by another Member State pursuant to this measure;
- (t) deny permission to any aircraft to take off from, land in or overfly, unless under the condition of landing for inspection, their territory, if it has information that provides reasonable grounds to believe that the aircraft contains items the supply, sale, transfer or export of which is prohibited by the Resolutions, except in the case of an emergency landing;
- (u) prohibit the procurement, by its nationals, or using its flag vessels or aircraft, and whether or not originating in the Democratic People's Republic of Korea, of coal, iron and iron ore, from the Democratic People's Republic of Korea. This measure is subject to the exemptions set out in paragraph 26 (a), (b) and (c) of Resolution 2321 (2016). The procurement of coal from the Democratic People's Republic of Korea shall be reported by the Central Government to the Committee in the manner prescribed in paragraph 26 (b) of Resolution 2321 (2016);
- (v) prohibit the procurement, by its nationals, or using its flag vessels or aircraft, whether or not originating in the territory of the Democratic People's Republic of Korea, of gold, titanium ore, vanadium ore, and rare earth minerals, from the Democratic People's Republic of Korea;
- (w) prohibit the procurement, by its nationals, or using its flag vessels or aircraft, whether or not originating in the territory of the Democratic People's Republic of Korea, of copper, nickel, silver and zinc, from the Democratic People's Republic of Korea;
- (x) prohibit the procurement, by its nationals, or using its flag vessels or aircraft, whether or not originating in the territory of the Democratic People's Republic of Korea, of statues, from the Democratic People's Republic of Korea unless the Committee approves on a case-by-case basis in advance;
- (y) prevent the sale or supply, by its nationals or from its territories or using its flag vessels or aircraft, of aviation fuel, including aviation gasoline, naphtha-type jet fuel, kerosene-type jet fuel, and kerosene-type rocket fuel, whether or not originating in its territory, to the territory of the Democratic People's Republic of Korea and in this regard exercise vigilance to ensure that no more fuel is provided to Democratic People's Republic of Korea-flagged civil passenger aircraft than is necessary for the relevant flight, including a standard margin for safety of flight. This provision shall not apply with respect to the sale or supply of aviation fuel to civilian passenger aircraft outside the Democratic People's Republic of Korea, exclusively for consumption during its flight to the Democratic People's Republic of Korea and its return flight;
- (z) prohibit in its territories the opening and operation of new branches, subsidiaries, and representative offices of Democratic People's Republic of Korea banks; and prohibit financial institutions within its territories or subject to its jurisdiction from establishing new joint ventures and from taking an ownership interest in or establishing or maintaining correspondent relationships with Democratic People's Republic of Korea banks, unless such transactions have been approved by the Committee in advance; and take the necessary measures to close such

existing branches, subsidiaries and representative offices, and also terminate such joint ventures, ownership interests and correspondent banking relationships with Democratic People's Republic of Korea banks;

(za) take the necessary measures to close existing representative offices, subsidiaries or banking accounts in the Democratic People's Republic of Korea unless the Committee determines on a case-by-case basis that such offices, subsidiaries or accounts are required for the delivery of humanitarian assistance or the activities of diplomatic missions in the Democratic People's Republic of Korea pursuant to the Vienna Convention on Diplomatic Relations or the activities of the United Nations or its specialized agencies or related organisations, or for any other purposes consistent with the objectives of the Resolutions;

(zb) prohibit financial institutions within India or its jurisdiction from opening new representative offices or subsidiaries, branches or banking accounts in the Democratic People's Republic of Korea;

(zc) take steps to limit the number of bank accounts to one per Democratic People's Republic of Korea diplomatic mission and consular post, and one per accredited Democratic People's Republic of Korea diplomat and consular officer, at banks in India;

(zd) restrict the entry into or transit through its territory of members of the Government of the Democratic People's Republic of Korea, officials of that Government, and members of the Democratic People's Republic of Korea armed forces, if it is determined by the Central Government that such members or officials are associated with the Democratic People's Republic of Korea's nuclear or ballistic missile programmes or other activities prohibited by the Resolutions;

(ze) prohibit the Democratic People's Republic of Korea from using real property that it owns or leases in India for any purpose other than diplomatic or consular activities.

Appendix-I

S/2006/853*

United Nations

Security Council

Distr.: General

7 November 2006

Original: English

Letter dated 1 November 2006 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) concerning the Democratic People's Republic of Korea addressed to the President of the Security Council**

Please find attached a list of items, materials, equipment, goods and technology related to other weapons of mass destruction programmes (see annex). I should be grateful if you would make the necessary arrangements for this list to be issued as a Security Council document.

(Signed) Peter **Burian**
Chairman

Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006)
concerning the Democratic People's Republic of Korea

*Reissued for technical reasons.

**The present document supersedes the communication dated 13 October 2006 from the Permanent Representative of France to the United Nations addressed to the President of the Security Council (S/2006/816)

06-59150*(E) 071106

*0659150

Annex**Chemical Precursors**

1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane	(63905-10-2)
1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane	(142868-93-7)
1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane	(142868-94-8)
2-Chloroethanol	(107-07-3)
2-Chloroethylchloromethylsulfide	(2625-76-5)
3-Hydroxy-1-methylpiperidine	(3554-74-3)
3-Quinuclidinol	(1619-34-7)
3-Quinuclidone	(3731-38-2)
Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluorides	
Amiton: O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorothiolate and corresponding alkylated or protonated salts	(78-53-5)
Ammonium bifluoride	(1341-49-7)
Arsenic trichloride	(7784-34-1)
Benzilic acid	(76-93-7)
Bis(2-chloroethylthio)methane	(63869-13-6)
Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether	(63918-90-1)
BZ: 3-Quinuclidinyl benzilate	(6581-06-2)
Chloropicrin: Trichloronitromethane	(76-06-2)
Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate	(1445-76-7)
Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate	(7040-57-5)
Cyanogen chloride	(506-77-4)
Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphoramidates	
Diethyl ethylphosphonate	(78-38-6)
Diethyl methylphosphonate	(683-08-9)
Diethyl methylphosphonite	(15715-41-0)
Diethyl N,N-dimethylphosphoramidate	(2404-03-7)
Diethyl phosphite	(762-04-9)
Diethylaminoethanol	(100-37-8)
Diisopropylamine	(108-18-9)
Dimethyl ethylphosphonate	(6163-75-3)
Dimethyl methylphosphonate	(756-79-6)
Dimethyl phosphite (DMP)	(868-85-9)
Dimethylamine hydrochloride	(506-59-2)
Dimethylamine	(124-40-3)
Ethyl-diethanolamine	(139-87-7)
Ethylphosphinyl dichloride	(1498-40-4)

Ethylphosphinyl difluoride	(430-78-4)
Ethylphosphonyl dichloride	(1066-50-8)
Ethylphosphonyl difluoride	(753-98-0)
HN1: Bis(2-chloroethyl)ethylamine	(538-07-8)
HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamine	(51-75-2)
HN3: Tris(2-chloroethyl)amine	(555-77-1)
Hydrogen cyanide	(74-90-8)
Hydrogen fluoride	(7664-39-3)
Lewisite 1: 2-Chlorovinyl-dichloroarsine	(541-25-3)
Lewisite 2: Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine	(40334-69-8)
Lewisite 3: Tris(2-chlorovinyl)arsine	(40334-70-1)
Methyl benzilate	(76-89-1)
Methyldiethanolamine	(105-59-9)
Methylphosphinyl dichloride	(676-83-5)
Methylphosphinyl difluoride	(753-59-3)
Methylphosphonic acid	(993-13-5)
Methylphosphonothioic dichloride	(676-98-2)
Methylphosphonyl dichloride (DC)	(676-97-1)
Methylphosphonyl difluoride (DF)	(676-99-3)
Mustard gas: Bis(2-chloroethyl)sulfide	(505-60-2)
N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-ols and corresponding protonated salts*	
N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-thiols and corresponding protonated salts	
N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethyl-2-chlorides and corresponding protonated salts	
N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidic dihalides	
N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethane thiol	(5842-07-9)
N,N-Diisopropyl-(beta)-amino-ethanol	(96-80-0)
N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethyl chloride	(96-79-7)
N,N-Diisopropyl-2-aminoethyl chloride hydrochloride	(4261-68-1)
N,N-Dimethylaminophosphoryl dichloride	(677-43-0)
O-Alkyl (<C10, incl. cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates	
e.g. Sarin: O-Isopropyl methylphosphonofluoridate	(107-44-8)
Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate	(96-64-0)
O-Alkyl (<C10, incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates	

O-Alkyl (H or <C10, incl. cycloalkyl) O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites and corresponding alkylated or protonated salts	
O-Alkyl (H or <C10, incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates and corresponding alkylated or protonated salts	
O-Ethyl 2-diisopropylaminoethyl methylphosphonite (QL)	(57856-11-8)
O-Mustard: Bis(2-chloroethylthio)ether	(63918-89-8)
PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-1-propene	(382-21-8)
Phosgene: Carbonyl dichloride	(75-44-5)
Phosphorus oxychloride	(10025-87-3)
Phosphorus pentachloride	(10026-13-8)
Phosphorus pentasulphide	(1314-80-3)
Phosphorus trichloride	(7719-12-2)
Pinacolone	(75-97-8)
Pinacolyl alcohol	(464-07-3)
Potassium bifluoride	(7789-29-9)
Potassium cyanide	(151-50-8)
Potassium fluoride	(7789-23-3)
Sesquimustard: 1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane	(3563-36-8)
Sodium bifluoride	(1333-83-1)
Sodium cyanide	(143-33-9)
Sodium fluoride	(7681-49-4)
Sodium sulphide	(1313-82-2)
Sulphur dichloride	(10545-99-0)
Sulphur monochloride	(10025-67-9)
Tabun (GA): O-Ethyl N,N-dimethyl phosphoramidocyanidate	(77-81-6)
Thiodiglycol	(111-48-8)
Thionyl chloride	(7719-09-7)
Triethanolamine	(102-71-6)
Triethanolamine hydrochloride	(637-39-8)
Triethyl phosphite	(122-52-1)
Trimethyl phosphite (TMP)	(121-45-9)
VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate	(50782-69-9)

Dual-Use Chemical Manufacturing Facilities and Equipment and Related Technology

I. MANUFACTURING FACILITIES AND EQUIPMENT

Note 1: The objective of these controls should not be defeated by the transfer of any non-controlled item containing one or more controlled components where the controlled component or components are the principal element of the item and can feasibly be removed or used for other purposes.

N.B. In judging whether the controlled component or components are to be considered the principal element, governments should weigh the factors of quantity, value, and technological know-how involved and other special circumstances which might establish the controlled component or components as the principal element of the item being procured.

Note 2: The objective of these controls should not be defeated by the transfer of a whole plant, on any scale, which has been designed to produce any CW agent or controlled precursor chemical.

1. Reaction Vessels, Reactors or Agitators

Reaction vessels or reactors, with or without agitators, with total internal (geometric) volume greater than 0.1 m³ (100 l) and less than 20 m³ (20000 l), where all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed or contained are made from the following materials:

- (a) nickel or alloys with more than 40% nickel by weight;
- (b) alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight;
- (c) fluoropolymers;
- (d) glass or glass-lined (including vitrified or enamelled coating);
- (e) tantalum or tantalum alloys;
- (f) titanium or titanium alloys; or
- (g) zirconium or zirconium alloys.

Agitators for use in the above-mentioned reaction vessels or reactors, where all surfaces of the agitator or component that come in direct contact with the chemical(s) being processed or contained are made from the following materials:

- (a) nickel or alloys with more than 40% nickel by weight;
- (b) alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight;
- (c) fluoropolymers;
- (d) glass or glass-lined (including vitrified or enamelled coating);
- (e) tantalum or tantalum alloys;
- (f) titanium or titanium alloys; or
- (g) zirconium or zirconium alloys.

2. Storage Tanks, Containers or Receivers

Storage tanks, containers or receivers with a total internal (geometric) volume greater than 0.1 m³ (100 l) where all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed or contained are made from the following materials:

- (a) nickel or alloys with more than 40% nickel by weight;
- (b) alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight;
- (c) fluoropolymers;
- (d) glass or glass-lined (including vitrified or enamelled coating);
- (e) tantalum or tantalum alloys;
- (f) titanium or titanium alloys; or
- (g) zirconium or zirconium alloys.

3. Heat Exchangers or Condensers

Heat exchangers or condensers with a heat transfer surface area less than 20 m², where all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from the following materials:

- (a) nickel or alloys with more than 40% nickel by weight;
- (b) alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight;
- (c) fluoropolymers;
- (d) glass or glass-lined (including vitrified or enamelled coating);
- (e) graphite;
- (f) tantalum or tantalum alloys;
- (g) titanium or titanium alloys;
- (h) zirconium or zirconium alloys.

4. Distillation or Absorption Columns

Distillation or absorption columns of internal diameter greater than 0.1 m, where all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from the following materials:

- (a) nickel or alloys with more than 40% nickel by weight;
- (b) alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight;
- (c) fluoropolymers;
- (d) glass or glass-lined (including vitrified or enamelled coating);
- (e) graphite;
- (f) tantalum or tantalum alloys;
- (g) titanium or titanium alloys; or
- (h) zirconium or zirconium alloys.

5. Filling Equipment

Remotely operated filling equipment in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from the following materials:

- (a) nickel or alloys with more than 40% nickel by weight; or
- (b) alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight.

6. Valves

Valves, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being produced, processed, or contained are made from the following materials:

- (a) nickel or alloys with more than 40% nickel by weight;
- (b) alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight;
- (c) fluoropolymers;
- (d) glass or glass-lined (including vitrified or enamelled coating);
- (e) tantalum or tantalum alloys;
- (f) titanium or titanium alloys; or
- (g) zirconium or zirconium alloys.

7. Multi-Walled Piping

Multi-walled piping incorporating a leak detection port, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed or contained are made from the following materials:

- (a) nickel or alloys with more than 40% nickel by weight;
- (b) alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight;
- (c) fluoropolymers;
- (d) glass or glass-lined (including vitrified or enamelled coating);
- (e) graphite;
- (f) tantalum or tantalum alloys;
- (g) titanium or titanium alloys; or
- (h) zirconium or zirconium alloys.

8. Pumps

Pumps with manufacturer's specified maximum flow-rate greater than 0.6 m³/h, or vacuum pumps with manufacturer's specified maximum flow-rate greater than 5 m³/h (under standard temperature (273 K (0o C)) and pressure (101.3 kPa) conditions), in which all surfaces that come into direct contact with the chemical(s) being processed are made from any of the following materials:

- (a) nickel or alloys with more than 40% nickel by weight;
- (b) alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight;
- (c) fluoropolymers;
- (d) glass or glass-lined (including vitrified or enamelled coating);
- (e) graphite;
- (f) tantalum or tantalum alloys;
- (g) titanium or titanium alloys;
- (h) zirconium or zirconium alloys;
- (i) ceramics; or
- (j) ferrosilicon.

9. Incinerators

Incinerators designed to destroy CW agents, controlled precursors or chemical munitions, having specially designed waste supply systems, special handling facilities, and an average combustion chamber temperature greater than 1000o C, in which all surfaces in the waste supply system that come into direct contact with the waste products are made from or lined with the following materials:

- (a) nickel or alloys with more than 40% nickel by weight;
- (b) alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight; or
- (c) ceramics.

II. TOXIC GAS MONITORING SYSTEMS AND DETECTORS

Toxic gas monitoring systems and dedicated detectors:

- (a) designed for continuous operation and usable for the detection of chemical warfare agents or controlled precursors at concentrations of less than 0.3 mg/m³; or
- (b) designed for the detection of cholinesterase-inhibiting activity.

III. RELATED TECHNOLOGY

The transfer of 'technology', including licenses, directly associated with:

- (a) CW agents;
- (b) controlled precursors; or
- (c) controlled dual-use equipment items,

to the extent permitted by national legislation.

Technical assistance is subject to control. Controls on 'technology' transfer, including 'technical assistance', do not apply to information 'in the public domain' or to 'basic scientific research' or the minimum necessary information for patent application.

The approval for export of any controlled item of dual-use equipment also authorizes the export to the same end-user of the minimum 'technology' required for the installation, operation, maintenance or repair of that item.

Definition of Terms

'Technology': Specific information necessary for the 'development', 'production' or 'use' of a product. The information takes the form of 'technical data' or 'technical assistance'.

'Basic scientific research': Experimental or theoretical work undertaken principally to acquire new knowledge of the fundamental principles of phenomena or observable facts, not primarily directed towards a specific practical aim or objective.

'Development': 'Development' is related to all phases before 'production' such as:

- (a) design;
- (b) design research;
- (c) design analysis;
- (d) design concepts;
- (e) assembly of prototypes;
- (f) pilot production schemes;
- (g) design data;
- (h) process or transforming design data into a product;
- (i) configuration design;
- (j) integration design; and/or
- (k) layouts.

'In the public domain': 'In the public domain', as it applies herein, means technology that has been made available without restrictions upon its further dissemination. (Copyright restrictions do not remove technology from being in the public domain).

'Production': Production means all production phases such as:

- (a) construction;
- (b) production engineering;
- (c) manufacture;

- (d) integration;
- (e) assembly (mounting);
- (f) inspection;
- (g) testing; and/or
- (h) quality assurance.

‘Technical assistance’: May take forms, such as: instruction, skills, training, working knowledge, consulting services.

N.B. ‘Technical assistance’ may involve transfer of ‘technical data’.

‘Technical data’: May take forms such as blueprints, plans, diagrams, models, formulae, tables, engineering designs and specifications, manuals and instructions written or recorded on other media or devices such as disk, tape, read-only memories.

‘Use’: Operation, installation (including on-site installation), maintenance (checking), repair, overhaul or refurbishing.

‘Export’: An actual shipment or transmission of controlled items out of the country. This includes transmission of technology by electronic media, fax or telephone.

Biological Agents

Viruses

Chikungunya virus
 Congo-Crimean haemorrhagic fever virus
 Dengue fever virus
 Eastern equine encephalitis virus
 Ebola virus
 Hantaan virus
 Junin virus
 Lassa fever virus
 Lymphocytic choriomeningitis virus
 Machupo virus
 Marburg virus
 Monkey pox virus
 Rift Valley fever virus
 Tick-borne encephalitis virus (Russian Spring-Summer encephalitis virus)
 Variola virus
 Venezuelan equine encephalitis virus
 Western equine encephalitis virus
 White pox
 Yellow fever virus
 Japanese encephalitis virus
 Kyasanur Forest virus
 Louping ill virus
 Murray Valley encephalitis virus
 Omsk haemorrhagic fever virus
 Oropouche virus
 Powassan virus
 Rocio virus
 St Louis encephalitis virus

Rickettsiae

Coxiella burnetii
 Bartonella quintana (Rochalimea quintana, Rickettsia quintana)
 Rickettsia prowazeki
 Rickettsia rickettsii

Bacteria

Bacillus anthracis
 Brucella abortus

Brucella melitensis
Brucella suis
Chlamydia psittaci
Clostridium botulinum
Francisella tularensis

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)
Salmonella typhi
Shigella dysenteriae
Vibrio cholerae
Yersinia pestis
Clostridium perfringens, epsilon toxin producing types
Enterohaemorrhagic Escherichia coli, serotype O157 and other verotoxin producing serotypes

*Toxins as follow*¹

Botulinum toxins²
Clostridium perfringens toxins
Conotoxin
Ricin
Saxitoxin
Shiga toxin
Staphylococcus aureus toxins
Tetrodotoxin
Verotoxin
Microcystin (Cyanginosin)
Abrin
Cholera toxin
T-2 toxin
HT-2 toxin

Genetically-modified Organisms

1. Genetically modified organisms or genetic elements from microorganisms in the list that contain nucleic acid sequences associated with pathogenicity.
2. Genetically modified organisms or genetic elements that contain nucleic acid sequences coding for any of the toxins on the list.

Plant Pathogens

Bacteria

Xanthomonas albilineans

¹ Excluding immunotoxins.

² Excluding botulinum toxins and conotoxins in product form meeting all of the following criteria:

- are pharmaceutical formulations designed for testing and human administration in the treatment of medical conditions;
- are pre-packaged for distribution as clinical or medical products; and,
- are authorized by a state authority to be marketed as clinical or medical products.

Xanthomonas campestris pv. citri

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae)

Fungi

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae)

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae)

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei)

Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici)

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum)

Pyricularia grisea / Pyricularia oryzae

Genetically-modified Organisms

Genetically modified organisms or genetic elements from microorganisms in the list that contain nucleic acid sequences associated with pathogenicity.

Animal Pathogens

Viruses

African swine fever virus

Avian influenza virus 2

Bluetongue virus

Foot and mouth disease virus

Goat pox virus

Herpes virus (Aujeszky's disease)

Hog cholera virus (synonym: swine fever virus)

Lyssa virus

Newcastle disease virus

Peste des petits ruminants virus

Porcine enterovirus type 9 (synonym: swine vesicular disease virus)

Rinderpest virus

Sheep pox virus

Teschen disease virus

Vesicular stomatitis virus

Bacteria

Mycoplasma mycoides

Genetically-modified Organisms

Genetically modified organisms or genetic elements from microorganisms in the list that contain nucleic acid sequences associated with pathogenicity.

Dual-Use Biological Equipment and Related Technology

I. Equipment

1. Complete containment facilities at P3 or P4 containment level:

Complete containment facilities that meet the criteria for P3 or P4 (BL3, BL4, L3, L4) containment as specified in the WHO Laboratory Biosafety manual (2nd edition, Geneva, 1993) should be subject to export control.

2. Fermenters:

Fermenters capable of cultivation of pathogenic micro-organisms, viruses or for toxin production, without the propagation of aerosols, having a capacity of 100 litres or greater. Fermenters include bioreactors, chemostats and continuous-flow systems.

3. Centrifugal Separators:

Centrifugal separators capable of the continuous separation of pathogenic micro-organisms, without the propagation of aerosols, and having all the following characteristics:

- one or more sealing joints within the steam containment area;
- a flow rate greater than 100 litres per hour;
- components of polished stainless steel or titanium;
- capable of in-situ steam sterilisation in a closed state.

Technical note: Centrifugal separators include decanters.

4. Cross (tangential) Flow Filtration Equipment:

Cross (tangential) flow filtration equipment capable of continuous separation of pathogenic micro-organisms, viruses, toxins or cell cultures, without the propagation of aerosols, having all the following characteristics:

- a total filtration area equal to or greater than 5 square metres;
- capable of being steam-sterilized without preliminary dismantling.

5. Freeze-drying Equipment:

Steam sterilisable freeze-drying equipment with a condenser capacity of 50 kgs of ice or greater in 24 hours and less than 1000 kgs of ice in 24 hours.

6. As follows:

- (a) Protective suits with full or partial ventilation.
- (b) Class III biological safety cabinets or isolators with similar performance standards (e.g. flexible isolators, dry boxes, anaerobic chambers, glove boxes, or laminar flow hoods (closed with vertical flow)).

7. Aerosol inhalation chambers:

Chambers designed for aerosol challenge testing with micro-organisms, viruses or toxins and having a capacity of 1 cubic meter or greater.

8. Complete spraying systems specially designed or modified for dissemination of biological agents.

9. Equipment for the micro-encapsulation of live micro-organisms and toxins in the range of 1-10 µm particle size, specifically:

- (a) interfacial polycondensers;
- (b) phase separators.

10. Fermenters of less than 20 litre capacity with special emphasis on aggregate orders or designs for use in combined systems.

11. Conventional or turbulent air-flow clean-air rooms and self-contained fan-HEPA filter units that may be used for P3 or P4 (BL3, BL4, L3, L4) containment facilities.

II. Related Technology

The transfer of 'technology' for 'development' or 'production' of:

- (a) controlled biological agents; or
- (b) controlled dual-use biological equipment items.

Controls on 'technology' transfer do not apply to information 'in the public domain' or to 'basic scientific research' or the minimum necessary information for patent application.

The approval for export of any controlled item of dual-use equipment also authorizes the export to the same end-user of the minimum 'technology' required for the installation, operation, maintenance, or repair of that item.

Definition of Terms

'Basic scientific research': Experimental or theoretical work undertaken principally to acquire new knowledge of the fundamental principles of phenomena or observable facts, not primarily directed towards a specific practical aim or objective.

‘Development’: ‘Development’ is related to all phases before ‘production’ such as:

- (a) design;
- (b) design research;
- (c) design analysis;
- (d) design concepts;
- (e) assembly of prototypes;
- (f) pilot production schemes;
- (g) design data;
- (h) process or transforming design data into a product;
- (i) configuration design;
- (j) integration design; and/or
- (k) layouts.

‘In the public domain’: ‘In the public domain’, as it applies herein, means technology that has been made available without restrictions upon its further dissemination. (Copyright restrictions do not remove technology from being in the public domain).

‘Production’: Production means all production phases such as:

- (a) construction;
- (b) production engineering;
- (c) manufacture;
- (d) integration;
- (e) assembly (mounting);
- (f) inspection;
- (g) testing; and/or
- (h) quality assurance.

‘Technical assistance’: May take forms, such as: instruction, skills, training, working knowledge, consulting services. ‘Technical assistance’ may involve transfer of ‘technical data’.

‘Technical data’: May take forms such as blueprints, plans, diagrams, models, formulae, tables, engineering designs and specifications, manuals and instructions written or recorded on other media or devices such as disk, tape, read-only memories.

‘Technology’: Specific information necessary for the ‘development’, ‘production’, or ‘use’ of a product. The information takes the form of ‘technical data’ or ‘technical assistance’.

‘Use’: Operation, installation, (including on-site installation), maintenance, (checking), repair, overhaul or refurbishing.

Appendix-II

S/2006/853/Corr.1

United Nations

Security Council

Distr.: General

14 November 2006

Original: English

Letter dated 1 November 2006 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) concerning the Democratic People’s Republic of Korea addressed to the President of the Security Council

Corrigendum

Annex, section I.3

Entry (g) *should read*

(g) titanium or titanium alloys; or

Appendix-III**S/2009/364**

United Nations

Security Council
Distr.: General

16 July 2009

Original: English

Letter dated 16 July 2009 from the Acting Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) addressed to the President of the Security Council

On behalf of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006), I have the honour to transmit herewith the report of the Committee dated 16 July 2009, submitted in accordance with paragraph 24 of resolution 1874 (2009) (see annex).

(Signed) Fazli Çorman
Acting Chairman

Security Council Committee established
pursuant to resolution 1718 (2006)

Annex**Report of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) prepared in accordance with paragraph 24 of resolution 1874 (2009)**

By paragraph 24 of resolution 1874 (2009), the Security Council decided to adjust the measures imposed by paragraph 8 of its resolution 1718 (2006), including through the designation of entities, goods, and individuals, and directed the Committee to undertake its tasks to this effect and to report to the Council.

Pursuant to paragraph 24 of resolution 1874 (2009), the Committee adopted, on 16 July 2009, the decision attached to the present report (see enclosure).

The Committee will continue to undertake its tasks as mandated in paragraph 12 of resolution 1718 (2006).

Enclosure**Decision of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) dated 16 July 2009**

In accordance with paragraph 24 of resolution 1874 (2009), the Committee has made the following decision to designate additional entities, goods, and individuals.

A. Entities

The Committee designates the following entities to be subject to the measures imposed in paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006):

1. NAMCHONGANG TRADING CORPORATION

Description: Namchongang is a DPRK trading company subordinate to the General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang has been involved in the procurement of Japanese origin vacuum pumps that were identified at a DPRK nuclear facility, as well as nuclear-related procurement associated with a German individual. It has further been involved in the purchase of aluminium tubes and other equipment specifically suitable for a uranium enrichment programme from the late 1990s. Its representative is a former diplomat who served as DPRK's representative for the IAEA inspection of the Yongbyon nuclear facilities in 2007. Namchongang's proliferation activities are of grave concern given the DPRK's past proliferation activities.

Location: Pyongyang.

A.K.A.: NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

2. HONG KONG ELECTRONICS

Description: owned or controlled by, or acts or purports to act for or on behalf of Tanchon Commercial Bank and KOMID. Hong Kong Electronics has transferred millions of dollars of proliferation-related funds on behalf of Tanchon Commercial Bank and KOMID (both designated by the Committee in April 2009) since 2007. Hong Kong Electronics has facilitated the movement of money from Iran to the DPRK on behalf of KOMID.

Location: Sanaee St., Kish Island, Islamic Republic of Iran.

A.K.A.: HONG KONG ELECTRONICS KISH CO.

3. KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION

Description: a DPRK company based in Pyongyang that is subordinate to Korea Ryonbong General Corporation (designated by the Committee in April 2009) and is involved in the development of weapons of mass destruction.

Location: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang.

A.K.A.: KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

4. GENERAL BUREAU OF ATOMIC ENERGY (GBAE)

Description: The GBAE is responsible for the DPRK's nuclear programme, which includes the Yongbyon Nuclear Research Center and its 5 MWe (25 MWt) plutonium production research reactor, as well as its fuel fabrication and reprocessing facilities. The GBAE has held nuclear-related meetings and discussions with the International Atomic Energy Agency. GBAE is the primary DPRK government agency that oversees nuclear programmes, including the operation of the Yongbyon Nuclear Research Center.

Location: Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang.

A.K.A.: General Department of Atomic Energy (GDAE)

5. KOREAN TANGUN TRADING CORPORATION

Description: Korea Tangun Trading Corporation is subordinate to DPRK's Second Academy of Natural Sciences and is primarily responsible for the procurement of commodities and technologies to support DPRK's defence research and development programmes, including, but not limited to, weapons of mass destruction and delivery system programmes and procurement, including materials that are controlled or prohibited under relevant multilateral control regimes.

Location: Pyongyang.

Note on subsidiaries (such as those in S/AC.49/2009/COMM.1): The Committee agrees to continue working on an expedited basis to identify entities that are acting

on behalf or at the direction of previously designated entities. The Committee recalls in this context that Member States are obligated to impose the measures in paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006) on “persons or entities designated by the Committee or by the Security Council” as well as “persons or entities acting on [the] behalf or at [the] direction [of designated entities].”

B. Goods

The Committee determines that these items shall be specified for the purpose of paragraph 8 (a) (ii) of resolution 1718 (2006):

- 1) “Graphite designed or specified for use in Electrical Discharge Machining (EDM) machines”
- 2) “Para-aramid fibre (Kevlar and other Kevlar-like), filament and tape”

Note: The Committee agrees to continue working on an expedited basis to identify additional items, materials, equipment, goods and technology to be specified for the purpose of paragraphs 8 (a) (i) and 8 (a) (ii) of resolution 1718 (2006). The Committee intends to specify items in each of the following categories: 1) sensitive dual-use goods, 2) ballistic missile-related items and 3) nuclear-related items. The Committee will provide the latest information on these efforts in its regular report to the Security Council.

C. Individuals

The Committee designates the following individuals to be subject to the provisions of the measures imposed in paragraphs 8 (d) and 8 (e) of resolution 1718 (2006):

- 1. Yun Ho-jin:** Director of Namchongang Trading Corporation; oversees the import of items needed for the uranium enrichment programme. (Additional information: born 13 October 1944; also known as Yun Ho-chin)
 - 2. Ri Je-son:** Director of the General Bureau of Atomic Energy (GBAE), chief agency directing DPRK’s nuclear programme; facilitates several nuclear endeavours including GB AE’s management of Yongbyon Nuclear Research Center and Namchongang Trading Corporation. (Additional information: born 1938; also known as Ri Che-son)
 - 3. Hwang Sok-hwa:** Director in the General Bureau of Atomic Energy (GBAE); involved in DPRK’s nuclear programme; as Chief of the Scientific Guidance Bureau in the GB AE, served on the Science Committee inside the Joint Institute for Nuclear Research.
 - 4. Ri Hong-sop:** Former director, Yongbyon Nuclear Research Center, oversaw three core facilities that assist in the production of weapons-grade plutonium: the Fuel Fabrication Facility, the Nuclear Reactor, and the Reprocessing Plant. (Additional information: born 1940)
 - 5. Han Yu-ro:** Director of Korea Ryongaksan General Trading Corporation; involved in DPRK’s ballistic missile programme.
-

United Nations

Appendix IV

S/2016/1069

Security Council

Distr.: General

16 December 2016

Original: English

Letter dated 16 December 2016 from the Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) addressed to the President of the Security Council

On behalf of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006), I have the honour to transmit herewith a report of the Committee dated 16 December 2016 that was prepared in accordance with paragraph 7 of resolution 2321 (2016).

I would appreciate it if the present letter and the report were brought to the attention of the members of the Security Council and issued as a document of the Council.

(Signed) Román Oyarzun Marchesi

Chair

Security Council Committee established
pursuant to resolution 1718 (2006)

Report of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) prepared in accordance with paragraph 7 of resolution 2321 (2016)

1. On 30 November 2016, the Security Council, by its resolution 2321 (2016), decided that the measures imposed in paragraphs 8 (a), (b) and (c) of resolution 1718 (2016) would also apply to the items listed in a new conventional arms dual-use list to be adopted by the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) and directed the Committee to adopt that list within 15 days and to report to the Council to that effect.

2. To fulfil that task, the Committee considered a conventional arms dual-use list. All items, materials, equipment, goods and technology contained in the following list are listed only for the purpose of the implementation of resolution 2321 (2016) and shall not be considered to be setting precedents for international and multilateral mechanisms, regimes, instruments, principles and practices in the spheres of non-proliferation and export control.

3. On 15 December 2016, the Committee acted in line with the directive of the Security Council and approved the following list:

Special materials and related equipment

Systems, equipment and components

“Composite” structures or laminates

“Composite” structures or laminates consisting of a metal or carbon “matrix” and any of the following:

(a) Carbon “fibrous or filamentary materials” having a “specific modulus” exceeding 10.15×10^6 m and a “specific tensile strength” exceeding 17.7×10^4 m;

(b) Inorganic “fibrous or filamentary materials” with a “specific modulus” exceeding 2.54×10^6 m and a melting, softening, decomposition or sublimation point exceeding $1,649^\circ\text{C}$ in an inert environment.

Metals and alloys

1. Materials specially designed for use as absorbers of electromagnetic waves, or intrinsically conductive polymers including materials for absorbing frequencies exceeding 2×10^8 Hz but less than 3×10^{12} Hz.
2. Materials for absorbing frequencies exceeding 1.5×10^{14} Hz but less than 3.7×10^{14} Hz and not transparent to visible light.
3. Intrinsically conductive polymeric materials with a bulk electrical conductivity exceeding 10,000 S/m or a sheet (surface) resistivity of less than 100 ohms/square, based on any of the following polymers: polyaniline, polypyrrole, polythiophene, Poly phenylene-vinylene, poly thienylene-vinylene.
4. Ceramic-ceramic “composite” materials with a glass or oxide “matrix” and reinforced with fibres having all of the following and made from the following materials: Si-N, Si-C, Si-Al-O-N or Si-O-N; and having a “specific tensile strength” exceeding 12.7×10^3 m.
5. Ceramic-ceramic “composite” materials, incorporating particles, whiskers or fibres, where carbides or nitrides of silicon, zirconium or boron form the “matrix”.
6. Inorganic “fibrous or filamentary materials”, having all of the following: “specific modulus” exceeding 2.54×10^6 m; and melting, softening, decomposition or sublimation point exceeding $1,649^\circ\text{C}$ in an inert environment.
7. Plutonium in any form with a plutonium isotopic assay of plutonium-238 of more than 50 per cent by weight.
8. Previously separate neptunium-237 in any form.

Software

“Software” for the “development” of the materials listed above.

Technology

“Technology” for the “development” or “production” of the equipment or materials listed above.

Test, inspection and production equipment

1. “Tow-placement machines”, of which the motions for positioning and laying tows are coordinated and programmed in two or more “primary servo positioning” axes, specially designed for the manufacture of “composite” airframe or missile structures.
2. Equipment for producing metal alloys, metal alloy powder or alloyed materials, specially designed to avoid contamination and specially designed for use in one of the processes specified “controlled environment processes” outlined in the fourth paragraph of section 2 of the “Materials” section.
3. Tools, dies, moulds or fixtures, for “superplastic forming” or “diffusion bonding” titanium, aluminium or their alloys, specially designed for the manufacture of any of the following:
 - (a) Airframe or aerospace structures;
 - (b) Aircraft or aerospace engines; or
 - (c) Specially designed components for airframe or aerospace structures or for aircraft or aerospace engines.

Materials processing equipment**Software**

“Software” for electronic devices, even when residing in an electronic device or system, enabling such devices or systems to function as a “numerical control” unit, capable of coordinating simultaneously more than 4 axes for “contouring control”.

Technology

1. “Technology” for the “development” or “production” of “software” or equipment for electronic devices, even when residing in an electronic device or system, enabling such devices or systems to function as a “numerical control” unit, capable of coordinating simultaneously more than 4 axes for “contouring control”, including:

(a) Machine tools for turning, having two or more axes which can be coordinated simultaneously for “contouring control”, having any of the following:

1. “Unidirectional positioning repeatability” equal to or less (better) than $0.9 \mu\text{m}$ along one or more linear axis with a travel length less than 1.0 m; or
2. “Unidirectional positioning repeatability” equal to or less (better) than $1.1 \mu\text{m}$ along one or more linear axis with a travel length equal to or greater than 1.0 m;

(b) Machine tools for milling having any of the following:

1. Three linear axes plus one rotary axis which can be coordinated simultaneously for “contouring control” having any of the following:

- a. “Unidirectional positioning repeatability” equal to or less (better) than $0.9 \mu\text{m}$ along one or more linear axis with a travel length less than 1.0 m; or
- b. “Unidirectional positioning repeatability” equal to or less (better) than $1.1 \mu\text{m}$ along one or more linear axis with a travel length equal to or greater than 1.0 m.

2. Five or more axes which can be coordinated simultaneously for “contouring control” having any of the following:

(a) “Unidirectional positioning repeatability” equal to or less (better) than $0.9 \mu\text{m}$ along one or more linear axis with a travel length less than 1.0 m;

(b) “Unidirectional positioning repeatability” equal to or less (better) than $1.4 \mu\text{m}$ along one or more linear axis with a travel length equal to or greater than 1 m and less than 4 m; and having a “unidirectional positioning repeatability” equal to or less (better) than $0.9 \mu\text{m}$ along one or more linear axis; or

(c) “Unidirectional positioning repeatability” equal to or less (better) than $6.0 \mu\text{m}$ along one or more linear axis with a travel length equal to or greater than 4 m.

3. A “unidirectional positioning repeatability” for jig boring machines equal to or less (better) than $1.1 \mu\text{m}$ along one or more linear axis.

4. Electrical discharge machines of the non-wire type which have two or more rotary axes which can be coordinated simultaneously for “contouring control”.

5. Deep-hole-drilling machines and turning machines modified for deep-hole-drilling, having a maximum depth-of-bore capability exceeding 5 m.

6. “Numerically controlled” or manual machine tools, and specially designed components, controls and accessories therefor, specially designed for the shaving, finishing, grinding or honing of hardened ($R_c = 40$ or more) spur, helical and double-helical gears with a pitch diameter exceeding 1,250 mm and a face width of 15 per cent of pitch diameter or larger finished to a quality of AGMA 14 or better (equivalent to ISO 1328 class 3).

Electronics

Systems, equipment and components

“Space-qualified” atomic frequency standards.

Software

“Software” specially designed for the “development” or “production” of atomic frequency standards being any of the following:

- (a) “Space-qualified”;
- (b) Non-rubidium and having a long-term stability less (better) than 1×10^{-11} /month; or
- (c) Non-“space-qualified” and having all of the following:
 1. Being a rubidium standard;
 2. Long-term stability less (better) than 1×10^{-11} /month; and
 3. Total power consumption of less than 1 watt.

Technology

“Technology” for the “development” or “production” of the electronic systems, equipment and components listed above.

Telecommunications**Systems, equipment and components**

1. Counter-improvised explosive device equipment and related equipment, as follows:

(a) Radio frequency transmitting equipment, not specified by 5.A.1.f., designed or modified for prematurely activating or preventing the initiation of improvised explosive devices;

(b) Equipment using techniques designed to enable radio communications in the same frequency channels on which co-located equipment specified by 5.A.1.h.1. is transmitting.

2. Mobile telecommunications interception or jamming equipment, and monitoring equipment therefor, as follows, and specially designed components therefor:

(a) Interception equipment designed for the extraction of voice or data, transmitted over the air interface; or

(b) Interception equipment designed for the extraction of client device or subscriber identifiers (e.g., IMSI, TIMSI or IMEI), signalling or other metadata transmitted over the air interface.

Software

“Software” specially designed or modified for the “development”, “production” or “use” of telecommunication systems, equipment and components.

Technology

“Technology” for the “development” or “production” of equipment, functions or features of telecommunications systems, equipment, components and accessories.

Sensors and “lasers”**Systems, equipment and components**

1. Systems or transmitting and receiving arrays, designed for object detection or location, having any of the following:

(a) A transmitting frequency below 5 kHz or a sound pressure level exceeding 224 dB (reference $1 \mu\text{Pa}$ at 1 m) for equipment with an operating frequency in the band from 5 kHz to 10 kHz inclusive;

(b) Sound pressure level exceeding 224 dB (reference $1 \mu\text{Pa}$ at 1 m) for equipment with an operating frequency in the band from 10 kHz to 24 kHz inclusive;

- (c) Sound pressure level exceeding 235 dB (reference 1 μ Pa at 1 m) for equipment with an operating frequency in the band between 24 kHz and 30 kHz;
- (d) Forming beams of less than 1° on any axis and having an operating frequency of less than 100 kHz;
- (e) Designed to operate with an unambiguous display range exceeding 5,120 m; or
- (f) Designed to withstand pressure during normal operation at depths exceeding 1,000 m and having transducers with any of the following:
 1. Dynamic compensation for pressure; or
 2. Incorporating other than lead zirconate titanate as the transduction element.
- 2. Active individual sonars, specially designed or modified to detect, locate and automatically classify swimmers or divers, having all of the following, and specially designed transmitting and receiving acoustic arrays therefor:
 - (a) Detection range exceeding 530 m;
 - (b) Determined position error of less than 15 m rms (root mean square) when measured at a range of 530 m; and
 - (c) Transmitted pulse signal and width exceeding 3 kHz.
- 3. Processing equipment, specially designed for real-time application with towed acoustic hydrophone arrays, having “user accessible programmability” and time or frequency domain processing and correlation, including spectral analysis, digital filtering and beamforming using Fast Fourier or other transforms or processes.
- 4. Processing equipment, specially designed for real-time application with bottom or bay cable systems, having “user accessible programmability” and time or frequency domain processing and correlation, including spectral analysis, digital filtering and beamforming using Fast Fourier or other transforms or processes.

Optical sensors

1. Optical sensors or equipment and components thereof as follows:
 - (a) “Space-qualified” solid-state detectors having all of the following:
 1. A peak response in the wavelength range exceeding 10 nm but not exceeding 300 nm; and
 2. A response of less than 0.1 per cent relative to the peak response at a wavelength exceeding 400 nm;
 3. A peak response in the wavelength range exceeding 900 nm but not exceeding 1,200 nm; and
 4. A response “time constant” of 95 ns or less;
 5. Having a peak response in the wavelength range exceeding 1,200 nm but not exceeding 30,000 nm.
 2. “Space-qualified” “focal plane arrays” having more than 2,048 elements per array and having a peak response in the wavelength range exceeding 300 nm but not exceeding 900 nm.
 3. Image intensifier tubes having all of the following:
 - (a) A peak response in the wavelength range exceeding 400 nm but not exceeding 1,050 nm;
 - (b) Electron image amplification using any of the following:
 1. A microchannel plate with a hole pitch (centre-to-centre spacing) of 12 μ m or less; or

2. An electron-sensing device with a non-binned pixel pitch of 500 μm or less, specially designed or modified to achieve “charge multiplication” other than by a microchannel plate; and
 - (c) Any of the following photocathodes:
 1. Multialkali photocathodes (e.g., S-20 and S-25) having a luminous sensitivity exceeding 700 $\mu\text{A}/\text{lm}$;
 2. GaAs or GaInAs photocathodes; or
 3. Other “III/V compound” semiconductor photocathodes having a maximum “radiant sensitivity” exceeding 10 mA/W.
4. Image intensifier tubes having all of the following:
 - (a) A peak response in the wavelength range exceeding 1,050 nm but not exceeding 1,800 nm;
 - (b) Electron image amplification using any of the following:
 1. A microchannel plate with a hole pitch (centre-to-centre spacing) of 12 μm or less; or
 2. An electron-sensing device with a non-binned pixel pitch of 500 μm or less, specially designed or modified to achieve “charge multiplication” other than by a microchannel plate; and
 - (c) “III/V compound” semiconductor (e.g., GaAs or GaInAs) photocathodes and transferred electron photocathodes, having a maximum “radiant sensitivity” exceeding 15 mA/W.
5. Non-“space-qualified” “focal plane arrays” as follows:
 - (a) Having all of the following:
 1. Individual elements with a peak response within the wavelength range exceeding 900 nm but not exceeding 1,050 nm; and
 2. Any of the following:
 - a. A response “time constant” of less than 0.5 ns; or
 - b. Specially designed or modified to achieve “charge multiplication” and having a maximum “radiant sensitivity” exceeding 10 mA/W;
 3. Having all of the following:
 - a. Individual elements with a peak response in the wavelength range exceeding 1,050 nm but not exceeding 1,200 nm; and
 - b. Any of the following:
 1. A response “time constant” of 95 ns or less; or
 2. Specially designed or modified to achieve “charge multiplication” and having a maximum “radiant sensitivity” exceeding 10 mA/W.
6. Non-“space-qualified” non-linear (2-dimensional) “focal plane arrays” having individual elements with a peak response in the wavelength range exceeding 1,200 nm but not exceeding 30,000 nm.
7. Non-“space-qualified” linear (1-dimensional) “focal plane arrays” having all of the following:
 - (a) Individual elements with a peak response in the wavelength range exceeding 1,200 nm but not exceeding 3,000 nm; and
 - (b) Any of the following:
 1. A ratio of “scan direction” dimension of the detector element to the “cross-scan direction” dimension of the detector element of less than 3.8; or

2. Signal processing in the detector elements.
8. Non-“space-qualified” linear (1-dimensional) “focal plane arrays” having individual elements with a peak response in the wavelength range exceeding 3,000 nm but not exceeding 30,000 nm;
9. Non-“space-qualified” non-linear (2-dimensional) infrared “focal plane arrays” based on “microbolometer” material having individual elements with an unfiltered response in the wavelength range equal to or exceeding 8,000 nm but not exceeding 14,000 nm.
10. Non-“space-qualified” “focal plane arrays” having all of the following:
 - (a) Individual detector elements with a peak response in the wavelength range exceeding 400 nm but not exceeding 900 nm;
 - (b) Specially designed or modified to achieve “charge multiplication” and having a maximum “radiant sensitivity” exceeding 10 mA/W for wavelengths exceeding 760 nm; and
 - (c) Greater than 32 elements.
11. “Direct view” imaging equipment incorporating any of the following:
 - (a) Image intensifier tubes having the characteristics listed in section 3 or 4 under “Optical sensors”;
 - (b) “Focal plane arrays” having the characteristics listed in sections 5-12 under “Optical sensors”; or
 - (c) Solid-state detectors having the characteristics listed in section 1 under “Optical sensors”.

Cameras

1. Imaging cameras incorporating image intensifier tubes having the characteristics listed in sections 3 and 4 under “Optical sensors”.
 - (a) Imaging cameras incorporating “focal plane arrays” specified in sections 5-11 under “Optical sensors”;
2. Imaging cameras incorporating solid-state detectors specified in section 1 or 2 under “Optical sensors”.

Radar

1. Radar systems, equipment and assemblies, having any of the following, and specially designed components therefor:
 - (a) Capable of operating in synthetic aperture radar mode, inverse synthetic aperture radar mode or sidelooking airborne radar mode;
 - (b) Employing processing of radar signals and using any of the following:
 1. “Radar spread spectrum” techniques; or
 2. “Radar frequency agility” techniques; or
 - (c) Having “signal processing” subsystems using “pulse compression” and having any of the following:
 1. A “pulse compression” ratio exceeding 150; or
 2. A compressed pulse width of less than 200 ns.
2. Pulse radar cross-section measurement systems having transmit pulse widths of 100 ns or less, and specially designed components therefor.

Software

1. “Software” specially designed for the “development” or “production” of items in the “Optics” section or the “Radar” section.

2. “Software” as follows:

(a) “Software” specially designed for acoustic beam forming for the “real-time processing” of acoustic data for passive reception using towed hydrophone arrays;

(b) “Source code” for the “real-time processing” of acoustic data for passive reception using towed hydrophone arrays;

(c) “Software” specially designed for acoustic beam forming for the “real-time processing” of acoustic data for passive reception using bottom or bay cable systems;

(d) “Source code” for the “real-time processing” of acoustic data for passive reception using bottom or bay cable systems;

(e) “Software” or “source code”, specially designed for all of the following:

1. “Real-time processing” of acoustic data from sonar systems;
2. Automatically detecting, classifying and determining the location of divers or swimmers.

Technology

“Technology” for the “development” or “production” of any item on this list.

Navigation and avionics

Software

1. “Source code” for the operation or maintenance of any inertial navigation equipment, except “source code” for gimballed attitude and heading reference systems.

2. “Software” specially designed or modified to improve the operational performance or reduce the navigational error of systems.

3. “Source code” for hybrid integrated systems which improves the operational performance or reduces the navigational error of systems by continuously combining heading data with any of the following:

- (a) Doppler radar or sonar velocity data;
- (b) Global Navigation Satellite Systems reference data; or
- (c) Data from “Data-Based Referenced Navigation” systems.

4. “Source code” incorporating “development” “technology” for any of the following:

- (a) Digital flight management systems for “total control of flight”;
- (b) Integrated propulsion and flight control systems;
- (c) “Fly-by-wire systems” or “fly-by-light systems”;
- (d) Fault-tolerant or self-reconfiguring “active flight control systems”;
- (e) Air data systems based on surface static data; or
- (f) Three-dimensional displays.

Note: Does not apply to “source code” associated with common computer elements and utilities (e.g., input signal acquisition, output signal transmission, computer program and data loading, built-in test, task scheduling mechanisms) not providing a specific flight control system function.

Technology

1. “Technology” for the “development” or “production” of systems, equipment and components for navigation and avionics.

2. “Technology” for the “development” of “software” for systems, equipment and components for navigation and avionics.

Marine systems, equipment and components

Systems, equipment and components

1. Manned, untethered submersible vehicles having any of the following:
 - (a) Designed to “operate autonomously” and having a lifting capacity of all the following:
 1. 10 per cent or more of their weight in air; and
 2. 15 kN or more;
 - (b) Designed to operate at depths exceeding 1,000 m; or
 - (c) Having all of the following:
 1. Designed to continuously “operate autonomously” for 10 hours or more; and
 2. “Range” of 25 nautical miles or more.

Technical notes

1. The term “operate autonomously” means fully submerged, without snorkel, all systems working and cruising at minimum speed at which the submersible can safely control its depth dynamically by using its depth planes only, with no need for a support vessel or support base on the surface, seabed or shore, and containing a propulsion system for submerged or surface use.

2. The term “range” means half the maximum distance that a submersible vehicle can “operate autonomously”.

2. Unmanned, tethered submersible vehicles designed to operate at depths exceeding 1,000 m and having any of the following:

- (a) Designed for self-propelled manoeuvre using direct current propulsion motors or thrusters; or
- (b) Fibre-optic data link.

3. Unmanned, untethered submersible vehicles having any of the following:

- (a) Designed for deciding a course relative to any geographical reference without real-time human assistance;
- (b) Acoustic data or command link; or
- (c) Optical data or command link exceeding 1,000 m.

4. Systems specially designed or modified for the automated control of the motion of submersible vehicles using navigation data, having closed-loop servo-controls and having any of the following:

- (a) Enabling a vehicle to move within 10 m of a predetermined point in the water column;
- (b) Maintaining the position of the vehicle within 10 m of a predetermined point in the water column; or
- (c) Maintaining the position of the vehicle within 10 m while following a cable on or under the seabed.

5. “Robots” specially designed for underwater use, controlled by using a dedicated computer and having any of the following:

- (a) Systems that control the “robot” using information from sensors which measure force or torque applied to an external object, distance to an external object or tactile sense between the “robot” and an external object; or
- (b) The ability to exert a force of 250 N or more or a torque of 250 Nm or more and using titanium based alloys or “composite” “fibrous or filamentary materials” in their structural members.

6. Noise reduction systems designed for use on vessels of 1,000 tonnes displacement or more, as follows:

(a) Systems that attenuate underwater noise at frequencies below 500 Hz and consist of compound acoustic mounts for the acoustic isolation of diesel engines, diesel generator sets, gas turbines, gas turbine generator sets, propulsion motors or propulsion reduction gears, specially designed for sound or vibration isolation and having an intermediate mass exceeding 30 per cent of the equipment to be mounted;

(b) “Active noise reduction or cancellation systems” or magnetic bearings, specially designed for power transmission systems.

Software

“Software” for marine systems, equipment, components, test, inspection and “production” equipment and other related technology.

Technology

“Technology” for marine systems, equipment, components, test, inspection and “production” equipment and other related technology.

Aerospace and propulsion

Systems, equipment and components

Ramjet, scramjet or combined cycle engines, and specially designed components therefor.

Software

“Software” and “technology” for aerospace and propulsion systems, equipment, components, test, inspection and “production” equipment and other related technology.

Technology

“Technology” for aerospace and propulsion systems, equipment, components, test, inspection and “production” equipment and other related technology.

United Nations

Appendix-V

S/2014/253

Security Council

Distr.: General

8 April 2014

Original: English

Letter dated 8 April 2014 from the Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) addressed to the President

On behalf of the Committee established pursuant to resolution 1718 (2006), I have the honour to transmit herewith the report of the Committee dated 2 April 2014 (see annex), submitted in accordance with paragraph 21 of resolution 2094 (2013) and presidential statement S/PRST/2012/13 of 16 April 2012.

I would appreciate it if the present letter and its annex were brought to the attention of the members of the Security Council and issued as a document of the Council.

(Signed) Sylvie Lucas

Chair

Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006)

Annex**Report of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) prepared in accordance with paragraph 21 of resolution 2094 (2013) and presidential statement S/PRST/2012/13**

On 16 April 2012, by presidential statement S/PRST/2012/13, the Security Council directed the Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) to, among other things, update on an annual basis the consolidated list of individuals and entities which are subject to the assets freeze and/or travel ban. The list was last updated on 31 December 2013.

In addition, the Security Council, in paragraph 21 of resolution 2094 (2013), directed the Committee to review and update the items contained in the lists specified in paragraph 5 (b) of resolution 2087 (2013), namely INFCIRC/254/Rev.11/Part 1 and INFCIRC/254/Rev.8/Part 2 (nuclear-related items) as well as document S/2012/947 (ballistic missile-related items), no later than 7 March 2014 and on an annual basis thereafter.

In order to fulfil these tasks, the Committee held informal consultations on 24 January and 24 February 2014. The Chair of the Committee also sent a note verbale to all Member States requesting them to provide additional information to update these lists.

On 2 April 2014, the Committee acted in line with the Security Council's directive and approved the following:

A. Update to the identifying information contained in the Committee's consolidated list of individuals and entities

The Committee adds the name “朝鲜联合机械贸易会社” to the list of aliases used by Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation.

B. Update to the items contained in the lists specified in paragraph 5 (b) of resolution 2087 (2013)

The Committee determines that the list of items in INFCIRC/254/Rev.11/Part 1 and INFCIRC/254/Rev.8/Part 2 is superseded by the list of items in INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 and INFCIRC/254/Rev.9/Part 2. The list of items contained in INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 and INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 shall thus be subject to the measures imposed in paragraphs 8 (a), (b) and (c) of resolution 1718 (2006).

The Committee also determines that the items, materials, equipment, goods and technology related to ballistic missile programmes in document S/2012/947 is superseded by the list of items attached hereto. The attached list of items shall thus be subject to the measures imposed in paragraphs 8 (a), (b) and (c) of resolution 1718 (2006).

Items, materials, equipment, goods and technology related to ballistic missile programmes

The changes to document S/2012/947 are shown in bold in the following items: Introduction (d); General Software Note, definitions of “payload” for space launch vehicles, 2.A.1.c. and Note to 2.A.1.c., 2.D.6. Note 1, 3.A.1.a.2., 3.A.5., 3.A.9., 4.B.3.a. and corresponding Note, 4.B.3.d., 4.D.1., 6.D.1., Technical Note 4 to 9.A.3., 9.B.1., 12.A.3., 15.B.4.a.2. and 20.A.1.b.

Contents

1. INTRODUCTION

- (a) Category I and Category II items
- (b) Trade off “range” and “payload”
- (c) General Technology Note

- (d) General Software Note
- (e) Chemical Abstracts Service (CAS) Numbers

2. DEFINITIONS

- “Accuracy”
- “Basic scientific research”
- “Development”
- “In the public domain”
- “Microcircuit”
- “Microprogrammes”
- “Payload”
- Ballistic Missiles
- Space Launch Vehicles
- Sounding Rocket
- Cruise Missiles
- Other UAVs
- “Production”
- “Production equipment”
- “Production facilities”
- “Programmes”
- “Radiation hardened”
- “Range”
- “Software”
- “Technology”
- “Technical assistance”
- “Technical data”
- “Use”

3. TERMINOLOGY

- “Specially designed”
- “Designed or modified”
- “Usable in”, “usable for”, “usable as” or
- “capable of”
- “**Modified**”

CATEGORY I – ITEM 1

COMPLETE DELIVERY SYSTEMS

- 1.A.1. Complete rocket systems (≥ 300 km “range” & ≥ 500 kg “payload”)
- 1.A.2. Complete unmanned aerial vehicle systems (UAVs) (≥ 300 km “range” & ≥ 500 kg “payload”)
- 1.B.1. “Production facilities”
- 1.C. None
- 1.D.1. “Software”
- 1.D.2. “Software”

1.E.1. “Technology”

CATEGORY I – ITEM 2

COMPLETE SUBSYSTEMS USABLE FOR COMPLETE DELIVERY SYSTEMS

2.A.1. “Complete subsystems”

2.B.1. “Production facilities”

2.B.2. “Production equipment”

2.C. None

2.D.1. “Software”

2.D.2. “Software”

2.D.3. “Software”

2.D.4 “Software”

2.D.5. “Software”

2.D.6. “Software”

2.E.1. “Technology”

CATEGORY II – ITEM 3

PROPULSION COMPONENTS AND EQUIPMENT

3.A.1. Turbojet and turbofan engines

3.A.2. Ramjet/scramjet/pulse jet/combined cycle engines

3.A.3. Rocket motor cases, “insulation” components and nozzles

3.A.4. Staging mechanisms, separation mechanisms and interstages

3.A.5. Liquid and slurry propellant (including oxidisers) control systems

3.A.6. Hybrid rocket motors

3.A.7. Radial ball bearings

3.A.8. Liquid propellant tanks

3.A.9. Turboprop engine systems

3.B.1. “Production facilities”

3.B.2. “Production equipment”

3.B.3. Flow-forming machines

3.C.1. “Interior lining” usable for rocket motor cases

3.C.2. “Insulation” material in bulk form usable for rocket motor cases

3.D.1. “Software”

3.D.2. “Software”

3.D.3. “Software”

3.E.1. “Technology”

CATEGORY II – ITEM 4

PROPELLANTS, CHEMICALS AND PROPELLANT PRODUCTION

4.A. None

4.B.1. “Production equipment”

- 4.B.2. “Production equipment”
- 4.B.3.a. Batch mixers
 - b. Continuous mixers
 - c. Fluid energy mills
 - d. Metal powder “production equipment”
- 4.C.1. Composite and composite modified double base propellants
- 4.C.2. Fuel substances
 - a. Hydrazine
 - b. Hydrazine derivatives
 - c. Spherical aluminium powder
 - d. Zirconium, beryllium, magnesium and alloys
 - e. Boron and boron alloys
 - f. High energy density materials
- 4.C.3. Perchlorates, chlorates or chromates
- 4.C.4.a. Oxidiser substances – liquid propellant rocket engines
 - b. Oxidiser substances – solid propellant rocket motors
- 4.C.5. Polymeric substances
- 4.C.6. Other propellant additives and agents
 - a. Bonding agents
 - b. Curing reaction catalysts
 - c. Burning rate modifiers
 - d. Esters and plasticisers
 - e. Stabilisers
- 4.D.1. “Software”

4.E.1. “Technology”

CATEGORY II – ITEM 5

(Reserved For Future Use)

CATEGORY II – ITEM 6

PRODUCTION OF STRUCTURAL COMPOSITES, PYROLYTIC DEPOSITION AND DENSIFICATION, AND STRUCTURAL MATERIALS

- 6.A.1. Composite structures, laminates and manufactures thereof
- 6.A.2. Resaturated pyrolised materials
- 6.B.1.a. Filament winding machines or fibre placement machines
 - b. Tape-laying machines
 - c. Multi-directional, multi-dimensional weaving machines or interlacing machines
 - d. Equipment designed or modified for the production of fibrous or filamentary materials
 - e. Equipment designed or modified for special fibre surface treatment
- 6.B.2. Nozzles

- 6.B.3. Isostatic presses
- 6.B.4. Chemical vapour deposition furnaces
- 6.B.5. Equipment and controls for the densification and pyrolysis process
- 6.C.1. Resin impregnated fibre prepregs and metal coated fibre preforms
- 6.C.2. Resaturated pyrolysed materials
- 6.C.3. Fine grain graphites
- 6.C.4. Pyrolytic or fibrous reinforced graphites
- 6.C.5. Ceramic composite materials for missile radomes
- 6.C.6. Silicon-carbide materials
- 6.C.7. Tungsten molybdenum and alloys
- 6.C.8. Maraging steel
- 6.C.9. Titanium-stabilized duplex stainless steel
- 6.D.1. "Software"
- 6.D.2. "Software"
- 6.E.1. "Technology"
- 6.E.2. "Technical data"
- 6.E.3. "Technology"

CATEGORY II – ITEM 7

(Reserved For Future Use)

CATEGORY II – ITEM 8

(Reserved For Future Use)

CATEGORY II – ITEM 9

INSTRUMENTATION, NAVIGATION AND DIRECTION FINDING

- 9.A.1. Integrated flight instrument systems
- 9.A.2. Gyro-astro compasses
- 9.A.3. Linear accelerometers
- 9.A.4. All types of gyros
- 9.A.5. Accelerometers or gyros
- 9.A.6. Inertial or other equipment
- 9.A.7. "Integrated navigation systems"
- 9.A.8. Three axis magnetic heading sensors
- 9.B.1. "Production equipment", and other test, calibration and alignment equipment
- 9.B.2.a. Balancing machines
 - b. Indicator heads
 - c. Motion simulators/rate tables
 - d. Positioning tables
 - e. Centrifuges

9.C. None

9.D.1. “Software”

9.D.2. Integration “Software”

9.D.3. Integration “Software”

9.D.4. Integration “Software”

9.E.1. “Technology”

CATEGORY II – ITEM 10

FLIGHT CONTROL

10.A.1. Hydraulic, mechanical, electro-optical or electromechanical flight control systems

10.A.2. Attitude control equipment

10.A.3. Flight control servo-valves

10.B.1. Test calibration and alignment equipment

10.C. None

10.D.1. “Software”

10.E.1. Design “technology” for integration of air vehicle fuselage, propulsion system and lifting control surfaces

10.E.2. Design “technology” for integration of the flight control, guidance, and propulsion data into a flight management system

10.E.3. “Technology”

CATEGORY II – ITEM 11

AVIONICS

11.A.1. Radar and laser radar systems including altimeters

11.A.2. Passive sensors

11.A.3. Receiving equipment GNSS e.g. GPS, GLONASS or Galileo

11.A.4. Electronic assemblies and components

11.A.5. Umbilical and interstage electrical connectors

11.B. None

11.C. None

11.D.1. “Software”

11.D.2. “Software”

11.E.1. Design “technology”

11.E.2. “Technology”

CATEGORY II – ITEM 12

LAUNCH SUPPORT

12.A.1. Apparatus and devices

- 12.A.2. Vehicles
- 12.A.3. Gravity meters (gravimeters), gravity gradiometers
- 12.A.4. Telemetry and telecontrol equipment,
including ground equipment
- 12.A.5. Precision tracking systems
 - a. Tracking Systems
 - b. Range instrumentation radars
- 12.A.6. Thermal Batteries
- 12.B. None
- 12.C. None
- 12.D.1. "Software"
- 12.D.2. "Software"
- 12.D.3. "Software"
- 12.E.1. "Technology"

CATEGORY II – ITEM 13**COMPUTERS**

- 13.A.1. Analogue or digital computers or digital differential analysers
- 13.B. None
- 13.C. None
- 13.D. None
- 13.E.1. "Technology"

CATEGORY II – ITEM 14**ANALOGUE TO DIGITAL CONVERTERS**

- 14.A.1. Analogue-to-digital converters
- 14.B. None
- 14.C. None
- 14.D. None
- 14.E.1. "Technology"

CATEGORY II – ITEM 15**TEST FACILITIES AND EQUIPMENT**

- 15.A. None
- 15.B.1. Vibration test equipment
 - a. Vibration test systems
 - b. Digital controllers
 - c. Vibration thrusters (shaker units)
 - d. Test piece support structures and

electronic units

15.B.2. Wind-tunnels

15.B.3. Test benches/stands

15.B.4. Environmental chambers

15.B.5. Accelerators

15.C. None

15.D.1. "Software"

15.E.1. "Technology"

CATEGORY II – ITEM 16

MODELLING-SIMULATION AND DESIGN INTEGRATION

16.A.1. Hybrid (combined analogue/digital) computers

16.B. None

16.C. None

16.D.1. "Software"

16.E.1. "Technology"

CATEGORY II – ITEM 17

STEALTH

17.A.1. Devices for reduced observables

17.B.1. Systems specially designed for
radar cross section measurement

17.C.1. Materials for reduced observables

17.D.1. "Software"

17.E.1. "Technology"

CATEGORY II – ITEM 18

NUCLEAR EFFECTS PROTECTION

18.A.1. "Radiation Hardened" "microcircuits"

18.A.2. "Detectors"

18.A.3. Radomes

18.B. None

18.C. None

18.D. None

18.E.1. "Technology"

CATEGORY II – ITEM 19

OTHER COMPLETE DELIVERY SYSTEMS

19.A.1. Complete rocket systems (≥ 300 km range)

- 19.A.2. Complete UAV systems ($\geq 300\text{km}$ range)
- 19.A.3. Complete UAV systems
- 19.B.1. “Production facilities”
- 19.C. None
- 19.D.1. “Software”
- 19.E.1. “Technology”

CATEGORY II – ITEM 20

OTHER COMPLETE SUBSYSTEMS

- 20.A.1.a. Individual rocket stages
 - b. Solid propellant rocket motors, hybrid rocket motors or liquid propellant rocket engines
- 20.B.1. “Production facilities”
- 20.B.2. “Production equipment”
- 20.C. None
- 20.D.1 “Software”
- 20.D.2. “Software”
- 20.E.1. “Technology”

UNITS, CONSTANTS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS USED IN THIS ANNEX

TABLE OF CONVERSIONS

STATEMENT OF UNDERSTANDING

Introduction, definitions, terminology

1. INTRODUCTION

- (a) This Annex consists of two categories of items, which term includes equipment, materials, “software” or “technology”. Category I items, all of which are in Annex Items 1 and 2, are those items of greatest sensitivity. If a Category I item is included in a system, that system will also be considered as Category I, except when the incorporated item cannot be separated, removed or duplicated. Category II items are those items in the Annex not designated Category I.
- (b) In reviewing the proposed applications for transfers of complete rocket and unmanned aerial vehicle systems described in Items 1 and 19, and of equipment, materials, “software” or “technology” which is listed in the Technical Annex, for potential use in such systems, the Government will take account of the ability to trade off “range” and “payload”.

- (c) **General Technology Note:**

The transfer of “technology” directly associated with any goods controlled in the Annex is controlled according to the provisions in each Item to the extent permitted by national legislation. The approval of any Annex item for export also authorizes the export to the same end-user of the minimum “technology” required for the installation, operation, maintenance, or repair of the item.

Note:

Controls do not apply to “technology” “in the public domain” or to “basic scientific research”.

- (d) **General Software Note:**

The Annex does not control “software” which is either:

- 1. Generally available to the public by being:
 - a. Sold from stock at retail selling points without restriction, by means of:

1. Over-the-counter transactions;
 2. Mail order transactions; or
 - 3. Electronic transactions; or**
 4. Telephone call transactions; and
- b. Designed for installation by the user without further substantial support by the supplier; or
2. “In the public domain”.

Note:

The General Software Note only applies to general purpose, mass market “software”.

- (e) Chemical Abstracts Service (CAS) Numbers:

In some instances chemicals are listed by name and CAS number. Chemicals of the same structural formula (including hydrates) are controlled regardless of name or CAS number. CAS numbers are shown to assist in identifying whether a particular chemical or mixture is controlled, irrespective of nomenclature. CAS numbers cannot be used as unique identifiers because some forms of the listed chemical have different CAS numbers, and mixtures containing a listed chemical may also have different CAS numbers.

2. DEFINITIONS

For the purpose of this Annex, the following definitions apply:

“Accuracy”

Usually measured in terms of inaccuracy, means the maximum deviation, positive or negative, of an indicated value from an accepted standard or true value.

“Basic scientific research”

Experimental or theoretical work undertaken principally to acquire new knowledge of the fundamental principles of phenomena or observable facts, not primarily directed towards a specific practical aim or objective.

“Development”

Is related to all phases prior to “production” such as:

- design
- design research
- design analysis
- design concepts
- assembly and testing of prototypes
- pilot production schemes
- design data
- process of transforming design data into a product
- configuration design
- integration design
- layouts

“In the public domain”

This means “software” or “technology” which has been made available without restrictions upon its further dissemination. (Copyright restrictions do not remove “software” or “technology” from being “in the public domain”.)

“Microcircuit”

A device in which a number of passive and/or active elements are considered as indivisibly associated on or within a continuous structure to perform the function of a circuit.

“Microprogrammes”

A sequence of elementary instructions maintained in a special storage, the execution of which is initiated by the introduction of its reference instruction register.

“Payload”

The total mass that can be carried or delivered by the specified rocket system or unmanned aerial vehicle (UAV) system that is not used to maintain flight.

Note:

The particular equipment, subsystems, or components to be included in the “payload” depends on the type and configuration of the vehicle under consideration.

Technical Notes:**1. Ballistic Missiles****a. “Payload” for systems with separating re-entry vehicles (RVs) includes:****1. The RVs, including:**

- a. Dedicated guidance, navigation, and control equipment;
- b. Dedicated countermeasures equipment;

2. Munitions of any type (e.g. explosive or non-explosive);

3. Supporting structures and deployment mechanisms for the munitions (e.g. hardware used to attach to, or separate the RV from, the bus/post-boost vehicle) that can be removed without violating the structural integrity of the vehicle;

4. Mechanisms and devices for safing, arming, fuzing or firing;

5. Any other countermeasures equipment (e.g. decoys, jammers or chaff dispensers) that separate from the RV bus/post-boost vehicle;

6. The bus/post-boost vehicle or attitude control/velocity trim module not including systems/subsystems essential to the operation of the other stages.

b. “Payload” for systems with non-separating re-entry vehicles includes:

1. Munitions of any type (e.g. explosive or non-explosive);

2. Supporting structures and deployment mechanisms for the munitions that can be removed without violating the structural integrity of the vehicle;

3. Mechanisms and devices for safing, arming, fuzing or firing;

4. Any countermeasures equipment (e.g. decoys, jammers or chaff dispensers) that can be removed without violating the structural integrity of the vehicle.

2. Space Launch Vehicles**“Payload” includes:**

a. Spacecraft (single or multiple), including satellites;

b. Spacecraft-to-launch vehicle adapters including, if applicable, apogee/perigee kick motors or similar manoeuvring systems **and separation systems.**

3. Sounding Rockets**“Payload” includes:**

a. Equipment required for a mission, such as data gathering, recording or transmitting devices for mission-specific data;

b. Recovery equipment (e.g. parachutes) that can be removed without violating the structural integrity of the vehicle.

4. *Cruise Missiles*

“Payload” includes:

- a. Munitions of any type (e.g. explosive or non-explosive);*
- b. Supporting structures and deployment mechanisms for the munitions that can be removed without violating the structural integrity of the vehicle;*
- c. Mechanisms and devices for safing, arming, fuzing or firing;*
- d. Countermeasures equipment (e.g. decoys, jammers or chaff dispensers) that can be removed without violating the structural integrity of the vehicle;*
- e. Signature alteration equipment that can be removed without violating the structural integrity of the vehicle.*

5. *Other UAVs*

“Payload” includes:

- a. Munitions of any type (e.g. explosive or non-explosive);*
- b. Mechanisms and devices for safing, arming, fuzing or firing;*
- c. Countermeasures equipment (e.g. decoys, jammers or chaff dispensers) that can be removed without violating the structural integrity of the vehicle;*
- d. Signature alteration equipment that can be removed without violating the structural integrity of the vehicle;*
- e. Equipment required for a mission such as data gathering, recording or transmitting devices for mission-specific data and supporting structures that can be removed without violating the structural integrity of the vehicle;*
- f. Recovery equipment (e.g. parachutes) that can be removed without violating the structural integrity of the vehicle.*
- g. Munitions supporting structures and deployment mechanisms that can be removed without violating the structural integrity of the vehicle.*

“Production”

Means all production phases such as:

- production engineering
- manufacture
- integration
- assembly (mounting)
- inspection
- testing
- quality assurance

“Production equipment”

Means tooling, templates, jigs, mandrels, moulds, dies, fixtures, alignment mechanisms, test equipment, other machinery and components therefor, limited to those specially designed or modified for “development” or for one or more phases of “production”.

“Production facilities”

Means “production equipment” and specially designed “software” therefor integrated into installations for “development” or for one or more phases of “production”.

“Programmes”

A sequence of instructions to carry out a process in, or convertible into, a form executable by an electronic computer.

“Radiation hardened”

Means that the component or equipment is designed or rated to withstand radiation levels which meet or exceed a total irradiation dose of 5×10^5 rads (Si).

“Range”

The maximum distance that the specified rocket system or unmanned aerial vehicle (UAV) system is capable of travelling in the mode of stable flight as measured by the projection of its trajectory over the surface of the Earth.

Technical Notes:

1. *The maximum capability based on the design characteristics of the system, when fully loaded with fuel or propellant, will be taken into consideration in determining “range”.*
2. *The “range” for both rocket systems and UAV systems will be determined independently of any external factors such as operational restrictions, limitations imposed by telemetry, data links or other external constraints.*
3. *For rocket systems, the “range” will be determined using the trajectory that maximises “range”, assuming ICAO standard atmosphere with zero wind.*
4. *For UAV systems, the “range” will be determined for a one-way distance using the most fuel-efficient flight profile (e.g. cruise speed and altitude), assuming ICAO standard atmosphere with zero wind.*

“Software”

A collection of one or more “programmes”, or “micro-programmes”, fixed in any tangible medium of expression.

“Technology”

Means specific information which is required for the “development”, “production” or “use” of a product. The information may take the form of “technical data” or “technical assistance”.

“Technical assistance”

May take forms such as:

- instruction
- skills
- training
- working knowledge
- consulting services

“Technical data”

May take forms such as:

- blueprints
- plans
- diagrams
- models
- formulae
- engineering designs and specifications
- manuals and instructions written or recorded on other media or devices such as:
 - disk

- tape
- read-only memories

“Use”

Means:

- operation
- installation (including on-site installation)
- maintenance
- repair
- overhaul
- refurbishing

3. TERMINOLOGY

Where the following terms appear in the text, they are to be understood according to the explanations below:

- (a) “Specially designed” describes equipment, parts, components, materials or “software” which, as a result of “development”, have unique properties that distinguish them for certain predetermined purposes. For example, a piece of equipment that is “specially designed” for use in a missile will only be considered so if it has no other function or use. Similarly, a piece of manufacturing equipment that is “specially designed” to produce a certain type of component will only be considered such if it is not capable of producing other types of components.
- (b) “Designed or modified” describes equipment, parts or components which, as a result of “development,” or modification, have specified properties that make them fit for a particular application. “Designed or modified” equipment, parts, components or “software” can be used for other applications. For example, a titanium coated pump designed for a missile may be used with corrosive fluids other than propellants.
- (c) “Usable in”, “usable for”, “usable as” or “capable of” describes equipment, parts, components, materials or “software” which are suitable for a particular purpose. There is no need for the equipment, parts, components or “software” to have been configured, modified or specified for the particular purpose. For example, any military specification memory circuit would be “capable of” operation in a guidance system.
- (d) “Modified” in the context of “software” describes “software” which has been intentionally changed such that it has properties that make it fit for specified purposes or applications. Its properties may also make it suitable for purposes or applications other than those for which it was “modified”.

CATEGORY I; ITEM 1

CATEGORY I

ITEM 1 COMPLETE DELIVERY SYSTEMS

1.A. EQUIPMENT, ASSEMBLIES AND COMPONENTS

1.A.1. Complete rocket systems (including ballistic missile systems, space launch vehicles, and sounding rockets) capable of delivering at least a 500 kg “payload” to a “range” of at least 300 km.

1.A.2. Complete unmanned aerial vehicle systems (including cruise missile systems, target drones and reconnaissance drones) capable of delivering at least a 500 kg “payload” to a “range” of at least 300 km.

1.B. TEST AND PRODUCTION EQUIPMENT

1.B.1. “Production facilities” specially designed for the systems specified in 1.A.

1.C. MATERIALS

None.

1.D. SOFTWARE

1.D.1. “Software” specially designed or modified for the “use” of “production facilities” specified in 1.B.

1.D.2. “Software” which coordinates the function of more than one subsystem, specially designed or modified for “use” in systems specified in 1.A.

1.E. TECHNOLOGY

1.E.1. “Technology”, in accordance with the General Technology Note, for the “development”, “production” or “use” of equipment or “software” specified in 1.A., 1.B., or 1.D.

CATEGORY I; ITEM 2

ITEM 2 COMPLETE SUBSYSTEMS USABLE FOR COMPLETE DELIVERY SYSTEMS

2.A. EQUIPMENT, ASSEMBLIES AND COMPONENTS

2.A.1. Complete subsystems usable in the systems specified in 1.A., as follows:

- a. Individual rocket stages usable in the systems specified in 1.A.;
- b. Re-entry vehicles, and equipment designed or modified therefor, usable in the systems specified in 1.A., as follows, except as provided in the Note below 2.A.1. for those designed for non-weapon payloads:
 1. Heat shields, and components therefor, fabricated of ceramic or ablative materials;
 2. Heat sinks and components therefor, fabricated of light-weight, high heat capacity materials;
 3. Electronic equipment specially designed for re-entry vehicles;
- c. **Rocket propulsion subsystems, usable in the systems specified in 1.A., as follows:**
 1. **Solid propellant rocket motors or hybrid rocket motors having a total impulse capacity equal to or greater than 1.1×10^6 Ns;**
 2. **Liquid propellant rocket engines integrated, or designed or modified to be integrated, into a liquid propellant propulsion system which has a total impulse capacity equal to or greater than 1.1×10^6 Ns;**

Note:

Liquid propellant apogee engines or station-keeping engines specified in 2.A.1.c.2., designed or modified for use on satellites, may be treated as Category II, if the subsystem is exported subject to end-use statements and quantity limits appropriate for the excepted end-use stated above, when having a vacuum thrust not greater than 1kN.

- d. “Guidance sets”, usable in the systems specified in 1.A., capable of achieving system accuracy of 3.33% or less of the “range” (e.g. a “CEP” of 10 km or less at a “range” of 300 km), except as provided in the Note below 2.A.1. for those designed for missiles with a “range” under 300 km or manned aircraft;

Technical Notes:

1. A “guidance set” integrates the process of measuring and computing a vehicle’s position and velocity (i.e. navigation) with that of computing and sending commands to the vehicle’s flight control systems to correct the trajectory.
 2. “CEP” (circle of equal probability) is a measure of accuracy, defined as the radius of the circle centred at the target, at a specific range, in which 50% of the payloads impact.
- e. Thrust vector control sub-systems, usable in the systems specified in 1.A., except as provided in the Note below 2.A.1. for those designed for rocket systems that do not exceed the “range”/“payload” capability of systems specified in 1.A.;

Technical Note:

2.A.1.e. includes the following methods of achieving thrust vector control:

- a. Flexible nozzle;
- b. Fluid or secondary gas injection;

- c. Movable engine or nozzle;
- d. Deflection of exhaust gas stream (jet vanes or probes);
- e. Use of thrust tabs.
- f. Weapon or warhead safing, arming, fuzing, and firing mechanisms, usable in the systems specified in 1.A., except as provided in the Note below 2.A.1. for those designed for systems other than those specified in 1.A.

Note:

The exceptions in 2.A.1.b., 2.A.1.d., 2.A.1.e. and 2.A.1.f. above may be treated as Category II if the subsystem is exported subject to end-use statements and quantity limits appropriate for the excepted end-use stated above.

2.B. TEST AND PRODUCTION EQUIPMENT

2.B.1. “Production facilities” specially designed for the subsystems specified in 2.A.

2.B.2. “Production equipment” specially designed for the subsystems specified in 2.A.

2.C. MATERIALS

None.

2.D. SOFTWARE

2.D.1. “Software” specially designed or modified for the “use” of “production facilities” specified in 2.B.1.

2.D.2. “Software” specially designed or modified for the “use” of rocket motors or engines specified in 2.A.1.c.

2.D.3. “Software”, specially designed or modified for the “use” of “guidance sets” specified in 2.A.1.d.

Note:

2.D.3. includes “software”, specially designed or modified to enhance the performance of ‘guidance sets’ to achieve or exceed the accuracy specified in 2.A.1.d.

2.D.4. “Software” specially designed or modified for the “use” of subsystems or equipment specified in 2.A.1.b.3.

2.D.5. “Software” specially designed or modified for the “use” of systems in 2.A.1.e.

2.D.6. “Software” specially designed or modified for the “use” of systems in 2.A.1.f.

Note:

Subject to end-use statements appropriate for the excepted end-use, “software” controlled by 2.D.2.-2.D.6. may be treated as Category II as follows:

1. Under 2.D.2. if specially designed or modified for liquid propellant apogee engines **or station keeping engines**, designed or modified for satellite applications as specified in the Note to **2.A.1.c.2.**;
2. Under 2.D.3. if designed for missiles with a “range” of under 300 km or manned aircraft;
3. Under 2.D.4. if specially designed or modified for re-entry vehicles designed for non-weapon payloads;
4. Under 2.D.5. if designed for rocket systems that do not exceed the “range” “payload” capability of systems specified in 1.A.;
5. Under 2.D.6. if designed for systems other than those specified in 1.A.

2.E. TECHNOLOGY

2.E.1. “Technology”, in accordance with the General Technology Note, for the “development”, “production” or “use” of equipment or “software” specified in 2.A., 2.B. or 2.D.

CATEGORY II; ITEM 3**CATEGORY II****ITEM 3 PROPULSION COMPONENTS AND EQUIPMENT**

3.A. EQUIPMENT, ASSEMBLIES AND COMPONENTS

3.A.1. Turbojet and turbofan engines, as follows:

a. Engines having both of the following characteristics:

1. "Maximum thrust value" greater than 400 N (achieved un-installed) excluding civil certified engines with a "maximum thrust value" greater than 8.89 kN (achieved un-installed); and
2. Specific fuel consumption of $0.15 \text{ kg N}^{-1} \text{ h}^{-1}$ or less (at maximum continuous power at **sea level static conditions using the ICAO standard atmosphere**);

Technical Note:

In 3.A.1.a.1., "maximum thrust value" is the manufacturer's demonstrated maximum thrust for the engine type un-installed. The civil type certified thrust value will be equal to or less than the manufacturer's demonstrated maximum thrust for the engine type.

b. Engines designed or modified for systems specified in 1.A. or 19.A.2., regardless of thrust or specific fuel consumption.

Note:

Engines specified in 3.A.1. may be exported as part of a manned aircraft or in quantities appropriate for replacement parts for a manned aircraft.

3.A.2. Ramjet/scramjet/pulse jet/ "combined cycle engines", including devices to regulate combustion, and specially designed components therefor, usable in the systems specified in 1.A. or 19.A.2.

Technical Note:

In Item 3.A.2., "combined cycle engines" are the engines that employ two or more cycles of the following types of engines: gas-turbine engine (turbojet, turboprop, turbofan and turboshaft), ramjet, scramjet, pulse jet, pulse detonation engine, rocket motor (liquid/solid-propellant and hybrid).

3.A.3. Rocket motor cases, "insulation" components and nozzles therefor, usable in the systems specified in 1.A. or 19.A.1.

Technical Note:

In 3.A.3. "insulation" intended to be applied to the components of a rocket motor, i.e. the case, nozzle inlets, case closures, includes cured or semi-cured compounded rubber components comprising sheet stock containing an insulating or refractory material. It may also be incorporated as stress relief boots or flaps.

Note:

Refer to 3.C.2. for 'insulation' material in bulk or sheet form.

3.A.4. Staging mechanisms, separation mechanisms, and interstages therefor, usable in the systems specified in 1.A.

Note:

See also Item 11.A.5.

3.A.5. Liquid, slurry **and gel** propellant (including oxidisers) control systems, and specially designed components therefor, usable in the systems specified in 1.A., designed or modified to operate in vibration environments greater than 10 g rms between 20 Hz and 2 kHz.*Notes:*

1. The only servo valves and pumps specified in 3.A.5. are the following:

- a. Servo valves designed for flow rates equal to or greater than 24 litres per minute, at an absolute pressure equal to or greater than 7 MPa, that have an actuator response time of less than 100 ms.
- b. Pumps, for liquid propellants, with shaft speeds equal to or greater than 8,000 rpm or with discharge pressures equal to or greater than 7 MPa.

2. Systems and components specified in 3.A.5. may be exported as part of a satellite.

3.A.6. Specially designed components for hybrid rocket motors specified in 2.A.1.c. and 20.A.1.b.

3.A.7. Radial ball bearings having all tolerances specified in accordance with ISO 492 Tolerance Class 2 (or ANSI/ABMA Std 20 Tolerance Class ABEC-9 or other national equivalents), or better and having all the following characteristics:

- a. An inner ring bore diameter between 12 and 50 mm;
- b. An outer ring outside diameter between 25 and 100 mm; and
- c. A width between 10 and 20 mm.

3.A.8. Liquid propellant tanks specially designed for the propellants controlled in Item 4.C. or other liquid propellants used in the systems specified in 1.A.1.

3.A.9. “Turboprop engine systems” specially designed for the systems in 1.A.2. or 19.A.2., and specially designed components therefor, having a maximum power greater than 10 kW (achieved uninstalled at **sea level static conditions using the ICAO standard atmosphere**), excluding civil certified engines.

Technical Note:

For the purposes of Item 3.A.9., a “turboprop engine system” incorporates all of the following:

- a. *Turboshaft engine; and*
- b. *Power transmission system to transfer the power to a propeller.*

3.B. TEST AND PRODUCTION EQUIPMENT

3.B.1. “Production facilities” specially designed for equipment or materials specified in 3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3.A.9. or 3.C.

3.B.2. “Production equipment” specially designed for equipment or materials specified in 3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3.A.9. or 3.C.

3.B.3. Flow-forming machines, and specially designed components therefor, which:

- a. According to the manufacturers technical specification can be equipped with numerical control units or a computer control, even when not equipped with such units at delivery; and
- b. Have more than two axes which can be co-ordinated simultaneously for contouring control.

Note:

This item does not include machines that are not usable in the “production” of propulsion components and equipment (e.g. motor cases) for systems specified in 1.A.

Technical Note:

Machines combining the function of spin-forming and flow-forming are, for the purpose of this item, regarded as flow-forming machines.

3.C. MATERIALS

3.C.1. “Interior lining” usable for rocket motor cases in the systems specified in 1.A. or specially designed for systems specified in 19.A.1. or 19.A.2.

Technical Note:

In 3.C.1. “interior lining” suited for the bond interface between the solid propellant and the case or insulating liner is usually a liquid polymer based dispersion of refractory or insulating materials e.g. carbon filled HTPB or other polymer with added curing agents to be sprayed or screeded over a case interior.

3.C.2. “Insulation” material in bulk form usable for rocket motor cases in the systems specified in 1.A. or specially designed for systems specified in 19.A.1. or 19.A.2.

Technical Note:

In 3.C.2. “insulation” intended to be applied to the components of a rocket motor, i.e. the case, nozzle inlets, case closures, includes cured or semi-cured compounded rubber sheet stock containing an insulating or refractory material. It may also be incorporated as stress relief boots or flaps specified in 3.A.3.

3.D. SOFTWARE

3.D.1. “Software” specially designed or modified for the “use” of “production facilities” and flow forming machines specified in 3.B.1. or 3.B.3.

3.D.2. “Software” specially designed or modified for the “use” of equipment specified in 3.A.1., 3.A.2., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6. or 3.A.9.

Notes:

1. “Software” specially designed or modified for the “use” of engines specified in 3.A.1. may be exported as part of a manned aircraft or as replacement “software” therefor.
2. “Software” specially designed or modified for the “use” of propellant control systems specified in 3.A.5. may be exported as part of a satellite or as replacement “software” therefor.

3.D.3. “Software” specially designed or modified for the “development” of equipment specified in 3.A.2., 3.A.3. or 3.A.4.

3.E. TECHNOLOGY

3.E.1. “Technology”, in accordance with the General Technology Note, for the “development”, “production” or “use” of equipment, materials or “software” specified in 3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3.A.9., 3.B., 3.C. or 3.D.

CATEGORY II; ITEM 4**ITEM 4 PROPELLANTS, CHEMICALS AND PROPELLANT PRODUCTION**

4.A. EQUIPMENT, ASSEMBLIES AND COMPONENTS

None.

4.B. TEST AND PRODUCTION EQUIPMENT

4.B.1. “Production equipment”, and specially designed components therefor, for the “production”, handling or acceptance testing of liquid propellants or propellant constituents specified in 4.C.

4.B.2. “Production equipment”, other than that described in 4.B.3., and specially designed components therefor, for the production, handling, mixing, curing, casting, pressing, machining, extruding or acceptance testing of solid propellants or propellant constituents specified in 4.C.

4.B.3. Equipment as follows, and specially designed components therefor:

a. Batch mixers with provision for mixing under vacuum in the range of zero to 13.326 kPa and with temperature control capability of the mixing chamber and having all of the following:

1. A total volumetric capacity of 110 litres or more; and
2. At least one “mixing/kneading shaft” mounted off centre;

Note:

In Item 4.B.3.a.2. the term “mixing/kneading shaft” does not refer to deagglomerators or knife-spindles.

b. Continuous mixers with provision for mixing under vacuum in the range of zero to 13.326 kPa and with a temperature control capability of the mixing chamber having any of the following:

1. Two or more mixing/kneading shafts; or
2. A single rotating shaft which oscillates and having kneading teeth/pins on the shaft as well as inside the casing of the mixing chamber;

c. Fluid energy mills usable for grinding or milling substances specified in 4.C.;

d. Metal powder “production equipment” usable for the “production”, in a controlled environment, of spherical, spheroidal or atomised materials specified in 4.C.2.c., 4.C.2.d. or 4.C.2.e.

Note:

4.B.3.d. includes:

- a. Plasma generators (high frequency arc-jet) usable for obtaining sputtered or spherical metallic powders with organization of the process in an argon-water environment;
- b. Electrobust equipment usable for obtaining sputtered or spherical metallic powders with organization of the process in an argon-water environment;
- c. Equipment usable for the “production” of spherical aluminium powders by powdering a melt in an inert medium (e.g. nitrogen).

Notes:

1. The only batch mixers, continuous mixers, usable for solid propellants or propellants constituents specified in 4.C., and fluid energy mills specified in 4.B., are those specified in 4.B.3.
2. Forms of metal powder “production equipment” not specified in 4.B.3.d. are to be evaluated in accordance with 4.B.2.

4.C. MATERIALS

4.C.1. Composite and composite modified double base propellants.

4.C.2. Fuel substances as follows:

- a. Hydrazine (CAS 302-01-2) with a concentration of more than 70%;
- b. Hydrazine derivatives as follows:
 1. Monomethylhydrazine (MMH) (CAS 60-34-4);
 2. Unsymmetricaldimethylhydrazine (UDMH) (CAS 57-14-7);
 3. Hydrazine mononitrate;
 4. Trimethylhydrazine(CAS 1741-01-1);
 5. Tetramethylhydrazine(CAS 6415-12-9);
 6. N,N diallylhydrazine;
 7. Allylhydrazine(CAS 7422-78-8);
 8. Ethylenedihydrazine;
 9. Monomethylhydrazinedinitrate;
 10. Unsymmetricaldimethylhydrazine nitrate;
 11. Hydraziniumazide (CAS 14546-44-2);
 12. Dimethylhydraziniumazide;
 13. Hydraziniumdinitrate;
 14. Diimido oxalic acid dihydrazine (CAS 3457-37-2);
 15. 2-hydroxyethylhydrazine nitrate (HEHN);
 16. Hydrazinium perchlorate (CAS 27978-54-7);
 17. Hydrazinium diperchlorate (CAS 13812-39-0);
 18. Methylhydrazine nitrate (MHN);
 19. Diethylhydrazine nitrate (DEHN);
 20. 3,6-dihydrazino tetrazine nitrate (DHTN);

Technical note:

3,6-dihydrazino tetrazine nitrate is also referred to as

1,4-dihydrazine nitrate

- C. Spherical or spheroidal aluminium powder (CAS 7429-90-5) in particle size of less than 200×10^{-6} m (200 μ m) and an aluminium content of 97% by weight or more, if at least 10% of the total weight is made up of particles of less than 63 μ m, according to ISO 2591:1988 or national equivalents;

Technical Note:

A particle size of 63 μ m (ISO R-565) corresponds to 250 mesh (Tyler) or 230 mesh (ASTM standard E-11).

- d. Metal powders of any of the following: zirconium (CAS 7440-67-7), beryllium (CAS 7440-41-7), magnesium (CAS 7439-95-4) or alloys of these, if at least 90% of the total particles by particle volume or weight are made up of particles of less than 60 μ m (determined by measurement techniques such as using a sieve, laser diffraction or optical scanning), whether spherical, atomised, spheroidal, flaked or ground, consisting of 97% by weight or more of any of the above mentioned metals;

Note:

In a multimodal particle distribution (e.g. mixtures of different grain sizes) in which one or more modes are controlled, the entire powder mixture is controlled.

Technical Note:

The natural content of hafnium (CAS 7440-58-6) in the zirconium (typically 2% to 7%) is counted with the zirconium.

- e. Metal powders of either boron (CAS 7440-42-8) or boron alloys with a boron content of 85% or more by weight, if at least 90% of the total particles by particle volume or weight are made up of particles of less than 60 μ m (determined by measurement techniques such as using a sieve, laser diffraction or optical scanning), whether spherical, atomised, spheroidal, flaked or ground;

Note:

In a multimodal particle distribution (e.g. mixtures of different grain sizes) in which one or more modes are controlled, the entire powder mixture is controlled.

- f. High energy density materials, usable in the systems specified in 1.A. or 19.A., as follows:

1. Mixed fuels that incorporate both solid and liquid fuels, such as boron slurry, having a mass-based energy density of 40×10^6 J/kg or greater;
2. Other high energy density fuels and fuel additives (e.g., cubane, ionic solutions, JP-10) having a volume-based energy density of 37.5×10^9 J/m³ or greater, measured at 20°C and one atmosphere (101.325 kPa) pressure.

Note:

Item 4.C.2.f.2. does not control fossil refined fuels and biofuels produced from vegetables, including fuels for engines certified for use in civil aviation, unless specifically formulated for systems specified in 1.A. or 19.A.

4.C.3. Oxidisers/Fuels as follows:

Perchlorates, chlorates or chromates mixed with powdered metals or other high energy fuel components.

4.C.4. Oxidiser substances as follows:

- a. Oxidiser substances usable in liquid propellant rocket engines as follows:

1. Dinitrogen trioxide (CAS 10544-73-7);
2. Nitrogen dioxide (CAS 10102-44-0) / dinitrogen tetroxide (CAS 10544-72-6);
3. Dinitrogenpentoxide (CAS 10102-03-1);
4. Mixed Oxides of Nitrogen (MON);
5. Inhibited Red Fuming Nitric Acid (IRFNA) (CAS 8007-58-7);
6. Compounds composed of fluorine and one or more of other halogens, oxygen or nitrogen;

Note:

Item 4.C.4.a.6. does not control Nitrogen Trifluoride (NF₃) (CAS 7783-54-2) in a gaseous state as it is not usable for missile applications.

Technical Note:

*Mixed Oxides of Nitrogen (MON) are solutions of Nitric Oxide (NO) in Dinitrogen Tetroxide/Nitrogen Dioxide (N₂O₄/NO₂) that can be used in missile systems. There are a range of compositions that can be denoted as MON_i or MON_{ij} where *i* and *j* are integers representing the percentage of Nitric Oxide in the mixture (e.g. MON₃ contains 3% Nitric Oxide, MON₂₅ 25% Nitric Oxide. An upper limit is MON₄₀, 40% by weight).*

b. Oxidiser substances usable in solid propellant rocket motors as follows:

1. Ammonium perchlorate (AP) (CAS 7790-98-9);
2. Ammonium dinitramide (ADN) (CAS 140456-78-6);
3. Nitro-amines (cyclotetramethylene - tetranitramine (HMX) (CAS 2691-41-0); cyclotrimethylene - trinitramine (RDX) (CAS 121-82-4);
4. Hydraziniumnitroformate (HNF) (CAS 20773-28-8);
5. 2,4,6,8,10,12-Hexanitrohexaazaisowurtzitane (CL-20) (CAS 135285-90-4).

4.C.5. Polymeric substances, as follows:

- a. Carboxy - terminated polybutadiene(including carboxyl - terminated polybutadiene) (CTPB);
- b. Hydroxy - terminated polybutadiene(including hydroxyl - terminated polybutadiene) (HTPB);
- c. Glycidylazide polymer (GAP);
- d. Polybutadiene - Acrylic Acid (PBAA);
- e. Polybutadiene - Acrylic Acid - Acrylonitrile (PBAN);
- f. Polytetrahydrofuran polyethylene glycol (TPEG).

Technical Note:

Polytetrahydrofuran polyethylene glycol (TPEG) is a block co-polymer of poly 1,4-Butanediol and polyethylene glycol (PEG).

4.C.6. Other propellant additives and agents as follows:

a. Bonding agents as follows:

1. Tris (1-(2-methyl)aziridinyl) phosphine oxide (MAPO) (CAS 57-39-6);
2. 1,1',1''-trimesoyl-tris(2-ethylaziridine) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);
3. Tepanol (HX-878), reaction product of tetraethylenepentamine, acrylonitrile and glycidol(CAS 68412-46-4);
4. Tepan (HX-879), reaction product of tetraethylenepentamine and acrylonitrile (CAS 68412-45-3);
5. **Polyfunctionalaziridine amides with isophthalic, trimesic, isocyanuric, or trimethyladipic backbone also having a 2-methyl or 2-ethyl aziridine group;**

Note:

Item 4.C.6.a.5. includes:

1. *1,1'-Isophthaloyl-bis(2-methylaziridine) (HX-752) (CAS 7652-64-4);*
2. *2,4,6-tris(2-ethyl-1-aziridinyl)-1,3,5-triazine (HX-874) (CAS 18924-91-9);*
3. *1,1'-trimethyladipoylbis(2-ethylaziridine) (HX-877) (CAS 71463-62-2).*

b. Curing reaction catalysts as follows:

Triphenyl bismuth (TPB) (CAS 603-33-8);

c. Burning rate modifiers, as follows:

1. Carboranes, decaboranes, pentaboranes and derivatives thereof;
2. Ferrocene derivatives, as follows:
 - a. Catocene(CAS 37206-42-1);
 - b. Ethyl ferrocene (CAS 1273-89-8);
 - c. Propyl ferrocene;
 - d. n-Butyl ferrocene(CAS 31904-29-7);
 - e. Pentylferrocene(CAS 1274-00-6);
 - f. Dicyclopentylferrocene;
 - g. Dicyclohexylferrocene;
 - h. Diethyl ferrocene (CAS 1273-97-8);
 - i. Dipropylferrocene;
 - j. Dibutylferrocene(CAS 1274-08-4);
 - k. Dihexylferrocene(CAS 93894-59-8);
 - l. Acetyl ferrocene (CAS 1271-55-2) / 1,1'-diacetyl ferrocene (CAS 1273-94-5);
 - m. Ferrocene carboxylic acid (CAS 1271-42-7) / 1,1'-Ferrocenedicarboxylic acid (CAS 1293-87-4);
 - n. Butacene(CAS 125856-62-4);
 - o. Other ferrocene derivatives usable as rocket propellant burning rate modifiers;

Note:

Item 4.C.6.c.2.o does not control ferrocene derivatives that contain a six carbon aromatic functional group attached to the ferrocene molecule.

d. Esters and plasticisers as follows:

1. Triethylene glycol dinitrate (TEGDN) (CAS 111-22-8);
2. Trimethylolethane trinitrate (TMETN) (CAS 3032-55-1);
3. 1,2,4-butanetriol trinitrate (BTTN) (CAS 6659-60-5);
4. Diethylene glycol dinitrate (DEGDN) (CAS 693-21-0);
5. 4,5 diazidomethyl-2-methyl-1,2,3-triazole (iso- DAMTR);
6. Nitroethylnitramine (NENA) based plasticisers, as follows:
 - a. Methyl-NENA (CAS 17096-47-8);
 - b. Ethyl-NENA (CAS 85068-73-1);
 - c. Butyl-NENA (CAS 82486-82-6);
7. Dinitropropyl based plasticisers, as follows:
 - a. Bis (2,2-dinitropropyl) acetal (BDNPA) (CAS 5108-69-0);
 - b. Bis (2,2-dinitropropyl) formal (BDNPF) (CAS 5917-61-3);

e. Stabilisers as follows:

1. 2-Nitrodiphenylamine (CAS 119-75-5);
2. N-methyl-p-nitroaniline(CAS 100-15-2).

4.D. SOFTWARE

4.D.1. “Software” specially designed or modified for the **operation or maintenance** of equipment specified in 4.B. for the “production” and handling of materials specified in 4.C.

4.E. TECHNOLOGY

4.E.1 “Technology”, in accordance with the General Technology Note, for the “development”, “production” or “use” of equipment or materials specified in 4.B. and 4.C.

CATEGORY II; ITEM 5

RESERVED FOR FUTURE USE

ITEM 6 PRODUCTION OF STRUCTURAL COMPOSITES, PYROLYTIC DEPOSITION AND DENSIFICATION, AND STRUCTURAL MATERIALS

6.A. EQUIPMENT, ASSEMBLIES AND COMPONENTS

6.A.1. Composite structures, laminates, and manufactures thereof, specially designed for use in the systems specified in 1.A., 19.A.1. or 19.A.2. and the subsystems specified in 2.A. or 20.A.

6.A.2. Resaturated pyrolysed (i.e. carbon-carbon) components having all of the following:

- a. Designed for rocket systems; and
- b. Usable in the systems specified in 1.A. or 19.A.1.

6.B. TEST AND PRODUCTION EQUIPMENT

6.B.1. Equipment for the “production” of structural composites, fibres, prepregs or preforms, usable in the systems specified in 1.A., 19.A.1. or 19.A.2., as follows, and specially designed components, and accessories therefor:

- a. Filament winding machines or fibre placement machines, of which the motions for positioning, wrapping and winding fibres can be co-ordinated and programmed in three or more axes, designed to fabricate composite structures or laminates from fibrous or filamentary materials, and co-ordinating and programming controls;
- b. Tape-laying machines of which the motions for positioning and laying tape and sheets can be co-ordinated and programmed in two or more axes, designed for the manufacture of composite airframes and missile structures;
- c. Multi-directional, multi-dimensional weaving machines or interlacing machines, including adapters and modification kits for weaving, interlacing or braiding fibres to manufacture composite structures;

Note:

6.B.1.c. does not control textile machinery not modified for the end-uses stated.

- d. Equipment designed or modified for the production of fibrous or filamentary materials as follows:
 1. Equipment for converting polymeric fibres (such as polyacrylonitrile, rayon, or polycarbosilane) including special provision to strain the fibre during heating;
 2. Equipment for the vapour deposition of elements or compounds on heated filament substrates;
 3. Equipment for the wet-spinning of refractory ceramics (such as aluminium oxide);
- e. Equipment designed or modified for special fibre surface treatment or for producing prepregs and preforms, including rollers, tension stretchers, coating equipment, cutting equipment and clicker dies.

Note:

Examples of components and accessories for the machines specified in 6.B.1. are moulds, mandrels, dies, fixtures and tooling for the preform pressing, curing, casting, sintering or bonding of composite structures, laminates and manufactures thereof.

6.B.2. Nozzles specially designed for the processes referred to in 6.E.3.

6.B.3. Isostatic presses having all of the following characteristics:

- a. **Maximum working pressure equal to or greater than 69 MPa;**

- b. Designed to achieve and maintain a controlled thermal environment of 600° C or greater; and
- c. Possessing a chamber cavity with an inside diameter of 254 mm or greater.

6.B.4. Chemical vapour deposition furnaces designed or modified for the densification of carbon-carbon composites.

6.B.5. Equipment and process controls, other than those specified in 6.B.3. or 6.B.4., designed or modified for densification and pyrolysis of structural composite rocket nozzles and re-entry vehicle nose tips.

6.C. MATERIALS

6.C.1. Resin impregnated fibreprepregs and metal coated fibre preforms, for the goods specified in 6.A.1., made either with organic matrix or metal matrix utilising fibrous or filamentary reinforcements having a specific tensile strength greater than 7.62×10^4 m and a specific modulus greater than 3.18×10^6 m.

Note:

The only resin impregnated fibreprepregs specified in 6.C.1. are those using resins with a glass transition temperature (T_g), after cure, exceeding 145°C as determined by ASTM D4065 or national equivalents.

Technical Notes:

1. In Item 6.C.1. "specific tensile strength" is the ultimate tensile strength in N/m² divided by the specific weight in N/m³, measured at a temperature of (296 ± 2)K ((23 ± 2)°C) and a relative humidity of (50 ± 5)%.
2. In Item 6.C.1. "specific modulus" is the Young's modulus in N/m² divided by the specific weight in N/m³, measured at a temperature of (296 ± 2)K ((23 ± 2)°C) and a relative humidity of (50 ± 5)%.

6.C.2. Resaturated pyrolysed (i.e. carbon-carbon) materials having all of the following:

- a. Designed for rocket systems; and
- b. Usable in the systems specified in 1.A. or 19.A.1.

6.C.3. Fine grain graphites with a bulk density of at least 1.72 g/cc measured at 15°C and having a grain size of 100×10^{-6} m (100 µm) or less, usable for rocket nozzles and re-entry vehicle nose tips, which can be machined to any of the following products:

- a. **Cylinders having a diameter of 120 mm or greater and a length of 50 mm or greater;**
- b. **Tubes having an inner diameter of 65 mm or greater and a wall thickness of 25 mm or greater and a length of 50 mm or greater; or**
- c. **Blocks having a size of 120 mm x 120 mm x 50 mm or greater.**

6.C.4. Pyrolytic or fibrous reinforced graphites usable for rocket nozzles and re-entry vehicle nose tips usable in systems specified in 1.A. or 19.A.1.

6.C.5. Ceramic composite materials (dielectric constant less than 6 at any frequency from 100 MHz to 100 GHz) for use in missile radomes usable in systems specified in 1.A. or 19.A.1.

6.C.6. Silicon-carbide materials as follows:

- a. **Bulk machinable silicon-carbide reinforced unfired ceramic usable for nose tips usable in systems specified in 1.A. or 19.A.1.;**
- b. **Reinforced silicon-carbide ceramic composites usable for nose tips, re-entry vehicles, nozzle flaps, usable in systems specified in 1.A. or 19.A.1.**

6.C.7. Materials for the fabrication of missile components in the systems specified in 1.A., 19.A.1. or 19.A.2, as follows:

- a. **Tungsten and alloys in particulate form with a tungsten content of 97% by weight or more and a particle size of 50×10^{-6} m (50 µm) or less;**
- b. **Molybdenum and alloys in particulate form with a molybdenum content of 97% by weight or more and a particle size of 50×10^{-6} m (50 µm) or less;**

c. Tungsten materials in the solid form having all of the following:

1. Any of the following material compositions:

- i. Tungsten and alloys containing 97% by weight or more of tungsten;**
- ii. Copper infiltrated tungsten containing 80% by weight or more of tungsten; or**
- iii. Silver infiltrated tungsten containing 80% by weight or more of tungsten; and**

2. Able to be machined to any of the following products:

- i. Cylinders having a diameter of 120 mm or greater and a length of 50 mm or greater;**
- ii. Tubes having an inner diameter of 65 mm or greater and a wall thickness of 25 mm or greater and a length of 50 mm or greater; or**
- iii. Blocks having a size of 120 mm x 120 mm x 50 mm or greater.**

6.C.8. Maraging steels, usable in the systems specified in 1.A. or 19.A.1., having all of the following:

- a. Having an ultimate tensile strength, measured at 20° C, equal to or greater than:
 1. 0.9 GPa in the solution annealed stage; or
 2. 1.5 GPa in the precipitation hardened stage; and
- b. Any of the following forms:
 1. Sheet, plate or tubing with a wall or plate thickness equal to or less than 5.0 mm; or
 2. Tubular forms with a wall thickness equal to or less than 50 mm and having an inner diameter equal to or greater than 270 mm.

Technical Note:

Maraging steels are iron alloys:

- a. Generally characterised by high nickel, very low carbon content and use substitutional elements or precipitates to produce strengthening and age-hardening of the alloy; and*
- b. Subjected to heat treatment cycles to facilitate the martensitic transformation process (solution annealed stage) and subsequently age hardened (precipitation hardened stage).*

6.C.9. Titanium-stabilized duplex stainless steel (Ti-DSS) usable in the systems specified in 1.A. or 19.A.1. and having all of the following:

- a. Having all of the following characteristics:
 1. Containing 17.0 - 23.0 weight percent chromium and 4.5 - 7.0 weight percent nickel;
 2. Having a titanium content of greater than 0.10 weight percent; and
 3. A ferritic-austenitic microstructure (also referred to as a two-phase microstructure) of which at least 10% is austenite by volume (according to ASTM E-1181-87 or national equivalents); and
- b. Any of the following forms:
 1. Ingots or bars having a size of 100 mm or more in each dimension;
 2. Sheets having a width of 600 mm or more and a thickness of 3 mm or less; or
 3. Tubes having an outer diameter of 600 mm or more and a wall thickness of 3 mm or less.

6.D. SOFTWARE

6.D.1. "Software" specially designed or modified for the **operation or maintenance** of equipment specified in 6.B.1.

6.D.2. "Software" specially designed or modified for the equipment specified in 6.B.3., 6.B.4. or 6.B.5.

6.E. TECHNOLOGY

- 6.E.1. “Technology”, in accordance with the General Technology Note, for the “development”, “production” or “use” of equipment, materials or “software” specified in 6.A., 6.B., 6.C. or 6.D.
- 6.E.2. “Technical data” (including processing conditions) and procedures for the regulation of temperature, pressures or atmosphere in autoclaves or hydroclaves when used for the production of composites or partially processed composites, usable for equipment or materials specified in 6.A. or 6.C.
- 6.E.3. “Technology” for producing pyrolytically derived materials formed on a mould, mandrel or other substrate from precursor gases which decompose in the 1,300° C to 2,900° C temperature range at pressures of 130 Pa (1 mm Hg) to 20 kPa (150 mm Hg) including “technology” for the composition of precursor gases, flow-rates, and process control schedules and parameters.

CATEGORY II; ITEM 7**RESERVED FOR FUTURE USE****CATEGORY II; ITEM 8****RESERVED FOR FUTURE USE****CATEGORY II; ITEM 9****ITEM 9 INSTRUMENTATION, NAVIGATION AND DIRECTION FINDING**

9.A. EQUIPMENT, ASSEMBLIES AND COMPONENTS

- 9.A.1. Integrated flight instrument systems which include gyrostabilisers or automatic pilots, designed or modified for use in the systems specified in 1.A., or 19.A.1. or 19.A.2. and specially designed components therefor.
- 9.A.2. Gyro-astro compasses and other devices which derive position or orientation by means of automatically tracking celestial bodies or satellites, and specially designed components therefor.
- 9.A.3. Linear accelerometers, designed for use in inertial navigation systems or in guidance systems of all types, usable in the systems specified in 1.A., 19.A.1. or 19.A.2., having all of the following characteristics, and specially designed components therefor:
- “Scale factor” “repeatability” less (better) than 1250 ppm; and
 - “Bias” “repeatability” less (better) than 1250 micro g.

Note:

Item 9.A.3. does not control accelerometers specially designed and developed as Measurement While Drilling (MWD) sensors for use in downhole well service operations.

Technical Notes:

1. “Bias” is defined as the accelerometer output when no acceleration is applied.
2. “Scale factor” is defined as the ratio of change in output to a change in the input.
3. The measurement of “bias” and “scale factor” refers to one sigma standard deviation with respect to a fixed calibration over a period of one year.
4. “Repeatability” is defined according to IEEE Standard for Inertial Sensor Terminology 528-2001 in the Definitions section paragraph 2.214 titled repeatability (gyro, accelerometer) as follows: “The closeness of agreement among repeated measurements of the same variable under the same operating conditions when changes in conditions or non-operating periods occur between measurements”.

9.A.4. All types of gyros usable in the systems specified in 1.A., 19.A.1 or 19.A.2., with a rated “drift rate” “stability” of less than 0.5 degrees (1 sigma or rms) per hour in a 1 g environment, and specially designed components therefor.

Technical Notes:

1. “Drift rate” is defined as the component of gyro output that is functionally independent of input rotation and is expressed as an angular rate. (IEEE STD 528-2001 paragraph 2.56)
2. “Stability” is defined as a measure of the ability of a specific mechanism or performance coefficient to remain invariant when continuously exposed to a fixed operating condition. (This definition does not refer to dynamic or servo stability.) (IEEE STD 528-2001 paragraph 2.247)

9.A.5. Accelerometers or gyros of any type, designed for use in inertial navigation systems or in guidance systems of all types, specified to function at acceleration levels greater than 100 g, and specially designed components therefor.

Note :

9.A.5. does not include accelerometers that are designed to measure vibration or shock.

9.A.6. Inertial or other equipment using accelerometers specified in 9.A.3. or 9.A.5. or gyros specified in 9.A.4. or 9.A.5., and systems incorporating such equipment, and specially designed components therefor.

9.A.7. “Integrated navigation systems”, designed or modified for the systems specified in 1.A., 19.A.1. or 19.A.2. and capable of providing a navigational accuracy of 200 m CEP or less.

Technical Note:

An “integrated navigation system” typically incorporates all of the following components:

- a. An inertial measurement device (e.g. an attitude and heading reference system, inertial reference unit, or inertial navigation system);
- b. One or more external sensors used to update the position and/or velocity, either periodically or continuously throughout the flight (e.g. satellite navigation receiver, radar altimeter, and/or Doppler radar); and
- c. Integration hardware and software.

N.B. For integration “software”, see Item 9.D.4.

9.A.8. Three axis magnetic heading sensors having all of the following characteristics, and specially designed components therefor:

- a. Internal tilt compensation in pitch (+/- 90 degrees) and having roll (+/- 180 degrees) axes.
- b. Capable of providing azimuthal accuracy better (less) than 0.5 degrees rms at latitudes of +/- 80 degrees, referenced to local magnetic field; and
- c. Designed or modified to be integrated with flight control and navigation systems.

Note:

Flight control and navigation systems in Item 9.A.8. include gyro stabilisers, automatic pilots and inertial navigation systems.

9.B. TEST AND PRODUCTION EQUIPMENT

9.B.1. “Production equipment”, and other test, calibration and alignment equipment, other than that described in 9.B.2., designed or modified to be used with equipment specified in 9.A.

Note:

Equipment specified in 9.B.1. includes the following:

- a. For laser gyro equipment, the following equipment used to characterise mirrors, having the threshold accuracy shown or better:
 1. Scatterometer (10 ppm);

2. *Reflectometer (50 ppm);*
 3. *Profilometer (5 Angstroms);*
 - b. *For other inertial equipment:*
 1. *Inertial Measurement Unit (IMU) Module Tester;*
 2. *IMU Platform Tester;*
 3. *IMU Stable Element Handling Fixture;*
 4. *IMU Platform Balance Fixture;*
 5. *Gyro Tuning Test Station;*
 6. *Gyro Dynamic Balance Station;*
 7. *Gyro Run-In/Motor Test Station;*
 8. *Gyro Evacuation and Filling Station;*
 9. *Centrifuge Fixture for Gyro Bearings;*
 10. *Accelerometer Axis Align Station;*
 11. *Accelerometer Test Station;*
- 12. Fiber Optic Gyro Coil Winding Machines.**

9.B.2. Equipment as follows:

- a. Balancing machines having all the following characteristics:
 1. Not capable of balancing rotors/assemblies having a mass greater than 3 kg;
 2. Capable of balancing rotors/assemblies at speeds greater than 12,500 rpm;
 3. Capable of correcting unbalance in two planes or more; and
 4. Capable of balancing to a residual specific unbalance of 0.2 g mm per kg of rotor mass;
- b. Indicator heads (sometimes known as balancing instrumentation) designed or modified for use with machines specified in 9.B.2.a.;
- c. Motion simulators/rate tables (equipment capable of simulating motion) having all of the following characteristics:
 1. Two axes or more;
 2. Designed or modified to incorporate sliprings or integrated non-contact devices capable of transferring electrical power, signal information, or both; and
 3. Having any of the following characteristics:
 - a. For any single axis having all of the following:
 1. Capable of rates of 400 degrees/s or more, or 30 degrees/s or less; and
 2. A rate resolution equal to or less than 6 degrees/s and an accuracy equal to or less than 0.6 degrees/s;
 - b. Having a worst-case rate stability equal to or better (less) than plus or minus 0.05% averaged over 10 degrees or more; or
 - c. A positioning “accuracy” equal to or less (better) than 5 arc second;
- d. Positioning tables (equipment capable of precise rotary positioning in any axes) having the following characteristics:
 1. Two axes or more; and
 2. A positioning “accuracy” equal to or less (better) than 5 arc second;

- e. Centrifuges capable of imparting accelerations above 100 g and designed or modified to incorporate sliprings or integrated non-contact devices capable of transferring electrical power, signal information, or both.

Notes:

1. *The only balancing machines, indicator heads, motion simulators, rate tables, positioning tables and centrifuges specified in Item 9 are those specified in 9.B.2.*
2. *9.B.2.a. does not control balancing machines designed or modified for dental or other medical equipment.*
3. *9.B.2.c. and 9.B.2.d. do not control rotary tables designed or modified for machine tools or for medical equipment.*
4. *Rate tables not controlled by 9.B.2.c. and providing the characteristics of a positioning table are to be evaluated according to 9.B.2.d.*
5. *Equipment that has the characteristics specified in 9.B.2.d. which also meets the characteristics of 9.B.2.c. will be treated as equipment specified in 9.B.2.c.*
6. *Item 9.B.2.c. applies whether or not sliprings or integrated non-contact devices are fitted at the time of export.*
7. *Item 9.B.2.e. applies whether or not sliprings or integrated non-contact devices are fitted at the time of export.*

9.C. MATERIALS

None.

9.D. SOFTWARE

9.D.1. “Software” specially designed or modified for the “use” of equipment specified in 9.A. or 9.B.

9.D.2. Integration “software” for the equipment specified in 9.A.1.

9.D.3. Integration “software” specially designed for the equipment specified in 9.A.6.

9.D.4. Integration “software”, designed or modified for the “integrated navigation systems” specified in 9.A.7.

Note:

A common form of integration “software” employs Kalman filtering.

9.E. TECHNOLOGY

9.E.1. “Technology”, in accordance with the General Technology Note, for the “development”, “production” or “use” of equipment or “software” specified in 9.A., 9.B. or 9.D.

Note:

Equipment or “software” specified in 9.A. or 9.D. may be exported as part of a manned aircraft, satellite, land vehicle, marine/submarine vessel or geophysical survey equipment or in quantities appropriate for replacement parts for such applications.

CATEGORY II; ITEM 10

ITEM 10 FLIGHT CONTROL

10.A. EQUIPMENT, ASSEMBLIES AND COMPONENTS

10.A.1. Hydraulic, mechanical, electro-optical, or electromechanical flight control systems (including fly-by-wire systems) designed or modified for the systems specified in 1.A.

10.A.2. Attitude control equipment designed or modified for the systems specified in 1.A.

10.A.3. Flight control servo valves designed or modified for the systems in 10.A.1. or 10.A.2., and designed or modified to operate in a vibration environment greater than 10 grms between 20 Hz and 2 kHz.

Note:

Systems, equipment or valves specified in 10.A. may be exported as part of a manned aircraft or satellite or in quantities appropriate for replacement parts for manned aircraft.

10.B. TEST AND PRODUCTION EQUIPMENT

10.B.1. Test, calibration, and alignment equipment specially designed for equipment specified in 10.A.

10.C. MATERIALS

None.

10.D. SOFTWARE

10.D.1. “Software” specially designed or modified for the “use” of equipment specified in 10.A. or 10.B.

Note:

“Software” specified in 10.D.1. may be exported as part of a manned aircraft or satellite or in quantities appropriate for replacement parts for manned aircraft.

10.E. TECHNOLOGY

10.E.1. Design “technology” for integration of air vehicle fuselage, propulsion system and lifting control surfaces, designed or modified for the systems specified in 1.A. or 19.A.2., to optimise aerodynamic performance throughout the flight regime of an unmanned aerial vehicle.

10.E.2. Design “technology” for integration of the flight control, guidance, and propulsion data into a flight management system, designed or modified for the systems specified in 1.A. or 19.A.1., for optimisation of rocket system trajectory.

10.E.3. “Technology”, in accordance with the General Technology Note, for the “development”, “production” or “use” of equipment or “software” specified in 10.A., 10.B. or 10.D.

CATEGORY II; ITEM 11**ITEM 11 AVIONICS**

11.A. EQUIPMENT, ASSEMBLIES AND COMPONENTS

11.A.1. Radar and laser radar systems, including altimeters, designed or modified for use in the systems specified in 1.A.

Technical Note:

Laser radar systems embody specialised transmission, scanning, receiving and signal processing techniques for utilisation of lasers for echo ranging, direction finding and discrimination of targets by location, radial speed and body reflection characteristics.

11.A.2. Passive sensors for determining bearings to specific electromagnetic sources (direction finding equipment) or terrain characteristics, designed or modified for use in the systems specified in 1.A.

11.A.3. Receiving equipment for Global Navigation Satellite Systems (GNSS; e.g. GPS, GLONASS or Galileo), having any of the following characteristics, and specially designed components therefor:

- a. Designed or modified for use in systems specified in 1.A.; or
- b. Designed or modified for airborne applications and having any of the following:
 1. Capable of providing navigation information at speeds in excess of 600 m/s;
 2. Employing decryption, designed or modified for military or governmental services, to gain access to GNSS secure signal/data; or
 3. Being specially designed to employ anti-jam features (e.g. null steering antenna or electronically steerable antenna) to function in an environment of active or passive countermeasures.

Note:

11.A.3.b.2. and 11.A.3.b.3. do not control equipment designed for commercial, civil or “Safety of Life” (e.g. data integrity, flight safety) GNSS services.

- 11.A.4. Electronic assemblies and components, designed or modified for use in the systems specified in 1.A. or 19.A. and specially designed for military use and operation at temperatures in excess of 125° C.

Notes:1. *Equipment specified in 11.A. includes the following:*

- a. *Terrain contour mapping equipment;*
- b. *Scene mapping and correlation (both digital and analogue) equipment;*
- c. *Doppler navigation radar equipment;*
- d. *Passive interferometer equipment;*
- e. *Imaging sensor equipment (both active and passive).*

2. *Equipment specified in 11.A. may be exported as part of a manned aircraft or satellite or in quantities appropriate for replacement parts for manned aircraft.*

- 11.A.5. Umbilical and interstage electrical connectors specially designed for systems specified in 1.A.1. or 19.A.1.

Technical Note:

Interstage connectors referred to in 11.A.5. also include electrical connectors installed between systems specified in 1.A.1. or 19.A.1. and their “payload”.

11.B. TEST AND PRODUCTION EQUIPMENT

None.

11.C. MATERIALS

None.

11.D. SOFTWARE

- 11.D.1. “Software” specially designed or modified for the “use” of equipment specified in 11.A.1., 11.A.2. or 11.A.4.

- 11.D.2. “Software” specially designed for the “use” of equipment specified in 11.A.3.

11.E. TECHNOLOGY

- 11.E.1. Design “technology” for protection of avionics and electrical subsystems against Electromagnetic Pulse (EMP) and Electromagnetic Interference (EMI) hazards from external sources, as follows:

- a. Design “technology” for shielding systems;
- b. Design “technology” for the configuration of hardened electrical circuits and subsystems;
- c. Design “technology” for determination of hardening criteria for the above.

- 11.E.2. “Technology”, in accordance with the General Technology Note, for the “development”, “production” or “use” of equipment or “software” specified in 11.A. or 11.D.

CATEGORY II; ITEM 12**ITEM 12 LAUNCH SUPPORT**

12.A. EQUIPMENT, ASSEMBLIES AND COMPONENTS

- 12.A.1. Apparatus and devices, designed or modified for the handling, control, activation and launching of the systems specified in 1.A., 19.A.1., or 19.A.2.

12.A.2. Vehicles designed or modified for the transport, handling, control, activation and launching of the systems specified in 1.A.

12.A.3. Gravity meters (gravimeters) or gravity gradiometers, designed or modified for airborne or marine use, usable for systems specified in 1.A., as follows, and specially designed components therefor:

a. Gravity meters having all the following:

1. A static or operational accuracy equal to or less (better) than 0.7 milligal (mgal); and

2. A time to steady-state registration of two minutes or less;

b. Gravity gradiometers.

12.A.4. Telemetry and telecontrol equipment, including ground equipment, designed or modified for systems specified in 1.A., 19.A.1. or 19.A.2.

Notes:

1. 12.A.4. does not control equipment designed or modified for manned aircraft or satellites.

2. 12.A.4. does not control ground based equipment designed or modified for terrestrial or marine applications.

3. 12.A.4. does not control equipment designed for commercial, civil or "Safety of Life" (e.g. data integrity, flight safety) GNSS services.

12.A.5. Precision tracking systems, usable for systems specified in 1.A., 19.A.1. or 19.A.2. as follows:

a. Tracking systems which use a code translator installed on the rocket or unmanned aerial vehicle in conjunction with either surface or airborne references or navigation satellite systems to provide real-time measurements of inflight position and velocity;

b. Range instrumentation radars including associated optical/infrared trackers with all of the following capabilities:

1. Angular resolution better than 1.5 mrad;

2. Range of 30 km or greater with a range resolution better than 10 m rms; and

3. Velocity resolution better than 3 m/s.

12.A.6. Thermal batteries designed or modified for the systems specified in 1.A., 19.A.1. or 19.A.2.

Note:

Item 12.A.6. does not control thermal batteries specially designed for rocket systems or unmanned aerial vehicles that are not capable of a "range" equal to or greater than 300 km.

Technical Note:

Thermal batteries are single use batteries that contain a solid non-conducting inorganic salt as the electrolyte. These batteries incorporate a pyrolytic material that, when ignited, melts the electrolyte and activates the battery.

12.B. TEST AND PRODUCTION EQUIPMENT

None.

12.C. MATERIALS

None.

12.D. SOFTWARE

12.D.1. "Software" specially designed or modified for the "use" of equipment specified in 12.A.1.

12.D.2. "Software" which processes post-flight, recorded data, enabling determination of vehicle position throughout its flight path, specially designed or modified for systems specified in 1.A., 19.A.1. or 19.A.2.

12.D.3. “Software” specially designed or modified for the “use” of equipment specified in 12.A.4. or 12.A.5., usable for systems specified in 1.A., 19.A.1. or 19.A.2.

12.E. TECHNOLOGY

12.E.1. “Technology”, in accordance with the General Technology Note, for the “development”, “production” or “use” of equipment or “software” specified in 12.A. or 12.D.

CATEGORY II; ITEM 13

ITEM 13 COMPUTERS

13.A. EQUIPMENT, ASSEMBLIES AND COMPONENTS

13.A.1. Analogue computers, digital computers or digital differential analysers, designed or modified for use in the systems specified in 1.A., having any of the following characteristics:

- a. Rated for continuous operation at temperatures from below -45°C to above $+55^{\circ}\text{C}$; or
- b. Designed as ruggedised or “radiation hardened”.

13.B. TEST AND PRODUCTION EQUIPMENT

None.

13.C. MATERIALS

None.

13.D. SOFTWARE

None.

13.E. TECHNOLOGY

13.E.1. “Technology”, in accordance with the General Technology Note, for the “development”, “production” or “use” of equipment specified in 13.A.

Note:

Item 13 equipment may be exported as part of a manned aircraft or satellite or in quantities appropriate for replacement parts for manned aircraft.

CATEGORY II; ITEM 14

ITEM 14 ANALOGUE TO DIGITAL CONVERTERS

14.A. EQUIPMENT, ASSEMBLIES AND COMPONENTS

14.A.1. Analogue-to-digital converters, usable in the systems specified in 1.A., having any of the following characteristics:

- a. Designed to meet military specifications for ruggedised equipment; or
- b. Designed or modified for military use and being any of the following types:
 1. Analogue-to-digital converter “microcircuits”, which are “radiation-hardened” or have all of the following characteristics:
 - a. Having a quantisation corresponding to 8 bits or more when coded in the binary system;
 - b. Rated for operation in the temperature range from below -54°C to above $+125^{\circ}\text{C}$; and
 - c. Hermetically sealed; or
 2. Electrical input type analogue-to-digital converter printed circuit boards or modules, having all of the following characteristics:

- a. Having a quantisation corresponding to 8 bits or more when coded in the binary system;
- b. Rated for operation in the temperature range from below -45°C to above $+55^{\circ}\text{C}$; and
- c. Incorporating “microcircuits” specified in 14.A.1.b.1.

14.B. TEST AND PRODUCTION EQUIPMENT

None.

14.C. MATERIALS

None.

14.D. SOFTWARE

None.

14.E. TECHNOLOGY

- 14.E.1. “Technology”, in accordance with the General Technology Note, for the “development”, “production” or “use” of equipment specified in 14.A.

CATEGORY II; ITEM 15**ITEM 15 TEST FACILITIES AND EQUIPMENT**

15.A. EQUIPMENT, ASSEMBLIES AND COMPONENTS

None.

15.B. TEST AND PRODUCTION EQUIPMENT

- 15.B.1. Vibration test equipment, usable for the systems specified in 1.A., 19.A.1. or 19.A.2. or the subsystems specified in 2.A. or 20.A., and components therefor, as follows:

- a. Vibration test systems employing feedback or closed loop techniques and incorporating a digital controller, capable of vibrating a system at an acceleration equal to or greater than 10 grms between 20 Hz and 2 kHz while imparting forces equal to or greater than 50 kN, measured “bare table”;
- b. Digital controllers, combined with specially designed vibration test “software”, with a “real-time control bandwidth” greater than 5 kHz and designed for use with vibration test systems specified in 15.B.1.a.;

Technical Note:

“Real-time control bandwidth” is defined as the maximum rate at which a controller can execute complete cycles of sampling, processing data and transmitting control signals.

- c. Vibration thrusters (shaker units), with or without associated amplifiers, capable of imparting a force equal to or greater than 50 kN, measured “bare table”, and usable in vibration test systems specified in 15.B.1.a.;
- d. Test piece support structures and electronic units designed to combine multiple shaker units into a complete shaker system capable of providing an effective combined force equal to or greater than 50 kN, measured “bare table”, and usable in vibration test systems specified in 15.B.1.a.

Technical Note:

Vibration test systems incorporating a digital controller are those systems, the functions of which are, partly or entirely, automatically controlled by stored and digitally coded electrical signals.

- 15.B.2. “Aerodynamic test facilities” for speeds of Mach 0.9 or more, usable for the systems specified in 1.A. or 19.A. or the subsystems specified in 2.A. or 20.A.

Note:

Item 15.B.2 does not control wind-tunnels for speeds of Mach 3 or less with dimension of the “test cross section size” equal to or less than 250 mm.

Technical Notes:

1. "Aerodynamic test facilities" includes wind tunnels and shock tunnels for the study of airflow over objects.
2. "Test cross section size" means the diameter of the circle, or the side of the square, or the longest side of the rectangle, or the major axis of the ellipse at the largest "test cross section" location. "Test cross section" is the section perpendicular to the flow direction.

15.B.3. Test benches/stands, usable for the systems specified in 1.A., 19.A.1. or 19.A.2. or the subsystems specified in 2.A. or 20.A., which have the capacity to handle solid or liquid propellant rockets, motors or engines having a thrust greater than 68kN, or which are capable of simultaneously measuring the three axial thrust components.

15.B.4. Environmental chambers as follows, usable for the systems specified in 1.A. or 19.A. or the subsystems specified in 2.A. or 20.A.:

a. Environmental chambers capable of simulating all the following flight conditions:

1. Having any of the following:
 - a. Altitude equal to or greater than 15 km; or
 - b. Temperature range from below -50°C to above 125°C ; and
2. Incorporating, or designed or modified to incorporate, a shaker unit or other vibration test equipment to produce vibration environments equal to or greater than 10 grms, measured "bare table", between 20 Hz and 2 kHz **while** imparting forces equal to or greater than 5 kN;

Technical Notes:

1. Item 15.B.4.a.2. describes systems that are capable of generating a vibration environment with a single wave (e.g. a sine wave) and systems capable of generating a broad band random vibration (i.e. power spectrum).
2. In Item 15.B.4.a.2., designed or modified means the environmental chamber provides appropriate interfaces (e.g. sealing devices) to incorporate a shaker unit or other vibration test equipment as specified in this Item.

b. Environmental chambers capable of simulating all of the following flight conditions:

1. Acoustic environments at an overall sound pressure level of 140 dB or greater (referenced to $2 \times 10^{-5} \text{ N/m}^2$) or with a total rated acoustic power output of 4 kW or greater; and
2. Any of the following:
 - a. Altitude equal to or greater than 15 km; or
 - b. Temperature range from below -50°C to above 125°C .

15.B.5. Accelerators capable of delivering electromagnetic radiation produced by bremsstrahlung from accelerated electrons of 2 MeV or greater, and equipment containing those accelerators, usable for the systems specified in 1.A., 19.A.1. or 19.A.2. or the subsystems specified in 2.A. or 20.A.

Note:

15.B.5. does not control equipment specially designed for medical purposes.

Technical Note:

In Item 15.B. "bare table" means a flat table, or surface, with no fixture or fittings.

15.C. MATERIALS

None.

15.D. SOFTWARE

15.D.1. "Software" specially designed or modified for the "use" of equipment specified in 15.B. usable for testing systems specified in 1.A., 19.A.1. or 19.A.2. or subsystems specified in 2.A. or 20.A.

15.E. TECHNOLOGY

- 15.E.1. “Technology”, in accordance with the General Technology Note, for the “development”, “production” or “use” of equipment or “software” specified in 15.B. or 15.D.

CATEGORY II; ITEM 16

ITEM 16 MODELLING-SIMULATION AND DESIGN INTEGRATION

16.A. EQUIPMENT, ASSEMBLIES AND COMPONENTS

- 16.A.1. Specially designed hybrid (combined analogue/digital) computers for modelling, simulation or design integration of systems specified in 1.A. or the subsystems specified in 2.A.

Note:

This control only applies when the equipment is supplied with “software” specified in 16.D.1.

16.B. TEST AND PRODUCTION EQUIPMENT

None.

16.C. MATERIALS

None.

16.D. SOFTWARE

- 16.D.1. “Software” specially designed for modelling, simulation, or design integration of the systems specified in 1.A. or the subsystems specified in 2.A or 20.A

Technical Note:

The modelling includes in particular the aerodynamic and thermodynamic analysis of the systems.

16.E. TECHNOLOGY

- 16.E.1. “Technology”, in accordance with the General Technology Note, for the “development”, “production” or “use” of equipment or “software” specified in 16.A. or 16.D.

CATEGORY II; ITEM 17

ITEM 17 STEALTH

17.A. EQUIPMENT, ASSEMBLIES AND COMPONENTS

- 17.A.1. Devices for reduced observables such as radar reflectivity, ultraviolet/infrared signatures and acoustic signatures (i.e. stealth technology), for applications usable for the systems specified in 1.A. or 19.A. or the subsystems specified in 2.A. or 20.A.

17.B. TEST AND PRODUCTION EQUIPMENT

- 17.B.1. Systems, specially designed for radar cross section measurement, usable for the systems specified in 1.A., 19.A.1. or 19.A.2. or the subsystems specified in 2.A.

17.C. MATERIALS

- 17.C.1. Materials for reduced observables such as radar reflectivity, ultraviolet/infrared signatures and acoustic signatures (i.e. stealth technology), for applications usable for the systems specified in 1.A. or 19.A. or the subsystems specified in 2.A.

Notes:

1. 17.C.1. includes structural materials and coatings (including paints), specially designed for reduced or tailored reflectivity or emissivity in the microwave, infrared or ultraviolet spectra.

2. 17.C.1. does not control coatings (including paints) when specially used for thermal control of satellites.

17.D. SOFTWARE

- 17.D.1. “Software” specially designed for reduced observables such as radar reflectivity, ultraviolet/infrared signatures and acoustic signatures (i.e. stealth technology), for applications usable for the systems specified in 1.A. or 19.A. or the subsystems specified in 2.A.

Note:

17.D.1. includes “software” specially designed for analysis of signature reduction.

17.E. TECHNOLOGY

- 17.E.1. “Technology”, in accordance with the General Technology Note, for the “development”, “production” or “use” of equipment, materials or “software” specified in 17.A., 17.B., 17.C. or 17.D.

Note:

17.E.1. includes databases specially designed for analysis of signature reduction.

CATEGORY II; ITEM 18**ITEM 18 NUCLEAR EFFECTS PROTECTION**

18.A. EQUIPMENT, ASSEMBLIES AND COMPONENTS

- 18.A.1. “Radiation Hardened” “microcircuits” usable in protecting rocket systems and unmanned aerial vehicles against nuclear effects (e.g. Electromagnetic Pulse (EMP), X-rays, combined blast and thermal effects), and usable for the systems specified in 1.A.
- 18.A.2. “Detectors” specially designed or modified to protect rocket systems and unmanned aerial vehicles against nuclear effects (e.g. Electromagnetic Pulse (EMP), X-rays, combined blast and thermal effects), and usable for the systems specified in 1.A.

Technical Note:

A ‘detector’ is defined as a mechanical, electrical, optical or chemical device that automatically identifies and records, or registers a stimulus such as an environmental change in pressure or temperature, an electrical or electromagnetic signal or radiation from a radioactive material. This includes devices that sense by one time operation or failure.

- 18.A.3. Radomes designed to withstand a combined thermal shock greater than $4.184 \times 10^6 \text{ J/m}^2$ accompanied by a peak over pressure of greater than 50 kPa, usable in protecting rocket systems and unmanned aerial vehicles against nuclear effects (e.g. Electromagnetic Pulse (EMP), X-rays, combined blast and thermal effects), and usable for the systems specified in 1.A.

18.B. TEST AND PRODUCTION EQUIPMENT

None.

18.C. MATERIALS

None.

18.D. SOFTWARE

None.

18.E. TECHNOLOGY

- 18.E.1. “Technology”, in accordance with the General Technology Note, for the “development”, “production” or “use” of equipment specified in 18.A.

CATEGORY II; ITEM 19**ITEM 19 OTHER COMPLETE DELIVERY SYSTEMS**

19.A. EQUIPMENT, ASSEMBLIES AND COMPONENTS

- 19.A.1. Complete rocket systems (including ballistic missile systems, space launch vehicles, and sounding rockets), not specified in 1.A.1., capable of a “range” equal to or greater than 300 km.
- 19.A.2. Complete unmanned aerial vehicle systems (including cruise missile systems, target drones and reconnaissance drones), not specified in 1.A.2., capable of a “range” equal to or greater than 300 km.

19.A.3. Complete unmanned aerial vehicle systems, not specified in 1.A.2. or 19.A.2., having all of the following:

a. Having any of the following:

1. *An autonomous flight control and navigation capability; or*

2. Capability of controlled flight out of the direct vision range involving a human operator; and

b. Having any of the following:

1. Incorporating an aerosol dispensing system/mechanism with a capacity greater than 20 litres; or

2. Designed or modified to incorporate an aerosol dispensing system/mechanism with a capacity greater than 20 litres.

Note:

Item 19.A.3. does not control model aircraft, specially designed for recreational or competition purposes.

Technical Notes:

1. An aerosol consists of particulate or liquids other than fuel components, by-products or additives, as part of the "payload" to be dispersed in the atmosphere. Examples of aerosols include pesticides for crop dusting and dry chemicals for cloud seeding.

An aerosol dispensing system/mechanism contains all those devices (mechanical, electrical, hydraulic, etc.), which are necessary for storage and dispersion of an aerosol into the atmosphere. This includes the possibility of aerosol injection into the combustion exhaust vapour and into the propeller slip stream.

19.B. TEST AND PRODUCTION EQUIPMENT

19.B.1. "Production facilities" specially designed for the systems specified in 19.A.1 or 19.A.2.

19.C. MATERIALS

None.

19.D. SOFTWARE

19.D.1. "Software" which coordinates the function of more than one subsystem, specially designed or modified for "use" in the systems specified in 19.A.1. or 19.A.2.

19.E. TECHNOLOGY

19.E.1. "Technology", in accordance with the General Technology Note, for the "development", "production" or "use" of equipment specified in 19.A. 1. or 19.A.2.

CATEGORY II; ITEM 20

ITEM 20 OTHER COMPLETE SUBSYSTEMS

20.A. EQUIPMENT, ASSEMBLIES AND COMPONENTS

20.A.1. Complete subsystems as follows:

a. Individual rocket stages, not specified in 2.A.1., usable in systems specified in 19.A.;

b. Rocket propulsion subsystems, not specified in 2.A.1., usable in the systems specified in 19.A.1., as follows:

1. Solid propellant rocket motors or hybrid rocket motors having a total impulse capacity equal to or greater than 8.41×10^5 Ns, but less than 1.1×10^6 Ns;

2. Liquid propellant rocket engines integrated, or designed or modified to be integrated, into a liquid propellant propulsion system which has a total impulse capacity equal to or greater than 8.41×10^5 Ns, but less than 1.1×10^6 Ns;

20.B. TEST AND PRODUCTION EQUIPMENT

20.B.1. “Production facilities” specially designed for the subsystems specified in 20.A.

20.B.2. “Production equipment” specially designed for the subsystems specified in 20.A.

20.C. MATERIALS

None.

20.D. SOFTWARE

20.D.1. “Software” specially designed or modified for the systems specified in 20.B.1.

20.D.2. “Software”, not specified in 20.D.1., specially designed or modified for the “use” of rocket motors or engines specified in 20.A.1.b.

20.E. TECHNOLOGY

20.E.1. “Technology”, in accordance with the General Technology Note, for the “development”, “production” or “use” of equipment or “software” specified in 20.A., 20.B. or 20.D.

UNITS, CONSTANTS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

UNITS, CONSTANTS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS
USED IN THIS ANNEX

ABEC	Annular Bearing Engineers Committee
ABMA	American Bearing Manufacturers Association
ANSI	American National Standards Institute
Angstrom	1×10^{-10} metre
ASTM	American Society for Testing and Materials
bar	unit of pressure
°C	degree Celsius
cc	cubic centimetre
CAS	Chemical Abstracts Service
CEP	Circle of Equal Probability
dB	decibel
g	gram; also, acceleration due to gravity
GHz	gigahertz
GNSS	Global Navigation Satellite System e.g. “Galileo” “GLONASS” – Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema “GPS” – Global Positioning System
h	hour
Hz	hertz

HTPB	Hydroxy –Terminated Polybutadiene
ICAO	International Civil Aviation Organisation
IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers
IR	Infrared
ISO	International Organization for Standardization
J	joule
JIS	Japanese Industrial Standard
K	Kelvin
kg	kilogram
kHz	kilohertz
km	kilometre
kN	kilonewton
kPa	kilopascal
kW	kilowatt
m	metre
MeV	million electron volt or mega electron volt
MHz	megahertz
milligal	10^{-5} m/s^2 (also called mGal, mgal or milligalileo)
mm	millimetre
mm Hg	mm of mercury
MPa	megapascal
mrad	milliradian
ms	millisecond
μm	micrometre
N	newton
Pa	pascal
ppm	parts per million
rads (Si)	radiation absorbed dose
RF	radio frequency
rms	root mean square
rpm	revolutions per minute
RV	Re-entry Vehicles
s	second
Tg	glass transition temperature
Tyler	Tyler mesh size, or Tyler standard sieve series
UAV	Unmanned Aerial Vehicle
UV	Ultra violet

TABLE OF CONVERSIONS

<u>TABLE OF CONVERSIONS USED IN THIS ANNEX</u>		
Unit (from)	Unit (to)	Conversion
bar	pascal (Pa)	1 bar = 100 kPa
g (gravity)	m/s ²	1 g = 9.806 65 m/s ²
mrاد (millirad)	degrees (angle)	1 mrاد ≈ 0.0573°
rads	ergs/gram of Si	1 rad (Si) = 100 ergs/gram of silicon (= 0.01 gray [Gy])
Tyler 250 mesh	mm	for a Tyler 250 mesh, mesh opening 0.063 mm

Statement of Understanding

Members agree that, in those cases where the term “national equivalents” are specifically allowed as alternatives to specified International Standards, the technical methods and parameters embodied in the national equivalent would ensure that the requirements of the standard set by the specified International Standards are met.

United Nations	Appendix VI
	S/2016/308
Security Council	Distr.: General
	4 April 2016
	Original: English

Letter dated 4 April 2016 from the Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) addressed to the President of the Security Council

On behalf of the Committee established pursuant to resolution 1718 (2006), I have the honour to transmit herewith the report of the Committee dated 29 March 2016, submitted in accordance with paragraph 25 of resolution 2270 (2016) (see annex).

I would appreciate it if the present letter and its annex were brought to the attention of the members of the Security Council and issued as a document of the Council.

(Signed) Román Oyarzun Marchesi
Chair
Security Council Committee established
pursuant to resolution 1718 (2006)

Annex**Report of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) prepared in accordance with paragraph 25 of resolution 2270 (2016)**

On 2 March 2016, the Security Council, by its resolution 2270 (2016), decided to adjust the measures imposed by paragraph 8 of resolution 1718 (2006) and resolution 2270 (2016) through the designation of additional goods, and directed the Committee to undertake its tasks to that effect and to report to the Council within 15 days of the adoption of resolution 2270 (2016).

In order to fulfil those tasks, the Committee considered a list of weapons of mass destruction-related items, materials, equipment, goods and technology to be identified and designated as sensitive goods.

All items, materials, equipment, goods and technology contained in the following list are only for the purpose of implementation of resolution 2270 (2016) and shall not be considered as setting precedents for international and multilateral mechanisms, regimes, instruments, principles and practices in the spheres of non-proliferation and export control.

On 29 March 2016, the Committee acted in line with the Security Council's directive and approved the following:

Items, materials, equipment, goods and technology**A. Nuclear- and/or missile-usable items**

1. Ring magnets: permanent magnet materials having both of the following characteristics:
 - (a) Ring-shaped magnet with a relation between outer and inner diameter smaller or equal to 1.6:1;
 - (b) Made of any of the following magnetic materials: aluminium-nickel-cobalt, ferrites, samarium-cobalt or neodymium-iron-boron.
2. Maraging steel having both of the following characteristics:
 - (a) "Capable of" an ultimate tensile strength of 1,500 MPa or more at 293 K (20°C);
 - (b) In bar or tube form, with an outer diameter of 75 mm or greater.
3. Magnetic alloy materials in sheet or thin strip form having both of the following characteristics:
 - (a) Thickness of 0.05 mm or less; or height of 25 mm or less;
 - (b) Made of any of the following magnetic alloy materials: iron-chromium-cobalt, iron-cobalt-vanadium, iron-chromium-cobalt-vanadium or iron-chromium.
4. Frequency changers (also known as converters or inverters) having all of the following characteristics, and specially designed software therefor:
 - (a) Multiphase frequency output;
 - (b) Capable of providing power of 40 W or greater;
 - (c) Capable of operating anywhere (at any one point or more) within the frequency range between 600 Hz and 2,000 Hz.

Technical notes:

1. Frequency changers are also known as converters or inverters.
2. The functionality specified above may be met by certain equipment described or marketed as electronic test equipment, AC power supplies, variable speed motor drives or variable frequency drives.

5. High-strength aluminium alloy having both of the following characteristics:
 - (a) “Capable of” an ultimate tensile of strength of 415 MPa or more at 293 K (20°C);
 - (b) In bar or tube form, with an outer diameter of 75 mm or greater.

Technical note: The phrase “capable of” encompasses aluminium alloy before or after heat treatment.
6. Fibrous or filamentary materials and prepregs as follows:
 - (a) Carbon, aramid or glass “fibrous or filamentary materials” having both of the following characteristics:
 - (i) A “specific modulus” exceeding 3.18×10^6 m;
 - (ii) A “specific tensile strength” exceeding 76.2×10^3 m;
 - (b) Prepregs: thermoset resin-impregnated continuous “yarns”, “rovings”, “tows” or “tapes” with a width of 30 mm or less, made from carbon, aramid or glass “fibrous or filamentary materials” controlled in (a) above.
7. Filament winding machines and related equipment as follows:
 - (a) Filament winding machines having all of the following characteristics:
 - (i) Having motions for positioning, wrapping and winding fibres coordinated and programmed in two or more axes;
 - (ii) Specially designed to fabricate composite structures or laminates from “fibrous or filamentary materials”;
 - (iii) Capable of winding cylindrical tubes of diameter of 75 mm or greater;
 - (b) Coordinating and programming controls for filament winding machines specified in (a) above;
 - (c) Mandrels for filament winding machines specified in (a) above.
8. Flow-forming machines as described in INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 and S/2014/253
9. Laser welding equipment
10. 4- and 5-axis CNC machine tools
11. Plasma cutting equipment
12. Metal hydrides, such as zirconium hydride

B. Chemical/biological weapons-usable items

1. Additional chemicals suitable for the production of chemical warfare agents:

• Aluminium chloride	(7446-70-0)
• Dichloromethane	(75-09-2)
• N,N-Dimethylaniline	(121-69-7)
• Isopropyl bromide	(75-26-3)
• Isopropyl ether	(108-20-3)
• Monoisopropylamine	(75-31-0)
• Potassium bromide	(7758-02-3)
• Pyridine	(110-86-1)
• Sodium bromide	(7647-15-6)
• Sodium metal	(7440-23-5)

- Sulfur trioxide (7446-11-9)
- Tributylamine (102-82-9)
- Triethylamine (121-44-8)
- Trimethylamine (75-50-3)

2. Reaction vessels, reactors, agitators, heat exchangers, condensers, pumps, valves, storage tanks, containers, receivers, and distillation or absorption columns that meet performance parameters described in [S/2006/853](#) and Corr.1


– Single-seal pumps with manufacturer’s specified maximum flow rate greater than 0.6 m³/h and casings (pump bodies), preformed casing liners, impellers, rotors or jet pump nozzles designed for such pumps, in which all surfaces that come into direct contact with the chemical(s) being processed are made from any of the following materials:

- (a) Nickel or alloys with more than 40 per cent nickel by weight;
- (b) Alloys with more than 25 per cent nickel and 20 per cent chromium by weight;
- (c) Fluoropolymers (polymeric or elastomeric materials with more than 35 per cent fluorine by weight);
- (d) Glass or glass-lined (including vitrified or enamelled coating);
- (e) Graphite or carbon-graphite;
- (f) Tantalum or tantalum alloys;
- (g) Titanium or titanium alloys;
- (h) Zirconium or zirconium alloys;
- (i) Ceramics;
- (j) Ferrosilicon (high silicon iron alloys); or
- (k) Niobium (columbium) or niobium alloys.

3. Conventional or turbulent airflow clean-air rooms and self-contained fan-HEPA filter units that could be used for P3 or P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4) containment facilities.

Appendix-VII

United Nations



Nationd Unies


SCA/416(12)

[Electronic version

ADDRESSED TO PERMANENT MISSIONS TO THE UNITED NATIONS IN NEW YORK]

The Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) presents his compliments to the Permanent Representatives and Observers to the United Nations and wishes to convey herewith United Nations press release SC/12636 of 17 December 2016, entitled “Security Council Committee Established Pursuant to Resolution 1718 (2006) Removes Names of Five Vessels from List of Economic Resources Controlled or Operated by Ocean Maritime Management”.

18 December 2016

**Security Council**

Press Release

United Nations — Department of Public Information — News and Media Division — New York

SC/12636

17 December 2016

**SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED PURSUANT TO RESOLUTION [1718 \(2006\)](#)
REMOVES**

**NAMES OF FIVE VESSELS FROM LIST OF ECONOMIC RESOURCES CONTROLLED OR OPERATED
BY**

OCEAN MARITIME MANAGEMENT

On 17 December 2016, the Security Council Committee established pursuant to resolution [1718 \(2006\)](#) decided that the following five vessels, specified in Annex III of resolution [2270 \(2016\)](#) pursuant to paragraph 23 of the same resolution, are not economic resources controlled or operated by Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) and therefore not subject to the asset freeze imposed in paragraph 8 (d) of resolution [1718 \(2006\)](#):

- DAWNLIGH*
- No. 4 *T* (IMO No. 9110236)
- No. 5 *EVER BRIGHT 88* (J STAR, IMO No. 8914934)
- GOL*
- No. 6 *D STAR 3* (BENEVOLENCE 2, IMO No. 8405402)
- No. 18 *ORION STAR* (RICHOCHEAN, IMO No. 9333589)
- No. 26 *SOUTH HILL 5* (IMO No. 9138680)

The Committee notes that new measures have been taken to establish confidence that these vessels are not operated or controlled by OMM. In light of these measures, the Committee has therefore decided to remove these vessels from the list of those operated or controlled by OMM. The Committee will continue to review available information and keep this list updated.

Schedule-I

United Nations	S/RES/2094 (2013)
Security Council	Distr.: General
	7 March 2013

Resolution 1718 (2006)**Adopted by the Security Council at its 5551st meeting, on 14 October 2006**

The Security Council,

Recalling its previous relevant resolutions, including resolution 825 (1993), resolution 1540 (2004) and, in particular, resolution 1695 (2006), as well as the statement of its President of 6 October 2006 (S/PRST/2006/41),

Reaffirming that proliferation of nuclear, chemical and biological weapons, as well as their means of delivery, constitutes a threat to international peace and security,

Expressing the gravest concern at the claim by the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) that it has conducted a test of a nuclear weapon on 9 October 2006, and at the challenge such a test constitutes to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and to international efforts aimed at strengthening the global regime of non-proliferation of nuclear weapons, and the danger it poses to peace and stability in the region and beyond,

Expressing its firm conviction that the international regime on the non-proliferation of nuclear weapons should be maintained and recalling that the DPRK cannot have the status of a nuclear-weapon state in accordance with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,

Deploing the DPRK's announcement of withdrawal from the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and its pursuit of nuclear weapons,

Deploing further that the DPRK has refused to return to the Six-Party talks without precondition,

Endorsing the Joint Statement issued on 19 September 2005 by China, the DPRK, Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation and the United States,

Underlining the importance that the DPRK respond to other security and humanitarian concerns of the international community,

Expressing profound concern that the test claimed by the DPRK has generated increased tension in the region and beyond, and *determining* therefore that there is a clear threat to international peace and security, *Acting* under Chapter VII of the Charter of the United Nations, and taking measures under its Article 41,

1. *Condemns* the nuclear test proclaimed by the DPRK on 9 October 2006 in flagrant disregard of its relevant resolutions, in particular resolution 1695 (2006), as well as of the statement of its President of 6 October 2006 (S/PRST/2006/41), including that such a test would bring universal condemnation of the international community and would represent a clear threat to international peace and security;

2. *Demands* that the DPRK not conduct any further nuclear test or launch of a ballistic missile;

3. *Demands* that the DPRK immediately retract its announcement of withdrawal from the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons;

4. *Demands* further that the DPRK return to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear

Weapons and International Atomic Energy Agency (IAEA) safeguards, and *underlines* the need for all States Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to continue to comply with their Treaty obligations;

5. *Decides* that the DPRK shall suspend all activities related to its ballistic missile programme and in this context re-establish its pre-existing commitments to a moratorium on missile launching;

6. *Decides* that the DPRK shall abandon all nuclear weapons and existing nuclear programmes in a complete, verifiable and irreversible manner, shall act strictly in accordance with the obligations applicable to parties under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and the terms and conditions of its International Atomic Energy Agency (IAEA) Safeguards Agreement (IAEA INFCIRC/403) and shall provide the IAEA transparency measures extending beyond these requirements, including such access to individuals, documentation, equipments and facilities as may be required and deemed necessary by the IAEA;

7. *Decides* also that the DPRK shall abandon all other existing weapons of mass destruction and ballistic missile programme in a complete, verifiable and irreversible manner;

8. *Decides* that:

(a) All Member States shall prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK, through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in their territories, of:

(i) Any battle tanks, armoured combat vehicles, large calibre artillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles or missile systems as defined for the purpose of the United Nations Register on Conventional Arms, or related materiel including spare parts, or items as determined by the Security Council or the Committee established by paragraph 12 below (the Committee);

All items, materials, equipment, goods and technology as set out in the lists in documents S/2006/814 and S/2006/815, unless within 14 days of adoption of this resolution the Committee has amended or completed their provisions also taking into account the list in document S/2006/816, as well as other items, materials, equipment, goods and technology, determined by the Security Council or the Committee, which could contribute to DPRK's

nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes;

(iii) Luxury goods;

(b) The DPRK shall cease the export of all items covered in subparagraphs

(a) (i) and (a) (ii) above and that all Member States shall prohibit the procurement of such items from the DPRK by their nationals, or using their flagged vessels or aircraft, and whether or not originating in the territory of the DPRK;

(c) All Member States shall prevent any transfers to the DPRK by their nationals or from their territories, or from the DPRK by its nationals or from its territory, of technical training, advice, services or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of the items in subparagraphs (a) (i) and (a) (ii) above;

(d) All Member States shall, in accordance with their respective legal processes, freeze immediately the funds, other financial assets and economic resources which are on their territories at the date of the adoption of this resolution or at any time thereafter, that are owned or controlled, directly or indirectly, by the persons or entities designated by the Committee or by the Security Council as being engaged in or providing support for, including through other illicit means, DPRK's

nuclear-related, other weapons of mass destruction-related and ballistic missile-related programmes, or by persons or entities acting on their behalf or at their direction, and ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any persons or entities within their territories, to or for the benefit of such persons or entities;

(e) All Member States shall take the necessary steps to prevent the entry into or transit through their territories of the persons designated by the Committee or by the Security Council as being responsible for, including through supporting or promoting, DPRK policies in relation to the DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related and other weapons of mass destruction-related programmes, together with their family members, provided that nothing in this paragraph shall oblige a state to refuse its own nationals entry into its territory;

(f) In order to ensure compliance with the requirements of this paragraph, and thereby preventing illicit trafficking in nuclear, chemical or biological weapons, their means of delivery and related materials, all Member States are called upon to take, in accordance with their national authorities and legislation, and consistent with international law, cooperative action including through inspection of cargo to and from the DPRK, as necessary;

9. *Decides* that the provisions of paragraph 8 (d) above do not apply to financial or other assets or resources that have been determined by relevant States:

(a) To be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges, or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the relevant States to the Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets and economic resources and in the absence of a negative decision by the Committee within five working days of such notification;

(b) To be necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the relevant States to the Committee and has been approved by the Committee; or

(c) To be subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgement, in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgement provided that the lien or judgement was entered prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person referred to in paragraph 8 (d) above or an individual or entity identified by the Security Council or the Committee, and has been notified by the relevant States to the Committee;

10. *Decides* that the measures imposed by paragraph 8 (e) above shall not apply where the Committee determines on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligations, or where the Committee concludes that an exemption would otherwise further the objectives of the present resolution;

11. *Calls upon* all Member States to report to the Security Council within thirty days of the adoption of this resolution on the steps they have taken with a view to implementing effectively the provisions of paragraph 8 above;

12. *Decides* to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee of the Security Council consisting of all the members of the Council, to undertake the following tasks:

(a) To seek from all States, in particular those producing or possessing the items, materials, equipment, goods and technology referred to in paragraph 8 (a) above, information regarding the

actions taken by them to implement effectively the measures imposed by paragraph 8 above of this resolution and whatever further information it may consider useful in this regard;

(b) To examine and take appropriate action on information regarding alleged violations of measures imposed by paragraph 8 of this resolution;

(c) To consider and decide upon requests for exemptions set out in paragraphs 9 and 10 above;

(d) To determine additional items, materials, equipment, goods and technology to be specified for the purpose of paragraphs 8 (a) (i) and 8 (a) (ii) above;

(e) To designate additional individuals and entities subject to the measures imposed by paragraphs 8 (d) and 8 (e) above;

(f) To promulgate guidelines as may be necessary to facilitate the implementation of the measures imposed by this resolution;

(g) To report at least every 90 days to the Security Council on its work, with its observations and recommendations, in particular on ways to strengthen the effectiveness of the measures imposed by paragraph 8 above;

13. *Welcomes and encourages further* the efforts by all States concerned to intensify their diplomatic efforts, to refrain from any actions that might aggravate tension and to facilitate the early resumption of the Six-Party Talks, with a view to the expeditious implementation of the Joint Statement issued on 19 September 2005 by China, the DPRK, Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation and the United States, to achieve the verifiable denuclearization of the Korean Peninsula and to maintain peace and stability on the Korean Peninsula and in north-east Asia;

14. *Calls upon* the DPRK to return immediately to the Six-Party Talks without precondition and to work towards the expeditious implementation of the Joint Statement issued on 19 September 2005 by China, the DPRK, Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation and the United States;

15. *Affirms* that it shall keep DPRK's actions under continuous review and that it shall be prepared to review the appropriateness of the measures contained in paragraph 8 above, including the strengthening, modification, suspension or lifting of the measures, as may be needed at that time in light of the DPRK's compliance with the provisions of the resolution;

16. *Underlines* that further decisions will be required, should additional measures be necessary;

17. *Decides* to remain actively seized of the matter.

Schedule-II**United Nations**

S/RES/1874 (2009)

Security Council

Distr.: General

12 June 2009

Resolution 1874 (2009)**Adopted by the Security Council at its 6141st meeting, on 12 June 2009***The Security Council,*

Recalling its previous relevant resolutions, including resolution 825 (1993), resolution 1540 (2004), resolution 1695 (2006), and, in particular, resolution 1718 (2006), as well as the statements of its President of 6 October 2006 (S/PRST/2006/41) and 13 April 2009 (S/PRST/2009/7),

Reaffirming that proliferation of nuclear, chemical and biological weapons, as well as their means of delivery, constitutes a threat to international peace and security,

Expressing the gravest concern at the nuclear test conducted by the Democratic People's Republic of Korea ("the DPRK") on 25 May 2009 (local time) in violation of resolution 1718 (2006), and at the challenge such a test constitutes to the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons ("the NPT") and to international efforts aimed at strengthening the global regime of non-proliferation of nuclear weapons towards the 2010 NPT Review Conference, and the danger it poses to peace and stability in the region and beyond,

Stressing its collective support for the NPT and commitment to strengthen the Treaty in all its aspects, and global efforts towards nuclear non-proliferation and nuclear disarmament, and *recalling* that the DPRK cannot have the status of a nuclear-weapon state in accordance with the NPT in any case,

Deploing the DPRK's announcement of withdrawal from the NPT and its pursuit of nuclear weapons,

Underlining once again the importance that the DPRK respond to other security and humanitarian concerns of the international community,

Underlining also that measures imposed by this resolution are not intended to have adverse humanitarian consequences for the civilian population of the DPRK,

Expressing its gravest concern that the nuclear test and missile activities carried out by the DPRK have further generated increased tension in the region and beyond, and *determining* that there continues to exist a clear threat to international peace and security,

Reaffirming the importance that all Member States uphold the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, and taking measures under its Article 41,

1. *Condemns* in the strongest terms the nuclear test conducted by the DPRK on 25 May 2009 (local time) in violation and flagrant disregard of its relevant resolutions, in particular resolutions 1695 (2006) and 1718 (2006), and the statement of its President of 13 April 2009 (S/PRST/2009/7);
2. *Demands* that the DPRK not conduct any further nuclear test or any launch using ballistic missile technology;
3. *Decides* that the DPRK shall suspend all activities related to its ballistic missile programme and in this context re-establish its pre-existing commitments to a moratorium on missile launches;
4. *Demands* that the DPRK immediately comply fully with its obligations under relevant Security Council resolutions, in particular resolution 1718 (2006);
5. *Demands* that the DPRK immediately retract its announcement of withdrawal from the NPT;

6. *Demands* further that the DPRK return at an early date to the NPT and International Atomic Energy Agency (IAEA) safeguards, bearing in mind the rights and obligations of States Parties to the NPT, and *underlines* the need for all States Parties to the NPT to continue to comply with their Treaty obligations;
7. *Calls upon* all Member States to implement their obligations pursuant to resolution 1718 (2006), including with respect to designations made by the Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) (“the Committee”) pursuant to the statement of its President of 13 April 2009 (S/PRST/2009/7);
8. *Decides* that the DPRK shall abandon all nuclear weapons and existing nuclear programs in a complete, verifiable and irreversible manner and immediately cease all related activities, shall act strictly in accordance with the obligations applicable to parties under the NPT and the terms and conditions of the IAEA Safeguards Agreement (IAEA INFCIRC/403) and shall provide the IAEA transparency measures extending beyond these requirements, including such access to individuals, documentation, equipment and facilities as may be required and deemed necessary by the IAEA;
9. *Decides* that the measures in paragraph 8 (b) of resolution 1718 (2006) shall also apply to all arms and related materiel, as well as to financial transactions, technical training, advice, services or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of such arms or materiel;
10. *Decides* that the measures in paragraph 8 (a) of resolution 1718 (2006) shall also apply to all arms and related materiel, as well as to financial transactions, technical training, advice, services or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of such arms, except for small arms and light weapons and their related materiel, and *calls upon* States to exercise vigilance over the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK of small arms or light weapons, and further *decides* that States shall notify the Committee at least five days prior to selling, supplying or transferring small arms or light weapons to the DPRK;
11. *Calls upon* all States to inspect, in accordance with their national authorities and legislation, and consistent with international law, all cargo to and from the DPRK, in their territory, including seaports and airports, if the State concerned has information that provides reasonable grounds to believe the cargo contains items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraph 8 (a), 8 (b), or 8 (c) of resolution 1718 or by paragraph 9 or 10 of this resolution, for the purpose of ensuring strict implementation of those provisions;
12. *Calls upon* all Member States to inspect vessels, with the consent of the flag State, on the high seas, if they have information that provides reasonable grounds to believe that the cargo of such vessels contains items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraph 8 (a), 8 (b), or 8 (c) of resolution 1718 (2006) or by paragraph 9 or 10 of this resolution, for the purpose of ensuring strict implementation of those provisions;
13. *Calls upon* all States to cooperate with inspections pursuant to paragraphs 11 and 12, and, if the flag State does not consent to inspection on the high seas, *decides* that the flag State shall direct the vessel to proceed to an appropriate and convenient port for the required inspection by the local authorities pursuant to paragraph 11;
14. *Decides* to authorize all Member States to, and that all Member States shall, seize and dispose of items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraph 8 (a), 8 (b), or 8 (c) of resolution 1718 or by paragraph 9 or 10 of this resolution that are identified in inspections pursuant to paragraph 11, 12, or 13 in a manner that is not inconsistent with their obligations under applicable Security Council resolutions, including resolution 1540 (2004), as well as any obligations of parties to the NPT, the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction of 29 April 1997, and the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction of 10 April 1972, and *decides* further that all States shall cooperate in such efforts;
15. *Requires* any Member State, when it undertakes an inspection pursuant to paragraph 11, 12, or 13, or seizes and disposes of cargo pursuant to paragraph 14, to submit promptly reports containing relevant details to the Committee on the inspection, seizure and disposal;
16. *Requires* any Member State, when it does not receive the cooperation of a flag State pursuant to paragraph 12 or 13 to submit promptly to the Committee a report containing relevant details;

17. *Decides* that Member States shall prohibit the provision by their nationals or from their territory of bunkering services, such as provision of fuel or supplies, or other servicing of vessels, to DPRK vessels if they have information that provides reasonable grounds to believe they are carrying items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraph 8 (a), 8 (b), or 8 (c) of resolution 1718 (2006) or by paragraph 9 or 10 of this resolution, unless provision of such services is necessary for humanitarian purposes or until such time as the cargo has been inspected, and seized and disposed of if necessary, and *underlines* that this paragraph is not intended to affect legal economic activities;
18. *Calls upon* Member States, in addition to implementing their obligations pursuant to paragraphs 8 (d) and (e) of resolution 1718 (2006), to prevent the provision of financial services or the transfer to, through, or from their territory, or to or by their nationals or entities organized under their laws (including branches abroad), or persons or financial institutions in their territory, of any financial or other assets or resources that could contribute to the DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related, or other weapons of mass destruction-related programs or activities, including by freezing any financial or other assets or resources on their territories or that hereafter come within their territories, or that are subject to their jurisdiction or that hereafter become subject to their jurisdiction, that are associated with such programs or activities and applying enhanced monitoring to prevent all such transactions in accordance with their national authorities and legislation;
19. *Calls upon* all Member States and international financial and credit institutions not to enter into new commitments for grants, financial assistance, or concessional loans to the DPRK, except for humanitarian and developmental purposes directly addressing the needs of the civilian population, or the promotion of denuclearization, and also *calls upon* States to exercise enhanced vigilance with a view to reducing current commitments;
20. *Calls upon* all Member States not to provide public financial support for trade with the DPRK (including the granting of export credits, guarantees or insurance to their nationals or entities involved in such trade) where such financial support could contribute to the DPRK's nuclear-related or ballistic missile-related or other WMD-related programs or activities;
21. *Emphasizes* that all Member States should comply with the provisions of paragraphs 8 (a) (iii) and 8 (d) of resolution 1718 (2006) without prejudice to the activities of the diplomatic missions in the DPRK pursuant to the Vienna Convention on Diplomatic Relations;
22. *Calls upon* all Member States to report to the Security Council within forty-five days of the adoption of this resolution and thereafter upon request by the Committee on concrete measures they have taken in order to implement effectively the provisions of paragraph 8 of resolution 1718 (2006) as well as paragraphs 9 and 10 of this resolution, as well as financial measures set out in paragraphs 18, 19 and 20 of this resolution;
23. *Decides* that the measures set out at paragraphs 8 (a), 8 (b) and 8 (c) of resolution 1718 (2006) shall also apply to the items listed in INFCIRC/254/Rev.9/Part 1a and INFCIRC/254/Rev.7/Part 2a;
24. *Decides* to adjust the measures imposed by paragraph 8 of resolution 1718 (2006) and this resolution, including through the designation of entities, goods, and individuals, and directs the Committee to undertake its tasks to this effect and to report to the Security Council within thirty days of adoption of this resolution, and further *decides* that, if the Committee has not acted, then the Security Council will complete action to adjust the measures within seven days of receiving that report;
25. *Decides* that the Committee shall intensify its efforts to promote the full implementation of resolution 1718 (2006), the statement of its President of 13 April 2009 (S/PRST/2009/7) and this resolution, through a work programme covering compliance, investigations, outreach, dialogue, assistance and cooperation, to be submitted to the Council by 15 July 2009, and that it shall also receive and consider reports from Member States pursuant to paragraphs 10, 15, 16 and 22 of this resolution;
26. *Requests* the Secretary-General to create for an initial period of one year, in consultation with the Committee, a group of up to seven experts ("Panel of Experts"), acting under the direction of the Committee to carry out the following tasks: (a) assist the Committee in carrying out its mandate as specified in resolution 1718 (2006) and

the functions specified in paragraph 25 of this resolution;

- (b) gather, examine and analyze information from States, relevant United Nations bodies and other interested parties regarding the implementation of the measures imposed in resolution 1718 (2006) and in this resolution, in particular incidents of non-compliance; (c) make recommendations on actions the Council, or the Committee or Member States, may consider to improve implementation of the measures imposed in resolution 1718 (2006) and in this resolution; and (d) provide an interim report on its work to the Council no later than 90 days after adoption of this resolution, and a final report to the Council no later than 30 days prior to termination of its mandate with its findings and recommendations;
27. *Urges* all States, relevant United Nations bodies and other interested parties, to cooperate fully with the Committee and the Panel of Experts, in particular by supplying any information at their disposal on the implementation of the measures imposed by resolution 1718 (2006) and this resolution;
28. *Calls upon* all Member States to exercise vigilance and prevent specialized teaching or training of DPRK nationals within their territories or by their nationals, of disciplines which could contribute to the DPRK's proliferation sensitive nuclear activities and the development of nuclear weapon delivery systems;
29. *Calls upon* the DPRK to join the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty at the earliest date;
30. *Supports* peaceful dialogue, *calls upon* the DPRK to return immediately to the Six Party Talks without precondition, and *urges* all the participants to intensify their efforts on the full and expeditious implementation of the Joint Statement issued on 19 September 2005 and the joint documents of 13 February 2007 and 3 October 2007, by China, the DPRK, Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation and the United States, with a view to achieving the verifiable denuclearization of the Korean Peninsula and to maintain peace and stability on the Korean Peninsula and in north-east Asia;
31. *Expresses* its commitment to a peaceful, diplomatic and political solution to the situation and welcomes efforts by Council members as well as other Member States to facilitate a peaceful and comprehensive solution through dialogue and to refrain from any actions that might aggravate tensions;
32. *Affirms* that it shall keep the DPRK's actions under continuous review and that it shall be prepared to review the appropriateness of the measures contained in paragraph 8 of resolution 1718 (2006) and relevant paragraphs of this resolution, including the strengthening, modification, suspension or lifting of the measures, as may be needed at that time in light of the DPRK's compliance with relevant provisions of resolution 1718 (2006) and this resolution;
33. *Underlines* that further decisions will be required, should additional measures be necessary;
34. *Decides* to remain actively seized of the matter.

Schedule-III

United Nations

S/RES/2087 (2013)

Security Council

Distr.: General

22 January 2013

Resolution 2087 (2013)

Adopted by the Security Council at its 6904th meeting, on 22 January 2013

The Security Council,

Recalling its previous relevant resolutions, including resolution 825 (1993), resolution 1540 (2004), resolution 1695 (2006), resolution 1718 (2006), resolution 1874 (2009), resolution 1887 (2009), as well as the statements of its President of 6 October 2006 (S/PRST/2006/41), 13 April 2009 (S/PRST/2009/7) and 16 April 2012 (S/PRST/2012/13),

Recognizing the freedom of all States to explore and use outer space in accordance with international law, including restrictions imposed by relevant Security Council resolutions,

1. *Condemns* the DPRK's launch of 12 December 2012, which used ballistic missile technology and was in violation of

- resolutions 1718 (2006) and 1874 (2009);
2. *Demands* that the DPRK not proceed with any further launches using ballistic missile technology, and comply with resolutions 1718 (2006) and 1874 (2009) by suspending all activities related to its ballistic missile program and in this context re-establish its pre-existing commitments to a moratorium on missile launches;
 3. *Demands* that the DPRK immediately comply fully with its obligations under resolutions 1718 (2006) and 1874 (2009), including that it: abandon all nuclear weapons and existing nuclear programs in a complete, verifiable and irreversible manner; immediately cease all related activities; and not conduct any further launches that use ballistic missile technology, nuclear test or any further provocation;
 4. *Reaffirms* its current sanctions measures contained in resolutions 1718 (2006) and 1874 (2009);
 5. *Recalls* the measures imposed by paragraph 8 of resolution 1718 (2006), as modified by resolution 1874 (2009), and *determines* that:
 - (a) The measures specified in paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006) shall apply to the individuals and entities listed in Annex I and II, and the measures specified in paragraph 8 (e) of resolution 1718 (2006) shall apply to the individuals listed in Annex I; and,
 - (b) The measures imposed in paragraph 8 (a), 8 (b) and 8 (c) of resolution 1718 (2006) shall apply to the items in INFCIRC/254/Rev.11/Part 1 and INFCIRC/254/Rev.8/Part 2 and S/2012/947;
 6. *Recalls* paragraph 18 of resolution 1874 (2009), and *calls upon* Member States to exercise enhanced vigilance in this regard, including monitoring the activities of their nationals, persons in their territories, financial institutions, and other entities organized under their laws (including branches abroad) with or on behalf of financial institutions in the DPRK, or of those that act on behalf or at the direction of DPRK financial institutions, including their branches, representatives, agents and subsidiaries abroad;
 7. *Directs* the Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) to issue an Implementation Assistance Notice regarding situations where a vessel has refused to allow an inspection after such an inspection has been authorized by the vessel's Flag State or if any DPRK-flagged vessel has refused to be inspected pursuant to paragraph 12 of resolution 1874 (2009);
 8. *Recalls* paragraph 14 of resolution 1874 (2009), *recalls* further that States may seize and dispose of items consistent with the provisions of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009) and this resolution, and further *clarifies* that methods for States to dispose include, but are not limited to, destruction, rendering inoperable, storage or transferring to another State other than the originating or destination States for disposal;
 9. *Clarifies* that the measures imposed in resolutions 1718 (2006) and 1874 (2009) prohibit the transfer of any items if a State relevant to a transaction has information that provides reasonable grounds to believe that a designated individual or entity is the originator, intended recipient or facilitator of the item's transfer;
 10. *Calls upon* Member States which have not yet done so to report on the measures they have taken to implement the provisions of resolutions 1718 (2006) and 1874 (2009), *encourages* other Member States to submit, if any, additional information on implementing the provisions of resolutions 1718 (2006) and 1874 (2009);
 11. *Encourages* international agencies to take necessary steps to ensure that all their activities with respect to the DPRK are consistent with the provisions of resolutions 1718 (2006) and 1874 (2009), and further *encourages* relevant agencies to engage with the Committee regarding their activities with respect to the DPRK that may relate to provisions of these resolutions;
 12. *Deplores* the violations of the measures imposed in resolution 1718 (2006) and 1874 (2009), including the use of bulk cash to evade sanctions, *underscores* its concern over the supply, sale or transfer to or from the DPRK or through States' territories of any item that could contribute to activities prohibited by resolutions 1718 (2006) or 1874 (2009) and the importance of appropriate action by States in this regard, *calls on* States to exercise vigilance and restraint regarding the entry into or transit through their territories of individuals working on behalf or at the direction of a designated individual or entity, *directs* the Committee to review reported violations and take action as appropriate, including through designating entities and individuals that have assisted the evasion of sanctions or in violating the provisions of resolutions 1718 (2006) and 1874 (2009);

13. *Emphasizes* the importance of all States, including the DPRK, taking the necessary measures to ensure that no claim shall lie at the instance of the DPRK, or of any person or entity in the DPRK, or of persons or entities designated pursuant to resolutions 1718 (2006) and 1874 (2009), or any person claiming through or for the benefit of any such person or entity, in connection with any contract or other transaction where its performance was prevented by reason of the measures imposed by resolutions 1718 (2006) and 1874 (2009);
14. *Reaffirms* its desire for a peaceful, diplomatic and political solution to the situation, welcomes efforts by Council members as well as other States to facilitate a peaceful and comprehensive solution through dialogue, and *underlines* the need to refrain from any action that might aggravate tensions;
15. *Reaffirms* its support to the Six Party Talks, *calls* for their resumption, *urges* all the participants to intensify their efforts on the full and expeditious implementation of the 19 September 2005 Joint Statement issued by China, the DPRK, Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation and the United States, with a view to achieving the verifiable denuclearization of the Korean Peninsula in a peaceful manner and to maintaining peace and stability on the Korean Peninsula and in northeast Asia;
16. *Calls upon* all Member States to implement fully their obligations pursuant to resolutions 1718 (2006) and 1874 (2009);
17. *Re-emphasizes* that all Member States should comply with the provisions of paragraphs 8 (a) (iii) and 8 (d) of resolution 1718 (2006) without prejudice to the activities of the diplomatic missions in the DPRK pursuant to the Vienna Convention on Diplomatic Relations;
18. *Underlines* that measures imposed by resolutions 1718 (2006) and 1874 (2009) are not intended to have adverse humanitarian consequences for the civilian population of the DPRK;
19. *Affirms* that it shall keep the DPRK's actions under continuous review and is prepared to strengthen, modify, suspend or lift the measures as may be needed in light of the DPRK's compliance, and, in this regard, *expresses its determination* to take significant action in the event of a further DPRK launch or nuclear test;
20. *Decides* to remain actively seized of the matter.

Annex I

Travel Ban/Asset Freeze

1. PAEK CHANG-HO
 - a. *Description*: senior official and head of the satellite control center of Korean Committee for Space Technology.
 - b. *AKA*: Pak Chang-Ho; Paek Ch'ang-Ho
 - c. *Identifiers*: Passport: 381420754; Passport Date of Issue: 7 December 2011; Passport Date of Expiration: 7 December 2016; D.O.B. 18 June 1964; P.O.B. Kaesong, DPRK
2. CHANG MYONG-CHIN
 - a. *Description*: General Manager of the Sohae Satellite Launching Station and head of launch center at which the 13 April and 12 December 2012 launches took place.
 - b. *AKA*: Jang Myong-Jin
 - c. *Identifiers*: D.O.B. 1966; Alt. D.O.B. 1965
3. RA KY'ONG-SU
 - a. *Description*: Ra Ky'ong-Su is a Tanchon Commercial Bank (TCB) official. In this capacity he has facilitated transactions for TCB. Tanchon was designated by the Committee in April 2009 as the main DPRK financial entity responsible for sales of conventional arms, ballistic missiles, and goods related to the assembly and manufacture of such weapons.

4. KIM KWANG-IL

- a. *Description:* Kim Kwang-il is a Tanchon Commercial Bank (TCB) official. In this capacity, he has facilitated transactions for TCB and the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Tanchon was designated by the Committee in April 2009 as the main DPRK financial entity responsible for sales of conventional arms, ballistic missiles, and goods related to the assembly and manufacture of such weapons. KOMID was designated by the Committee in April 2009 and is the DPRK's primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.

Annex II**Asset Freeze**

1. KOREAN COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY

- a. *Description:* The Korean Committee for Space Technology (KCST) orchestrated the DPRK's launches on 13 April 2012 and 12 December 2012 via the satellite control center and Sohae launch area.
- b. *AKA:* DPRK Committee for Space Technology; Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST
- c. *Location:* Pyongyang, DPRK

2. BANK OF EAST LAND

- a. *Description:* DPRK financial institution Bank of East Land facilitates weapons-related transactions for, and other support to, arms manufacturer and exporter Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land has actively worked with Green Pine to transfer funds in a manner that circumvents sanctions. In 2007 and 2008, Bank of East Land facilitated transactions involving Green Pine and Iranian financial institutions, including Bank Melli and Bank Sepah. The Security Council designated Bank Sepah in resolution 1747 (2007) for providing support to Iran's ballistic missile program. Green Pine was designated by the Committee in April 2012.
- b. *AKA:* Dongbang BANK; TONGBANG U'NHAENG; TONGBANG BANK
- c. *Location:* P.O. Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, DPRK

3. KOREA KUMRYONG TRADING CORPORATION

- a. *Description:* Used as an alias by the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) to carry out procurement activities. KOMID was designated by the Committee in April 2009 and is the DPRK's primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.

4. TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION

- a. *Description:* The Korea Mining Development Corporation (KOMID) is the parent company of Tosong Technology Trading Corporation. KOMID was designated by the Committee in April 2009 and is the DPRK's primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.
- b. *Location:* Pyongyang, DPRK

5. KOREA RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION

- a. *Description:* Korea Ryonbong General Corporation is the parent company of Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation was designated by the Committee in April 2009 and is a defence conglomerate specializing in acquisition for DPRK defence industries and support to that country's military-related sales.

AKA: CHOSUN YUNHA MACHINERY JOINT OPERATION COMPANY;
KOREA RYENHA MACHINERY J/V CORPORATION; RYONHA
MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION

Location: Central District, Pyongyang, DPRK; Mangungdae-gu, Pyongyang,
DPRK; Mangyongdae District, Pyongyang, DPRK

6. LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL

- a. *Description:* Facilitates shipments on behalf of the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID was designated by the Committee in April 2009 and is the DPRK's primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.
- b. AKA: Leader International Trading Limited
- c. *Location:* Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road, Hong Kong

Schedule-IV**S/RES/2094 (2013)****United Nations****Security Council****Distr.: General****7 March 2013****Resolution 2094 (2013)****Adopted by the Security Council at its 6932nd meeting, on 7 March 2013***The Security Council,*

Recalling its previous relevant resolutions, including resolution 825 (1993), resolution 1540 (2004), resolution 1695 (2006), resolution 1718 (2006), resolution 1874 (2009), resolution 1887 (2009) and resolution 2087 (2013), as well as the statements of its President of 6 October 2006 (S/PRST/2006/41), 13 April 2009 (S/PRST/2009/7) and 16 April 2012 (S/PRST/2012/13),

Reaffirming that proliferation of nuclear, chemical and biological weapons, as well as their means of delivery, constitutes a threat to international peace and security,

Underlining once again the importance that the DPRK respond to other security and humanitarian concerns of the international community,

Expressing the gravest concern at the nuclear test conducted by the Democratic People's Republic of Korea ("the DPRK") on 12 February 2013 (local time) in violation of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009) and resolution 2087 (2013), and at the challenge such a test constitutes to the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons ("the NPT") and to international efforts aimed at strengthening the global regime of non-proliferation of nuclear weapons, and the danger it poses to peace and stability in the region and beyond,

Concerned that the DPRK is abusing the privileges and immunities accorded under the Vienna Convention on Diplomatic and Consular Relations,

Welcoming the Financial Action Task Force's (FATF) new Recommendation 7 on targeted financial sanctions related to proliferation, and *urging* Member States to apply FATF's Interpretative Note to Recommendation 7 and related guidance papers for effective implementation of targeted financial sanctions related to proliferation,

Expressing its gravest concern that the DPRK's ongoing nuclear and ballistic missile-related activities have further generated increased tension in the region and beyond, and *determining* that there continues to exist a clear threat to international peace and security,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, and taking measures under its Article 41,

1. *Condemns* in the strongest terms the nuclear test conducted by the DPRK on 12 February 2013 (local time) in violation and flagrant disregard of the Council's relevant resolutions;
2. *Decides* that the DPRK shall not conduct any further launches that use ballistic missile technology, nuclear tests or any other provocation;
3. *Demands* that the DPRK immediately retract its announcement of withdrawal from the NPT;
4. *Demands further* that the DPRK return at an early date to the NPT and International Atomic Energy Agency (IAEA) safeguards, bearing in mind the rights and obligations of States parties to the NPT, and underlines the need for all States parties to the NPT to continue to comply with their Treaty obligations;
5. *Condemns* all the DPRK's ongoing nuclear activities, including its uranium enrichment, *notes* that all such activities are in violation of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009) and 2087 (2013), *reaffirms* its decision that the DPRK shall abandon all nuclear weapons and existing nuclear programmes, in a complete, verifiable and irreversible manner and immediately cease all related activities and shall act strictly in accordance with the obligations applicable to parties under the NPT and the terms and conditions of the IAEA Safeguards Agreement (IAEA INFCIRC/403);
6. *Reaffirms* its decision that the DPRK shall abandon all other existing weapons of mass destruction and ballistic missile programmes in a complete, verifiable and irreversible manner;
7. *Reaffirms* that the measures imposed in paragraph 8 (c) of resolution 1718 (2006) apply to items prohibited by paragraphs 8 (a) (i), 8 (a) (ii) of resolution 1718 (2006) and paragraphs 9 and 10 of resolution 1874 (2009), *decides* that the measures imposed in paragraph 8 (c) of resolution 1718 (2006) also apply to paragraphs 20 and 22 of this resolution, and *notes* that these measures apply also to brokering or other intermediary services, including when arranging for the provision, maintenance or use of prohibited items in other States or the supply, sale or transfer to or exports from other States;
8. *Decides further* that measures specified in paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006) shall apply also to the individuals and entities listed in annexes I and II of this resolution and to any individuals or entities acting on their behalf or at their direction, and to entities owned or controlled by them, including through illicit means, and *decides further* that the measures specified in paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006) shall apply to any individuals or entities acting on the behalf or at the direction of the individuals and entities that have already been designated, to entities owned or controlled by them, including through illicit means;
9. *Decides* that the measures specified in paragraph 8 (e) of resolution 1718 (2006) shall also apply to the individuals listed in annex I of this resolution and to individuals acting on their behalf or at their direction;
10. *Decides* that the measures specified in paragraph 8 (e) of resolution 1718 (2006) and the exemptions set forth in paragraph 10 of resolution 1718 (2006) shall also apply to any individual whom a State determines is working on behalf or at the direction of a designated individual or entity or individuals assisting the evasion of sanctions or violating the provisions of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), and this and further *decides* that, if such an individual is a DPRK national, then States shall expel the individual from their territories for the purpose of repatriation to the DPRK consistent with applicable national and international law, unless the presence of an individual is required for fulfilment of a judicial process or exclusively for medical, safety or other humanitarian purposes, provided that nothing in this paragraph shall impede the transit of representatives of the Government of the DPRK to the United Nations Headquarters to conduct United Nations business;

11. *Decides* that Member States shall, in addition to implementing their obligations pursuant to paragraphs 8 (d) and (e) of resolution 1718 (2006), prevent the provision of financial services or the transfer to, through, or from their territory, or to or by their nationals or entities organized under their laws (including branches abroad), or persons or financial institutions in their territory, of any financial or other assets or resources, including bulk cash, that could contribute to the DPRK's nuclear or ballistic missile programmes, or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), or this resolution, or to the evasion of measures imposed by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), or this resolution, including by freezing any financial or other assets or resources on their territories or that hereafter come within their territories, or that are subject to their jurisdiction or that hereafter become subject to their jurisdiction, that are associated with such programmes or activities and applying enhanced monitoring to prevent all such transactions in accordance with their national authorities and legislation;
12. *Calls upon* States to take appropriate measures to prohibit in their territories the opening of new branches, subsidiaries, or representative offices of DPRK banks, and also *calls upon* States to prohibit DPRK banks from establishing new joint ventures and from taking an ownership interest in or establishing or maintaining correspondent relationships with banks in their jurisdiction to prevent the provision of financial services if they have information that provides reasonable grounds to believe that these activities could contribute to the DPRK's nuclear or ballistic missile programmes, or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), and this resolution, or to the evasion of measures imposed by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), or this resolution;
13. *Calls upon* States to take appropriate measures to prohibit financial institutions within their territories or under their jurisdiction from opening representative offices or subsidiaries or banking accounts in the DPRK if they have information that provides reasonable grounds to believe that such financial services could contribute to the DPRK's nuclear or ballistic missile programmes, and other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), and this resolution;
14. *Expresses* concern that transfers to the DPRK of bulk cash may be used to evade the measures imposed in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), and this resolution, and *clarifies* that all States shall apply the measures set forth in paragraph 11 of this resolution to the transfers of cash, including through cash couriers, transiting to and from the DPRK so as to ensure such transfers of bulk cash do not contribute to the DPRK's nuclear or ballistic missile programmes, or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), or this resolution, or to the evasion of measures imposed by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), or this resolution;
15. *Decides* that all Member States shall not provide public financial support for trade with the DPRK (including the granting of export credits, guarantees or insurance to their nationals or entities involved in such trade) where such financial support could contribute to the DPRK's nuclear or ballistic missile programmes, or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), or this resolution, or to the evasion of measures imposed by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), or this resolution;
16. *Decides* that all States shall inspect all cargo within or transiting through their territory that has originated in the DPRK, or that is destined for the DPRK, or has been brokered or facilitated by the DPRK or its nationals, or by individuals or entities acting on their behalf, if the State concerned has credible information that provides reasonable grounds to believe the cargo contains items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), or this resolution, for the purpose of ensuring strict implementation of those provisions;
17. *Decides* that, if any vessel has refused to allow an inspection after such an inspection has been authorized by the vessel's flag State, or if any DPRK-flagged vessel has refused to be inspected pursuant to paragraph 12 of resolution 1874 (2009), all States shall deny such a vessel entry to their ports, unless entry is required for the purpose of an inspection, in the case of emergency or in the case of return to its port of origination, and *decides* further that any State that has been refused by a vessel to allow an inspection shall promptly report the incident to the Committee;
18. *Calls upon* States to deny permission to any aircraft to take off from, land in or overfly their territory, if they have information that provides reasonable grounds to believe that the aircraft contains items the supply, sale, transfer or export of which is prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), or this resolution, except in the case of an

emergency landing;

19. *Requests* all States to communicate to the Committee any information available on transfers of DPRK aircraft or vessels to other companies that may have been undertaken in order to evade the sanctions or in violating the provisions of resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), or this resolution, including renaming or re-registering of aircraft, vessels or ships, and *requests* the Committee to make that information widely available;

20. *Decides* that the measures imposed in paragraphs 8 (a) and 8 (b) of resolution 1718 (2006) shall also apply to the items, materials, equipment, goods and technology listed in annex III of this resolution;

21. *Directs* the Committee to review and update the items contained in the lists specified in paragraph 5 (b) of resolution 2087 (2013) no later than twelve months from the adoption of this resolution and on an annual basis thereafter, and *decides* that, if the Committee has not acted to update this information by then, the Security Council will complete action to update within an additional thirty days;

22. *Calls upon* and allows all States to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to or from the DPRK or its nationals, through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in their territories of any item if the State determines that such item could contribute to the DPRK's nuclear or ballistic missile programmes, activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), or this resolution, or to the evasion of measures imposed by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), or this resolution, and *directs* the Committee to issue an Implementation Assistance Notice regarding the proper implementation of this provision;

23. *Reaffirms* the measures imposed in paragraph 8 (a) (iii) of resolution 1718 (2006) regarding luxury goods, and *clarifies* that the term "luxury goods" includes, but is not limited to, the items specified in annex IV of this resolution;

24. *Calls upon* States to exercise enhanced vigilance over DPRK diplomatic personnel so as to prevent such individuals from contributing to the DPRK's nuclear or ballistic missile programmes, or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), and this resolution, or to the evasion of measures imposed by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), or this resolution;

25. *Calls upon* all States to report to the Security Council within ninety days of the adoption of this resolution, and thereafter upon request by the Committee, on concrete measures they have taken in order to implement effectively the provisions of this resolution, and *requests* the Panel of Experts established pursuant to resolution 1874 (2009), in cooperation with other UN sanctions monitoring groups, to continue its efforts to assist States in preparing and submitting such reports in a timely manner;

26. *Calls upon* all States to supply information at their disposal regarding non-compliance with the measures imposed in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), or this resolution;

27. *Directs* the Committee to respond effectively to violations of the measures decided in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), and this resolution, *directs* the Committee to designate additional individuals and entities to be subject to the measures imposed in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), and this resolution, and *decides* that the Committee may designate any individuals for measures under paragraphs 8 (d) and 8 (e) of resolution 1718 (2006) and entities for measures under paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006) that have contributed to the DPRK's nuclear or ballistic missile programmes, or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), or this resolution, or to the evasion of measures imposed by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), or this resolution;

28. *Decides* that the mandate of the Committee, as set out in paragraph 12 of resolution 1718 (2006), shall apply with respect to the measures imposed in resolution 1874 (2009) and this resolution;

29. *Recalls* the creation, pursuant to paragraph 26 of resolution 1874 (2009), of a Panel of Experts, under the direction of the Committee, to carry out the tasks provided for by that paragraph, *decides* to extend until 7 April 2014 the Panel's mandate, as renewed by resolution 2050 (2012), *decides further* that this mandate shall apply with respect to the measures imposed in this resolution, *expresses its intent* to review the mandate and take appropriate action regarding further extension no later than twelve months from the adoption of this resolution, *requests* the Secretary-General to

create a group of up to eight experts and to take the necessary administrative measures to this effect, and *requests* the Committee, in consultation with the Panel, to adjust the Panel's schedule of reporting;

30. *Emphasizes* the importance of all States, including the DPRK, taking the necessary measures to ensure that no claim shall lie at the instance of the DPRK, or of any person or entity in the DPRK, or of persons or entities designated for measures set forth in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), or this resolution, or any person claiming through or for the benefit of any such person or entity, in connection with any contract or other transaction where its performance was prevented by reason of the measures imposed by this resolution or previous resolutions;

31. *Underlines* that measures imposed by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) and this resolution are not intended to have adverse humanitarian consequences for the civilian population of the DPRK;

32. *Emphasizes* that all Member States should comply with the provisions of paragraphs 8 (a) (iii) and 8 (d) of resolution 1718 (2006) without prejudice to the activities of diplomatic missions in the DPRK pursuant to the Vienna Convention on Diplomatic Relations;

33. *Expresses* its commitment to a peaceful, diplomatic and political solution to the situation and welcomes efforts by Council members as well as other States to facilitate a peaceful and comprehensive solution through dialogue and to refrain from any actions that might aggravate tensions;

34. *Reaffirms* its support to the Six-Party Talks, *calls for* their resumption, *urges* all the participants to intensify their efforts on the full and expeditious implementation of the 19 September 2005 Joint Statement issued by China, the DPRK, Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation and the United States, with a view to achieving the verifiable denuclearization of the Korean Peninsula in a peaceful manner and to maintaining peace and stability on the Korean Peninsula and in north-east Asia;

35. *Reiterates* the importance of maintaining peace and stability on the Korean Peninsula and in north-east Asia at large;

36. *Affirms* that it shall keep the DPRK's actions under continuous review and is prepared to strengthen, modify, suspend or lift the measures as may be needed in light of the DPRK's compliance, and, in this regard, *expresses its determination* to take further significant measures in the event of a further DPRK launch or nuclear test;

37. *Decides* to remain seized of the matter.

Annex I

Travel ban/asset freeze

1. YO'N CHO'NG NAM

- (a) Description: Chief Representative for the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). The KOMID was designated by the Committee in April 2009 and is the DPRK's primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.

2. KO CH'O'L-CHAE

- (a) Description: Deputy Chief Representative for the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). The KOMID was designated by the Committee in April 2009 and is the DPRK's primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.

3. MUN CHO'NG-CH'O'L

- (a) Description: Mun Cho'ng-Ch'o'l is a TCB official. In this capacity he has facilitated transactions for TCB. Tanchon was designated by the Committee in April 2009 and is the main DPRK financial entity for sales of conventional arms, ballistic missiles, and goods related to the assembly and manufacture of such weapons.

Annex II**Asset freeze**

1. SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES

- (a) Description: The Second Academy of Natural Sciences is a national-level organization responsible for research and development of the DPRK's advanced weapons systems, including missiles and probably nuclear weapons. The Second Academy of Natural Sciences uses a number of subordinate organizations to obtain technology, equipment, and information from overseas, including Tangun Trading Corporation, for use in the DPRK's missile and probably nuclear weapons programmes. Tangun Trading Corporation was designated by the Committee in July 2009 and is primarily responsible for the procurement of commodities and technologies to support DPRK's defence research and development programmes, including, but not limited to, weapons of mass destruction and delivery system programmes and procurement, including materials that are controlled or prohibited under relevant multilateral control regimes.
- (b) AKA: 2ND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES; CHE 2 CHAYON KWAHAKWON; ACADEMY OF NATURAL SCIENCES; CHAYON KWAHAK-WON; NATIONAL DEFENSE ACADEMY; KUKPANG KWAHAK-WON; SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES RESEARCH INSTITUTE; SANSRI
- (c) Location: Pyongyang, DPRK

2. KOREA COMPLEX EQUIPMENT IMPORT CORPORATION

- (a) Description: Korea Ryonbong General Corporation is the parent company of Korea Complex Equipment Import Corporation. Korea Ryonbong General Corporation was designated by the Committee in April 2009 and is a defence conglomerate specializing in acquisition for DPRK defence industries and support to that country's military-related sales.
- (b) Location: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

Annex III**Items, materials, equipment, goods and technology****Nuclear items**1. Perfluorinated Lubricants

- They can be used for lubricating vacuum pump and compressor bearings. They have a low vapour pressure, are resistant to uranium hexafluoride (UF₆), the gaseous uranium compound used in the gas centrifuge process, and are used for pumping fluorine.

2. UF₆ Corrosion Resistant Bellow-sealed Valves

- They can be used in uranium enrichment facilities (such as gas centrifuge and gaseous diffusion plants), in facilities that produce uranium hexafluoride (UF₆), the gaseous uranium compound used in the gas centrifuge process, in fuel fabrication facilities and in facilities handling tritium.

Missile items

1. Special corrosion resistant steels — limited to steels resistant to Inhibited Red Fuming Nitric Acid (IRFNA) or nitric acid, such as nitrogen stabilized duplex stainless steel (N-DSS).
2. Ultra high-temperature ceramic composite materials in solid form (i.e. blocks, cylinders, tubes or ingots) in any of the following form factors:
 - (a) Cylinders having a diameter of 120 mm or greater and a length of 50 mm or greater;
 - (b) Tubes having an inner diameter of 65 mm or greater and a wall thickness of 25 mm or greater and a length of 50 mm or greater; or
 - (c) Blocks having a size of 120 mm x 120 mm x 50 mm or greater.
3. Pyrotechnically Actuated Valves.
4. Measurement and control equipment usable for wind tunnels (balance, thermal stream measurement, flow control).
5. Sodium Perchlorate.

Chemical weapons list

1. Vacuum pumps with a manufacturer's specified maximum flow-rate greater than 1 m³/h (under standard temperature and pressure conditions), casings (pump bodies), preformed casing-liners, impellers, rotors, and jet pump nozzles designed for such pumps, in which all surfaces that come into direct contact with the chemicals being processed are made from controlled materials.

Annex IV**Luxury goods**

1. Jewelry:
 - (a) Jewelry with pearls;
 - (b) Gems;
 - (c) Precious and semi-precious stones (including diamonds, sapphires, rubies, and emeralds);
 - (d) Jewelry of precious metal or of metal clad with precious metal.
2. Transportation items, as follows:
 - (a) Yachts;
 - (b) Luxury automobiles (and motor vehicles): automobiles and other motor vehicles to transport people (other than public transport), including station wagons;
 - (c) Racing cars.

Schedule-V

S/RES/2270 (2016)

United Nations**Security Council**

Distr.: General

2 March 2016

Resolution 2270 (2016)**Adopted by the Security Council at its 7638th meeting, on 2 March 2016***The Security Council,*

Recalling its previous relevant resolutions, including resolution 825 (1993), resolution 1540 (2004), resolution 1695 (2006), resolution 1718 (2006), resolution 1874 (2009), resolution 1887 (2009), resolution 2087 (2013) and resolution 2094 (2013), as well as the statements of its President of 6 October 2006 (S/PRST/2006/41), 13 April 2009 (S/PRST/2009/7) and 16 April 2012 (S/PRST/2012/13),

Reaffirming that proliferation of nuclear, chemical and biological weapons, as well as their means of delivery, constitutes a threat to international peace and security,

Expressing gravest concern at the nuclear test conducted by the Democratic People's Republic of Korea ("the DPRK") on 6 January 2016 in violation of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) and 2094 (2013), and at the challenge such a test constitutes to the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons ("the NPT") and to international efforts aimed at strengthening the global regime of non-proliferation of nuclear weapons, and the danger it poses to peace and stability in the region and beyond,

Underlining once again the importance that the DPRK respond to other security and humanitarian concerns of the international community,

Underlining also that measures imposed by this resolution are not intended to have adverse humanitarian consequences for the civilian population DPRK,

Regretting the DPRK's diversion of financial, technical and industrial resources toward developing its nuclear weapons and ballistic missile program, and condemning its declared intent to develop nuclear weapons,

Expressing deep concern at the grave hardship that the DPRK people are subjected to,

Expressing great concern that the DPRK's arms sales have generated revenues that are diverted to the pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles while DPRK citizens have great unmet needs,

Expressing serious concern that the DPRK has continued to violate relevant Security Council resolutions through repeated launches of ballistic missiles in 2014 and 2015, as well as the submarine-launched ballistic missile ejection test in 2015 and *noting* that all such ballistic missile activities contribute to the DPRK's

development of nuclear weapons delivery systems and increase tension in the region and beyond,

Expressing continued concern that the DPRK is abusing the privileges and immunities accorded under the Vienna Conventions on Diplomatic and Consular Relations,

Expressing its gravest concern that the DPRK's ongoing nuclear-, and ballistic missile-related activities have further generated increased tension in the region and beyond, and *determining* that there continues to exist a clear threat to international peace and security,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, and taking measures under its Article 41,

1. *Condemns* in the strongest terms the nuclear test conducted by the DPRK on 6 January 2016 in violation and flagrant disregard of the Council's relevant resolutions, and further *condemns* the DPRK's launch of 7 February 2016, which used ballistic missile technology and was in serious violation of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), and 2094 (2013);

2. *Reaffirms* its decisions that the DPRK shall not conduct any further launches that use ballistic missile technology, nuclear tests, or any other provocation, and shall suspend all activities related to its ballistic missile program and in this context re-establish its pre-existing commitments to a moratorium on missile launches, and *demands* that the DPRK immediately comply fully with these obligations;

3. *Reaffirms* its decisions that the DPRK shall abandon all nuclear weapons and existing nuclear programs in a complete, verifiable and irreversible manner, and immediately cease all related activities;

4. *Reaffirms* its decision that the DPRK shall abandon all other existing weapons of mass destruction and ballistic missile programs in a complete, verifiable and irreversible manner;

5. *Reaffirms* that, pursuant to paragraph 8 (c) of resolution 1718 (2006), all Member States shall prevent any transfers to the DPRK by their nationals or from their territories, or from the DPRK by its nationals or from its territory, of technical training, advice, services or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related items, materials, equipment, goods and technology, and *underscores* that this provision prohibits the DPRK from engaging in any form of technical cooperation with other Member States on launches using ballistic missile technology, even if characterized as a satellite launch or space launch vehicle;

6. *Decides* that the measures in paragraph 8 (a) of resolution 1718 (2006) shall also apply to all arms and related materiel, including small arms and light weapons and their related materiel, as well as to financial transactions, technical training, advice, services or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of such arms and related materiel;

7. *Affirms* that the obligations imposed in paragraphs 8 (a), 8 (b) and 8 (c) of resolution 1718 (2006), as extended by paragraphs 9 and 10 of resolution 1874 (2009), apply with respect to the shipment of items to or from the DPRK for repair, servicing, refurbishing, testing, reverse-engineering, and marketing, regardless of whether ownership or control is transferred, and *underscores* that the measures

specified in paragraph 8 (e) of resolution 1718 (2006) shall also apply to any individual traveling for the purposes of carrying out the activities described in this paragraph;

8. *Decides* that the measures imposed in paragraphs 8 (a) and 8 (b) of resolution 1718 (2006) shall also apply to any item, except food or medicine, if the State determines that such item could directly contribute to the development of the DPRK's operational capabilities of its armed forces, or to exports that support or enhance the operational capabilities of armed forces of another Member State outside the DPRK, and *decides* also that this provision shall cease to apply to the supply, sale or transfer of an item, or its procurement, if:

(a) the State determines that such activity is exclusively for humanitarian purposes or exclusively for livelihood purposes which will not be used by DPRK individuals or entities to generate revenue, and also not related to any activity prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, provided that the State notifies the Committee in advance of such determination and also informs the Committee of measures taken to prevent the diversion of the item for such other purposes, or

(b) the Committee has determined on a case-by-case basis that a particular supply, sale or transfer would not be contrary to the objectives of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution;

9. *Recalls* that paragraph 9 of resolution 1874 (2009) requires States to prohibit the procurement from the DPRK of technical training, advice, services or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of arms and related materiel, and *clarifies* that this paragraph prohibits States from engaging in the hosting of trainers, advisors, or other officials for the purpose of military-, paramilitary- or police-related training;

10. *Decides* that the measures specified in paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006) shall apply also to the individuals and entities listed in Annex I and II of this resolution and to any individuals or entities acting on their behalf or at their direction, and to entities owned or controlled by them, including through illicit means;

11. *Decides* that the measures specified in paragraph 8 (e) of resolution 1718 (2006) shall apply also to the individuals listed in Annex I of this resolution and to individuals acting on their behalf or at their direction;

12. *Affirms* that "economic resources," as referred to in paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006), includes assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, actual or potential, which potentially may be used to obtain funds, goods, or services, such as vessels (including maritime vessels);

13. *Decides* that if a Member State determines that a DPRK diplomat, governmental representative, or other DPRK national acting in a governmental capacity, is working on behalf or at the direction of a designated individual or entity, or of an individual or entities assisting in the evasion of sanctions or violating the provisions of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, then the Member State shall expel the individual from its territory for the purpose of repatriation to the DPRK consistent with applicable national and international law, provided that nothing in this paragraph shall impede the transit of representatives of the Government of the DPRK to the United Nations Headquarters

or other UN facilities to conduct United Nations business, and *decides* that the provisions of this paragraph shall not apply with respect to a particular individual if: a) the presence of the individual is required for fulfillment of a judicial process, b) the presence of the individual is required exclusively for medical, safety or other humanitarian purposes, or c) the Committee has determined on a case-by-case basis that the expulsion of the individual would be contrary to the objectives of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) and this resolution;

14. *Decides* that, if a Member State determines that an individual who is not a national of that State is working on behalf of or at the direction of a designated individual or entity or assisting the evasion of sanctions or violating the provisions of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, then Member States shall expel the individual from their territories for the purpose of repatriation to the individual's state of nationality, consistent with applicable national and international law, unless the presence of the individual is required for fulfillment of a judicial process or exclusively for medical, safety or other humanitarian purposes, or the Committee has determined on a case-by-case basis that the expulsion of the individual would be contrary to the objectives of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, provided that nothing in this paragraph shall impede the transit of representatives of the Government of the DPRK to the United Nations Headquarters or other UN facilities to conduct United Nations business;

15. *Underscores* that, as a consequence of implementing the obligations imposed in paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006) and paragraphs 8 and 11 of resolution 2094 (2013), all Member States shall close the representative offices of designated entities and prohibit such entities, as well as individuals or entities acting for or on their behalf, directly or indirectly, from participating in joint ventures or any other business arrangements, and *underscores* that if a representative of such an office is a DPRK national, then States are required to expel the individual from their territories for the purpose of repatriation to the DPRK consistent with applicable national and international law, pursuant to and consistent with paragraph 10 of resolution 2094 (2013);

16. *Notes* that the DPRK frequently uses front companies, shell companies, joint ventures and complex, opaque ownership structures for the purpose of violating measures imposed in relevant Security Council resolutions, and, in this regard, *directs* the Committee, with the support of the Panel, to identify individuals and entities engaging in such practices and, if appropriate, designate them to be subject to the measures imposed in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) and this resolution;

17. *Decides* that all Member States shall prevent specialized teaching or training of DPRK nationals within their territories or by their nationals of disciplines which could contribute to the DPRK's proliferation sensitive nuclear activities or the development of nuclear weapon delivery systems, including teaching or training in advanced physics, advanced computer simulation and related computer sciences, geospatial navigation, nuclear engineering, aerospace engineering, aeronautical engineering and related disciplines;

18. *Decides* that all States shall inspect the cargo within or transiting through their territory, including in their airports, seaports and free trade zones, that has originated in the DPRK, or that is destined for the DPRK, or has been brokered or facilitated by the DPRK or its nationals, or by individuals or entities acting on their

behalf or at their direction, or entities owned or controlled by them, or by designated individuals or entities, or that is being transported on DPRK flagged aircraft or maritime vessels, for the purposes of ensuring that no items are transferred in violation of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) and this resolution, and calls upon States to implement such inspections in a manner that minimizes the impact on the transfer of cargo that the State determines is for humanitarian purposes;

19. *Decides* that Member States shall prohibit their nationals and those in their territories from leasing or chartering their flagged vessels or aircraft or providing crew services to the DPRK, and *decides* that this prohibition shall also apply with respect to any designated individuals or entities, any other DPRK entities, any other individuals or entities whom the State determines to have assisted in the evasion of sanctions or in violating the provisions of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, any individuals or entities acting on behalf or at the direction of any of the aforementioned, and any entities owned or controlled by any of the aforementioned, *calls upon* Member States to de-register any vessel that is owned, operated or crewed by the DPRK, further *calls upon* Member States not to register any such vessel that is de-registered by another Member State pursuant to this paragraph, and *decides* that this provision shall not apply with respect to such leasing, chartering or provision of crew services notified to the Committee in advance on a case-by-case basis accompanied by: a) information demonstrating that such activities are exclusively for livelihood purposes which will not be used by DPRK individuals or entities to generate revenue, and b) information on measures taken to prevent such activities from contributing to violations of the aforementioned resolutions;

20. *Decides* that all States shall prohibit their nationals, persons subject to their jurisdiction and entities incorporated in their territory or subject to their jurisdiction from registering vessels in the DPRK, obtaining authorization for a vessel to use the DPRK flag, and from owning, leasing, operating, providing any vessel classification, certification or associated service, or insuring any vessel flagged by the DPRK, and *decides* that this measure shall not apply to activities notified in advance by the Committee on a case-by-case basis, following provision to the Committee of detailed information on the activities, including the names of individuals and entities involved in them, information demonstrating that such activities are exclusively for livelihood purposes which will not be used by DPRK individuals or entities to generate revenue and on measures taken to prevent such activities from contributing to violations of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution;

21. *Decides* that all States shall deny permission to any aircraft to take off from, land in or overfly, unless under the condition of landing for inspection, their territory, if they have information that provides reasonable grounds to believe that the aircraft contains items the supply, sale, transfer or export of which is prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, except in the case of an emergency landing, and *calls upon* all States, when considering whether to grant overflight permission to flights to assess known risk factors;

22. *Decides* that all Member States shall prohibit the entry into their ports of any vessel if the Member State has information that provides reasonable grounds to believe the vessel is owned or controlled, directly or indirectly, by a designated

individual or entity, or contains cargo the supply, sale, transfer or export of which is prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, unless entry is required in the case of emergency or in the case of return to its port of origination, or for inspection, or unless the Committee determines in advance that such entry is required for humanitarian purposes or any other purposes consistent with the objectives of this resolution;

23. *Recalls* that the Committee has designated the DPRK firm Ocean Maritime Management (OMM), *notes* that the vessels specified in Annex III of this resolution are economic resources controlled or operated by OMM and therefore subject to the asset freeze imposed in paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006), and *underscores* that Member States are required to implement the relevant provisions of that resolution;

24. *Decides* that the DPRK shall abandon all chemical and biological weapons and weapons-related programs, and shall act strictly in accordance with its obligations as a State Party to the Convention on the Prohibition of the Development, Production, or Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and Their Destruction, and *calls upon* the DPRK to accede to the Convention of the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and Their Destruction, and then to immediately comply with its provisions;

25. *Decides* to adjust the measures imposed by paragraph 8 of resolution 1718 (2006) and this resolution through the designation of additional goods, *directs* the Committee to undertake its tasks to this effect and to report to the Security Council within fifteen days of adoption of this resolution, and further *decides* that, if the Committee has not acted, then the Security Council will complete action to adjust the measures within seven days of receiving that report;

26. *Directs* the Committee to review and update the items contained in S/2006/853/CORR.1 no later than sixty days from the adoption of this resolution and on an annual basis thereafter;

27. *Decides* that the measures imposed in paragraphs 8 (a) and 8 (b) of resolution 1718 (2006) shall also apply to any item if the State determines that such item could contribute to the DPRK's nuclear or ballistic missile programs or other weapons of mass destruction programs, activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), and this resolution, or to the evasion of measures imposed by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), and this resolution;

28. *Reaffirms* paragraphs 14 through 16 of resolution 1874 (2009), and paragraph 8 of resolution 2087 (2013), and *decides* that these paragraphs shall apply also with respect to any items the supply, sale or transfer of which is prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution identified in inspections conducted pursuant to paragraph 18 of this resolution;

29. *Decides* that the DPRK shall not supply, sell or transfer, directly or indirectly, from its territory or by its nationals or using its flag vessels or aircraft, coal, iron, and iron ore, and that all States shall prohibit the procurement of such material from the DPRK by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in the territory of the DPRK, and *decides* that this provision shall not apply with respect to:

(a) Coal that the procuring State confirms on the basis of credible information has originated outside the DPRK and was transported through the DPRK solely for export from the Port of Rajin (Rason), provided that the State notifies the Committee in advance and such transactions are unrelated to generating revenue for the DPRK's nuclear or ballistic missile programs or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution; and,

(b) Transactions that are determined to be exclusively for livelihood purposes and unrelated to generating revenue for the DPRK's nuclear or ballistic missile programs or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution;

30. *Decides* that the DPRK shall not supply, sell or transfer, directly or indirectly, from its territory or by its nationals or using its flag vessels or aircraft, gold, titanium ore, vanadium ore, and rare earth minerals, and that all States shall prohibit the procurement of such material from the DPRK by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in the territory of the DPRK;

31. *Decides* that all States shall prevent the sale or supply, by their nationals or from their territories or using their flag vessels or aircraft, of aviation fuel, including aviation gasoline, naphtha-type jet fuel, kerosene-type jet fuel, and kerosene-type rocket fuel, whether or not originating in their territory, to the territory of the DPRK, or unless the Committee has approved in advance on an exceptional case-by-case basis the transfer to the DPRK of such products for verified essential humanitarian needs, subject to specified arrangements for effective monitoring of delivery and use, and *decides* also that this provision shall not apply with respect to the sale or supply of aviation fuel to civilian passenger aircraft outside the DPRK exclusively for consumption during its flight to the DPRK and its return flight;

32. *Decides* that the asset freeze imposed by paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006) shall apply to all the funds, other financial assets and economic resources outside of the DPRK that are owned or controlled, directly or indirectly, by entities of the Government of the DPRK or the Worker's Party of Korea, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them, that the State determines are associated with the DPRK's nuclear or ballistic missile programs or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, *decides* further that all States except the DPRK shall ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any individuals or entities within their territories, to or for the benefit of such individuals or entities, or individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or entities owned or controlled by them, and *decides* that these measures shall not apply with respect to funds, other financial assets and economic resources that are required to carry out activities of the DPRK's missions to the United Nations and its specialized agencies and related organizations or other diplomatic and consular missions of the DPRK, and to any funds, other financial assets and economic resources that the Committee determines in advance on a case-by-case basis are required for the delivery of humanitarian assistance, denuclearization or any other purpose consistent with the objectives of this resolution;

33. *Decides* that States shall prohibit in their territories the opening and operation of new branches, subsidiaries, and representative offices of DPRK banks, *decides* further that States shall prohibit financial institutions within their territories or subject to their jurisdiction from establishing new joint ventures and from taking an ownership interest in or establishing or maintaining correspondent relationships with DPRK banks, unless such transactions have been approved by the Committee in advance, and *decides* that States shall take the necessary measures to close such existing branches, subsidiaries and representative offices, and also to terminate such joint ventures, ownership interests and correspondent banking relationships with DPRK banks within ninety days from the adoption of this resolution;

34. *Decides* that States shall prohibit financial institutions within their territories or subject to their jurisdiction from opening new representative offices or subsidiaries, branches or banking accounts in the DPRK;

35. *Decides* that States shall take the necessary measures to close existing representative offices, subsidiaries or banking accounts in the DPRK within ninety days, if the State concerned has credible information that provides reasonable grounds to believe that such financial services could contribute to the DPRK's nuclear or ballistic missile programs, or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, and *decides* further that this provision shall not apply if the Committee determines on a case-by-case basis that such offices, subsidiaries or accounts are required for the delivery of humanitarian assistance or the activities of diplomatic missions in the DPRK pursuant to the Vienna Convention on Diplomatic Relations or the activities of the United Nations or its specialized agencies or related organizations, or for any other purposes consistent with resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution;

36. *Decides* that all States shall prohibit public and private financial support from within their territories or by persons or entities subject to their jurisdiction for trade with the DPRK (including the granting of export credits, guarantees or insurance to their nationals or entities involved in such trade) where such financial support could contribute to the DPRK's nuclear or ballistic missile programs or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, including paragraph 8;

37. *Expresses* concern that transfers to the DPRK of gold may be used to evade the measures imposed in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) and this resolution, and *clarifies* that all States shall apply the measures set forth in paragraph 11 of resolution 2094 (2013) to the transfers of gold, including through gold couriers, transiting to and from the DPRK so as to ensure such transfers of gold do not contribute to the DPRK's nuclear or ballistic missile programs, or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, or to the evasion of measures imposed by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution;

38. *Recalls* that the Financial Action Task Force (FATF) has called upon countries to apply enhanced due diligence and effective countermeasure to protect their jurisdictions from the DPRK's illicit financial activity, and *calls upon* Member States to apply the FATF Recommendation 7, its Interpretive Note, and related guidance to effectively implement targeted financial sanctions related to proliferation;

39. *Reaffirms* the measures imposed in paragraph 8 (a) (iii) of resolution 1718 (2006) regarding luxury goods, and *clarifies* that the term “luxury goods” includes, but is not limited to, the items specified in Annex V of this resolution;

40. *Calls upon* all States to report to the Security Council within ninety days of the adoption of this resolution, and thereafter upon request by the Committee, on concrete measures they have taken in order to implement effectively the provisions of this resolution, *requests* the Panel of Experts established pursuant to resolution 1874 (2009), in cooperation with other UN sanctions monitoring groups, to continue its efforts to assist States in preparing and submitting such reports in a timely manner, and *directs* the Committee to prioritize outreach to those Member States who have never submitted implementation reports as requested by the Security Council;

41. *Calls upon* all States to supply information at their disposal regarding non-compliance with the measures imposed in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution;

42. *Encourages* all States to examine the circumstances of previously reported sanctions violations, particularly the items seized or activities prevented pursuant to the relevant resolutions, so as to assist in ensuring full and appropriate implementation of these resolutions, especially paragraph 27 of this resolution, and *notes* in this regard the reporting of the Panel of Experts and the information regarding sanctions violations that the Committee has released publicly;

43. *Directs* the Committee to respond effectively to violations of the measures decided in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), and this resolution, and, in this regard, *directs* the Committee to designate additional individuals and entities to be subject to the measures imposed in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), and this resolution;

44. *Directs* the Committee to continue its efforts to assist Member States in implementing the measures imposed on the DPRK, and, in this regard, *requests* the Committee to draft and circulate a comprehensive compilation of all the measures imposed in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), and this resolution so as to facilitate Member State implementation;

45. *Directs* the Committee to update the information contained on the Committee’s list of individuals and entities, including new aliases and front companies, and *directs* the Committee to complete this task within 45 days of the adoption of this resolution and every twelve months thereafter;

46. *Decides* that the mandate of the Committee, as set out in paragraph 12 of resolution 1718 (2006), shall apply with respect to the measures imposed in resolution 1874 (2009), 2094 (2013) and this resolution;

47. *Emphasizes* the importance of all States, including the DPRK, taking the necessary measures to ensure that no claim shall lie at the instance of the DPRK, or of any person or entity in the DPRK, or of persons or entities designated for measures set forth in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, or any person claiming through or for the benefit of any such person or entity, in connection with any contract or other transaction where its performance was prevented by reason of the measures imposed by this resolution or previous resolutions;

48. *Underlines* that measures imposed by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) and this resolution are not intended to have adverse humanitarian consequences for the civilian population of the DPRK or to affect negatively those activities, including economic activities and cooperation, that are not prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, and the work of international organizations and non-governmental organization carrying out assistance and relief activities in the DPRK for the benefit of the civilian population of the DPRK;

49. *Reiterates* the importance of maintaining peace and stability on the Korean Peninsula and in north-east Asia at large, and *expresses* its commitment to a peaceful, diplomatic and political solution to the situation and welcomes efforts by Council members as well as other States to facilitate a peaceful and comprehensive solution through dialogue and to refrain from any actions that might aggravate tensions;

50. *Reaffirms* its support to the Six Party Talks, *calls* for their resumption, and *reiterates* its support for the commitments set forth in the Joint Statement of 19 September 2005 issued by China, the DPRK, Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation, and the United States, including that the goal of the Six-Party Talks is the verifiable denuclearization of the Korean Peninsula in a peaceful manner, that the United States and the DPRK undertook to respect each other's sovereignty and exist peacefully together, and that the Six Parties undertook to promote economic cooperation, and all other relevant commitments;

51. *Affirms* that it shall keep the DPRK's actions under continuous review and is prepared to strengthen, modify, suspend or lift the measures as may be needed in light of the DPRK's compliance, and, in this regard, *expresses its determination* to take further significant measures in the event of a further DPRK nuclear test or launch;

52. *Decides* to remain seized of the matter.

Annex I

Travel Ban/Asset Freeze (Individuals)

1. CHOE CHUN-SIK

- a. *Description*: Choe Chun-sik was the director of the Second Academy of Natural Sciences (SANS) and was the head of the DPRK's long-range missile program.
- b. *AKA*: Choe Chun Sik; Ch'oe Ch'un Sik
- c. *Identifiers*: DOB: 12 October 1954; Nationality: DPRK

2. CHOE SONG IL

- a. *Description*: Tanchon Commercial Bank Representative in Vietnam
- b. *AKA*: NA
- c. *Identifiers*: Passport: 472320665; Passport Date of Expiration: 26 Sep 2017; Passport: 563120356; Nationality: DPRK

3. HYON KWANG IL

- a. *Description*: Hyon Kwang Il is the Department Director for Scientific Development at the National Aerospace Development Administration.

- b. *AKA:* Hyon Gwang Il
- c. *Identifiers:* DOB: 27 May 1961; Nationality: DPRK
4. JANG BOM SU
 - a. *Description:* Tanchon Commercial Bank Representative in Syria
 - b. *AKA:* Jang Pom Su
 - c. *Identifiers:* DOB: 15 April 1957; Nationality: DPRK
5. JANG YONG SON
 - a. *Description:* Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) Representative in Iran
 - b. *AKA:* NA
 - c. *Identifiers:* DOB: 20 February 1957; Nationality: DPRK
6. JON MYONG GUK
 - a. *Description:* Tanchon Commercial Bank Representative in Syria
 - b. *AKA:* Cho'n Myo'ng-kuk
 - c. *Identifiers:* Passport:4721202031; Passport Date of Expiration: 21 Feb 2017; Nationality: DPRK; DOB: 18 Oct 1976
7. KANG MUN KIL
 - a. *Description:* Kang Mun Kil has conducted nuclear procurement activities as a representative of Namchongang, also known as Namhung.
 - b. *AKA:* Jiang Wen-ji
 - c. *Identifiers:* Passport: PS 472330208; Passport Date of Expiration: 4 July 2017; Nationality: DPRK
8. KANG RYONG
 - a. *Description:* Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) Representative in Syria
 - b. *AKA:* NA
 - c. *Identifiers:* DOB: 21 August 1969; Nationality: DPRK
9. KIM JUNG JONG
 - a. *Description:* Tanchon Commercial Bank Representative in Vietnam
 - b. *AKA:* Kim Chung Chong
 - c. *Identifiers:* Passport: 199421147 Passport Date of Expiration: 29 Dec 2014; Passport: 381110042, Passport Date of Expiration: 25 Jan 2016; Passport: 563210184, Passport Date of Expiration: 18 Jun 2018; DOB: 07 Nov 1966, Nationality: DPRK
10. KIM KYU
 - a. *Description:* Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) External Affairs Officer
 - b. *AKA:* NA

- c. *Identifiers*: DOB: 30 July 1968, Nationality: DPRK
11. KIM TONG MY'ONG
- a. *Description*: Kim Tong My'ong is the President of Tanchon Commercial Bank and has held various positions within Tanchon Commercial bank since at least 2002. He has also played a role in managing Amrogang's affairs.
- b. *AKA*: Kim Chin-So'k, Kim Tong-Myong, Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol
- c. *Identifiers*: DOB: 1964; Nationality: DPRK
12. KIM YONG CHOL
- a. *Description*: KOMID Representative in Iran
- b. *AKA*: NA
- c. *Identifiers*: DOB. 18 February 1962; Nationality: DPRK
13. KO TAE HUN
- a. *Description*: Tanchon Commercial Bank Representative
- b. *AKA*: Kim Myong Gi
- c. *Identifiers*: Passport: 563120630; Passport Date of Expiration: 20 March 2018, D.O.B. 25 May 1972; Nationality: DPRK
14. RI MAN GON
- a. *Description*: Ri Man Gon is the Minister of the Munitions Industry Department.
- b. *AKA*: n/a
- c. *Identifiers*: DOB: 29 October 1945; Passport number: PO381230469; Passport Date of Expiration: 6 April 2016; Nationality: DPRK
15. RYU JIN
- a. *Description*: KOMID Representative in Syria
- b. *AKA*: NA
- c. *Identifiers*: DOB: 07 August 1965; Passport Number: 563410081; Nationality: DPRK
16. YU CHOL U
- a. *Description*: Yu Chol U is the Director of the National Aerospace Development Administration.
- b. *AKA*: n/a
- c. *Identifiers*: Nationality: DPRK
- List Update for Alias: Ra, Kyong-Su (KPi.008) — *New AKA*: Chang, Myong Ho

Annex II

Asset Freeze (Entities)

1. ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE

- a. *Description:* The Academy of National Defense Science is involved in the DPRK's efforts to advance the development of its ballistic missile and nuclear weapons programs.
 - b. *AKA:* n/a
 - c. *Location:* Pyongyang, DPRK
2. CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY
- a. *Description:* The Chongchongang Shipping Company, through its vessel, the Chong Chon Gang, attempted to directly import the illicit shipment of conventional weapons and arms to the DPRK in July 2013.
 - b. *AKA:* Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.
 - c. *Location:* Address: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, DPRK; Alternate Address: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, DPRK; IMO Number: 5342883
3. DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
- a. *Description:* Daedong Credit Bank has provided financial services to the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) and Tanchon Commercial Bank. Since at least 2007, DCB has facilitated hundreds of financial transactions worth millions of dollars on behalf of KOMID and Tanchon Commercial Bank. In some cases, DCB has knowingly facilitated transactions by using deceptive financial practices.
 - b. *AKA:* DCB; AKA: Taedong Credit Bank
 - c. *Location:* Address: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, DPRK; Alternate Address: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, DPRK; SWIFT: DCBK KKPY
4. HESONG TRADING COMPANY
- a. *Description:* The Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) is the parent company of Hesong Trading Corporation.
 - b. *Location:* Pyongyang, DPRK
5. KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)
- a. *Description:* KKBC provides financial services in support to Tanchon Commercial Bank and Korea Hyoksin Trading Corporation, a subordinate of the Korea Ryonbong General Corporation. Tanchon Commercial Bank has used KKBC to facilitate funds transfers likely amounting to millions of dollars, including transfers involving Korea Mining Development Corporation related funds.
 - b. *AKA:* KKBC
 - c. *Address:* Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, DPRK
6. KOREA KWANGSONG TRADING CORPORATION
- a. *Description:* The Korea Ryonbong General Corporation is the parent company of Korea Kwangsong Trading Corporation.
 - b. *Address:* Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK
7. MINISTRY OF ATOMIC ENERGY INDUSTRY

- a. *Description:* The Ministry of Atomic Energy Industry was created in 2013 for the purpose of modernizing the DPRK's atomic energy industry to increase the production of nuclear materials, improve their quality, and further develop an independent DPRK nuclear industry. As such, the MAEI is known to be a critical player in the DPRK's development of nuclear weapons and is in charge of day-to-day operation of the country's nuclear weapons program, and under it are other nuclear-related organizations. Under this ministry are a number of nuclear-related organizations and research centers, as well as two committees: an Isotope Application Committee and a Nuclear Energy Committee. The MAEI also directs a nuclear research center at Yongbyun, the site of the DPRK's known plutonium facilities. Furthermore, in the 2015 Panel of Experts (POE) report, the POE stated that Ri Je-son, a former director of the GBAE who was designated by the Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) in 2009 for engagement in or support for nuclear related programs, was appointed as head of the MAEI on April 9, 2014.
 - b. *AKA:* MAEI
 - c. *Address:* Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, DPRK
8. MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT
- a. *Description:* The Munitions Industry Department is involved in key aspects of the DPRK's missile program. MID is responsible for overseeing the development of the DPRK's ballistic missiles, including the Taepo Dong-2. The MID oversees the DPRK's weapons production and R&D programs, including the DPRK's ballistic missile program. The Second Economic Committee and the Second Academy of Natural Sciences — also designated in August 2010 — are subordinate to the MID. The MID in recent years has worked to develop the KN08 road-mobile ICBM.
 - b. *AKA:* Military Supplies Industry Department
 - c. *Location:* Pyongyang, DPRK
9. NATIONAL AEROSPACE DEVELOPMENT ADMINISTRATION
- a. *Description:* NADA is involved in the DPRK's development of space science and technology, including satellite launches and carrier rockets.
 - b. *AKA:* NADA
 - c. *Location:* DPRK
10. OFFICE 39
- a. *Description:* DPRK government entity.
 - b. *AKA:* Office #39; AKA: Office No. 39; AKA: Bureau 39; AKA: Central Committee Bureau 39; AKA: Third Floor; AKA: Division 39
 - c. *Location:* DPRK
11. RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU
- a. *Description:* The Reconnaissance General Bureau is the DPRK's premiere intelligence organization, created in early 2009 by the merger of existing intelligence organizations from the Korean Workers' Party, the Operations Department and Office 35, and the Reconnaissance Bureau of the Korean People's Army. The Reconnaissance General Bureau trades in conventional

arms and controls the DPRK conventional arms firm Green Pine Associated Corporation.

- b. AKA: Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB
- c. *Location:* Address: Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, DPRK; Alternate Address: Nungrado, Pyongyang, DPRK.

12. SECOND ECONOMIC COMMITTEE

- a. *Description:* The Second Economic Committee is involved in key aspects of the DPRK's missile program. The Second Economic Committee is responsible for overseeing the production of the DPRK's ballistic missiles, and directs the activities of KOMID.
- b. AKA: N/A
- c. *Location:* Kangdong, DPRK

List Update for Alias: NAMCHONGANG TRADING CORPORATION (KPe.004) —
New AKA: Namhung Trading Corporation

Annex III

OMM Vessels

<i>Ship Name</i>	<i>IMO Number</i>
1. CHOL RYONG (RYONG GUN BONG)	8606173
2. CHONG BONG(GREENLIGHT)(BLUE NOUVELLE)	8909575
3. CHONG RIM 2	8916293
4. DAWNLIGHT	9110236
5. EVER BRIGHT 88 (J STAR)	8914934
6. GOLD STAR 3 (BENEVOLENCE 2)	8405402
7. HOE RYONG	9041552
8. HU CHANG (O UN CHONG NYON)	8330815
9. HUI CHON (HWANG GUM SAN 2)	8405270
10. JH 86	8602531
11. JI HYE SAN (HYOK SIN 2)	8018900
12. JIN Tal	9163154
13. JIN TENG	9163166
14. KANG GYE (PI RYU GANG)	8829593
15. MI RIM	8713471
16. MI RIM 2	9361407
17. O RANG (PO THONG GANG)	8829555
18. ORION STAR (RICHOCÉAN)	9333589
19. RA NAM 2	8625545

<i>Ship Name</i>	<i>IMO Number</i>
20. RANAM 3	9314650
21. RYO MYONG	8987333
22. RYONG RIM (JON JIN 2)	8018912
23. SE PHO (RAK WON 2)	8819017
24. SONGJIN (JANG JA SAN CHONG NYON HO)	8133530
25. SOUTH HILL 2	8412467
26. SOUTH HILL 5	9138680
27. TAN CHON (RYONG GANG 2)	7640378
28. THAE PYONG SAN (PETREL 1)	9009085
29. TONG HUNG SAN (CHONG CHON GANG)	7937317
30. GRAND KARO	8511823
31. TONG HUNG 1	8661575

Annex IV:**Luxury Goods**

- (a) Luxury watches: wrist, pocket, and other with a case of precious metal or of metal clad with precious metal
- (b) Transportation items, as follows:
 - (1) aquatic recreational vehicles (such as personal watercraft)
 - (2) snowmobiles (valued greater than \$2,000)
- (c) Items of lead crystal
- (d) Recreational sports equipment

Schedule-VI**United Nations****S/RES/2321(2016)****Security Council****Distr.: General**

30 November 2016

Resolution 2321 (2016)**Adopted by the Security Council at its 7821st meeting, on 30 November 2016***The Security Council,*

Recalling its previous relevant resolutions, including resolution 825 (1993), resolution 1540 (2004), resolution 1695 (2006), resolution 1718 (2006), resolution 1874 (2009), resolution 1887 (2009), resolution 2087 (2013), resolution 2094 (2013), and resolution 2270 (2016), as well as the statements of its President of 6 October 2006 (S/PRST/2006/41), 13 April 2009 (S/PRST/2009/7) and 16 April 2012 (S/PRST/2012/13),

Reaffirming that proliferation of nuclear, chemical and biological weapons, as well as their means of delivery, constitutes a threat to international peace and security,

Expressing its gravest concern at the nuclear test by the Democratic People's Republic of Korea ("the DPRK") on September 9, 2016 in violation of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) and 2270 (2016), and at the challenge such a test constitutes to the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons ("the NPT") and to international efforts aimed at strengthening the global regime of non-proliferation of nuclear weapons, and the danger it poses to peace and stability in the region and beyond,

Underlining once again the importance that the DPRK respond to other security and humanitarian concerns of the international community,

Underlining also that measures imposed by this resolution are not intended to have adverse humanitarian consequences for the civilian population of the DPRK,

Expressing serious concern that the DPRK has continued to violate relevant Security Council resolutions through repeated launches and attempted launches of ballistic missiles, and *noting* that all such ballistic missile activities contribute to the DPRK's development of nuclear weapons delivery systems and increase tension in the region and beyond,

Expressing continued concern that the DPRK is abusing the privileges and immunities accorded under the Vienna Conventions on Diplomatic and Consular Relations,

Expressing great concern that the DPRK's prohibited arms sales have generated revenues that are diverted to the pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles while DPRK citizens have unmet needs,

Expressing its gravest concern that the DPRK's ongoing nuclear- and ballistic missile-related activities have further generated increased tension in the region and beyond, and *determining* that there continues to exist a clear threat to international peace and security,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, and taking measures under its Article 41,

1. *Condemns* in the strongest terms the nuclear test conducted by the DPRK on 9 September 2016 in violation and flagrant disregard of the Security Council's resolutions;

2. *Reaffirms* its decisions that the DPRK shall not conduct any further launches that use ballistic missile technology, nuclear tests, or any other provocation; shall suspend all activities related to its ballistic missile programme and in this context re-establish its pre-existing commitments to a moratorium on missile launches; shall abandon all nuclear weapons and existing nuclear programmes in a complete, verifiable and irreversible manner, and immediately cease all related activities; and shall abandon all other existing weapons of mass destruction and ballistic missile programmes in a complete, verifiable and irreversible manner;

3. *Decides* that the measures specified in paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006) shall apply also to the individuals and entities listed in annex I and II of this resolution and to any individuals or entities acting on their behalf or at their direction, and to entities owned or controlled by them, including through illicit means, and *decides* further that the measures specified in paragraph 8 (e) of resolution 1718 (2006) shall also apply to the individuals listed in annex I of this resolution and to individuals acting on their behalf or at their direction;

4. *Decides* that the measures imposed in paragraph 8 (a), 8 (b) and 8 (c) of resolution 1718 (2006) shall also apply to the items, materials, equipment, goods and technology listed in annex III of this resolution;

5. *Reaffirms* the measures imposed in paragraph 8 (a) (iii) of resolution 1718 (2006) regarding luxury goods, and *clarifies* that the term “luxury goods” includes also, but is not limited to, the items specified in annex IV of this resolution;

6. *Reaffirms* paragraphs 14 through 16 of resolution 1874 (2009), and paragraph 8 of resolution 2087 (2013), and *decides* that these paragraphs shall apply also with respect to any items the supply, sale or transfer of which is prohibited by this resolution;

7. *Decides* that the measures imposed in paragraphs 8 (a), 8 (b), and 8 (c) of resolution 1718 (2006) shall also apply to the items listed in a new conventional arms dual-use list to be adopted by the Committee, *directs* the Committee to adopt this list within 15 days and to report to the Security Council to this effect, and further *decides* that, if the Committee has not acted, then the Security Council will complete action to adopt the list within seven days of receiving that report, and *directs* the Committee to update this list every 12 months;

8. *Decides* that paragraph 19 of resolution 2270 (2016) shall apply with respect to all leasing, chartering or provision of crew services to the DPRK without exception, unless the Committee approves on a case-by-case basis in advance;

9. *Decides* that paragraph 20 of resolution 2270 (2016) shall apply to registering vessels in the DPRK, obtaining authorization for a vessel to use the DPRK flag, and owning, leasing, operating, providing any vessel classification, certification or associated service, or insuring any vessel flagged by the DPRK, without exception, unless the Committee approves on a case-by-case basis in advance;

10. *Clarifies* that, for the purposes of implementing paragraph 17 of resolution 2270 (2016), specialized teaching and training which could contribute to the DPRK’s proliferation sensitive nuclear activities or the development of nuclear weapons delivery systems includes, but is not limited to advanced materials science, advanced chemical engineering, advanced mechanical engineering, advanced electrical engineering and advanced industrial engineering;

11. *Decides* that all Member States shall suspend scientific and technical cooperation involving persons or groups officially sponsored by or representing the DPRK except for medical exchanges unless:

(a) In the case of scientific or technical cooperation in the fields of nuclear science and technology, aerospace and aeronautical engineering and technology, or advanced manufacturing production techniques and methods, the Committee has determined on a case-by-case basis that a particular activity will not contribute to the DPRK’s proliferation sensitive nuclear activities or ballistic missile-related programmes; or

(b) In the case of all other scientific or technical cooperation, the State engaging in scientific or technical cooperation determines that the particular activity will not contribute to the DPRK’s proliferation sensitive nuclear activities or ballistic missile-related programmes and notifies the Committee in advance of such determination;

12. *Decides* that the Committee, if it has information that provides reasonable grounds to believe the vessels are or have been related to nuclear- or ballistic missile-related programmes or activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) or this resolution, may require any or all of the following measures with respect to vessels it designates pursuant to this paragraph: (a) the Flag State

of a designated vessel shall de-flag the vessel; (b) the Flag State of a designated vessel shall direct the vessel to a port identified by the Committee, in coordination with the port State; (c) all Member States shall prohibit a designated vessel from entering their ports, unless in case of emergency, in case of return to the vessel's port of origination, or in case of direction by the Committee; (d) a vessel designated by the Committee shall be subject to the asset freeze imposed in paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006);

13. *Expresses concern* that the personal luggage and checked baggage of individuals entering into or departing from the DPRK may be used to transport items the supply, sale or transfer of which is prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) or this resolution, and *clarifies* that such luggage and baggage constitute "cargo" for the purposes of implementing paragraph 18 of resolution 2270 (2016);

14. *Calls upon* all Member States to reduce the number of staff at DPRK diplomatic missions and consular posts;

15. *Decides* that all Member States shall take steps to restrict the entry into or transit through their territory of members of the Government of the DPRK, officials of that Government, and members of the DPRK armed forces, if the State determines that such members or officials are associated with the DPRK's nuclear or ballistic missile programmes or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), or this resolution;

16. *Decides* that all States shall take steps to limit the number of bank accounts to one per DPRK diplomatic mission and consular post, and one per accredited DPRK diplomat and consular officer, at banks in their territory;

17. *Recalls* that, under the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961, a diplomatic agent shall not in the receiving State practice for personal profit any professional or commercial activity, and *emphasizes* accordingly that DPRK diplomatic agents are prohibited in the receiving State from such practice of professional or commercial activity;

18. *Decides* that all Member States shall prohibit the DPRK from using real property that it owns or leases in their territory for any purpose other than diplomatic or consular activities;

19. *Recalls* that a Member of the United Nations against which preventive or enforcement action has been taken by the Security Council may be suspended from the exercise of the rights and privileges of membership by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council, and that the exercise of these rights and privileges may be restored by the Security Council;

20. *Recalls* that paragraph 18 of resolution 2270 (2016) requires all States to inspect the cargo within or transiting through their territory, including their airports, that has originated in the DPRK, or that is destined for the DPRK, or has been brokered or facilitated by the DPRK or its nationals, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or entities owned or controlled by them, or by designated individuals or entities, or that is being transported on DPRK-flagged aircraft, emphasizes that this measure requires States to inspect DPRK-flagged aircraft when they land in or take off from their territory, recalls also that paragraph 31 of resolution 2270 (2016) requires all States to prevent the sale or supply, by their nationals or from their territories or using their flag vessels or aircraft, of aviation fuel, to the territory of the DPRK, and *calls upon* all States to exercise vigilance to ensure that no more fuel is provided to DPRK-flagged civil

passenger aircraft than is necessary for the relevant flight, including a standard margin for safety of flight;

21. *Expresses* concern that prohibited items may be transported to and from the DPRK by rail and by road, and *underscores* that the obligation in paragraph 18 of resolution 2270 (2016) to inspect the cargo within or transiting through their territory includes the cargo being transported by rail and by road;

22. *Decides* that all Member States shall prohibit their nationals, persons subject to their jurisdiction and entities incorporated in their territory or subject to their jurisdiction from providing insurance or re-insurance services to vessels owned, controlled, or operated, including through illicit means, by the DPRK unless the Committee determines on a case-by-case basis that the vessel is engaged in activities exclusively for livelihood purposes which will not be used by DPRK individuals or entities to generate revenue or exclusively for humanitarian purposes;

23. *Decides* that all Member States shall prohibit their nationals from procuring vessel and aircraft crewing services from the DPRK;

24. *Decides* that all Member States shall de-register any vessel that is owned, controlled, or operated by the DPRK, and further *decides* that Member States shall not register any such vessel that has been de-registered by another Member State pursuant to this paragraph;

25. *Notes* that, for the purpose of implementing resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) and this resolution, the term “transit” includes but is not limited to the travel of individuals through a State’s international airport terminals en route to a destination in another State, regardless of whether such individuals pass through customs or passport control at that airport;

26. *Decides* that paragraph 29 of resolution 2270 (2016) shall be replaced by the following:

“*Decides* that the DPRK shall not supply, sell or transfer, directly or indirectly, from its territory or by its nationals or using its flag vessels or aircraft, coal, iron, and iron ore, and that all States shall prohibit the procurement of such material from the DPRK by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in the territory of the DPRK, and *decides* that this provision shall not apply with respect to:

(a) Coal that the procuring State confirms on the basis of credible information has originated outside the DPRK and was transported through the DPRK solely for export from the Port of Rajin (Rason), provided that the State notifies the Committee in advance and such transactions are unrelated to generating revenue for the DPRK’s nuclear or ballistic missile programmes or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution;

(b) Total exports to all Member States of coal originating in the DPRK that in the aggregate do not exceed 53,495,894 US dollars or 1,000,866 metric tons, whichever is lower, between the date of adoption of this resolution and 31 December 2016, and total exports to all Member States of coal originating in the DPRK that in the aggregate do not exceed 400,870,018 US dollars or 7,500,000 metric tons per year, whichever is lower, beginning 1 January 2017, provided that the procurements (i) involve no individuals or entities that are associated with the DPRK’s nuclear or ballistic missile programmes or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) or this resolution,

including designated individuals or entities, or individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or entities owned or controlled by them, directly or indirectly, or individuals or entities assisting in the evasion of sanctions, and (ii) are exclusively for livelihood purposes of DPRK nationals *and* unrelated to generating revenue for the DPRK's nuclear or ballistic missile programmes or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) or this resolution, and *decides* that each Member State that procures coal from the DPRK shall notify the Committee of the aggregate amount of the volume of such procurement for each month no later than 30 days after the conclusion of that month on the form in annex V to this resolution, *directs* the Committee to make publicly available on its website the volume of procurement of coal from the DPRK reported by Member States and value calculated by the Committee Secretary, as well as the amount reported for each month and with the number of States that reported for each month, *directs* the Committee to update this information on a real-time basis as it receives notifications, *calls upon* all States that import coal from the DPRK to periodically review this website to ensure that they do not exceed the mandatory aggregate annual limit, *directs* the Committee Secretary to notify all Member States when an aggregate value or volume of coal procurements from the DPRK of 75 per cent of the aggregate yearly amount has been reached, also *directs* the Committee Secretary to notify all Member States when an aggregate value or volume of coal procurements from the DPRK of 90 per cent of the aggregate yearly amount has been reached, further *directs* the Committee Secretary to notify all Member States when an aggregate value or volume of coal procurements from the DPRK of 95 per cent of the aggregate yearly amount has been reached and to inform them that they must immediately cease procuring coal from the DPRK for the year, and *requests* the Secretary-General to make the necessary arrangements to this effect and provide additional resources in this regard; and

(c) Transactions in iron and iron ore that are determined to be exclusively for livelihood purposes and unrelated to generating revenue for the DPRK's nuclear or ballistic missile programmes or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) or this resolution."

27. *Directs* the Panel of Experts, following the end of each month, to determine and transmit to the Committee, in no more than 30 days, an estimate of the average (mean) price in US dollars of coal exported from the DPRK that month based on credible and factually accurate trade data, and *directs* the Committee Secretary to use this average price as the basis to calculate the value of the procurement of coal from the DPRK each month based on the volume reported by States for the purposes of notifying all member states and making publicly available DRPK export levels on the Committee website on a real-time basis as required in paragraph 26 of this resolution;

28. *Decides* that the DPRK shall not supply, sell or transfer, directly or indirectly, from its territory or by its nationals or using its flag vessels or aircraft, copper, nickel, silver and zinc, and that all Member States shall prohibit the procurement of such material from the DPRK by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in the territory of the DPRK;

29. *Decides* that the DPRK shall not supply, sell or transfer, directly or indirectly, from its territory or by its nationals or using its flag vessels or aircraft, statues, and that all States shall prohibit the procurement of such items from the DPRK by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, whether or not originating in the territory of the DPRK, unless the Committee approves on a case-by-case basis in advance;

30. *Decides* that all Member States shall prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK, through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in their territories, of new helicopters and vessels, except as approved in advance by the Committee on a case-by-case basis;

31. *Decides* that Member States shall take the necessary measures to close existing representative offices, subsidiaries or banking accounts in the DPRK within 90 days, unless the Committee determines on a case-by-case basis that such offices, subsidiaries or accounts are required for the delivery of humanitarian assistance or the activities of diplomatic missions in the DPRK or the activities of the United Nations or its specialized agencies or related organizations or any other purpose consistent with the objectives of this resolution;

32. *Decides* that all Member States shall prohibit public and private financial support from within their territories or by persons or entities subject to their jurisdiction for trade with the DPRK (including the granting of export credits, guarantees or insurance to their nationals or entities involved in such trade), except as approved in advance by the Committee on a case-by-case basis;

33. *Decides* that, if a Member State determines that an individual is working on behalf of or at the direction of a DPRK bank or financial institution, then Member States shall expel the individual from their territories for the purpose of repatriation to the individual's state of nationality, consistent with applicable national and international law, unless the presence of the individual is required for fulfillment of a judicial process or exclusively for medical, safety or other humanitarian purposes, or the Committee has determined on a case-by-case basis that the expulsion of the individual would be contrary to the objectives of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), or this resolution;

34. *Expresses* concern that DPRK nationals are sent to work in other States for the purpose of earning hard currency that the DPRK uses for its nuclear and ballistic missile programmes, and *calls upon* States to exercise vigilance over this practice;

35. *Reiterates* its concern that bulk cash may be used to evade measures imposed by the Security Council, and *calls upon* Member States to be alert to this risk;

36. *Calls upon* all Member States to report to the Security Council within 90 days of the adoption of this resolution, and thereafter upon request by the Committee, on concrete measures they have taken in order to implement effectively the provisions of this resolution, *requests* the Panel of Experts established pursuant to resolution 1874 (2009), in cooperation with other UN sanctions monitoring groups, to continue its efforts to assist Member States in preparing and submitting such reports in a timely manner;

37. *Reaffirms* that Security Council resolution 1540 (2004) obligates all States to take and enforce effective measures to establish domestic controls to prevent the proliferation of nuclear, chemical, or biological weapons and their means of delivery, including by establishing appropriate controls over related materials, and *notes* that these obligations are complementary to the obligations in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) and 2270 (2016) to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK of items, materials, equipment, goods and technology which could contribute to DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes;

38. *Calls upon* all Member States to redouble efforts to implement in full the measures in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) and 2270 (2016), and to cooperate with each other in doing so, particularly with respect to

inspecting, detecting and seizing items the transfer of which is prohibited by these resolutions;

39. *Decides* that the mandate of the Committee, as set out in paragraph 12 of resolution 1718 (2006), shall apply with respect to the measures imposed in this resolution and *further decides* that the mandate of the Panel of Experts, as specified in paragraph 26 of resolution 1874 (2009) and modified in paragraph 1 of resolution 2276 (2016), shall also apply with respect to the measures imposed in this resolution;

40. *Decides* to authorize all Member States to, and that all Member States shall, seize and dispose (such as through destruction, rendering inoperable or unusable, storage, or transferring to a State other than the originating or destination States for disposal) of items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) or this resolution that are identified in inspections, in a manner that is not inconsistent with their obligations under applicable Security Council resolutions, including resolution 1540 (2004), as well as any obligations of parties to the NPT, the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction of 29 April 1997, and the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction of 10 April 1972;

41. *Emphasizes* the importance of all States, including the DPRK, taking the necessary measures to ensure that no claim shall lie at the instance of the DPRK, or of any person or entity in the DPRK, or of persons or entities designated for measures set forth in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) or this resolution, or any person claiming through or for the benefit of any such person or entity, in connection with any contract or other transaction where its performance was prevented by reason of the measures imposed by this resolution or previous resolutions;

42. *Requests* the Secretary-General to provide additional administrative and analytical support resources needed to increase the capacity of the Panel of Experts established pursuant to resolution 1874 (2009) and strengthen its ability to analyse the DPRK's sanctions violation and evasion activities, to include additional funding allocated to the procurement of aerial imagery and analysis services, access to relevant trade and international security databases and other information sources, as well as support the resulting increased activities of the Committee by the Secretariat;

43. *Requests* the Panel of Experts to include findings and recommendations in its midterm reports, beginning with the midterm report due to be submitted to the Committee by no later than 5 August 2017;

44. *Directs* the Committee, with the assistance of its Panel of Experts, to hold special meetings on important thematic and regional topics and Member States' capacity challenges, to identify, prioritize, and mobilize resources to areas that would benefit from technical and capacity-building assistance to enable more effective implementation by Member States;

45. *Reiterates* its deep concern at the grave hardship that the people in the DPRK are subjected to, *condemns* the DPRK for pursuing nuclear weapons and ballistic missiles instead of the welfare of its people while people in the DPRK have great unmet needs, and *emphasizes* the necessity of the DPRK respecting and ensuring the welfare and inherent dignity of people in the DPRK;

46. *Reaffirms* that the measures imposed by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) and this resolution are not intended to have adverse humanitarian consequences for the civilian population of the DPRK or to affect negatively those activities, including economic activities and cooperation, that are not prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) and this resolution, and the work of international and non-governmental organizations carrying out assistance and relief activities in the DPRK for the benefit of the civilian population of the DPRK, and *decides* that the Committee may, on a case-by-case basis, exempt any activity from the measures imposed by these resolutions if the Committee determines that such an exemption is necessary to facilitate the work of such organizations in the DPRK or for any other purpose consistent with the objectives of these resolutions;

47. *Reaffirms* its support to the Six Party Talks, *calls* for their resumption, and *reiterates* its support for the commitments set forth in the Joint Statement of 19 September 2005 issued by China, the DPRK, Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation, and the United States, including that the goal of the Six-Party Talks is the verifiable denuclearization of the Korean Peninsula in a peaceful manner, that the United States and the DPRK undertook to respect each other's sovereignty and exist peacefully together, and that the Six Parties undertook to promote economic cooperation, and all other relevant commitments;

48. *Reiterates* the importance of maintaining peace and stability on the Korean Peninsula and in north-east Asia at large, and *expresses* its commitment to a peaceful, diplomatic and political solution to the situation and welcomes efforts by Council members as well as other States to facilitate a peaceful and comprehensive solution through dialogue and stresses the importance of working to reduce tensions in the Korean Peninsula and beyond;

49. *Affirms* that it shall keep the DPRK's actions under continuous review and is prepared to strengthen, modify, suspend or lift the measures as may be needed in light of the DPRK's compliance, and, in this regard, *expresses its determination* to take further significant measures in the event of a further DPRK nuclear test or launch;

50. *Decides* to remain seized of the matter.

Annex I

Travel Ban/Asset Freeze (Individuals)

1. PAK CHUN IL

- a. *Description:* Pak Chun Il has served as the DPRK Ambassador to Egypt and provides support to KOMID.
- b. *AKA:* n/a
- c. *Identifiers:* DOB: 28 July 1954; Nationality: DPRK; Passport: 563410091

2. KIM SONG CHOL

- a. *Description:* Kim Song Chol is a KOMID official that has conducted business in Sudan on behalf of KOMID's interests.
- b. *AKA:* Kim Hak Song
- c. *Identifiers:* DOB: 26 March 1968, alt. DOB: 15 October 1970; Nationality: DPRK; Passport: 381420565, alt. Passport: 654120219

3. SON JONG HYOK
 - a. *Description:* Son Jong Hyok is a KOMID official that has conducted business in Sudan on behalf of KOMID's interests.
 - b. *AKA:* Son Min
 - c. *Identifiers:* DOB: 20 May 1980; Nationality: DPRK
4. KIM SE GON
 - a. *Description:* Kim Se Gon works on behalf of the Ministry of Atomic Energy Industry.
 - b. *AKA:* n/a
 - c. *Identifiers:* DOB: 13 November 1969; Passport: PD472310104; Nationality: DPRK
5. RI WON HO
 - a. *Description:* Ri Won Ho is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID.
 - b. *AKA:* n/a
 - c. *Identifiers:* DOB: 17 July 1964; Passport: 381310014, Nationality: DPRK
6. JO YONG CHOL
 - a. *Description:* Jo Yong Chol is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID.
 - b. *AKA:* Cho Yong Chol
 - c. *Identifiers:* DOB: 30 September 1973, Nationality: DPRK
7. KIM CHOL SAM
 - a. *Description:* Kim Chol Sam is a representative for Daedong Credit Bank (DCB) who has been involved in managing transactions on behalf of DCB Finance Limited. As an overseas-based representative of DCB, it is suspected that Kim Chol Sam has facilitated transactions worth hundreds of thousands of dollars and likely managed millions of dollars in DPRK related accounts with potential links to nuclear/missile programmes.
 - b. *AKA:* n/a
 - c. *Identifiers:* DOB: 11 March 1971; Nationality: DPRK
8. KIM SOK CHOL
 - a. *Description:* Kim Sok Chol acted as the DPRK Ambassador to Myanmar and he operates as a KOMID facilitator. He was paid by KOMID for his assistance and arranges meetings on behalf of KOMID, including a meeting between KOMID and Myanmar's defense related persons to discuss financial matters.
 - b. *AKA:* n/a
 - c. *Identifiers:* DOB: 8 May 1955; Passport 472310082; Nationality: DPRK
9. CHANG CHANG HA
 - a. *Description:* Chang Chang Ha is the President of the Second Academy of Natural Sciences (SANS).

- b. *AKA:* Jang Chang Ha
 - c. *Identifiers:* DOB: 10 January 1964; Nationality: DPRK
10. CHO CHUN RYONG
- a. *Description:* Cho Chun Ryong is the Chairman of the Second Economic Committee (SEC).
 - b. *AKA:* Jo Chun Ryong
 - c. *Identifiers:* DOB: 4 April 1960; Nationality: DPRK
11. SON MUN SAN
- a. *Description:* Son Mun San is the Director-General of the External Affairs Bureau of the General Bureau of Atomic Energy (GBAE).
 - b. *AKA:* n/a
 - c. *Identifiers:* DOB: 23 January 1951; Nationality: DPRK

Annex II

Asset Freeze (Entities)

1. KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK
- a. *Description:* Korea United Development Bank operates in the financial services industry of the DPRK economy.
 - b. *Location:* Pyongyang, North Korea; SWIFT/BIC: KUDBKPPY
2. ILSIM INTERNATIONAL BANK
- a. *Description:* Ilsim International Bank is affiliated with the DPRK military and has a close relationship with Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC). Ilsim International Bank has attempted to evade United Nations sanctions.
 - b. *AKA:* n/a
 - c. *Location:* Pyongyang, DPRK; SWIFT: ILSIKPPY
3. KOREA DAESONG BANK
- a. *Description:* Daesong Bank is owned and controlled by Office 39 of the Korea Workers' Party.
 - b. *AKA:* Choson Taesong Unhaeng; AKA: Taesong Bank
 - c. *Location:* Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, DPRK; SWIFT/BIC: KDBKKPPY
4. SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION
- a. *Description:* Singwang Economics and Trading General Corporation is a DPRK firm for trading in coal. DPRK generates a significant share of the money for its nuclear and ballistic missile programmes by mining natural resources and selling those resources abroad.
 - b. *AKA:* n/a
 - c. *Location:* DPRK

5. KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER
 - a. *Description:* Korea Foreign Technical Trade Center is a DPRK firm trading in coal. DPRK generates a significant share of the funds needed to finance its nuclear and ballistic missile programmes by mining natural resources and selling those resources abroad.
 - b. *AKA:* n/a
 - c. *Location:* DPRK
6. KOREA PUGANG TRADING CORPORATION
 - a. *Description:* Korea Pugang Trading Corporation is owned by the Korea Ryonbong General Corporation, DPRK's defense conglomerate specializing in acquisition for DPRK defense industries and support to Pyongyang's military related sales.
 - b. *AKA:* n/a
 - c. *Location:* Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK
7. KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY
 - a. *Description:* Korea International Chemical Joint Venture Company is a subsidiary of Korea Ryonbong General Corporation — DPRK's defense conglomerate specializing in acquisition for DPRK defense industries and support to Pyongyang's military related sales — and has engaged in proliferation-related transactions.
 - b. *AKA:* Choson International Chemicals Joint Operation Company; AKA: Chosun International Chemicals Joint Operation Company; AKA: International Chemical Joint Venture Company.
 - c. *Location:* Hamhung, South Hamgyong Province, DPRK; Location: Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, DPRK; Location: Mangyungdae-gu, Pyongyang, DPRK.
8. DCB FINANCE LIMITED
 - a. *Description:* DCB Finance Limited is a front company for Daedong Credit Bank (DCB), a listed entity.
 - b. *AKA:* n/a
 - c. *Locations:* Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; Dalian, China.
9. KOREA TAESONG TRADING COMPANY
 - a. *Description:* Korea Taesong Trading Company has acted on behalf of KOMID in dealings with Syria.
 - b. *AKA:* n/a
 - c. *Location:* Pyongyang, DPRK
10. KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION
 - a. *Description:* Korea Daesong General Trading Corporation is affiliated with Office 39 through minerals (gold) exports, metals, machinery, agricultural products, ginseng, jewelry, and light industry products.
 - b. *AKA:* Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation.
 - c. *Location:* Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang City, DPRK.

Annex III**Items, Materials, Equipment, Goods and Technology****Nuclear- and/or Missile-usable Items**

1. Isocyanates (TDI (Toluene di-isocyanate), MDI (Methylene bis (phenyl isocyanate)), IPDI (Isophorone diisocyanate), HNMDI or HDI (Hexamethylene diisocyanate), and DDI (dimeryl diisocyanate) and production equipment.
2. Ammonium nitrate, chemically pure or in phase stabilized version (PSAN).
3. Non-destructive test chambers with a 1m or more critical internal dimension.
4. Turbo-pumps for liquid or hybrid rocket engines.
5. Polymeric Substances (Hydroxyl Terminated Poly-Ether (HTPE), Hydroxyl Terminated Caprolactone Ether (HTCE), Polypropylene glycol (PPG), Polydiethyleneglycol adipate (PGA) and Polyethylene Glycol (PEG)).
6. Inertial equipment for any application, particularly for civilian aircraft, satellite, geophysical survey applications and their associated test equipment.
7. Countermeasure Subsystems and Penetration Aids (e.g. jammers, chaff, decoys) designed to saturate, confuse, or evade missile defences.
8. Manganese metal Brazing Foils.
9. Hydroforming machines.
10. Thermal treatment furnaces — Temperature >850 degrees C and one dimension >1m.
11. Electrical Discharge Machines (EDMs).
12. Friction stir welding machines.
13. Modelling and design software related to the modelling of aerodynamic and thermodynamic analysis of rocket or unmanned aerial vehicle systems.
14. High-speed imaging cameras except those used in medical imaging systems.
15. Truck chassis with 6 or more axles.

Chemical/Biological Weapons-usable Items

1. Floor-mounted fume hoods (walk-in style) with a minimum nominal width of 2.5 meters.
2. Batch centrifuges with a rotor capacity of 4 L or greater, usable with biological materials.
3. Fermenters with an internal volume of 10-20 L (.01-.02 cubic meters), usable with biological materials.

Annex IV**Luxury Goods**

- (1) Rugs and tapestries (valued greater than \$500)
- (2) Tableware of porcelain or bone china (valued greater than \$100)

Annex V**Standard Form for Notification of Import of Coal****From the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)**

pursuant to paragraph 26 (b) of resolution [2321 \(2016\)](#)

This form notifies the UN Security Council 1718 Committee of the procurement of coal from the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) in keeping with the relevant provisions of resolution [2321 \(2016\)](#).

Procuring State:

Month:

Year:

Coal imported from DPRK, in metric tons:

Coal imported from DPRK, in US dollars (optional):

Additional information (optional):

Signature/seal:

Date:

[F. No. AE-I/102/11(A)/2016]

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy